मंगलवार, 26 मार्च 1985

5 चैत्र, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 26 मार्च, 1985/5 चैत्र, 1907 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 25, पंक्ति 22, "(अनुवाद)" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 32, पंक्ति 21, सदस्य के नाम से पहले ता0प्र0संख्या "188" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 2, सदस्य के नाम से पहले अ0प्र0संख्या "1022" पढ़िये।

पृष्ठ 81, पंक्ति 2, "डुहोमा" के स्थान पर "डहोमा" पढ़िये।

पृष्ठ 88, पंक्ति 18, "श्री राम विलास मिर्धा" के स्थान पर "श्री राम निवास मिर्धा" पढ़िये।

पृष्ठ 122, पंक्ति 26, "कलकत्ता" से पहले "(क)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 130, पंक्ति 16, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये और पंक्ति 17 में "(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 143, पंक्ति 21, "श्री अमर दत्त" के स्थान पर "श्री अमल दत्त" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 15, "श्री राम विलास मिर्धा" के स्थान पर "श्री राम निवास मिर्धा" पढ़िये।

पृष्ठ 159, पंक्ति 17, "अ0प्र0संख्या "1156" के स्थान पर "1166" पढ़िये।

पृष्ठ 165, नीचे से पंक्ति 6, "36" का लोप कीजिये तथा पूरी पंक्ति बाईं ओर ही पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 14 के नीचे बाईं ओर "(हिन्दी)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 188, पंक्ति 27, "कुलीन" के स्थान पर "कुलीग" पढ़िये।

पृष्ठ 195, पंक्ति 16, "पाराशर" के स्थान पर "पराशर" पढ़िये

पृष्ठ 206, पंक्ति 29, "श्री श्रीकृष्ण मोहन महतो" के स्थान पर "श्री ब्रजमोहन महन्तो" पढ़िये।

पृष्ठ 230, के बाद के पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या "131" के स्थान पर "231" पढ़िये।

पृष्ठ 231, पंक्ति 18 और 19 के बीच लाईन और "(हिन्दी)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 241, पंक्ति 12, "(अनुवाद)" का यहां से लोप कीजिये और पंक्ति 14 में "श्री वी0के0गढ़वी" के नाम के ऊपर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 261, पंक्ति 20, "दृटम" के स्थान पर "भद्रम्" पढ़िये।

पृष्ठ 271, पंक्ति 22, "श्री जनार्दनन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 12 मंगलवार, 26 मार्च, 1985/5 चैत्र, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 181 और 183 से 187	...	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 182 और 188 से 200	...	32-45
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1019 से 1059 और 1061 से 1172	...	45-168
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	169-174
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		
मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली, में द्रव क्लोरीन का अत्यधिक रिसाव होने की तथा हजारों कर्मकारों और अन्य लोगों के जीवन को खतरा पैदा होने की कथित संभावना		
श्रीमती जयंती पटनायक	...	175-179
श्री बीरेन्द्र पाटिल	...	179-187
श्री ललित माकन	.	181-189
श्री टी. अंजैया	....	188-189
समितियों के लिये चुनाव		
(एक) प्राक्कलन समिति	...	189-190
(दो) लोक लेखा समिति	...	190
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	...	191
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	...	191-192

किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले :		
(एक) उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिये केन्द्र खोलने तथा और अधिक शीतागारों का निर्माण करने की आवश्यकता		
श्री जैनुल बशर	...	19 -193
(दो) पेयजल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता		
श्री चिंतामणि जैना	...	193
(तीन) जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	193-194
(चार) मथुरा में यमुना नदी के जल को साफ करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री मानवेन्द्र सिंह	...	194-195
(पांच) सैनिक कल्याण संबंधी समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता		
प्रो. नारायण चन्द पराशर	...	195
(छः) दिल्ली में पट्टा पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता		
श्री ललित माकन	...	195-196
(सात) झुन्झुनू निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों के लिए इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता		
श्री मोहम्मद अयूब खां	...	196
(आठ) हिमाचल प्रदेश में नये टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता		
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	196-197
(नौ) कालेत्तुमकारा रेल फाटक (केरल) पर एक उपरि-पुल का निर्माण करने की आवश्यकता		
श्री के. मोहनदास	...	197

विषय		पृष्ठ
ा राज्य के संबंध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में संकल्प		
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985		
पंजाब बजट, 1985-86 (विचार करने के लिए प्रस्ताव)		
लेखानुदानों की मांगें 1985-86 (पंजाब)		
तथा		
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1984-85 (पंजाब)		
(जारी—समाप्त)		
श्री राज मंगल पांडे	...	198-204
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	204-259
श्री बृजमोहन महन्ती	...	206-209
श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	209-259
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	213-217
श्री जैनुल बशर	...	217-221
श्री एस. जयपाल रेड्डी	...	221-224
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	...	224-260
श्री राम प्रकाश	...	231-234
श्री राम नगीना मिश्र	...	234-239
श्री सी. जंगा रेड्डी	...	239-242
प्रो. कामसन मिजिनलंग	...	242-245
श्री बी. तुलसीराम	...	245-248
श्री बी. के. गढ़वी	...	248-250
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	250-251
श्री वी. सोमानाद्रीसवरा राव	...	252-353
श्री सुधीर राय	...	253-254
श्री एस. बी. चव्हाण	...	254-262
श्री जनार्दन पुजारी	...	262-264
ीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री एस. बी. चव्हाण	...	265

विषय		पृष्ठ
लेखानुदानों की मांगें 1985-86 (**पंजाब**)	...	266
अनुदानों की अनुपूरक मांगें 1984-85 (**पंजाब**)	...	269-270
पंजाब विनियोग (**लेखानुदान**) **विधेयक**		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री जनार्दन पुजारी	...	270
खंड 2, 3 **तथा** 1		
पारित करने के लिये प्रस्ताव		
श्री जनार्दन पुजारी	...	271
पंजाब विनियोग (**संख्यांक** 2) **विधेयक,**		
पुरः स्थापित/विचार करने के लिये **प्रस्ताव**		
श्री जनार्दन पुजारी	...	271-272
खंड 2, 3 तथा 1		
पारित करने के लिये प्रस्ताव		
श्री जनार्दन पुजारी	...	275
संघ राज्यक्षेत्र शासन (**संशोधन**) **विधेयक,** 1985		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री एस. बी. चव्हाण	...	273-280
श्री एस. एम. भट्टम्	...	273
श्री एस. जयपाल रेड्डी	...	274
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	274-279
श्री राम प्यारे पनिका	...	278
श्री गिरधारी लाल डोगरा	...	278-279
खंड 2, 3 तथा 1		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री एस. बी. चव्हाण	...	281

लोक सभा

मंगलवार, 26 मार्च, 1985/5 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपभोक्ता उत्पादों के निर्माताओं द्वारा दी गयी गारंटी का उल्लंघन

[अनुवाद]

*181. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता उत्पादों के निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों पर दी जाने वाली गारंटी का कोई कानूनी महत्व है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी गारंटियों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस सम्बन्ध में आयोग स्तर ऐसे मामलों की जाँच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को निर्दिष्ट करने के लिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 1984 कलेन्डर वर्ष की अवधि में गारंटी देने वाले विनिर्माताओं के विरुद्ध 14 शिकायतें प्राप्त की तथा उनकी जांच भी की है।

(घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखे विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	सूचक/शिकायतकर्ता का नाम	सूचना/शिकायत प्राप्ति का तरीका	शिकायत का ब्यौरा	आधार सहित आयोग द्वारा पारित आदेश का रूप, यदि कोई हो।	अनिर्णीत शिकायतों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स मीकन प्रा. लि.	13-1-1984	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मे. प्रीमियर ऑटोमोबाइल लि. ने नई प्रीमियर पद्मिनी डीलक्स कार की खरीद पर उनके द्वारा प्रदत्त गारन्टी को अमान्य माना है और सर्विस देने से इन्कार किया जबकि गारंटी की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने कथित कार में दूसरी फर्म से वातानुकूलक लगवा लिया था।	आयोग द्वारा अपने दिनांक 30-8-84 के आदेश द्वारा इसको मान्य किया गया था कि खरीददार (शिकायतकर्ता) प्रतिवादी के विरुद्ध इस मामले में अनुचित व्यापार प्रथा को सिद्ध करने में असफल रहा। (गारन्टी में यह अनुबंध लागू होता है कि वातानुकूलक प्रतिवादी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकृत द्वारा न्यायोचित माना गया।	उत्पन्न नहीं होता।

2.	मैं. स्प्रैलेक पेन्ट्स कारपोरेशन नई दिल्ली ।	1-6-1983	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मैं. दिल्ली आटोमोबाइल्स प्रा. लि., नई दिल्ली ने उनके द्वारा खरीदी गई कार की पहली निःशुल्क सेवा के लिए इस आधार पर इन्कार कर दिया कि जैसा गारंटी के अन्तर्गत प्रावधान है वाहन में वातानुकूलक विक्रयकर्ता के एकमात्र प्राधिकृत एजेन्ट के अलावाकिसी अन्य से लगवाया गया था ।	गुणावगुण के आधार पर आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था क्योंकि दिनांक 1-6-84 के पत्र द्वारा शिकायतकर्ता ने शिकायत वापिस ले ली थी ।	उत्पन्न नहीं होता
3.	श्री पी. बी. कुदेशिया, नई दिल्ली	19-4-1984	सूचक द्वारा यह आरोप लगाया था कि मैं. जनरल इक्यूपमेन्ट्स मर्चेन्ट्स लि. ने उसके द्वारा खरीदे गये जेम रेफीजरेटर के खराब पुर्जों को बदलने के	शिकायतकर्ता की टिप्पणियों की प्राप्ति पर दिनांक 21-8-84 को आयोग द्वारा मामला बन्द कर दिया गया था कि बिक्री की तारीख से लगभग पांच वर्ष बाद यद्यपि गारन्टी के	उत्पन्न नहीं होता

1	2	3	4	5	6
			सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं की थी और कथित कम्पनी द्वारा विज्ञापित भेंट देने में भी असफल रहे थे। इसके अलावा, कम्पनी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध स्टैबलाइजर के लिये उस पर दबाव डाला।	अधीन रेफ्रीजरेटर को बद-लना सम्भव नहीं है फिर भी खराबी को दूर करने के लिए उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और उन्होंने पहले ही अपना निर्णय उपभोक्ता को सूचित कर दिया है।	
4.	मिसेज मार्ग्रेट फ्रांसिस, बड़ौदा	27-8-1984	सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मैं. रेफ्रीजररेशन एण्ड अपलायन्सेज बड़ौदा द्वारा 25-7-84 को जो केलवीनेटर रेफ्रीजरेटर बेचा गया था वह खराब हो गया था, उक्त विक्रेता द्वारा न तो उसकी खराबी ठीक	यह मामला 28-2-85 को आयोग द्वारा जांच निदेशक को जांच के लिए भेजा गया और उनकी रिपोर्ट की की प्रतीक्षा की जा रही है।	आगे कार्यवाही निदेशक अनु-संधान की रिपोर्ट को प्राप्त करने के पश्चात की जायेगी।

			की गई और ना ही रेफ्रीजरेटर बदला गया।		
5.	मैं. पदमा पैकेजेज लि. नई दिल्ली	24-9-1684	सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मैं. फैडर्स ललायड लि. द्वारा उनके बीच वातानुकूलक खरीदने के लिए वार्षिक सेवा करार के लिए बहुत भारी राशि वसूल की गई थी लेकिन करारयुक्त सेवा नहीं दी गई और वातानुकूलक जो कम्प्रेशर बदलने के लिये ले जाया गया था इस तर्क के साथ नहीं लौटाया गया कि कम्प्रैशर उपलब्ध नहीं है।	मै. फैडर्स ललायड के साथ सेवा अनुबन्ध की प्रति और कम्पनी द्वारा वातानुकूलक के खराब पुर्जों की मरम्मत/बदलमे के लिए वारंटी या गारंटी की प्रति भेजने के लिए अनुस्मारकों के बावजूद सूचक की असफलता पर दिनांक 22-2-85 के आदेश द्वारा मामला बन्द कर दिया गया था।	उत्पन्न नहीं होता।
6.	मै. फाइजर लिमिटेड, बम्बई	30-10-1984	यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा मैसर्स नेशनल गैरेज (प्रा;)	गारंटी के विरुद्ध शिकायत उस कारोबार से सम्बद्ध थी जो 1983 में हुआ था और	उत्पन्न नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
			लि., बम्बई से खरीदी गई कार जिसके खराब पुर्जों को विक्रयकर्ता द्वारा बदलना चाहिए था। (शिकायत मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि. कलकत्ता को भेजी गई थी और आयोग को केवल प्रति पृष्ठांकित की गई थी)।	जिसे अनुचित व्यापार प्रथा नहीं माना जा सका, अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई।	
7.	मै. श्रीराम कृष्ण, नई दिल्ली	14-9-1984	सूचक के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि म. किंगस्टन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. ने, उनसे 20-7-1983 को टेलीविजन सेट बेचने के समय पर दूसरे वर्ष की सेवा के लिए 800 रुपए सेवा प्रभार वसूल किया था, सूचक इस प्रभार को वापिस लेना चाहता है।	आयोग ने यह मामला 26-2-85 को अपर निदेशक के पास जांच के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।	अपर निदेशक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले पर आगे कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

	श्री परसराम आफ पोर्ट ब्लेयर	22-8-1984	सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मै. एक्सपो मशीनरी लिमिटेड दिल्ली और मै. स्टूडेन्टस स्टोर्स पोर्ट ब्लेयर ने उसे अवंती स्कूटर बेचा जो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण तरीकों से निर्मित किया गया था।	आयोग ने स्टूडेन्ट्स स्टोर्स, पोर्ट ब्लेयर से सूचना मिलने पर कि कुछ मामूली सी खराबी पाई गई थी जो बाद में ठीक कर दी गई थी, जाँच को बन्द कर दिया, इसकी शिकायतकर्ता द्वारा पुष्टि कर दी गई।	उत्पन्न नहीं होता।
9.	श्री एन. सी. मल्होत्रा, नई दिल्ली।	13-8-1984	यह आरोप लगाया गया कि सूचक ने मसर्स गोदरेज एण्ड बोइसी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. नई दिल्ली से रेफ्रीजरेटर खरीदा था जिसमें गारंटी अवधि में खराबी नोटिस में आई थी। (जैम्ड सील्ड सिस्टम)	जांच को 19-12-84 को बंद कर दिया गया था क्योंकि आयोग ने विचार किया कि जब सोल्ड सिस्टम को बदलने में अनुचित बिलम्ब नहीं हुआ तो अनुचित व्यापार प्रथा का कोई मामला नहीं बनता था।	उत्पन्न नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
10.	**आल इण्डिया बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल इम्पलाईज फैडरेशन बम्बई।**	13-7-1984	यह आरोप लगाया था कि मैसर्स बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि. ने मैं. टेलको को "मोदी स्टोन" ब्रांड के नाम के अन्तर्गत वास्तविक उपकरण की आपूर्ति की थी परन्तु ये टायर्स इसके द्वारा नहीं बनाये गये थे। इस प्रकार से "मोदी स्टोन टायर्स" की गुणवत्ता नहीं रखते थे।	आयोग ने आदेश दिनांक 14-12-84 के द्वारा जांच को बन्द कर दिया मैं. बम्बई टायर इन्टर-नैशनल लि. ने क्रमबद्ध रूप से यह पुष्टि कर दी कि मैं. मोदी रबर द्वारा बने टायरों और "मोदी स्टोन" ब्रांड नाम के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्ट। मानक के अन्तर्गत निर्मित सुदृढ़ है।	उत्पन्न नहीं होता।
11.	**मैसर्स कन्हैयालाल हजारीलाल एण्ड सन्स ग्वालियर**	13-9-1984	सूचक ने ग्वालियर में एक उपवितरक के द्वारा मैं. टेलीविस्टा कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ एक टी. वी. सैट खरीदा था। उसने यह आरोप लगाया कि सैट में खराबी हो गई परन्तु	मामला आयोग द्वारा संबंधित वितरक से दो सप्ताह में टिप्पणी देने को कहा गया। उत्तर प्राप्त हो गया है कि सूचक के पूर्ण संतोष पर सैट को बदल दिया गया है। सूचक से	आयोग के पत्र दिनांक 18-2-85 के संदर्भ में सूचक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

			शिकायत नहीं सुनी गई और खराबी दूर नहीं की और गारन्टी अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करता रहा।	18-2-85 को अनुपालक के विवरण की पुष्टि करने के लिखा गया है।	
12.	मै. एक्मे शूज (प्रा.) लि., ग्वालियर	17-6-1894	सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनको दी गई नई कारों में घटिया किस्म के इंजिनों की मै. हिन्दुस्तान मोटर्स लि. कलकत्ता द्वारा उनको आपूर्ति की गई है तथा उक्त कम्पनी उनको बदलने या मरम्मत करने में अनुपालक द्वारा दी गई गारंटी के बावजूद असफल रही है।	अनुपालक से टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात, आयोग ने सूचक को सूचित किया है कि अनुपालक ने सूचना दी है कि उसने कार के इंजिन के लिए नये सिलेण्डर को भेजने का निर्णय ले लिया है।	सूचक से 11-3-85 के पत्र द्वारा पूछा गया है कि वह सूचित करे कि क्या उसकी सूचना में आया दोष अनुपालक द्वारा कार में ठीककर दिया गया है।
13.	मिसेज जनक साहनी, बम्बई।	18-5-84	यह आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा खरीदा गया निर्लेप फ्राई पेन, द्वारा निर्मित (मैसर्स सिल्वर लाइट निलेप-	जांच को आदेश दिनांक 15-10-84 द्वारा यह मानते हुए बन्द कर दिया गया कि प्रतिवादी एकाधिकार तथा अव-	उत्पन्न नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
			बेयर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि., बम्बई) ने निर्लेप साहित्य में असत्य लिखा है और उनके द्वारा दिया गया गारन्टी कार्ड कि निर्लेप फ्राई पेन अत्यधिक आधुनिक फ्लूओन कोटेड है और आई. एस. आई. लाइसेंस मार्का हैं है किन्तु उनके द्वारा खरीदे गये फ्राई पेन का कोटिंग दो महीने में उतर गया।	रोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36क के अंतर्गत आगे नहीं चल सका क्योंकि प्रतिवादी के जवाबदेही के लिए कोई बंधन नहीं था कि पेन को तेज बर्तनों से साफ किया गया था जिससे उस पर खरोंच आ गई और अवरोधक व्यापार प्रथा जो उस अवधि से सम्बद्ध थी वह अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आई।	
14.	श्रीमती एल. आर. सिन्हा, बम्बई।	26-6-84	शिकायतकर्ता ने मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स लि. नई	जाँच, आयोग द्वारा समाप्त कर दी गई	उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली द्वारा खरीदे गए टेलीविजन की सेवा पर असंतोष का आरोप लगाया था।	थी उसने एक नय टेलीविजन सैट देकर बदल दिया, यद्यपि वह दो इन्च छोटा था और शिकायतकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : प्रस्तुत विवरण के अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में केवल तकनीकी कारणों से शिकायतकर्त्ताओं की शिकायतें दूर नहीं की गई। उदाहरण के लिए मैं मामला सं. 5 का उल्लेख करूंगा जिसमें "अनुस्मारक भेजने के बावजूद सूचक मैसर्स फैडर्स लायड के साथ किए गए सेवा अनुबंध को प्रति तथा उक्त कम्पनी द्वारा दी गई किसी गारंटी या वारंटी आदि को प्रति भेजने में असफल रहा।" प्रत्येक खरीदकर्त्ता को यह गारंटी या वारंटी दी जाती है शिकायतकर्त्ता को गारंटी या वारंटी की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः यदि सूचक गारंटी या वारंटी की प्रति सप्लाई केवल इसी आधार पर शिकायतकर्त्ता द्वारा दर्ज इस मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव निर्माताओं को यह निर्देश देने का है कि वे माडल के आधार पर गारंटी तैयार और सभी खरीदकर्त्ताओं को जारी करें तथा उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में रखें ताकि जब कभी गारंटी की शर्तों का अनुपालन न किए जाने की शिकायत आए तो उक्त प्रति को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का गठन एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यह एक न्यायिक निकाय है। जब कभी आयोग के नोटिस में अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं या नष्ट प्रक्रियाएं अपनाने के मामले लाए जाते हैं तो वह इनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू करता है। आयोग स्वतः भी जांच आरम्भ कर सकता है और यदि ऐसी शिकायतें मंत्रालय या विभाग अथवा कम्पनी विधि मंत्रालय से प्राप्त होती हैं तो उन्हें प्रथम दृष्टया आयोग के पास भेज दिया जाता है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रत्येक अनुचित व्यापार प्रक्रिया आयोग के ध्यान में लाई जाती है तथा उन पर विचार करना आयोग का काम है। वे इन मामलों की जांच शिकायत प्राप्त होने पर या स्वयं भी अथवा कम्पनी विधि मंत्रालय द्वारा प्राप्त होने पर कर सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि आयोग का रवैये में कोई खराबी नहीं है तथा गत वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं सुनी गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन ही दे सकता हूँ कि इस तरह की कोई शिकायत यदि मंत्रालय अथवा आयोग के ध्यान में लाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे पर्याप्त उपबन्ध है जिनके तहत निर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इस बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता किंतु कहूँगा कि उपबन्धों के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है तथा इस अधिनियम की धारा 12 (क) और 12 (ख) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा तथा मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है तथा देखा जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही निर्धारित की गई है उसे पूरा किया गया या नहीं, या अन्यथा जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं उसे दण्ड दिया जाएगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को अनेक शक्तियां दी गई है। यदि सदस्य या उपभोक्ता शिकायत करते हैं तो आयोग निश्चय ही उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध तो संतोष जनक है किन्तु दुर्भाग्य से आयोग ने किसी भी मामले में यहां तक कि जिन मामलों में शिकायत प्रमाणित हो चुकी थी शिकायतकर्त्ताओं को मुआवजा नहीं दिया। इन मामलों में कम्पनियों को शिकायत-कर्त्ताओं को मौजूदा सिलेंडर इन्जिन या फालतु पुर्जों के स्थान पर नया सिलेंडर इन्जिन या फालतु पुर्जे तो सालाई किए किंतु खरीदकर्त्ताओं को महीनों प्रतिक्षा करने के कारण परेशानी उठानी पड़ी। इन मामलों में मुआवजा दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी मामले में मुआवजा नहीं दिया गया क्या सरकार ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान अनिवार्य बनाने के लिए उपबधों में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य का विचार है कि निर्माताओं थोक या फुटकर विक्रेताओं के प्रति आयोग का रवैया नम्र है। जैसा कि मैंने अभी कहा था यह एक न्यायिक आयोग है और मेरे लिए आयोग के विषय पर टिप्पणी करना उचित न होगा। न्यायिक आयोग होने के कारण आयोग अपने विवेकानुसार चाहे तो नम्र रुख अपना सकता है अथवा कड़ा। जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि उपबन्धों में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि आयोग निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें तो यह एक सुझाव मात्र ही है।

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय मंत्री का ध्यान एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 10 की ओर दिलाता हूं जिसके अनुसार शिकायत भेजे जाने पर आयोग उसकी जांच करेगा ? कोई भी व्यक्ति आयोग को सीधे शिकायत नहीं भेज सकता। उन्हें पहले रिपोर्ट सरकार को शिकायत भेजनी पड़ती है और उसके बाद सरकार उसे आयोग के पास भेज सकती है। कोई भी आयोग के पास सीधे नहीं जा सकता अथवा सीधे शिकायत नहीं कर सकता। इसके लिए इस सदन में बहुत समय से मांग की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जरूरी नहीं है कि शिकायतकर्त्ता सरकार से ही शिकायत करें। वे आयोग या कम्पनी विधि मंत्रालय अथवा राज्य सरकार से भी शिकायत कर सकते हैं। आयोग स्वयं भी जांच कर सकता है। यदि राज्य सरकार को लगे कि कोई निर्माता अनुचित प्रक्रियाएं अपना रहा है तो वह भी आयोग को इस सम्बन्ध में शिकायत भेज सकती है। कम्पनी कार्य विभाग को भी यदि किसी शिकायत के प्राप्त होने पर लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह उसे आयोग के पास भेज सकता है।

श्री एदुआर्दो फलीरो : यह प्रश्न केवल आयोग से संबंधित नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से है। यह एक गंभीर प्रश्न है। हमारी अर्थव्यवस्था का यह दुखद पहलु है कि उपभोक्ताओं को घटिया तथा मिलावटी माल बेचकर उनका शोषण किया जाता है। इसी कारण सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की सुरक्षा को 17वें स्थान पर रखा है। मैं जानना चाहूंगा कि उनका मंत्रालय उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा से सम्बन्धित 17वें सूत्र को लागू करने के लिए क्या कर रहा है। विशेष रूप से उल्लेख करें कि उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए क्या मंत्रालय में उपभोक्ता सुरक्षा पारिषद है।

हमारे उपभोक्ता बहुत आलसी हैं लेकिन यह उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए उनमें जागरुकता पैदा करने के लिए प्रचार माध्यमों का सहारा किस प्रकार ले रहे हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मिलावटी और घटिया किस्म के उत्पादों से जनता का शारीरिक स्वास्थ्यं के खराब होने का भी खतरा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक मिलावट का सम्बन्ध है इसके लिए बहुत से संगठन हैं जो इसकी जांच करते हैं। वे निरीक्षण करके भिन्न-भिन्न उपबंधों के अन्तर्गत जरूरी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जहां तक भ्रष्ट या अनुचित प्रक्रियाएं अपनाने का सम्बन्ध है, जैसे अगर कोई मद का उत्पादन नहीं करता निर्माता विशिष्टियों के अनुरूप अथवा निर्धारित स्तर से कम स्तर की मद का उत्पादन करता है तो ऐसे मामलों में एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे प्रर्याप्त उपबंध हैं जिनके अन्तर्गत आयोग उनके खिलाफ कार्यवाई कर सकता है। इस उपबंध के अन्तर्गत क्या कार्रवाई की जा सकती है उस सब का अधिनियम में उल्लेख है। जहां तक उपभोक्ता परिषद का सम्बन्ध है यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है। मेरे विचारानुसार इस सुझाव पर विचार करना सिविल सप्लाई मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

प्रो. मधु दंडवते : माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि सरकार को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में भेजने के लिए शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन आयोग को 1984 के दौरान निर्माताओं के खिलाफ गारंटी से सम्बन्धित 14 शिकायतें प्राप्त हुई और उसने उन पर कार्यवाही की है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवेदन चाहे व्यक्तिगत अथवा प्रशासनिक—प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार को वे प्रतिवेदन दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करने होते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उक्त 14 मामलों में आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है। यदि हां तो क्या उन रिपोर्टों में ऐसा कहीं उल्लेख है कि उनमें, श्री सिन्हा द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर, विचार किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके लिए तो मुझे उन 14 मामलों को देखना पड़ेगा जिन पर एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने अपना निर्णय दिया है। उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित बातों को पूरा किया जा रहा है ? जब कभी किसी प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की अपेक्षा की जाती है तब उसे रखा जाता है। जहां तक इन 14 मामलों का सम्बन्ध है उत्तर में ही उन सबके विस्तृत ब्यौरे दे दिए गए हैं। मैं नहीं सोचता कि इन मामलों में ऐसी कोई रिपोर्ट है। जिसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। अगर हमें सभा पटल पर रखनी है तो उसे हम रखेंगे।

श्री मधु दंडवते : यदि वे नहीं जानते कि सभा पटल पर कौन-कौन सी रिपोर्टें रखी गई थी तो उनके पूर्ववर्ती मंत्री जिन्होंने उन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा, को यहां बुलाया जाना चाहिए ताकि वे हमें बता सकें। यह कोई तर्क नहीं है कि उन्होंने उन्हें पढ़ा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया था कि माननीय सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न पूछा है। मैं नहीं जानता कि कौन सी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि जहां जरूरी होता है तथा जहां हमसे उन्हें सभा पटल पर रखने की अपेक्षा की जाती है वहां हम उन्हें सभापटल पर रखते हैं माननीय सदस्य ने धारा 62 का उल्लेख किया है, यह वार्षिक तथा अन्य प्रतिवेदनों से सम्बन्धित है न कि व्यक्तिगत शिकायतों से। और जिनका, मैंने हवाला दिया है वे व्यक्तिगत शिकायतें हैं··· (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, यह भावी पीढ़ी के लिए रिकार्ड किया जा रहा है अतः मुझे सही कर लेने दीजिए। धारा 62 के अनुसार सभी प्रतिवेदन व्यक्तिगत और प्रशासनिक सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार इनके एक पूर्ववर्ती इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया और उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ी। वे इस भ्रम में नहीं रहे कि विशेष प्रतिवेदन ही सभा पटल पर रखे जाते हैं। व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे जाते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन भविष्य में वे धारा 62 का महत्व ध्यान में रखें।

डा. दत्ता सामन्त : महोदय, सरकार उद्योगपतियों या बड़े व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देकर उत्पादन की गति को बढ़ाने की योजना बना रही है। यह एक नई नीति है जिसकी इस बजट में व्यवस्था की गई है। लेकिन देश में निरक्षरता और पिछड़ेपन तथा बड़े नियोक्ताओं द्वारा किए गये शोषण पर नजर रखते हुए क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी कि प्रतियोगिता द्वारा कीमतों को दबाया नहीं जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यही यहां के जनसमूह के शोषण का मुख्य कारण है। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि क्या एक आर. टी. पी. कम्पनियों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार एम. आर. टी. पी. अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, एम. आर. टी. पी. कम्पनियां बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, वे जीवन रक्षक दवाइयों का भी उत्पादन कर रही है। वे सीमेंट, वनस्पति जैसी अन्य मदों का भी उत्पादन कर रही हैं। सरकार उपभोक्ता के हित में जहां आवश्यक है कीमतों को नियंत्रित कर रही है। लेकिन जहां यह आवश्यक नहीं है वहां नियन्त्रण लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहता हूं कि कृषि के विकास के लिए जो डीजल मशीनें कम्पनियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, वे घटिया किस्म की होती हैं। हमारे क्षेत्र में जो मशीनें लोगों ने ली हैं, वे घटिया किस्म की हैं और उनसे किसानों को लाखों लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अजीत कम्पनी द्वारा वह मशीन तैयार की गई है और बैंकों से उनकी सांठ-गांठ रहती है, जिसके लिए किसानों से जबरन वह मशीन खरीदने को

कहा जाता है। इससे किसानों को लाखों-लाख रुपये का नुकसान हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी। अजीत कम्पनी ने जो मशीनें किसानों को दी हैं, वे बिल्कुल घटिया किस्म की हैं और गारन्टी पीरियड में भी वह उनको ठीक नहीं करती है और जो गारन्टी देती हैं, उसका निर्वाह नहीं करतीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अजीत कंपनी की स्पेशल जांच वह करवायेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कम्पनी घटिया किस्म का माल पैदा करती है, लाज़िमी तौर पर जो खरीदने वाला है जब वह पैसा देकर माल खरीदता है, तो अच्छा माल ही खरीदता है और वह घटिया किस्म का माल नहीं खरीदेगा। अगर कोई कम्पनी घटिया किस्म का माल पैदा करती है, तो फिर उसके लिए कोई मार्केट नहीं होता और जो घटिया किस्म का माल पैदा करता है, सब-स्टैण्डर्ड माल पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक कमीशन मुकर्रर है और वह जुडीशियल आफीसर्स का कमीशन है। वे लोग उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इसके लिए तमाम प्रोविजन्स एक्ट में हैं। जो एसेंश्यल कामोडिटीज वगैरह होती हैं, उनके लिए एसेंश्यल कामोडिटीज एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, जो घटिया किस्म का माल तैयार कर रहे हैं। कन्ज्युमर जब बेखबर न हो, एलर्ट न हो, उस वक्त ये चीजें बनती हैं और हम जितना हो सकता है, करने के लिए तैयार हैं लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीजें लानी चाहिए।

विधान सभा निर्वाचनों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के कारण पुनः मतदान के आदेशों का दिया जाना

[अनुवाद]

*183. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1985 को विधान सभा निर्वाचनों में बाधा डाले जाने के कारण किसी न किसी कारण अनेक मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराने के आदेश देने पड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा राज्यवार ऐसे मतदान केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां पुनः मतदान कराना आवश्यक हो गया था।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए. के. सेन) : (क) जी हां।

(ख) बिहार में 146 और उत्तर प्रदेश में 25 मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराना आवश्यक हो गया था। मोटे तौर पर, मतदान केन्द्रों में तोड़-फोड़, डाले गए मतों की पेटियों को लूटने, मतदान प्रबन्धकारियों पर हमलों, हस्ताक्षरित मतपत्रों को छीनने और उन्हें मतपेटियों में डालने, वर्ग-संघर्ष, स्थापित मतदान प्रक्रिया आदि के अननुपालन के कारण ही पुनः मतदान कराया गया था।

श्रीमती गीता मुकर्जी : जो कुछ यहाँ कारण दिये गये हैं वे सही नहीं हैं। विधान सभा के लिए हुए चुनावों के दौरान जो दुखद घटनाएं घटी उससे स्पष्ट होता है कि स्थिति अच्छी है। स्पष्ट है कि सरकार कारणों की गहराई तक नहीं गई और संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित की है क्योंकि वह जानती है कि इसके पीछे किस व्यक्ति या किस दल का हाथ है। अत: मैं दो विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहले प्रश्न का अनुपूरक भाग (क) मंत्री महोदय के उत्तर से सम्बन्धित है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में 146 और उत्तर प्रदेश में 25 मतदान केन्द्रों पर पुन: मतदान कराना आवश्यक हुआ। इस विषय में निर्वाचन आयोग के सामान्य निर्देश है कि जहां 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो वहां दुबारा से मतदान कराया जाना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में 90 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान हुआ ? क्या सरकार हमें उन मतदान केन्द्रों की सही संख्या बतायेगी जहां 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ और फिर भी दुबारा मतदान का आदेश नहीं दिया गया।

प्रो. मधु दंडवते : एक जगह 102 प्रतिशत मतदान हुआ।

एक माननीय सदस्य : यह सत्ताधारी दल की उपलब्धि है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : हालांकि आप नहीं कहेंगे लेकिन यह सही है। अब मैं दूसरा विशिष्ट प्रश्न पूछती हूँ। बिहार में जिन 146 मतदान केन्द्रों में दुबारा मतदान का आदेश दिया गया उनमें से 60 मतदान केन्द्र नालादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र में थे जिसका प्रतिनिधि यहां मौजूद है, मैं समझती हूँ इन 60 मतदान केन्द्रों में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जो कुछ कहा है उसके अलावा जो हुआ वह यह था। इन क्षेत्रों की गश्ती का प्रचार जिस मजिस्ट्रेट और जिन पुलिसवालो को सौंपा गया था उन्होंने ही कम से कम 20 से 25 मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया। वास्तविक मतदाताओं को वहां से भगा दिया और मतपत्रों पर स्वयं मुहरें लगाई तथा मतपेटियों में डाल दिया।

एक माननीय सदस्य : उन्हें वीरता पुरस्कार दिए जाने चाहिए थे।

श्रीमती गीता मुकर्जी : निश्चित है कि पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों ने यह काम अपनी इच्छा से नही किया। यह सत्ता पार्टी के करने पर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? स्पष्ट बताइए।

श्रीमती गीता मुकर्जी : इन 60 मतदान केन्द्रों में से 30 से 35 मतदान केन्द्रों में यह सब हुआ। फिर भी सी. पी. आई. के जीत रहे उम्मीदवार को हराया नहीं जा सका। इसलिए एक असाधारण प्रक्रिया अपनाई गई। सी. पी. आई. के उम्मीदवार को विजयी उम्मीदवार का जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसे रद्द किया गया तथा यह प्रमाण पत्र कांग्रेस उम्मीदवार को दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक प्रश्न केवल इस प्रश्न विशेष तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्रीमती गीता मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री महोदय को इन कदाचारों की जानकारी है और यदि हां तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए. के. सेन : माननीय सदस्या ने विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : यह आप क्या कह रहे हैं ?

श्री ए. के. सेन : विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा है। यह एक किस्म से शोधपत्र सा है कि क्या किया जाना चाहिये, क्या नहीं किया गया, इसके लिये कौनसी पार्टी जिम्मेदार थी, आदि।

अब. जहां तक नालंदा का सम्बन्ध है उनका विशिष्ट प्रश्न था...

श्रीमती गीता मुकर्जी : मैंने इस्लामपुर के बारे में पूछा था।

श्री ए. के. सेन : पूरे नालंदा जिले में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में केवल 3 मतदान केन्द्रों में दुबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दो ? उसके बाद आप अनुपूरक पूछ सकती हो ?

श्री ए. के. सेन : यदि माननीय सदस्या उत्तर जानती हैं तो उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था मैं तथ्य दे रहा हूं।

श्रीमती गीता मुकर्जी : मैं जानना चाहती हूं कि इस तथ्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए. के. सेन : मैं थोड़ी देर में प्रतिक्रिया पर ही आ रहा हूं ? प्रतिक्रिया बहुत स्पष्ट है और सरकार ने इस आरोप को स्वीकार नहीं करती है कि केवल एक पार्टी विशेष जिम्मेदार है ? माननीय सदस्या जानती है कि कांग्रेस उम्मीदवार को मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र में ही जहां से कि सी. पी. आई. उम्मीदवार दिसम्बर 1984 में निर्वाचन हुये थे, पीटा गया, घायल किया गया और उन्हें हस्पताल में दाखिल करना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : उनके फोटो देखे जा सकते हैं। वह बुरी तरह से जख्मी हुए थे और सी. पी. आई के उम्मीदवार विरोधी उम्मीदवार थे।

श्री गीता मुकर्जी : वह क्या जवाब दे रहे हैं ? मैं इस्लामपुर के बारे में सूचना चाहती हूं। मैंने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा है, उनको उसका जवाब देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दो : आप अनुपूरक पूछ सकती हैं। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं .

श्री ए. के. सेन : मैं जानता हूं कि उत्तेजना ही अपराध की अभिव्यक्ति है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : क्या ? यह बात आप पर लागू होती है ?

श्री ए. के. सेन : लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि माननीय सदस्या ने आरोप लगाया है कि इसके लिए पूरे देश में एक ही पार्टी जिम्मेदार है, यह आरोप केवल इस्लामपुर तक ही सीमित नहीं था।

जहां तक इस्लामपुर का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस्लामपुर में दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया था। जिन 16 जिलों का उल्लेख किया गया है जहां दोबारा मतदान हुआ, उनमें से नालन्दा जिले में केवल तीन मतदान केन्द्रों में दोबारा मतदान करने का आदेश दिया गया था उनमें इस्लामपुर का उल्लेख नहीं है। यदि इसके बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो मैं निश्चय ही सूचना इकट्ठी करूंगा और सदन के सामने रखूंगा।

अब, जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है। यह वह प्रतिक्रिया है जिसे सभी पार्टियों द्वारा महसूस किया जाना चाहिए क्योंकि सभी पार्टियां स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान चाहती हैं। यह एक राष्ट्रीय मामला है। केवल सत्ता पार्टी ही इससे सम्बद्ध नहीं है। दुबारा मतदान कराने के आदेश देने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जो मार्गनिदेश निर्धारित किये गए हैं उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न पार्टियों ने भाग लिया था तथा इन मार्गनिदेशों के सभी विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस बीच सत्ताधारी दल बदल गया क्योंकि 1977 में जनता पार्टी सत्ता में थी।

अब मैं मार्गनिदेशों पर आ रहा हूं जो इस प्रकार हैं। —यदि 90 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान होता है, या यह महसूस किया जाता है कि कतिपय अनुचित तरीके अपनाए बिना 90 प्रतिशत मतदान संभव नहीं हो सकता तभी दुबारा मतदान के आदेश दिए जाने चाहिए। मार्गनिदेशों में तो यह व्यवस्था भी है कि मत पेटियों को जबर्दस्ती उठा ले जाया जाते या लोगों को मतपत्र डालने से रोके जाने या मतपत्रों के जबर्दस्ती और बड़े पैमाने पर मतपेटों में डाले जाने की दशा में दुबारा मतदान करने का आदेश दिया जाना चाहिए निर्वाचन आयोग ने ये मार्गनिदेश दिए हैं तथा इनका पालन किया गया है। उन विभिन्न मतदान केन्द्रों में दुबारा मतदान का आदेश दिया गया है जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं।

अब जहां तक 90 प्रतिशत मतदान का संबंध है यदि एक विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो मैं यह बता सकता हूं कि वह कौन सा मतदान केन्द्र है जहां 90 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान हुआ जिसके आधार पर दुबारा मतदान का आदेश दिया गया। इन मार्गनिदेशों को ईमानदारी से पालन किया गया है और मुझे इन मार्गनिदेशों के पालन न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : मैं मंत्री महोदय से विशेषाधिकार के प्रश्न के विषय में पूछना चाहती हूं। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे मतदान केन्द्रों की जो

संख्या बतायी है जिनमें दोबारा मतदान हुआ उनके विषय में क्या आप मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं ? मैंने कहा कि 60 मतदान केन्द्रों में दुबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया था और वह कहते हैं कि इसका आदेश नहीं दिया गया। आप इससे इन्कार करते हैं। मैं इस पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या वह मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है या वह इसकी जांच करेंगे ?

श्री ए.के. सेन : महोदय, मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

प्रो. मधु दण्डवते : आपको इसे देखना चाहिए। आपको यह देखना इसे है कि उन्होंने जो कहा वह सही है या नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपने तथ्यों पर पूरी तरह से दृढ़ हूँ।

श्री ए.के. सेन : यदि माननीय सदस्या आश्वस्त हैं तो वह अलग प्रश्न पूछें। मैं उसके लिए उनका आभारी रहूंगा। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि अलग प्रश्न पूछा जाएगा तो सारे तथ्य दिए जाएगें। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं कि सामान्य तौर पर पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सविस्तार सही उत्तर दिया जाएगा।

मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैंने कहा था कि यदि कोई अलग से प्रश्न पूछा जाए तो मैं सदन के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं।

श्री वी. सोमनाद्रीसवरा राव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह तो समस्या का आभास मात्र है तथा बूथ-हथियाने, हेराफेरी करने और जाली वोट देने के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्या सरकार पहचान-पत्र मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ? अर्थात् क्या चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता की एक फोटो अपने पास रखेगा ? निष्पक्ष चुनाव हो सकें, साफ सुथरा मतदान हो और लोगों की इच्छा का पता चल सके—क्या इसके लिए सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री अशोक सेन : यह एक अच्छा सुझाव है तथा काफी समय से चुनाव आयोग सभी सम्बन्धित दलों के परामर्श से इस पर विचार कर रहा है। यह एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह स्थिति का आभास मात्र है क्योंकि हमारे चुनाव तन्त्र और हमारे चुनावों की समूचे विश्व ने प्रशंसा की है। 70 करोड़ की आबादी जिसमें लगभग 20 करोड़ मतदाताओं को कई सौ मतदान केन्द्रों पर बांटा गया वहां केवल बिहार में 146 केन्द्रों पर तथा उत्तर प्रदेश में 25 केन्द्रों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए गए। बाकी देश को भी तो आप देखिये ? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाना अनुचित होगा क्योंकि वह अति प्रशंसनीय ढंग से कार्य कर रहा है।

श्री सोमनाद्रीसवरा राव : योजना आयोग नहीं। बहुत से लोगों ने शिकायत दर्ज ही नहीं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गत विधान सभा चुनाव में एक दल विशेष ने बूथों पर कब्जा किया, परिणामस्वरूप वहां पर 25 स्थानों पर दोबारा मतदान करना पड़ा, यह एक अपराधिक कार्य है, इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है ?

श्री ए.के. सेन : यह अपराधी खोजने की जिम्मेदारी कोर्ट को है। कोई अगर इलैक्शन हारे या जीते और इलैक्शन पेटीशन पेश की जाए तो उसके ऊपर फैसला होगा। इलैक्शन कमीशन कभी यह विचार नहीं करता कि दोषी या निर्दोष कौन है। जबर्दस्ती वोटिंग हुई या नहीं, इसके ऊपर वह विचार करता है। इसके ऊपर विचार हुआ तो उसका अन्जाम यह निकला कि 146 पोलिंग स्टेशन बिहार में और 25 उत्तर प्रदेश में इसके अन्तर्गत आ गए। उसी के लिए दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। यह ठीक है कि शिकायत सभी के ऊपर आती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े नेताओं के क्षेत्र से यह शिकायत आई। उसके ऊपर विचार करके यह निर्देश दिया गया कि दोबारा चुनाव किए जाएं। मैं समझता हूं, इस समय सदन में इस बारे में झगड़ा करना मुनासिब नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह अलग प्रश्न है। आप अलग से प्रश्न पूछिए। आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सदन चुनाव में धन शक्ति और बाहुबल की भूमिका से अवगत है। इस सन्दर्भ में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या चुनाव में धन—शक्ति और बाहुबल की भूमिका तथा चुनाव खर्च को कम से कम करने के लिए निकट भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार करने का सरकार का कोई विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : धन से सम्बन्धित इस अनुपूरक प्रश्न पर हम अभी पूछे जाने वाले अगले प्रश्न में विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूं।

विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की यूनिट

*184. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के यूनिट ने काम करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) विद्यमान रिफाइनरी की क्षमता 1.5 एम.टी.पी.ए. को बढ़ाकर 4.5 एम.पी.टी.ए. करने की विजाग रिफाइनरी की विस्तार परियोजना में एक क्रूड आसवन एकक तथा एक फ्लइड कैटेलीटिक क्रेकिंग यूनिट (एफ.सी.सी.यू.) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। क्रूड आसवन एकक जनवरी, 1985 में आरम्भ किया गया था। एफ.सी.सी. यूनिट के जून, 1985 तक आरम्भ हो जाने की आशा है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : महोदय मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एफ.सी.सी. यूनिट के जून, 1985 तक प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् कितने नए एल.पी.जी. गैस कनैक्शन उपलब्ध होंगे और बाजार में कितने सह-उत्पाद उपलब्ध होंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जून, 1985 तक एफ.सी.सी. यूनिट प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् खाना पकाने की गैस की उपलब्धता 43,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,80,000 मी. टन हो जाएगी। इस प्रकार खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

जहां तक सह-उत्पादों का सम्बन्ध है, डाउन स्ट्रीम यूनिट में प्रोपीलीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा तथा उसे प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नेप्था का उत्पादन तो बढ़ ही जाएगा जिसका प्रयोग उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में किया जा सकेगा। प्रोपीलीन का प्रयोग उच्च अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाएगा जिसे अन्य वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इस एकक में उत्पादन शुरू हो जाएगा तो यह सब उत्पादन होगा।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : यदि परियोजना पूरी क्षमता से काम करती है तो देश को कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं समझता हूं कि कुल लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

थार मरुस्थल में तेल की सम्भावना

*185. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थार मरुस्थल में तेल की सम्भावना का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो भूकम्पीय सर्वेक्षण के आधार पर उस क्षेत्र में तेल मिलने की क्या सम्भावनायें हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) थार रेगिस्तान में 1954 से तेल की खोज का कार्य किया जा रहा है।

(ख) किये गए भू-कम्पीय सर्वेक्षणों तथा अन्वेषी व्यधन के आधार पर, 2 छोटे गैस क्षेत्रों अर्थात् मनहेरा टिब्बा तथा घोटारू की खोज की गई है। आगे और भू-कम्पीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषी व्यधन कार्य किये जा रहे हैं।

श्रीमती किशोरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि आयल इण्डिया ने तेल की सम्भावना वाले स्थानों की खोज में मदद के लिए एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना करने हेतु फ्रांस की कम्पनी के साथ एक करार किया है। यदि हां तो क्या कम्प्यूटर केन्द्र ने उन स्थानों के बारे में कोई संकेत दिया है जहां से तेल निकालने के लिए खुदाई की जानी है।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, यह सच है कि त्वरित और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से भूकम्पीय सर्वेक्षण करने, आंकड़े संकलित करने और आंकड़ों के प्राथमिक प्रतिपादन हेतु फ्रांस की सी.जी.जी. कम्पनी के साथ एक करार किया गया है। ये सभी कार्य करने के लिए कम्पनी ने उपलब्ध आंकड़ों का संकलन करने हेतु एक कम्प्यूटर केन्द्र भी खोला है।

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, ऐसा संतोषजनक उत्तर देने के लिए माननीय मन्त्री महोदय का धन्यवाद करते हुए मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भी जैसलमेर जिले में तेल के लिए खुदाई का कार्य कर रहा है तथा इसने 3,482 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की है परन्तु तेल नहीं मिला है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग वहां तेल के लिए खुदाई का कार्य कर रहा है तथा कुछ कुएं खोदे भी गए हैं। परन्तु इस तेल के लिए खुदाई का कार्य के बावजूद हमें तेल नहीं मिल पाया है। हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसका कुछ फल हमें मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : ओ. एन. जी. सी. द्वारा किये जा रहे सेसमिक सर्वे और एक्सप्लोरेट्री ड्रीलिंग के कार्य की रफ्तार बहुत धीमी है, 6 महीने में एक वैल खोदा जा रहा और सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन काम कर रही है। क्या मशीनों को बढ़ाकर, गति बढ़ाकर अधिक कुएं खोदकर इस काम में तेजी लाई जायेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि ओ.एन.जी. सी की गति थोड़ी धीमी है और 6 महीने में एक कुआ खोद रहे हैं और आइन्दा इस काम को क्या गति देने का इरादा है मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहुंगा कि इस काम को गति देने का सरकार का पक्का इरादा है और इसी लिए ओ. एन. जी. सी के साथ-साथ आयल इण्डिया को भी यह काम सौंपा है और दोनों को अलग-अलग एरियाज दिये गये हैं ताकि वह इंटेंसिव तरीके से काम को शुरू कर सकें।

इस ख्याल से कि ठीक नतीजे आयें, फारेन कंट्रीज से एग्रीमेंट कर के इन सब नो-भाऊ और ड्रिलिंग के काम मदद लेने की कोशिश की गई है ।

सातवें प्लान के लिए हम इस एरिया में तेजी से काम करना चाहते हैं और हमारी योजना है कि 1985 से 1990 तक पार्ट एरियाज ओ एन. जी. सी 15 करेगी और आयल 10 करेगी। एक्स्प्लोरेट्री ड्रिलिंग 13 ओ एन. जी. सी की रिग-ईयर्स की होंगी और 7 आयल की होंगी। टोटल नम्बर आफ वैल्स जो ड्रिल करने का इरादा है, वह 20 ओ. एन. जी. सी द्वारा होंगे और 20 आयल द्वारा होंगे। टोटल मीटरेज जो ड्रिल करने का तय किया गया है उसमें 73,000 मीटरेज ओ. एन. जी. सी, द्वारा किया जायेगा और 75 हजार आयल द्वारा किया जायेगा।

1985-86 के अन्दर भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें सैसमिक सर्वे पार्ट ईयर्स ओ. एन. जी. सी. द्वारा 2 और आयल द्वारा 2 है। एक्स्प्लोरेट्री ड्रिलिंग रिग ईयर्स ओ. एन. जी. सी. द्वारा 2.0 और आयल द्वारा 0.5। नम्बर आफ वेल्स ओ एन. जी. सी. द्वारा 3 और आयल द्वारा 1। मीटरेज ओ. एन. जी. सी. द्वारा 8.2 0 और आयल द्वारा 4, 500।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास : पिछले 20 वर्षों में पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के लिए बहुत से खुदाई खोज कार्य हुए हैं तथा यह भी कहा गया था कि कलकत्ता में तेल की बहुतायत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न चार से सम्बन्धित है।

श्री रेणुपद दास : भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिम बंगाल में तेल मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न चार से सम्बन्धित है। आप चार पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में आप मंत्री जी को अलग से लिख सकते हैं।

श्री रेणुपद दास : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में "कूप खनन के लिए रिगस यंत्रों" की पूर्ति नहीं की जा रही ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये। मैंने विशेष रूप से आपको कहा है। कुछ भी कार्य-वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

अब हम श्री सी. जंगा रेड्डी के प्रश्न को लेंगे।

[हिन्दी]

चुनावों में काले धन का प्रयोग

*186. श्री सी. जंगा रेड्डी :
डा. ए. के. पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों में काले धन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ख) तत्संबंधी प्रस्तावों को तब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) किसी भी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत निर्वाचन का प्रयोजन भी है, काले धन के प्रयोग पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब काले धन की उत्पत्ति और प्रचुर मात्रा में उसकी वृद्धि को रोक दिया जाए। काले धन की समस्या एक बहुत जटिल समस्या है और उससे निपटने के लिए उस पर सभी ओर से निरन्तर प्रहार करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कब तक काले धन की बुराई को दूर किया जा सकेगा। काले धन की बुराई से निपटने के लिए प्रशासनिक और विधायी, दोनों प्रकार के अनेक उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं और वित्त मंत्री ने 16 मार्च, 1985 को अपने बजट भाषण में कुछ और उपायों की घोषणा की है। इन उपायों के अंतर्गत हैं, कर अपवंचन और काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाने के लिए कर विधियों में संशोधन, कर संग्रहण तंत्र को प्रभावी बनाना, जानकारी का समाकलन और प्रसारण, अधिक तलाशियां और अभिग्रहण, कर अपवंचकों के विरुद्ध दांडिक उपबंधों का और अधिक कठोरता से प्रवर्तन और विशेष न्यायालयों की स्थापना, आदि।

[अनुवाद]

प्रश्न (क) और (ख) दो भागों में विभक्त है। भाग (क) का सम्बन्धित इस बात से है कि हम चुनाव में काले धन के प्रभाव को किस तरह से समाप्त करते हैं तथा इस विषय में निश्चित किए गए उपाय किस प्रकार लागू किए जाएंगे। इस अवसर पर मैं आरम्भ में ही इस सदन को आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वह चुनाव का क्षेत्र हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र, सभी से काले धन के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प किया है। जहाँ तक चुनाव का सम्बन्ध है, यह प्रजातन्त्र की रीढ़ है तथा कानून अनुच्छेद 77 के तहत निर्धारित की गई सीमा से अधिक सफेद धन को खर्च करने की भी इजाजत नहीं देता। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो प्रत्याशी निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता है वह जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई विशेष प्रत्याशी निर्धारित रकम से अधिक धन खर्च करता है तो वह अयोग्य घोषित हो सकता है। प्रश्न यह है कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। हाल ही

के वित्त विधेयक में सरकार ने ऐसे कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे पता लगता है कि सरकार सभी प्रकार के काले धन के उत्पादन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है, प्रत्येक पार्टी काले धन का प्रयोग करती है। आप भी वही कीजिए। **(व्यवधान)**

वे मुझे अपना मत प्रस्तुत नहीं करने दे रहे हैं। मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ मेरे विद्वान मित्र के प्रश्न के अनुसार प्रत्येक पार्टी काले धन का प्रयोग करती है। प्रश्न तो यह है कि हम चुनाव प्रक्रिया को काले धन के प्रभाव से कैसे मुक्त कर सकते हैं।... **(व्यवधान)**

इस आरोप का मैं जोरदार खण्डन करता हूं। सरकार में होने के नाते मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वास्तव में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है इसका लाभ वे ही उठा रहे हैं। इस प्रकार का आरोप संसदीय नही है। हम एक बहुत ही अहम और राष्ट्रीय मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में काले धन की घुसपैंठ पर हमें रोक लगानी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मेरे दल ने ऐसा किया है तो मेरे दल के सदस्य प्रत्युत्तर में कहेंगे कि आपके दल ने ऐसा किया है। हमने खादी के झण्डे प्रयोग किए और आपने रेशम के। यही अन्तर है। हम इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। **(व्यवधान)**

कृपया मुझे संगत बात कहने की अनुमति दें। वे सुनना नहीं चाहते। परेशानी यह है कि उन्होंने इस पूर्वाग्रह युक्त होकर बहस शुरू की केवल वे हो ईमानदार हैं। यदि उम्मीदवार कानून द्वारा निर्धारित रकम से अधिक धन खर्च नहीं करे तो कोई कठिनाई नहीं।

अब राजनैतिक दलों की बात पर आएं...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें। हम लोग और अधिक चर्चा नहीं चाहते।

श्री एच. आर. भारद्वाज : जहां तक सरकार का संबंध है, हम लोग विचार कर रहे हैं। काले धन को रोकने के लिये हमने वित्त विधेयक में कुछ उपायों की घोषणा की है और हम लोग विरोधी दल के सदस्यों के साथ बात-चीत कर रहे हैं कि वे आगे आयें और हमारे साथ बैठें तथा विचार विमर्श करें.. **(व्यावधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको विशेष उत्तर देने को कहा है।

श्री एच. आर. भारद्वाज : इस प्रश्न में कोई विशिष्ट बात नहीं है। यह एक प्रकार का आरोप था। जिसे मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी ! आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : मंत्री महोदय ने जबाव देने के बदले लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : क्या उनकी स्वीकारोक्ति कार्यवाही वृतांत में शामिल की गई है, महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी ?

प्रो. मधु दंडवते : कि सभी दल काले धन का उपयोग कर रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति वह रविवार को चर्च में कर सकते हैं। यह स्वीकारोक्ति वह लोक सभा में क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : 1971 में जो वांचू समिति ब्लैक मनो को समाप्त करने के लिए बनी थी उसमें यह सिफारिश की थी कि राजनैतिक दलों को कुछ ग्रान्ट दी जाय ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. भारद्वाज : वास्तविकता यह है कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है और जब कभी ऐसा सुझाव आयेगा, हम उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : 1971 में वांचू समिति गठित की गई थी। उसमें उन्होंने इस प्रकार का सुझाव दिया था कि राजनैतिक दलों को ग्रान्ट देने से ब्लैक मनी को चुनाव को प्रभावित करने से रोका जा सकता है। उन्होंने यह सिफारिश की है। यह तो सरकार ने 1971 में समिति गठित की थी और वह कह रहे हैं कि कोई ऐसी सिफारिश नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए. के. सैन) : फाइनेंस बिल में यह धारा आ गई है, आप देखेंगे कि डोनेशंस को लीगलाइज किया गया है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को चुनाव आयोग से इस इस प्रकार की सिफारिश प्राप्त हुई है कि उम्मीदवारों को राज्य द्वारा ही वित्तीय सहायता दी चाहिए, और दूसरी बात यह कि क्या सरकार भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत द्वारा पैसा खर्च किए जाने के विषय में कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मंत्री जी ने केवल उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में बताया है। मंत्री जी ने ठीक कहा है कि राजनैतिक दल कालेधन का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहता कि कौन-कौन से राजनैतिक दल ऐसा कर रहे हैं आदिआदि क्या माननीय मंत्री जी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई ऐसा संशोधन लाने का विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा राजनैतिक दलों को व्यय करने से रोका जा सकेगा ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए.के. सेन) : जब कभी चुनाव आयोग इस प्रकार की सिफारिश करता है । तो परम्परा यह रही है कि इसे सभी दलों के समक्ष रखा जाता है क्योंकि चुनाव का मामला किसी दल विशेष से संबंधित नहीं होता । इस बारे में सभी राजनैतिक दलों को विचार करना होगा और तत्पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो अपेक्षित विधेयक सभा के समक्ष रखा जायगा ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या सरकार ...

उपाध्यक्ष महोदय : वह आप के सुझाव पर विचार कर रहे हैं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या सरकार सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करने की पहल करेगी ।

प्रो. दंड मधुवते : मंत्री जो गलती मुझे सुधारने दीजिये । चुनाव आयोग ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें हम सभी उपस्थित थे । उनके साथी भी जो मेरे बराबर में बैठा है वहाँ थे । तब मतैक्य बना था कि चुनावों के लिये राज्यों द्वारा धन दिया जाना चाहिये और इसके लिए सौ करोड़ रुपये की निधि बनाई जानी चाहिए ।

श्री. ए.के. सेन : उस मक्तव्य के बाद इस प्रकार की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । जब इस प्रकार की सिफारिश सरकार के पास जायेगी तब सरकार सभी विरोधी दलों के साथ मिल बैठकर निर्णय लेगी । ऐसी सिफारिश अभी तक नहीं की गई है ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है जो राज नैतिक दलों को छुट दिये जाने के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किये जाने के बारे में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार की सिफारिश चुनाव आयोग करता है तो ....

श्री एस. जयपाल रेड्डी : चुनाव आयोग ने यह सिफारिश नहीं की थी । आपात काल ने दौरान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय की सीमा में छूट देने के लिए, संशोधन किया गया था । क्या सरकार उस संशोधन को रद्द करेगी जिसके कारण चुनावों में काले धन का प्रचलन बढ़ा है ।

प्रो. मधु दंड वते : आप आपात काल समाप्त कर चुके हैं । तब आप आपात काल के अवशेषों को भी समाप्त क्यों नहीं करते ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ प्रो. मधु दंड वते तथा अन्य लोग के साथ मैं भी वहाँ था । हमने इस पर विचार विमर्श किया था । और मैं उन्हें याद दिलाऊँगा कि इस मामले पर चर्चा हुई थीं किन्तु उसके परिणाम स्वरूप कोई मतैक्य नहीं हो बना था और इस लिए, उस पर आगे कार्य वाही नहीं की गयी । अब हम इस विषय पर पुन: सविस्तार चर्चा करने को तैयार है । (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, उनकी स्मृति के विषय में मुझे कुछ संदेह है।
(व्यवधान)

टेलीफोन सेवाओं का स्तर

*187. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में टेलीफोन सेवायें पूर्णतया अव्यवस्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली टेलीफोन सेवा के स्तर में गिरावट के स्वरूप के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। देश में टेलीफोन सेवा पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं है। परन्तु उसमें सुधार की गुंजाइश है।

(ख) जी हां।

(ग) सुधार-उपाय सम्बन्धी ब्यौरे विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण

टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए जिन दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

1. परिष्कृत किस्म के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना।
2. जिन उपस्करों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें हटाना।
3. एस. टी. डी. सेवाओं में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटो एक्सचेंज स्थापित करना।
4. डक्टों में नए जंक्शन, प्राइमरी तथा सेकेन्डरी केबिल बिछाना।
5. प्राइमरी, सेकेण्डरी और जंक्शन केबिलों का दाबीकरण करना।
6. वितरण परिपथ जाल में जैली भरे केबिलों का प्रयोग करना।
7. उपभोक्ताओं के अहातों में लगी फिटिंग और डी. पी. बाक्सों को पुनः स्थापित करना।
8. पल्स कोड, माड्यूलेशन, कोएक्सिअल तथा माइक्रोवेव मीडिया पर उच्च कोटि के जंक्शन सर्किट प्रदान करना।

9. केबिलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें पी. वी. सी. पाइपों का बिछाना।

10. "677" कोड वाले संशोधित टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग करना।

11. उपभोक्ताओं के अहातों में लगी एल्यूमीनियम तारों की फिटिंग को तांबे की तारों में बदलना।

12. ओवरहैड वायरों को इंस्यूलेटिड ड्राप पावर द्वारा बदलना।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है वह सत्यता से बिल्कुल परे है। यह कहना कठिन है कि हमारी टेलीफोन प्रणाली में क्या खराबी है। इसके कारण हमारी आर्थिक शांति और मानसिक शांति नष्ट हो रही है। एक रात लगभग 1.30 रात्रि में मेरे स्थान पर एक टेलीफोन काल आया और उसमें पूछा गया कि क्या यह मौर्य सेराटन होटल है ? दूसरी ओर जब हम कोई नम्बर मिलाने की चेष्टा करते हैं, तो वह मिलता ही नहीं है। इसके अलावा यह शिकायत अनेक उपभोक्ताओं की है और मेरा भी अनुभव है कि हमें अधिक राशि का बिल दिया जाता है। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। जब हम मंत्रालय को लिखते हैं तो उत्तर मिलता है कि मीटर की जांच कर ली गई है और बिल ठीक हैं। शरारत कहाँ की जा रही है ? लाइन एक्सचेंज से मिलाई जाती है और अन्य व्यक्तियों को दे दी जाती है और वे लोग इसका लाभ उठाते हैं। हम यदि अपना एस. टी. डी. कटवा भी देते हैं तो भी हम अधिक राशि के बिल से नहीं बच पाते हैं। मुझे श्री टैगोर के शब्द याद आ जाते हैं—मैं जो कुछ चाहता हूं, गलत ढंग से चाहता हूं, मुझे वह मिलता जिसे मैं नहीं चाहता हूं।" इसलिए मेरा लक्षित प्रश्न यह है कि क्या आप ऐसी प्रणाली चालू करना चाहते हैं जिसमें मीटर उपभोक्ता के यहाँ लगा हो जिसकी रीडिंग का एक्सचेंज में लगे मीटर से मिलान किया जा सके जिससे कि हमें थोड़ा बहुत पता चल सके कि मीटर में गड़बड़ी हो रही है?

श्री राम निवास मिर्धा : देश में टेलीफोन सेवा का अव्यवस्थित होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है। मांग को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। उपभोक्ता के यहाँ मीटर लगाने जाने के बारे में अनेक बार विचार विमर्श किया जा चुका है किंतु तकनीकी दृष्टि से ऐसा करना व्यावहार्य नहीं है। हमने मीटर से संबंधित कुछ उपकरणों का अनुमोदन कर दिया है जिन्हें उपभोक्ताओं के यंत्रों ले जोड़ा जा सकता है जिससे कि उन्हें इस बात का पता चल सके कि एस. टी. डी. काल करते समय मीटर कितनी तेजी से चल रहा है। जहां तक इस विभाग का संबंध है, उपभोक्ता के यहां दोष-रहित मीटर लगाना तकनीकी तौर से संभव और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। उपभोक्ताओं को यह सलाह दी गई है कि यदि वे चाहें तो देश में कुछ ऐसे उपकरण मौजूद हैं, जिन्हें वे अपने टेलीफोनों में लगा सकते हैं जिससे उन्हें यह पता चल सकता है कि उनका टेलीफोन कैसा कार्य कर रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, सरकार को ऐसा उपकरण लगाना होगा, हो सकता है कि वह मितव्ययी न हो, किन्तु मुझे 16000/- रुपए का बिल प्राप्त हुआ है।

महोदय उस दिन प्रधान मंत्री ने यह ठीक समझा कि कलकत्ता शहर जीर्णावस्था में है। किंतु कलकत्ता में वास्तव में जो व्यवस्था मृतपाय है, वह है टेलीफोन प्रणाली, जो आपके अधिकार में है। वहां 63,000 से अधिक ऐसे टेलीफोन हैं जिनको तत्काल बदलने की आवश्यकता है। क्या आप टेलीफोन प्रणाली, जो इस समय एक दम अव्यवस्थित स्थिति में है, को सुधारने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी अन्य बातें वहां घटित हो रही हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम लोग कलकत्ता की टेलीफोन प्रणाली को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, वहां 67,000 लाइनें हैं जो 25 वर्ष पुरानी हैं। इनमें से हम लोग अगले दो या तीन वर्ष में 50,000 लाइनें बदलने जा रहे हैं। इस प्रायोजन के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। पिछले सप्ताह मैं भी कलकत्ता में था। विधान नगर में हमने 10,000 लाइनों वाले अद्यतन इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज का उद्घाटन किया था। कलकत्ता की समस्या का हमें ध्यान है और उसके समाधान के लिए हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु परेशानी यह है कि तारों के चोर बहुत हैं। राज्य सरकार इन घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। हमने उनसे इस काम के लिए एक विशेष टुकड़ी तैनात करने का अनुरोध किया है। किंतु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि कालें परिवर्तित कर दी जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जंक्शन खराब हो गए हैं, वहां केबुल चोर हैं और वहां से बहुत सारा तार चोरी चला जाता है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम् : क्या माननीय मंत्री जी पुराने एक्सचेंजों को नए एक्सचेंजों में परिवर्तित करने तथा जो नए एक्सचेंज उनके ठीक से कार्य नहीं करने के प्रश्न बारे में सभा को जानकारी देंगे। मद्रास में नंगमबक्कम में मेरे साथ एक निजी घटना घटी थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। 1984 में एक नया इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किया गया था। आज की तारीख तक, उस ऐक्सचेंज पर जो भी थोड़ा बहुत भार पड़ा है, उसे उसकी क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, उसको वह एक्सचेंज ढंग से नहीं सम्भाल पा रहा है और वह एक्सचेंज ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस इलाके में मेरा टेलीफोन कनेक्शन 1942 से लगा हुआ है। पर इस नए एक्सचेंज के लगने के बाद वह एक या डेढ़ महीने से काम नहीं कर रहा है।

क्या माननीय मंत्री जी इस सभा को बतायेंगे कि नये एक्सचेंजों के अच्छे कार्य निष्पादन के बारे में तथा उनकी समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य को बाद में उत्तर देंगे। अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शोधन क्षमता का कम होना

[अनुवाद]

*182. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह तताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल. पी. जी. सिलेण्डरों की हमारी उत्पादन क्षमता 120 लाख सिलेण्डर है जब कि हमारी शोधन क्षमता केवल 50 लाख सिलेण्डर की है;

(ख) यदि हाँ, तो शोधन क्षमता कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या शोधन क्षमता कम होने का कारण तकनीकी विकास के महा निदेशालय और शोधनशालाओं के बीच उपयुक्त समन्वय न होना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के लिये देश में सिलिंडर निर्माण की कुल स्थापित क्षमता 120 लाख सिलिंडर प्रति वर्ष है जब कि तेल उद्योग की अनुमानित आवश्यकता लगभग 50 लाख सिलिंडर प्रति वर्ष है।

(ख) देश की समग्र परिशोधन क्षमता के अन्तर्गत वर्तमान में अधिकतम संभव एल. पी. जी. का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) परिशोधन क्षमता में वृद्धि करके तथा प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से 1987-88 तक स्वदेशी एल. पी. जी. की उपलब्धता के 862 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़कर 1.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भरता

?8 *श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान किन किन स्थानों में प्राकृतिक गैस का पता चला है;

(ख) उक्त कुओं से अनुमानतः कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होने की सम्भावना है;

(ग) इससे देश की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होगी; और

(घ) प्राकृतिक गैस के मामले में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान (अप्रैल, 1983 से आगे) निम्नलिखित स्थानों पर प्राकृतिक गैस (गैर-असंबद्ध) के होने का पता चला है।

तटीय क्षेत्र	स्थान का नाम	राज्य का नाम
	1. गोटारू	राजस्थान
	2. राजोल	आंध्र प्रदेश
	3. भीमानपल्ली	
	4. कैकालुर	
	5. बोरझिला	असम
	6 साउथ मावाद	गुजरात
	7. रोखिया	त्रिपुरा
	8. खारसंग	अरुणाचल प्रदेश
अपतटीय क्षेत्र		
	1. नार्थ ताप्ती	पश्चिमी तट
	2. बी.48	पश्चिमी तट

(ख) यथास्थिति दिनांक 1 जनवरी, 1984 की उपर्युक्त खोजों से अब तक निकाले जाने योग्य 134.25 मिलियन घनमीटर गैस के भंडारों के होने का पता चला है।

(ग) और (घ) वर्तमान में देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन उपभोग से अधिक है।

एच. एम. टी. घड़ियाँ

*189. **श्री आर.पी. गायकवाड़ : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को घड़ियां बनाने वाले कारखाने कहाँ-कहाँ पर स्थिति हैं;

(ख) प्रति वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक एकक में कुल कितनी घड़ियों का निर्माण किया गया;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान कितनी घड़ियों का तथा किन-किन को निर्यात किया गया;

(घ) विदेशों में घड़ियां के कौन-कौन से ब्रांड अधिक लोकप्रिय हैं;

(ङ) क्या एच.एम.टी. घड़ियों में प्रयोग किये जाने वाले पुर्जे शत प्रतिशत भारतीय हैं अथवा आयातित पुर्जे भी प्रयोग किये जाते हैं; और

(च) यदि एच. एम. टी. घड़ियों में आयातित पुर्जे प्रयोग किये जाते हैं तो उनकी प्रतिशतता क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) घड़ियों के निर्माण के लिए एच.एम.टी. के कारखाने बंगलौर श्रीनगर और तुमकुर में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त रानोबाग (जिला नैनीताल) में एक फैक्टरी से निर्माणाधीन है।

(ख) 1984 में निर्मित एच. एम. टी. घड़ियों की कुल संख्या 43.75 लाख थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(संख्या लाख में)
बंगलौर	7.81
श्रीनगर	5.05
तुमकुर	19.98
एसेम्बली करनेवाले सहायक एकक, जिनमें क्वार्टज एनालाग घड़ियां सम्मिलित है	10.91
योग	43.75

(ग) वर्ष 1984 में एच. एम. टी. ने 48,246 घड़ियां निम्नलिखित देशों को निर्यात की भूटान, यू. ए. ई., ओमान. घाना, युगोस्लाविया, इराक, पुर्तगाल, यमन और बहरीन ।

(घ) विदेशों में एच. एम. टी. के निम्नलिखित ब्रान्ड लोकप्रिय हैं :

सोना, जनता, नूतन, काजल, प्रिया, अरविन्द, आशा, दीप्ति, तारिक, क्वार्ट्ज एनलांग घड़ियां ।

(ङ) एच. एम. टी. के निर्माणकारी एककों में बनाई गई घड़ियों में लगाए गए हिस्से-पुर्जे पूर्णतः स्वदेशी हैं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*190. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्यमियों के सम्बन्ध में जिन्होंने विकसित जिलों और राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया है कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं कि उनको पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए सहमत कराया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करना सरकार की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने, समय-समय पर, केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, परिवहन राजसहायता योजना और रियायती वित्त योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन कई प्रोत्साहन प्रदान किए है

ताकि उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित कर सकें। यह भी निर्णय लिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित स्थापना स्थलों के लिए औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी आवेदनों को अन्य स्थापनास्थल सम्बन्धी आवेदनों की अपेक्षा तरजीह दी जाएगी।

विधि आयोग का पुनर्गठन

*191. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि आयोग का पुनर्गठन करने का है, क्योंकि दसवें विधि आयोग की अवधि मार्च, 1985 के अंत तक समाप्त होनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) दसवें विधि आयोग की बढ़ाई गई अवधि 30 अप्रैल, 1985 को समाप्त होगी न कि मार्च, 1985 के अन्त में। आयोग का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है।

अमोनिया उर्वरक संयंत्र के लिए कैटालिस्ट संयंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण

*192. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ने 15 करोड़ रुपए की लागत पर अमोनिया उर्वरक संयंत्र के लिए अपने कैटालिस्ट संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव भेजा है,

(ख) क्या दो वर्ष से अधिक समय से निर्णय लम्बित पड़ा है,

(ग) यदि हां, तो इस विस्तार और आधुनिकीकरण को मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) निसन्देह, 13.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव मूलतः जुलाई, 1983 में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, इसकी न तो किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा जांच की गई थी और न ही इसमें फालतू जनशक्ति की समस्या शामिल थी, जिनका अनुमानित संख्या लगभग 450 थी, जो प्रस्तावित आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वित हो जाने से बेरोजगार हो जाते। तदनुसार, पी.डी. आई.एल. को कहा गया कि :

1. एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से अनुमानों तथा तकनीकी मापदण्डों की जांच करवाई जाए, और

2. प्रस्तावित आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वियन से बेरोजगार होने वाली अनुमानित जनशक्ति को समस्या के संबंध में प्रस्ताव का पूरक दें। पी.डी. आई.एल. ने सितम्बर, 1984 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विधिवत जांच किया गया। संशोधित प्रस्ताव तथा अतिरिक्त विस्तार/पुनर्वास योजना प्रस्तुत की। सितम्बर 84 के मूल्य स्तरों पर सम्पूर्ण योजना पर अब 22.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगने की संभावना है। यह कहना सही नहीं है कि प्रस्ताव को निर्णय के लिए दो वर्ष तक लंबित रखा गया है। तथापि, अन्तिम निर्णय लेने के लिए मामले पर और आगे जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से सहायता प्राप्त करने वाले उपक्रमों की ओर बकाया ऋण की राशि

*193. **श्री के. राममूर्ति** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले औद्योगिक उपक्रमों की ओर 31 दिसम्बर, 1984 को ऋणों की राज्य-वार कितनी राशि बकाया थी;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा इसमें से ऋणों की कितनी राशि वसूल किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) सामान्यतः बकाया ऋण वसूली योग्य होते हैं। किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई $7\frac{1}{2}$ वर्ष की वसूली अवधि के लिए की जाती है। किश्त देय हो जाने से पूर्व, मशीन किराए पर लेने वाले व्यक्ति को पूर्व सूचना भेज दी जाती है। यदि किश्त नहीं चुकाई जाती है तो सामान्य अनुस्मारक भेजने के बाद पजीकृत डाक से अनुस्मारण भेजे जाते है तथा उगाही के लिए क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारियों द्वारा दौरे किए जाते हैं।

हर क्षेत्रीय कार्यालय में उगाही कार्य के देखभाल करने के लिए एक संयुक्त निदेश (वसूली) होता है। इसके अलावा, उगाही को तेज करने और किस्त की अदायगी न करने के कठिन मामलों को निपटाने के लिए समय-समय पर उगाही के गहन अभियान चलाए जाते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधि की चूक समीक्षा समिति, जो निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के सावधिक दौरे करती है, चूकसम्बन्धी

पुराने मामलों की समीक्षा करती है और मामलों का तीव्रता से तथा न्यायालय से बाहर निपटारा करने के लिए निर्णय देती है।

विवरण

31.12.1982 को शेष राज्य वार राशि

	मूल्य लाख रुपये में
मद्रास क्षेत्र :	
तमिलनाडु	223.90
आन्ध्र प्रदेश	70.03
केरल	65.05
कर्नाटक	69.66
पाण्डिचेरो	7.23
योग :	435.87
बम्बई क्षेत्र :	
महाराष्ट्र	132.43
गुजरात	80.07
मध्य प्रदेश	54.32
गोवा	9.35
योग :	276.17
कलकत्ता क्षेत्र :	
पश्चिम बंगाल	175.00
बिहार	93.00
उड़ीसा	48.00
पूर्वोत्तर राज्य	61.64
योग :	377.64

दिल्ली क्षेत्र :	
दिल्ली	160.47
उत्तर प्रदेश	317.00
पंजाब	80.00
जम्मू और कश्मीर	20.42
राजस्थान	50.74
हिमाचल प्रदेश	6.05
हरियाणा	193.00
योग :	827.68
कुल योग :	1917.36

बंगलौर विकास प्राधिकरण को नये टेलीफोन कनेक्शन

*194. **श्री वी.एस. कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित बंगलौर विकास प्राधिकरण के ले आउट्स और एक्सटेंशन को बहुत कम नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं और अन्य समस्याओं को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित करेगी कि बंगलौर में नव गठित बंगलौर विकास प्राधिकरण के ले आउट्स और एक्सटेंशन्स को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन सुविधायें दी जायें; और

(ग) 'जनरल स्कीम' के अन्तर्गत जे.पी. नगर ले आउट, बनशंकरी द्वितीय चरण और विजय नगर ले आउट से संबंधित नये टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन लंबित पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नवगठित बंगलूर विकास प्राधिकरण के ले आउट्स तथा एक्सटेंशन को प्रतीक्षा सूची और टेलीफोन आबटन निगमों के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं बशर्ते कि सम्बन्धित एक्सचेंजों में क्षमता उपलब्ध हो।

(ख) सामान्यत: निजी टेलीफोनों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। फिर भी ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकतानुसार सार्वजनिक टेलीफोन दिए जा सकते हैं।

(ग) सामान्य श्रेणी में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :

स्थान	प्रतीक सूची
1. जे. पी. नगर	409
2. बनशंकरी दूसरा चरण	107
3. विजय नगर	1912

मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) का प्रबन्ध-ग्रहण

*195. **श्री आनन्द पाठक :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के प्रबन्ध-ग्रहण करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस एकक का प्रबन्ध-ग्रहण करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ से अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*196. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सोवियत संघ से 55 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से भारत को इनकी मांग, जो गत वर्षों में बढ़ गई है, पूरी करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार संलेख (प्रोटोकोल) के अनुसरण में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल तथा उत्पाद की अपेक्षित किस्म तथा मात्रा के आयात के लिए समझौतों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

(घ) ऐसे आयात से देश के उत्पादन और मांग के अन्तराल को कुछ अंश तक पूरा करने में सहायता मिलेगी।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल का आबंटन

*197. **श्री रेणु पद दास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में मिट्टी के तेल के आबंटन के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह पत्र कब प्राप्त हुआ है; और इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पत्र में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1984 से पश्चिमी बंगाल सरकार मुख्यतः साफ्ट कोक की सप्लाई में कमी के कारण उत्पादन बढ़ी हुई मांग को पूरा करने लिए मिट्टी के तेल से अपने मासिक आबंटन में 5 हजार से 7500 मीट्रिक टन तक की वृद्धि करने का अनुरोध कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) पश्चिमी बंगाल को जुलाई, 1984 को सामान्य आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आधार पर निम्नलिखित मात्रा में अतिरिक्त मिट्टी का तेल जारी किया गया है।

माह	तदर्थ आधार पर जारी
1	2
जुलाई, 1984	2500 टन
अगस्त, 1984	3500 टन
सितम्बर, 1984	3500 टन
अक्तूबर, 1984	3500 टन

1	2
नवम्बर, 1984	2350 टन
दिसम्बर, 1984	4850 टन
जनवरी, 1985	2350 टन
फरवरी, 1985	2850 टन
मार्च, 1985	2110 टन

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज की किस्म और उसका उत्पादन

*198. **श्री अमरसिंह राठवा :**
श्री चिन्तामणि जैना :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित अखबारी कागज आयातित अखबारी कागज की तुलना में घटिया किस्म का होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या प्रमुख कारण हैं;

(घ) देश के भीतर अखबारी कागज की किस्म को सुधारने और उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिससे उसके आयात को बन्द किया जा सके क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या देश में सातवीं योजना अवधि में अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने अथवा मौजूदा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड और मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए अखबारी कागज की किस्म आम तौर पर आयातित अखबारी कागज के बराबर होती है। नेपा मिल्स द्वारा बनाए गए अखबारी कागज का रंग गहरा होता है और आयातित अखबारी कागज के मुकाबले ग्राम में वजन भी आमतौर पर ज्यादा होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) कच्चा माल गैर-परम्परागत किस्म का होता है और दूसरे देशों में इस्तेमाल में लाई जा रही कोनिकर की कच्ची लकड़ी जिसके रेशे लम्बे और चमकीले होते हैं अतः इसे ब्लीच करने की जरूरत नहीं होती या केवल थोड़ी से ब्लीचिंग करनी पड़ती है, के मुकाबले इसके रेशे कम और कमजोर होते है।

(घ) नेपा अखबारी कागज की किस्म की सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जो नीचे बनाए गए हैं :—

(1) मिलों ने मजबूती की मात्रा को बढ़ाने के लिए सलाई ठन्डी सोडा लुगदी (सलाई कोल्ड सोडा पल्प) की जगह बाँस की ठंडी सोडा लुगदी (बंबू कोल्ड सोडा पल्प) का इस्तेमाल शुरू किया है जिसके कारण वह अधिक मजबूत हो जाता है और ग्राम वजन में कमीं के साथ-साथ उत्पादन बढा है।

(2) अखबारी कागज की बेहतर किस्म और प्रति मी. टन अखबारी कागज की अधिक लम्बाई प्राप्त करने के लिए कागज मशीनों की नवीकरण किया जा रहा है।

(3) बेहतर किस्म के अखबारी कागज बनाने में सहायता करने के लिए कागज की सज्जा में रेशों की मात्रा में सुधार करने के लिए आयातित कच्ची लकड़ी की लुगदी इस्तेमाल किया जा रहा है।

(4) पसन्द किए जाने वाले रंगों और बेहतर छपाई के काबिल, और चिकनापन लिए हुए मजबूती की खूबियों वाले अखबारी कागज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सबाबूल के पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया है।

देश में ही अखबारी कागज के उत्पादन में बढ़ौत्तरी करने के संबंध में मौजूदा मिलों की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है।

(ङ) और (च) औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के रूप में 5.83 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता मंजूर की गई है जो कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है। अनेक पार्टियों को दिए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम सं	पार्टी का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (मी. टन)
	1	2	3
	औद्योगिक लाइसेंस		
1.	तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर्स	तमिलनाडु	50,000
2.	सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर	नैनीताल (उ. प्र.)	20,000
3.	नेपा मिल्स	नेप नगर (म. प्र.)	9,000 (पर्याप्त विस्तार)

1	2	3
आशय-पत्र		
4. तिरुपति न्यूज प्रिन्ट	बिलासपुर (म. प्र.)	79,000
5. कर्नाटक न्यूजप्रिन्ट मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.	कर्नाटक	30,000
6. श्री एम. पी, जाटिया	गोआ	85,000
7. स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन	महाराष्ट्र	50,000
8. सोलर पेपर मिल्स लि.	तमिलनाडु	30,000
9. डा. डी. के. मिश्र	उड़ीसा	50,000
10. श्री बी. हनुमंत राव	आंन्ध्र प्रदेश	40,000
11. मेसर्स बड़ौदा रेयान कारपोरेशन लि.	महाराष्ट्र	50,000
12. एक्मे पेपर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	60,000
13. मेसर्स क्लीट्स विन्सेंट	आंन्ध्र प्रदेश	30,000

तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा तेल क्षेत्र में निवेश

*199. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल निर्यातक विकाशशील देशों को तेल क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निवेश के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित शर्तों पर निवेश की अनुमति दी जाती है :—

(क) ऐसा निवेश साम्य पूंजी में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ख) नई कम्पनियां निर्यातोन्मुख हों या 1973 की औद्योगिकी नीति के परिशिष्ट—1 के अधीन दिये गये प्राथमिक निर्माण कार्य क्लापों को आरम्भ करें।

(ग) ऐसा निवेश नई कम्पनियों में भी किया जा सकता है चाहें यह पोर्टफोलियों निवेश के रूप में ही क्यों न हो; तथा

(घ) ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए ऋण लेने की अनुमति भी दी जायेगी बशर्ते कि शर्तें युक्तिसंगत हों।

[हिन्दी]

रुग्ण और बन्द पड़े उद्योगों को पुन: स्थापित करना

*200 : **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री अमलदत्त :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बन्द पड़े उद्योगों को पुन: खोलने और रुग्ण उद्योगों को पुन: स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने रुग्ण उद्योगों को हाथ में लेने का कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औद्योगिक रुग्णता औद्योगिकरण की प्रक्रिया की ही एक सहवर्ती अवस्थिति है जिसमें सुदृढ़ और भली भांति प्रबंधित एकक विकास करते हैं जबकि दुर्नियोजित, अक्षम, तथा औसत एकक निष्क्रिय हो जाते हैं और धीरे-धीरे औद्योगिक क्षेत्र से लुप्त हो जाते हैं। सरकार के लिए प्रत्येक रुग्ण एकक को बन्द होने से बचाना न तो संभव है और न ही वह प्रत्येक बंद एकक को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक समझती है। किसी भी रुग्ण एकक को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता पर विद्यमान नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांन्तों के प्रकाश में विचार किया जाता है, और तदनुसार उस औद्योगिक एकक के संभवित रूप से जीव्य समझे जाने पर बैंक और वित्तीय संस्थान उसके पुनर्वास की योजनाएं तैयार करते हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत उस एकक को विभिन्न रियायतें, राहतें एवं दूसरी प्रकार की वित्तीय तथा अन्य सहायताएं देते हैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज के एक भाग के रूप में, विशिष्ट मामलों में जैसा भी आवश्यक समझा जाए सरकार भी इस प्रकार की राजकोषीय और अन्य राहतें देती हैं। रुग्ण एककों की सहायता के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट योजनाओं की घोषणा की गई हैं।

1. अजीव्य कंपनियों के स्वस्थ कंपनियों में समामेलित होने पर आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अधीन कर संबंधी लाभ स्वीकार करना.

2. छोटे पैमाने के रुग्ण औद्योगिक एककों हेतु सीमांन्त धन योजना

3. रुग्ण सीमेंट एककों के लिए लेवो कोटे में कमी करना। रुग्ण कागज एककों के लिए कागज नियंत्रण आदेश से पुन: छूट देना।

(ख) तथा (ग) : रुग्ण एककों के अभिग्रहण हेतु सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी अनुरोधों पर सरकारी नीति के प्रकाश में विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

सोडा ऐश की कमी

1019. **श्री सुधीर राय :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानीगंज वाणिज्य मण्डल पश्चिम बंगाल से इस आशय का कोई तार मिला है कि सोडा ऐश, जो डिटरजेंट और ग्लास उद्योगों के लिये प्रमुख आवश्यक कच्चा माल है, की कमी के कारण ये गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन लघु उद्योगों को सोडा ऐश की सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान आयात नीति के अधीन, वास्तविक उपभोक्ताओं को खुले समान्य लाइसेंस (ओजएल) के अधीन सोडा ऐश के आयात की अनुमति दी जाती है। सरकार ने हाल ही में सोडा ऐश के आयात पर से काफी ज्यादा शुल्क कम कर दिया है ताकि वास्तविक उपभोक्ता उसे उचित दर पर आयात कर सकें। सोडा ऐश उत्पादक एककों को भी सलाह दी गई है कि वास्तविक उपभोक्ताओं लघु उद्योग सहित, की आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता दें।

राष्ट्रीयकृत एकक

1020, **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एककों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया है; और

(ख) शेष एककों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) 31.12.81 को 55 उपक्रम ऐसे थे जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में लिया जा चुका था। बाद में 1982 में अधिनियम के अन्तंगत एक उपक्रम को अधिकार में लिया गया था। उसके बाद किसी नये उपक्रम का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इनमें से, 8 एककों का केन्द्रीय सरकार द्वारा और 14 एककों का राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(ख) 30 औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध अभी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन एककों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अक्टूबर 1981 में सरकार द्वारा जारी किये गये नीति संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

मैसर्स हिन्स्तान लीवर लिमिटेड द्वारा खाद्य एककों की बिक्री

1021. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने यह फैसला दिया था कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को अपने वनस्पति, डेरी और पशु आहार एककों के अन्तरण के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति की आवश्यकता है;

(ख) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने उपर्युक्त अपेक्षा का पालन करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि इस बारे में कम्पनी को राय सरकार के विचार से भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :
(क) मूल रूप से कम्पनी कार्य विभाग द्वारा लिया गया अभिमत था कि मैसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड द्वारा वनस्पति, डेरी और पशु आहार उपक्रमों के अधिग्रहण करने से उनको भारी व्यय करना होगा। और इस प्रकार से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा। यह निष्कर्ष मसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को विधि-वत 22-8-1983 तथा फिर 8-3-1984 को दे दिया गया। तथापि कम्पनी ने इस मामले में प्रतिनिधत्व किया था और इस मामले में विधि कार्य विभाग परामर्श पर सम्पूर्ण स्थिति की और परीक्षा की गई थी। अन्त में लिया गया अभिमत यह था कि उपरोक्त प्रस्ताव, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव का अभिवेदन नहीं करेगा। यह अन्तिम निष्कर्ष मैसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को 15-10-1984 को भेज दिया गया था।

(ख) उत्पन्न ही नही होते। और

(ग) उत्पादन नहीं होता।

जन उपयोगी सेवाओं के टेलीफोनों का घटिया कार्यकरण

1022. **डा. जी. विजय रामाराव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जन उपयोगी सेवाओं के टेलीफोनों, जिनमें शिकायत टेलीफोन भी शामिल हैं, का कार्यकरण बहुत घटिया स्तर का है, और या तो ये 'व्यस्त' मिलते या काफी देर तक इसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सभी स्तरों पर वरिष्ट अधिकारियों सहित सुपरवाइजरों से इस संबंध में आमतौर पर कोई जवाब नहीं मिलता जबकि प्रत्येक के पास उनके कार्यालय और निवास स्थान पर एक से अधिक टेलीफोन लगे होते हैं;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार सभी जन उपयोगी सेवाओं के टेलीफोन और संबंधित कर्मचारियों को उनके कार्यालय और निवास स्थान पर मिले टेलीफोनों को काट देने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली में दोषों का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण कराने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अमेरिका की तरह टेलीफोनों को प्राइवेट कम्पनियों को हस्तांतरित करने का है जिनमें उपभोक्ता शेयर होल्डर हों ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी, व्यस्त समय के दौरान टोन के व्यस्त हो जाने के कुछ मामले होते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। तथापि सेवा की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जी नहीं।

गांवों में डाकघर

1023. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें दिसम्बर, 1984 तक डाकघर नहीं खुले थे ;

(ख) क्या इन गांवों में डाकघर खोलने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां तो कब; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में दिसम्बर, 1984 के अन्त तक जनगणना वाले उन ग्रामों की संख्या : 463317 थी जहाँ डाकघर नहीं हैं।

(ख), (ग) और (घ) डाकघर खोलना एक नियमित प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष और अधिक डाकघर खोले जा रहे हैं, बशर्ते कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनका औचित्य बनता हो और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

माडर्न इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ को परेशान किए जाने संबंधी शिकायतें

1024. **श्रीमती विभावरीब गोस्वामी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्डन इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ का 13 दिसम्बर, 1984 का ज्ञापन संख्या एम. ई. सी./5590/84 प्राप्त हुआ है जिसमें एकाधिकार कम्पनी मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर द्वारा परेशान किये जाने की शिकायत की गई है;

(ख) यदि हाँ तो उक्त निगम की शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार उसकी शिकायतों पर क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद आरिफ खां) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) शिकायत में लगाये आरोपों का सार एवं सारांश निम्नलिखित है :—

(1) शिकायत को मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड (मिको) के उत्पादनों की आपूर्ति नहीं करना

(2) शिकायत कर्ता के विरुद्ध मिको द्वारा मुकदमा करना

(3) लखनऊ में मिको के उत्पानों के लिए धूमिल छबि वाले स्टाकिस्ट की नियुक्ति।

(4) लखनऊ में स्टाकिस्ट सहित अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों और पक्षपाती वितरकों की मौन सहमति से इसके कार्यकारियों द्वारा मिकों की निधियों का अनुचित प्रयोग।

(5) अपने उत्पादनों की बिक्री में मिको द्वारा काला बाजारी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत उपर्युक्त आरोपों पर कोई भी कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका क्योंकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने पहले वाली शिकायतों में उल्लिखित इसी प्रकार के आरोपों की परीक्षा करने के पश्चात अपनी यह राय व्यक्त की कि शिकायत कर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों में से किसी के भी द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अर्थान्तिर्गत कोई भी अवरोधक व्यापारिक प्रथा संस्थापित नहीं हुई।

'कूलक्स लुब्रिकेन्ट'

1025. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीशियनों ने एक ऐसा लुब्रिकेन्ट 'कूलक्स' बनाया है जिसका आटोमोबाइल उद्योग में उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) शापुर स्थित कारखाने में इस 'कूलेक्स' की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) आटोमोबाइल उद्योग के विकास में यह किस प्रकार सहायता करता है; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खाँ) : (क) पेट्रोलियम मन्त्रालय, जो लुब्रिकेन्टस के उत्पादन से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, ने बताया है कि 'कुलेक्स' ब्रान्ड नाम के किसी भी पेट्रोलियम लुब्रिकेन्ट की उन्हें जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में औषधियों की उचित दर की दुकानों पर बिक्री

[हिन्दी]

1026. **श्री सी.डी. गामित** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों तथा आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उचित दर की दुकानों पर औषधियों की समय पर सप्लाई हो सके, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत निनियमित किये जाते हैं। इससे उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। खुदरा व्यापारिक केन्द्रों के माध्यम से औषधें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वितरित की जाती है। इसके साथ-साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है।

बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में नए टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1027. **श्री अनिल बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग क्रमशः कितनी है;

(ख) इस मांग को किस हद तक पूरा किया जा रहा है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1-2-1985 को महानगरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों की वर्तमान मांग निम्न प्रकार है :—

महानगर	1.2.1985 **को प्रतिक्षा सूची**
बम्बई	1,60,582
कलकत्ता	29,736
दिल्ली	1,34,129
मद्रास	3737,686

(ख) फरवरी, 1985 से मार्च, 1986 तक निम्नलिखित सीमा तक मांग पूरी करने का प्रस्ताव है :—

1.	बम्बई	50,000
2.	कलकत्ता	10,000
3.	दिल्ली	35,000
4.	मद्रास	12,000

(ग) उपरोक्त मांग यथाशीघ्र पूरी करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में डाकघर खोलना

1028. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खोले जाने वाले डाकघरों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : डाक विभाग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90 को अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है ।

परियोजनाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव

1029. **श्री पीयूषतिरकी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 7 वर्षों के दौरान 2145 परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे थे जिनमें से 769 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित परियोजनाओं से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1978 से 1984 के दौरान इस राज्य में विद्युत इलैक्ट्रोनिक्स, और पेट्रोलियम आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु 53 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। उपर्युक्त 53 आवेदन पत्रों में से 26 आशयपत्र जारी किए गए हैं और 24 आवेदन पत्र रद्द किये गये, जबकि शेष तीन आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। नीति के अनुसार तथा विभिन्न तकनीकी आर्थिक एव स्थापना स्थल संबंधी कारणों को ध्यान में रखकर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र को स्वीकृत/रद्द किया जाता है।

(घ) और (ङ) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में निदेश और रोजगार संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं।

कागज उद्योग में क्षमता उपयोग में गिरावट

1030. **श्री आर. अन्नानाम्बी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश में कागज उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता में असाधारण वृद्धि के बावजूद कागज उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता में अभी भी आस्थिरता बनी हुई है;

(ख) क्या क्षमता उपयोग 1978 के 79.5 प्रतिशत से तेजी से कम होकर इस समय लगभग 62 प्रतिशत रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि होने के साथ-साथ देश में कागज और गत्ते के समग्र उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। किन्तु, हाल हीं के वर्षों में प्रमुख रूप से क्षमता में तेजी से रूकावट आ जाने के कारण जिसे अभी स्थिर किया जाना है, क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है। कुछ बड़े कागज कारखाने भी वित्तीय अड़चनों, कच्ची सामग्री को कमी आदि सहित अनेक कठिनाइयों के कारण इष्टतम स्तर तक उत्पादन करने में असमर्थ रहे हैं। आमतौर से उद्योग की सहायता करने के लिए अनेक आर्थिक राहतें भी दी गई हैं तथा क्षमता का अधिकाधिक उप-

योग करने के लिये उद्योग को समर्थ बनाने हेतु प्रवस्थापना संबंधी सहायता में भी सुधार किया गया है।

टेलीफ़ोन जिले में शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना

1031. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरीय टेलीफोन जिलों में एरिया प्रबन्धक के कार्यालयों और बड़े टेलीफोन जिलों के मामले में महाप्रबंधक, टेलीफोन के कार्यालयों में हाल ही में शिकायतें प्रकोष्ठों का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बड़े एवं महानगरीय टेलीफोन जिलों में शिकायत कक्ष गत कुछ समय से कार्य कर रहे हैं।

इस समय महानगरीय टेलीफोन जिलों में मुख्यालय में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में अन्य सहायक स्टाफ सहित एक ग्रुप-क अधिकारी और या प्रत्येक बड़े टेलीफोन जिलें में सहायक स्टाफ सहित ग्रुप-"ख" अधिकारी द्वारा इन कक्षों पर नियंत्रण रखा जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघरों, रेल डाक सेवा (आर.एम.एस.) और प्रशासनिक भवनों तथा डाक सामग्री डिपुओं का निर्माण

1032. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने डाकघर भवन, रेल डाक-सेवा भवन, प्रशासनिक भवन और डाक भंडार डिपुओं का निर्माण किए जाने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग ने अभी अन्तिम रूप देना है। अतः वर्षवार और राज्यवार भवन कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

केरल में तेल की खोज

1033. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेल की खोज करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में इस दिशा में कोई प्रयास किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हीं। तथापि, केरल कोंकण बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में लगभग 10 हजार लाइन किलोमीटर कंपीय लाइनों के कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर न्वेषी वेधन कार्य किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) अब तक किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर केरल तटीय क्षेत्र को हाइड्रोकर्बनों के लिए संभाव्य नहीं समझा गया है।

अलान्द तालुक, गुलबर्गा में डाकघर खोलना

1034. **श्री नरसिंह्राव सूर्यवंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलान्द तालुक में डाकघर खोलने के बारे में प्रेसीडेन्ट बी.सी.सी. आई., अलान्द, जिला गुलबर्गा से 31 मई, 1984 का कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां डाकघर खोल दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभागीय मानदण्डों के अनुसार नये डाकघरों को खोलने तथा मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया।

गावों में टेलीफोन सुविधायें

1035. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने गांवों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को टेलीफोन नेटवर्क के अन्तर्गत कब तक लाने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस दिशा में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 15-1-85 को देश के 21,310 गांवों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध थे।

(ख) 1990 तक देश के अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों के 5 कि.मी. के भीतर उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) जी हां। एक अस्थाई कार्यक्रम तैयार किया गया है। फिर भी यह कार्यक्रम वित्तीय एवं सामग्री संबंधी साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-90 के दौरान 5 कि.मी. वाले 23000 षट-भुजाकार क्षेत्र के प्रमुख गांवों में टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि वित्तीय साधन एवं साज सामान उपलब्ध रहें।

राजस्थान के जेसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिलों के गांवों में शाखा डाकघर खोला जाना

1036. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों जेसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिलों में, एक हजार अथवा इससे अधिक आबादी वाले गांवों में शाखा डाकघर खोलने का केन्द्र सरकार का कोई विचार है, ताकि इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता और शेष देश के बीच सीधा संचार सम्पर्क उपलब्ध कराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य चालू वर्ष और 1985-86 के दौरान किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बाड़मेर जिले की शिव-पचपहा और चोहटान तहसीलें, जेसलमेर जिले की जेसलमेर और पोखरन तहसीलें, जोधपुर जिले की फालोदी, औस्लाम, शेरगढ़ और जोधपुर तहसीलें डाक विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र मानी जाती हैं जहां कि 1.5 किलोमीटर के घेरे में 1000 की आबादी के ग्राम समूहों में उदारीकृत नीति के अन्तर्गत डाकघर खोलने का नियम लागू होता है।

(ख) डाकघर चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर खोले जाते हैं बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो। 1985-86 के दौरान, इन क्षेत्रो से अपेक्षित मात्रा में डाकघर खोलने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो और नए पदों के सृजन पर लगी मितव्ययिता संबंधी रोक हटा ली जाए।

एर्नाकुलम में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अमोनिया भंडारण संस्थान की सुरक्षा

1037. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1985 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "विल भोपाल बी रिपीटेड इन कोचीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वेलिंगटन आइलैंड, एर्नाकुलम में स्थित फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अमोनिया भंडारण संस्थान की सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक रूप से फैली आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. के अर्नाकुलम, विलिंगडन आइलैंड में स्थित अमोनिया स्टोरेज प्रतिष्ठान की सुरक्षा के संबंध में व्यापक आशंका को दूर करने के लिए संवाददाताओं को 1 मार्च, 1985 को प्रतिष्ठान में निरीक्षण के लिए ले जाया गया। प्रतिष्ठान तथा सुरक्षा एवं मानीटरिंग व्यवस्थाओं को देखने के बाद, संवाददाता सन्तुष्ट थे कि आम जनता के टैंक की सुरक्षा से संबंधित भय निराधार थे।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के अभ्यावेदन

1038. **श्री बी. बी. रमैया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन काफी समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है; और

(ग) क्या सरकार का संबंधित कर्मचारियों की एक बैठक बुलाकर मामला निपटान तथा इस समय व्याप्त निराशा को समाप्त करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से उनकी सेवा शर्तों संबंधी मामलों के बारे में अक्सर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं।

सरकार ने पहले ही एक सदस्यीय अतिरिक्त विभागीय जांच समिति का गठन कर दिया है जो कि डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच करेगी तथा ऐसे संशोधन और सुझाव देगी जिससे प्रणाली कुशल एवं सस्ती बन सके। समिति विशेष रूप से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिए जा रहे वेतन के मौजूदा आधार तथा उनके भत्तों की समय-समय पर पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया के साथ-साथ उन्हें डाकघर के कार्य के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करेगी। चूंकि समिति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की समस्याओं को पहले ही जांच कर रही है। तथा उन्हें साक्ष्य देने का अवसर भी प्रदान करेगी, अतः इस समिति के अस्तित्व में होने के कारण इस संबंध में संबंधित स्टाफ की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एन. पी. के. उर्वरकों का उत्पादन

1039. **श्री बी. सोमानद्रीसवारा राव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान भारत में उर्वरक संयंत्रों की संयंत्रवार कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ, और

(ख) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एन. पी. के. उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाना था तथा वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान उर्वरक संयंत्रों की संयंत्रवार क्षमता उपयोगित संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त (एन) और फास्फेटिक (पी) उर्वरकों के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार थे :—

(लाख टनों में)

	लक्ष्य	उत्पादन
नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकें (एन)	38.0	34.85
फास्फेटिक उर्वरकें (पी)	11.0	10.48

पोटास (के) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता और इसकी समस्त आवश्यकता को आयातों द्वारा पूर्ण किया जाता है।

विवरण

1983-84 के दौरान उर्वरक संयंत्रों की (प्रतिशत) क्षमता उपयोगिता

संयंत्र का नाम	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)
1	2
क. नाइट्रोजन	
सिन्दरी आधुनिकीकरण	55.4
गोरखपुर	62.1
रामागुण्डम	35.3
तालचर	16.4
नंगल-1	73.9
नंगल-2	88.2
भटिण्डा	60.8
पानीपत	66.8
नामरूप-1	45.3

1	2
नामरूप-2	40.3
दुर्गापुर	46.9
बरौनी	38.6
उद्योग मण्डल	40.0
कोचिन-1	62.0
कोचिन-2	105.0
ट्राम्बे	93.8
ट्राम्बे-4	73.8
ट्राम्बे-5	92.2
मद्रास	52.8
राउरकेला	18.7
नवेली	82.0
बरोदा	93.3
विजाग	87.7
कोटा	93.2
कानपुर	79.8
गोवा	81.6
तुतीकोरिन	84.6
मंगलौर	57.7
इन्नौर	56.9
वाराणासी	37.0
भरुच	77.4
कलोल/काण्डला	100.2
फुलपुर	76.0
उप उत्पाद	63.9
योग	67.2

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए है।

(ग) ऐसे अन्तरणों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 7, 8, 2 और शून्य है।

विवरण

एक उपभोक्ता से किसी दूसरे उपभोक्ता को टेलीफोन अन्तरण करने की पात्रता के लिए टेली-फोन कनेक्शन कम से कम 5 वर्ष तक अन्तरण करने वाले के यहां कार्य करता रहा हो। 100 रु० के अन्तरण शुल्क के अलावा, नीचे दी गई तालिका के अनुसार गैर-वापसी शुल्क जो एक्सचेंज की क्षमता पर निर्भर करता है, लिया जाता है।

एक्सचेंज प्रणाली की दक्षता

	10000 लाइनों से अधिक	1000 लाइनों से अधिक लेकिन 10000 लाइनों से कम	जहां कुल लाइनें 1000 से अधिक न हों।
प्रभार्य राशि	8,000 रु०	6,000 रु०	5,000 रु०

सातवीं योजना में सभी जिला मुख्यालय में "टेलेक्स" "नेटवर्क" का विस्तार

47. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं योजना अवधि के दौरान सभी जिला मुख्यालयों में 'टेलेक्स नेट वर्क" के विस्तार के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मांग करने पर टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। यदि मांग के आधार पर सभी जिला मुख्यालयों में टेलेक्स सुविधा प्रदान करने का औचित्य बनता है तो यह सुविधा प्रदान करा दी जाएगी।

[हिन्दी]

नाहन फाउंड्री का अधिग्रहण

48. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में 'नाहन फाउन्ड्री' और अन्य ऐसे उद्योगों को, जो घाटे में चल रहे हैं, अपने हाथ में लेने का है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत समय पहले नाहन फाउन्ड्री केन्द्र सरकार द्वारा ही चलाई जाती थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें उस समय लाभ होता था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे राज्य सरकार को सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

केरल के पथानमचिट्टा जिले के डाकघरों में तार और टेलीफोन सुविधाएं

49. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पथानमचिट्टा जिले की स्थापना के पश्चात् उस जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि है कि इसमें से कई डाकघरों में तार और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन डाकघरों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पथानमचिट्टा जिले के गठन के बाद 30 डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) संयुक्त डाकतारघरों में परियात का औचित्य पाए जाने पर तार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मौजूदा नीति में सभी डाकघरों में यह सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनघर श्रेणी वाले स्टेशनों पर तथा स्थानीय वितरण नीति के अधीन खोले जाते हैं ताकि अधिकांश आबादी वाले गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर यह सुविधा उपलब्ध हो सके ।

देश में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

50. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में नए टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित करने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) दिल्ली में लम्बित नये कनेक्शन देने की सूची कब तक समाप्त हो जायेगी और उनका एक्सचेन्जवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको त्रुटिपूर्ण केबल लाइन की जानकारी है जिसके कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन भली-भांति कार्य नहीं कर रहे हैं; और

1	2	3
गुजरात	4867	47
हिमाचल प्रदेश	2311	297
केरल	922	1
मध्य प्रदेश	5054	909
उड़ीसा	2898	156
पटना	9539	1575
पंजाब और हरियाणा	5807	65
राजस्थान	9013	1040
सिक्किम	— (30.6.1984 को)	—
इलाहाबाद	45845	5019
कलकत्ता*	45069	11342
दिल्ली	12561	3418
जम्मू-कश्मीर	2771	236
कर्नाटक	16642	64
मद्रास	4471	3 (30.6.1982 को)
गौहाटी	2619	243

*केवल मूल्य मामले

अशोधित तेल के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बम्बई हाई के अशोधित तेल की बिक्री

1042. **श्री एन. डेविड** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को अशोधित तेल के मन्दी से ग्रस्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बम्बई हाई के अशोधित तेल की बिक्री में भारी घाटा हो रहा है जबकि अशोधित तेल के आयात पर खर्च में तदनुरूपी कोई बचत नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) इसके उत्पाद प्रतिमान तथा उत्पाद माँग के आधार पर हमारी रिफाइनरियों में बम्बई हाई क्रूड के संशोधन को अधिकतम किया गया है तथा केवल शेष भाग को ही सर्वोत्तम प्रतियोगी बोलियों पर निर्यात किया जा रहा है।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को लागू करना

1043. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 वर्ष 1962 में लागू हो गया था, किन्तु उसकी धारा 30 को, जो अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय करने के संबन्ध में है, अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(ग) सरकार का अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के उपबंधों को कब लागू करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 अभी प्रवृत्त नहीं की गई है क्योंकि इस धारा के उपबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं।

(ग) कोई तारीख़ नियत नहीं की गई है।

चिकित्सा और औषधियों के क्षेत्र में अमरीकी प्रौद्योगिकी का भारत को हस्तांतरण

1044. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में अमरीकी प्रौद्योगिकी को भारत को हस्तांतरित करने के प्रयास किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण किया गया है और किन-किन शर्तों पर; और

(ग) क्या चिकित्सा और औषधियों के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीकी सहयोगियों के साथ भारतीय औषध कम्पनियों के छः विदेशी सहयोग अनुमोदित किए गए थे। ये मुख्यत: एस्पिरिन, नैलिडिकसिक एसिड, पेंटियाजोसिन, फिनाइलफिरीन, बेनोरिलेट, डी. एल-अमीनोबुटानोल और टाइम रिलीज्ड फार्मास्युटिकल

फार्मूलेशनों की तरह की औषधों के निर्माण के लिए थे। उन्हें इस सम्बन्ध में नीति मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित किया गया था।

स्कूटरों और मोटर साइकिलों की कीमतों में वृद्धि

1045. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह वर्षों के दौरान लोक प्रिय ब्रांड के दुपहिया स्कूटरों और मोटर साइकिलों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बजाज 150, बजाज-चेतक, विजय-डीलक्स, लम्ब्रेटा, प्रिया, येजदी, राजदूत आदि जैसे लोकप्रिय ब्रांड के स्कूटरों और मोटर साइकिलों की कीमतों में 1978 से अब तक (वर्षवार) कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कम ईंधन की खपत से अधिक दूरी तय करने वाले लोहिया एक्स-ई और वैस्पा-170 आदि वाहनों की कीमतें हैं, जिनके निर्माण से यह अपेक्षा की गई थी कि उनके बाजार में आने से ऐसे वाहनों की कीमतें इतनी कम हो जायेंगी कि आम आदमी उन्हें खरीद सके, पूर्वानुमानों से काफी अधिक रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) और (ख) सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि की तुलना में पिछले छः वर्षों में दुपहियों के मूल्यों में वृद्धि अधिक नहीं हुई हैं। कुछ माडलों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) तथा (घ) 1984 में लोहिया एक्स. ई. तथा वैस्पा-170 स्कूटरों के कारखाने से निकलते समय के मूल्य क्रमशः 9600 रुपये तथा 7400 रुपए थे और इनके कारखाने से निकलते समय के वर्तमान मूल्य 11355 रुपये तथा 8800 रुपये हैं। मूल्य में यह वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) मुद्रा की दरों में घट-बढ़ के कारण आयातित हिस्से-पुर्जों की लागत में वृद्धि;

(2) इस्पात तथा अल्युमिनियम के मूल्यों में वृद्धि।

विवरण

कारखाने से निकली समय के मूल्य (रुपए में)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
बजाज 150/सुपर	2935 3460	3560 3885 4385	4550	4750 5100	5280	5280	5540 6000	6000
बजाज चेतक	3493 3600	3700 4025 4525	4700	4900 5250	5430	5430	5740 6180	6180
प्रिया	3353 3548	3600 3550 3875 4375	4475	4635 4985	5145	5145	5345 5885	5885
लम्ब्रेटा/लिम्बी	3688 3750 3850	4066 4241 4426 4926	4926	5211 5461	6726	5726	5826 6926 6226	6226
राजदूत	4550	5480	5730 6000 6275	6600	6600	6600	7600 8000	8500

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
येजदी	4550	5000	5730	6600	6600	6600	7600	8500
	4750	5250	6000				6000	
		5480	6275					
विजय-डीलक्स/सुपर	3920	4081	5231	5531	6075	6075	6260	6660
		4376		6076			6660	
		4551						
		5051						

मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड के लंबित पड़े आवेदन और उसे जारी किये गये कारण बताओ नोटिस

1046. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड के निपटारे के लिए लम्बित पड़े प्रत्येक आवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में जारी किए गये प्रत्येक कारण बताओ नोटिस का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड का केवल एक आवेदन अनिर्णीत है। तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन अनिर्णीत नहीं है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णीत आवेदन के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए जाते है।

(ख) विगत 3 वर्षों की अवधि में कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन के लिए जारी किये गए प्रत्येक कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

विवरण

(क) अनिर्णीत आवेदनों का ब्यौरा :—

मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड ने, अपने उपप्रबन्धकीय निदेशक श्री ए. बासु की पत्नी श्रीमती सी. बासु के साथ "आई. टी. सी.—दि फर्स्ट 75 ईयर्स" शीर्षक पर पुस्तक लिखने के लिए एक करार के लिये, कम्पनी अधिनियम की धारा 297 (1) के अन्तर्गत सरकार के अनुमोदन की मांग की है। प्रस्तावित करार में परिकल्पना की गई है कि मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड लेखकों को निम्नलिखित भुगतान अदा करेगा :—

(1) करार के कार्यान्वियन पर एक साथ 10000/- रुपये

(2) लेखक द्वारा कार्य के प्रेषण पर 20,000/- रुपये

(3) कम्पनी द्वारा कार्य की स्वीकृति पर 15,000/- रुपये और

(4) लेखक द्वारा प्रूफ रीडिंग और परीक्षण के तत्काल पूर्ण करने पर 5,000/- रुपये

इसके अतिरिक्त, प्रथम संस्करण के मुद्रण और प्रकाशन के कार्य की प्रत्येक प्रति के लिए 5/-और उसके बाद के संस्करणों के लिए मुद्रित मूल्यों का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत भी भुगतान किया

जाएगा। इसके अलावा लेखक द्वारा किए गए यात्रा व्यय को सम्मिलित करते हुए दस्तावेजों, आंकड़ों, सूचना, फोटो ग्राफों, उद्धरणों आदि को एकत्र करने में किए गए फुटकर जेब खर्च तथा सभी व्ययों की प्रतिपूर्ती कम्पनी द्वारा की जायेगी। कम्पनी मितव्ययी दर्जे के हवाई यात्रा किराये का भी जब विदेश यात्रा की जायेगी तो भुगतान करेगी तथा कम्पनी द्वारा प्रथम श्रेणी होटल आवास के लिए भी सभी व्यय किये जायेंगे। यथासम्भव फुटकर जेब खर्च भी पार्टियों के मध्य अग्रिम की संयुक्त सहमति होगी।

(ख) कारण बताओ नोटिसों के ब्यौरे

(I) एक कारण बताओ नोटिस मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड और उसके निदेशकों को निवेशित कम्पनियों की अभिदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत अन्य कम्पनियों में निवेश करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 19.6 की धारा 372(2) के उल्लंघन के लिए जून, 1984 में जारी किया गया था। मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड ने निम्नलिखित कम्पनियों की अभिदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक, वर्ष 1980 में निवेश किया था नामशः

(क) मैसर्स सुमित इन्वेंस्टमैंट्स लिमिटेड

(ख) मैसर्स पिन्नाल्ले इन्वेस्टमैंट्स लिमिटेड

(ग) मैसर्स सागा इन्वेस्टमैंट्स लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (2) के उल्लंघन के लिए, कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में एक मुकदमा चलाया गया है और यह मामला अभी तक न्यायालय में अनिर्णीत है।

(II) अन्य कारण बताओ नोटिस मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड और उसके निदेशकों को मैसर्स रायसिना पब्लिकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये बगैर यू. एस. एस. आर. को सिग्रेटों के निर्यात के लिये एकमात्र बिक्रय अभिकर्ता नियुक्त करने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 (2)/294 तक के उल्लंघन के लिए जून, 1984 में जारी किया था।

इस मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,कलकत्ता के न्यायालय में एक मुकदमा प्रारम्भ किया गया है और यह अब न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

(III) एक कारण बताओ नोटिस मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड को 8-3-1982 को कम्पनी से यह पूछते हुए जारी किया कि क्यों नहीं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 46 के साथ पठित धारा 53 के अन्तर्गत उसके और उसके सम्बन्धित अधिकारियों आदि के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि कम्पनी ने अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर समुद्रीय उत्पादनों को तैयार करने के लिए मैसर्स बी. के. सिंह एण्ड कम्पनी के नाम से पुरी में नए उपक्रम की दोषपूर्ण स्थापना की थी।

कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में, कम्पनी ने अन्य बातों के साथ साथ उल्लेख किया कि उसके और मैसर्स बी. के. सिंह एंड कम्पनी के मध्य केवल सर्वथा अस्थाई प्रकृति के वाणिज्य संबंधी कारोबार और केवल निर्यात के उद्देश्यों के लिए प्रबन्ध था। कम्पनी ने यह भी उल्लेख किया था कि यह व्यवस्था केवल तीन वर्षों की अवधि के लिए विद्यमान रही उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई।

मामले की न्यूनकरण परिस्थितियों को जो उसके द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी और प्रबन्ध की प्रवृति को दृष्टिगत करते हुए, सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि उनको भविष्य में अधिक सतर्क होने की चेतावनी देने के पश्चात्, मामले को बन्द किया समझा जाय।

इलेक्ट्रानिक डाक व्यवस्था लागू करना

1047. **श्री जी. जी. स्वैल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व्यवस्था की वर्तमान खामियां के कारण से तथा एक आधुनिक राज्य तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास एवं विस्तार की आवश्यकताओं ध्यान में रखते हुए सरकार का देश में परीक्षण के आधार पर इलेक्ट्रोनिक डाक व्यवस्था लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा अधिक लाभकारी होगी और वर्तमान डाक व्यवस्था पर भार भी कम हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मौजूदा डाक प्रणाली आमतौर पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। फिर भी, डाक विभाग में इलेक्ट्रांनिक डाक सेवा शुरू करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) उक्त प्रस्ताव के वित्तीय ब्यौरे अभी पूरी तरह तैयार नहीं किए गए हैं।

बंगाल की खाड़ी में महानदी तट से दूर तेल हेतु खुदाई के लिये मैक्सिको से सहायता

1048. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आयल इन्डिया और मैक्सिको द्वारा बंगाल की खाड़ी में महानदी तट से दूर तेल के लिए खुदाई का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो महानदी तल में तेल के लिए खुदाई को जारी रखने के लिए मैक्सिको द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) तेल के लिए संयुक्त रूप से खुदाई करने से अब तक हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड, बंगाल की खाड़ी में महानदी अपतटीय क्षेत्र में वेधन कार्य कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिए, आयल इंडिया लिमिटेड ने एक वेधन रिग को चार्टर किराये पर लेने के लिए मैक्सिको की एक फर्म के साथ सेवा संविदाएं की हैं। जिसमें चार्टर किराये की लागत को पूरा करने के लिए 2 मिलियन यू.एस. डालर का ऋण मैक्सिको के एक राष्ट्रीकृत बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड ने 5 कूपों का वेधन किया है तथा छठे कूप का वेधन कार्य प्रगति पर है। अभी तक व्यापारिक आधार पर हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन नहीं हुआ है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकौर लिमिटेड द्वारा कैपरोलेक्टम प्रोजेक्ट की स्थापना

1049. **प्रो. पी. जे. कूरियन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटड द्वारा कैपरोलेक्टम प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार अपनी स्वीकृति कब तक प्रदान कर देगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेघनगर, म. प्र. में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना

[हिन्दी]

1050. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में धनपुरा और केलकुआं में राक फास्फेट के भारी भंडारों को ध्यान में रखते हुए मेघनगर में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में धनपुरा और केलकुआं में राक फास्फेट के मण्डारों के आधार पर इस समय मेघनगर में सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण-पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर सुविधा

1051. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर सुविधा के प्रावधान से संबंधित नियमों को हाल में उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उदार बनायी गयी उक्त नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के अंतर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इन डाकघरों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं।

सामान्य जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण डाकघर खोलने के मानदण्ड जो कि 1978 से लागू हैं की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

(क) **देहाती-इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) उस गांव की आबादी 2000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) गांव (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे में गांवों के समूह) की जनसंख्या 1000 या अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे के अन्दर कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

टिप्पणी : ग्रामीण डाकघर निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं :

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र और (11) पिछड़े एव जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र गृह मंत्रालय ने निर्धारित किए हैं। डाक विकास की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मानते समय यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र का विकास प्रति डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जा रही जनसंख्या के अखिल भारतीय औसत में 100 प्रतिशत कम है।

(दो) दूसरे, जब कोई स्थान विशेष जनसंख्या/क्षेत्र की दृष्टि से अखिल भारतीय या सर्किल औसत से बहुत पीछे हो तथा जिन गांवों में डाकघर प्रदान किए गए हों उनकी प्रतिशतता सर्किल की तुलना में कम हो तो उस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मान लिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4,805 है। पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों की विकास गति बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) 'पर्वतीय क्षेत्रों' की श्रेणी समाप्त कर दी गई है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र भी है और ये क्षेत्र स्वयं ही इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

(ख) शहरी इलाकों में डाकघर खोलने के मानदंड

निम्नलिखित शर्तों के अधीन शहरी इलाकों में डाकघर खोले जाते हैं :

(एक) डाकघर आर्थिक दृष्टि से स्वयं पर निर्भर हो, और

(दो) 20 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1 किलोमीटर हो। अन्य शहरी इलाकों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.05 किलोमीटर हो।

सर्किल अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करना और उसे उदार बनाया जाना

[अनुवाद]

1052. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को संशोधित करने और उसे उदार बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20(क) में सम्भूत परिसम्पत्तियों की विद्यमान धनसम्बन्धी सीमा को 20 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा (उ. प्र.) का टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

1053. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैण का टेलीफन एक्सचेंज काफी समय से खराब पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस एक्सचेंज के सुव्यवस्थित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। भिकियासैंण टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्जीनियरिंग उद्योग में संकट

[अनुवाद]

1054. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्जीनियरिंग उद्योग संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पिछले चार वर्षों के दौरान इन्जीनियरिंग उद्योग में राज्यवार कितना उत्पादन हुआ ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :(क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर इन्जीनियरी उद्योग के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यवार उत्पादन की मूल्य (लाख रुपये में)

क्रमांक राज्य का नाम	मशीनों इत्यादि का निर्माण बिजली को छोड़कर				बिजली उपकरणों उपस्करों का निर्माण व सम्भरण				परिवहन उपकरणों का निर्माण			
	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-आन्ध्र प्रदेश	21558	12050	13463	18591	10994	28507	30996	35430	5863	7217	6372	8244
2-असम	496	442	242	242	346	555	उ. न.	440	106	563	552	731
3-बिहार	11451	11938	6462	19186	4101	7976	7578	6892	35205	33278	37809	52374
4-गुजरात	22686	28610	35645	40150	12688	14922	18455	22435	3305	5025	1898	6474
5-हरियाणा	21577	29249	32719	43146	6312	8384	12807	12957	9022	11190	12467	15688
6-हिमाचल प्रदेश	782	495	855	1512	271	337	326	557	—	—	—	—
7-जम्मू व कश्मीर	52	100	102	106	110	182	241	265	24	43	87	63
8-कर्नाटक	10426	13894	20617	18345	24817	31078	35082	24631	9603	11024	11580	16120
9-केरल	1303	1635	1281	2162	5815	8078	11300	11139	2081	2097	3233	4391
10-मध्य प्रदेश	1648	2139	2420	1730	19232	23210	26282	23148	1399	3708	3196	3390
11-महाराष्ट्र	74032	85994	112470	120562	54182	69328	86936	96110	54175	78372	99227	130654
12-मणिपुर	उ. न.	—	—	उ. न.	—	—	—	—	—	—	—	—
13-मेघालय	—	—	—	—	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14-उड़ीसा		1459	2073	3220	3067	1244	1897	1915	3082	230	303	243	295
15-पंजाब		8235	9685	14898	16049	4016	4890	7108	7800	11925	16689	21155	27209
16-राजस्थान		4286	5342	6595	7263	4289	5998	6599	8543	2246	4144	9362	6260
17-तमिलनाडु		42102	50063	57901	74647	12755	16009	20772	26299	35397	47365	54875	73663
18-त्रिपुरा		उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	—	—	—	12*	—	—	—	—
19-उत्तर प्रदेश		9808	11056	11837	12050	24545	28491	37872	48918	9364	14308	18941	19330
20-प. बंगाल		23980	25483	31416	36725	27909	35262	41087	43636	27659	35403	43557	51643
21-अ. नि. द्वीप समूह		—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	61	71
22-चण्डीगढ़		333	551	622	793	158	208	285	386	448	633	791	942
23-दिल्ली		4387	5757	5713	896	9033	12466	15870	18914	3239	4789	5119	5208
24-गोआ, दमन द्वीव		82	92	108	99	43	88	108	123	996	1111	1337	1304
25-पांडीचेरी		उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	80	149	122	117	35	39	30	15

उ. न. उपलब्ध नहीं

*वैद्युत को छोड़कर मशीनों आदि का निर्माण शामिल है।

बढ़े हुए टेलीफोन बिल

1055. **श्री एम. महफूज अली खां :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में फ्राड बिहाइन्ड टेलीफोन बिल्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेक्सूर टेलीफोन उपभोक्ताओं को बढ़े हुए टेलोफोन बिलों की दुविधा से बचाने के लिए महानगरों में टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के अवांछित कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा आरोप लागाया है कि बंबई टेलीफोन में स्टाफ के साथ मिलकर टेलीफोन लाइनों का विपथन करके कुछ ट्रंक कालें लगाई गई ह तथा बिल अन्य पार्टियों को भेजे गए।

(ग) विस्तृत जांच की जा रही है तथा रिपोर्ट के परिणाम प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध मे जो कुछ सुधारात्मक कदम गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. टेलीफोन के वितरण प्वाइन्टरों को ऊपर उठाना;
2. वितरण प्वाइन्टों पर ताला लगाना;
3. टेलीफोन एक्सचेंज के मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष में प्रवेश पर रोक लगाना;
4. तुरंत जांच करने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना;
5. कुछ स्थानों पर कम्प्युटर से बिल तैयार किए जा रहे हैं।
6. जब भी टेलीफोन लाइनों के विपथन करने संबंधी गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सतर्कता संगठनों के माध्यम से जांच की जाती हैं।

प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी

1056. **प्रो. मधु दंडवते :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी संबंधी नीति को कार्यान्वित करने और उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत रसायन और फार्मास्यूटिकल यूनिटी के प्रबन्ध मडंलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या इस संबंध में किसी कर्मचारी संगठन के दावों को रद्द कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो किन कर्मचारी संगठनों के दावों को रद्द किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी के बारे में श्रम एंव-पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम विभाग) के दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प में संबद्ध ट्रेड संघ के नेताओं की सलाह से मतैक्य द्वारा शाप फ्लोर तथा संयत्र स्तरों पर कामगारों के प्रतिनिधित्व पर विचार किये जाने की परिकल्पना की गई है। जहां तक रसायन एवं भेषज उद्योग में इसके कार्यान्वियन का संबंध है, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स ने सूचित किया है कि योजना को पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है। हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि. (एच. आई. एल.) ने सूचित किया है कि योजना को दिल्ली एकक में कार्यान्वित कर दिया गया है। इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि. (आई. डी. पी. एल.) ने इस योजना को अपने ऋषिकेष, गुड़गांव तथा हैदराबाद एककों ने कार्यान्वित कर दिया है। इस योजना को हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि. तथा इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. के अन्य एककों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के भेषज उपक्रमों में कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही जारी है।

बोर्ड स्तर पर कर्मचारियों के भाग लेने के संबंध में इस मन्त्रालय के अधीन इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई. डी. पी. एल) में कुछ प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं। कम्पनी से औपचारिक प्रस्ताव अभी प्रतीक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एल. पी. गैस की पूर्ति और मांग

1057. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए गए हैं कि एल. पी. गैस को निकालने और अलग करने की अपर्याप्त सुविधा के कारण पिछले कुछ समय में भारी मात्रा में गैसों को जला दिया गया है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल अन्वेषण में प्रगति के कारण और अधिक गैसें जलानी पड़ेंगी;

(ख) क्या सरकार को इन गैसों से एल. पी. गैस को अलग करने और देश में गैस को पुनः भरने वाले तथा फुटकर बिक्री के केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था अभी करनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में एल. पी. गैस की आवश्यकता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती इसकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में अपतटीय क्षेत्र में पर्याप्त संपीडन सुविधाओं के न होने के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपतटीय क्षेत्र में तैयार की जा रही गैस के एक अंश को जला दिया जाता है। गैस का जो अंश तट पर लाया जाता है, उसके विखंडन, भरण तथा बिक्री की सुविधाएं तो पहले से ही विद्यमान हैं। अतिरिक्त संपीडन सुविधाएं के निर्माण के पश्चात् जो गैस तट पर लाई जाएगी इसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) तेल उद्योग एल. पी. जी. को निरंतर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एल. पी. जी. विपणन कार्यक्रम के चरण-3 के अधीन अतिरिक्त सुविधाओं का विकास कर रहा है।

तेल उत्पादन

1058. **श्री बालासाहिब विखे. पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान देश में **बम्बई हाई के अतिरिक्त** किस-किस स्थान से तेल को कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर उत्पादन में तेजी से गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन मीट्रिक टन)

	अरुणाचल प्रदेश	असम	गुजरात
1981-82	0.002	4.795	3.422
1982-83	0.001	5.000	3.185
1983-84	0.031	5.009	3'588

(ख) जी हां। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में लगातार कमी हो रही है।

(ग) जैसे ही क्षेत्र पुराना हो जाता है अधिक जल/गैस कट तथा रिजर्वायर दबाव में कमी हो जाने के कारण उत्पादन में कमी आना शुरू हो जाता है।

स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स

1059. प्रो. रामकृष्ण मोरे : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पिछले कुछ वर्षों से भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(ग) इसके कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. की शुद्ध हानि उत्तरोतर घटते हुए 1981-82 में 36 लाख रुपये से 1983-84 में 12 लाख रुपये रह गई है ।

(ख) कम्पनी के उत्पादकों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्द्धा तथा विशेषत: राज्य सरकारों की तरफ विशाल बकाया राशि होने से हानियां हुई ।

(ग) कम्पनी उपचारी उपाय कर रही है जैसे फैक्टरियों का आधुनिकिकरण, लागत में कमी, प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार, ट्रेड बिक्री में वृद्धि तथा वाणिज्यिक कार्यकलापों का विविधिकरण ।

औषधि मूल्य नियंत्रण

1061. श्री सैयद मसुदल हुसैन : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि मूल्य नियंत्रण के क्या आधार हैं,

(ख) क्या उक्त मूल्य नियंत्रण चिकित्सीय गुणों पर आधारित है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मूल्य नियन्त्रित औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित किए जाते हैं, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन जारी किया गया था ।

(ख) और (ग) विशिष्ट फार्मूलेशनों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, की तीसरी अनुसूची में श्रेणी 1 और श्रेणी2 में उल्लिखित किया गया है जब कि शेष मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों को उक्त अनुसूची के श्रेणी-3 के अधीन चिकित्सीय समूह के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है । श्रेणी-1 और 2 फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रपुंज औषध प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं जबकि श्रेणी-3 के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रपुंज औषधों की निदर्शी सूची दूसरी अनुसूची में दी गई है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और अधिक लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

1062. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और अधिक संख्या में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में अधिक संख्या में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विद्यमान 23 मिनी सीमेंट के अलावा 241 स्वीकृत योजनाएं हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियां में हैं । इनमें से कुछ स्वीकृत योजनाओं के. कारण सातवीं योजना अवधि में मिनी सीमेंठ संयंत्रों की स्थापना होने की संभावना है । जिन राज्यों में 10 से अधिक स्वीकृत योजनाएं हैं, उनके नाम आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु हैं ।

(ग) : वर्टिकल शाफ्ट किलन (वी. एस. के.) प्रौद्योगिकी पर आधारित मिनी सीमेंट संयत्रों की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि राज्य सरकारें /संघशासित क्षेत्र प्रशासन यह प्रमाणित कर दें कि प्रस्तावित मिनी सीमेंट संयंत्र उन क्षेत्रां में स्थित हैं जहां चुना पत्थर निक्षेपों से बड़े सीमेंट संयंत्रों को निरंतर चालू नहीं रखा जा सकता है, बल्कि इनसे केवल मिनी सीमेंट सयंत्रों को सहायता मिल सकती है ।

छोटी कारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कदम

1063. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि कारों को कालाबाजारी को समाप्त करने हेतु देश में छोटी कारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहमंद खां) : मारुति उद्योग लिमिटेड 1984-85 में 20,000 से अधिक कारों का उत्पादन करेगा और 1985-86 में 12,000 वैनों के अलावा 36,000 कारों का निर्माण करने की कोशिश करेगा । मांग पूरी करने की दृष्टि से बाद के वर्षों में उत्पादन में और वृद्धि को जायेगी ।

राज्यों को मिट्टी के तेल का विवरण

[हिन्दी]

1064. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये

जाने हैं इसके मूल्य किस के द्वारा नियत किये जाते हैं और यह मूल्य किस प्रकार से नियत किये जाते हैं; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि की मांग की है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मिट्टी के तेल के कोटे के निर्धारण का आधार उनको पिछले वर्ष के तदनुरूपी चार महीनों की ब्लाक अवधि के लिए किए गए आबटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाना है ।

सरकार मिट्टी के तेल का मूल उच्चतम विक्रय मूल्य निर्धारित करती है तथा राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी मूल उच्चतम विक्रय मूल्य में मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्य निर्धारण) आदेश—1970 के खंड-3 में दर्शाये गए निम्नलिखित तत्वों को शामिल करके खुदरा मूल्य निर्धारित करती है ।

1. रेल भाड़ा या समीप की रिफाइनरी से सबसे सस्ते साधन से परिवहन का भाड़ा ।

2. बिक्री कर, स्थानीय कर, डीलर का कमीशन इत्यादि ।

(ख) अधिकतर राज्य अपने मिट्टी के तेल के आबटन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं । इस संबंध में आबंटन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने तथा राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के तर्काधार सुझाने के एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है । इस समिति से जुलाई, 1985 तक अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने की आशा है ।

[अनुवाद]

कालाहांडी "उद्योग विहीन" जिला

1065. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिले को "उद्योग विहीन" जिला घोषित करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस जिले को उद्योग विहीन जिला घोषित करने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि यहां एक मझौला उद्योग लगा हुआ है अत: यह जिला "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है ।

आयजवाल, मिजोरम में 2000 लाइन वाले कंटेनराइज्ड एक्सचेंज की स्थापना

1066. **श्री लाल डुहोमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में आयजवाल में 2000 लाइन का एक कंटेनराइज्ड एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में खाना बनाने की गैस की सप्लाई

1067. **श्री ए. चार्ल्स** :

श्री के. कुन्जम्बु :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में विशेषकर त्रिवेन्द्रम नगर में खाना पकाने की गैस की भारी कमी के कारण लोगों द्वारा उठाई जाने वाली तकलीफों की जानकारी मिली है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को गैस के वितरण में गैस एजेन्सियों द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवाने का विचार है; और

(घ) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में खाना बनाने की गैस की सप्लाई के लिए तत्काल कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मार्च, 1984 में आग लगने की दुर्घटना के फलस्वरूप कोचीन रिफाइनरी को बन्द रहने के कारण केरल सहित दक्षिणी क्षेत्र में एल.पी.जी. रिफिलों की सप्लाई में रूकावट आ गई थी। रिफाइनरी में उत्पादन आरम्भ हो जाने से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है और आशा है कि अप्रैल, 1985 के मध्य तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

उच्च न्यायालयों की सर्किट न्यायपीठें स्थापित करना

1068. **श्री वल्लभ पाणिग्राही : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वार पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की सर्किट न्यायपीठें स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार उच्च न्यायालयों की सर्किट न्यायपीठें स्थापित करने के लिए अनिच्छुक नहीं है, तथापि इस मामले में कुछ उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठें स्थापित करने के संबंध में और उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने के साधारण प्रश्न के संबंध में, तथा इस सबंध में अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदण्डों के संबन्ध में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है ।

दक्षिणी वायु कमान, त्रिवेन्द्रम के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परियोजनायें

1069. **श्री एस. कृष्ण कुमार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में नव सृजित दक्षिणी वायु कमान के अन्तर्गत किन परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है;

(ख) पूर्णतः स्थापित होने पर इस कमान के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र क्या होगा;

(ग) कुल अनुमानित परिव्यय कितना है और इसके कार्यान्वियन में कितना समय लगने का अनुमान है;

(घ) कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को, जो कि देश की रक्षा आवश्यकताओं के लिए और केरल के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उच्च प्राथमिकता देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) से (ङ) दक्षिण वायु कमान के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षिणी प्रायद्वीप तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप आते हैं। अगले कुछ वर्षों में सक्रियात्मक योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इस क्षेत्र में वायुसेना की कई यूनिटें स्थापित की जाएंगी । आगे और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

उर्वरकों का उत्पादन

[हिन्दी]

1070. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरकों की कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है और उनकी मांग कितनी है,

(ख) अच्छी फसल सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता है, और

(ग) उर्वरकों की कमी को पूरा करने के संबंध में सरकारी योजना क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों की मांग और उत्पादन निम्न प्रकार होने का अनुमान है :—

	मांग (अनुमानित खपत)	उत्पादन (अनुमानित)
	(लाख टनों में)	
नाइट्रोजन (एन)	56.44	39.6
पो2ओ5 (पी)	18.65	12.6
पोटास (के)	8.65	पोटाश (के) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता ।

(ख) आवश्यकताओं की तुलना में उर्वरकों के उत्पादन में कमी की मात्रा की सीमा तक, किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयात किए जाते हैं। चूंकि उर्वरकों की आवश्यकताओं को अलग-अलग वर्षों की मांग में अन्तर होता है, अतः आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जा सकने वाले उत्पादन के सही-सही आंकड़े दर्शाना कठिन है ।

(ग) नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन समग्र मांग को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है । अतः मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष आयात किए जाते हैं । पोटाशिक उर्वरकों की समग्र मांग को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है क्योंकि पोटाश का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता ।

नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक वृहद कार्यक्रम हाथ में लिया गया है ताकि देश में उनकी मांग और उत्पादन के बीच अन्तर में यथेष्ट कमी की जा सके ।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस कंपनी लिमिटेड द्वारा मोटर एण्ड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में निर्णय

[अनुवाद]

1071. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस कम्पनी लिमिटेड के प्रति पर विचार किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में दमदम स्थित मोटर एण्ड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड के अधिग्रहण की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) तथा (ख) मै. मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि. के संबंध में प्रबंध अभिगग्रहण की अवधि 30.4.85 तक बढ़ा दी गई है जिससे कि इस उपक्रम का अभिग्रहण मै. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज कं. लि. द्वारा कर लिए जाने की संभाव्यता सहित इसके अन्तिम निपटान हेतु सभी विकल्पों की जांच करने के बाद सरकार इसके निपटान पर विचार कर सके।

विदेशी सहयोग करार

1072. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग के संबंध में वर्ष-वार कितने करार किए गए हैं और इस सम्बन्धी में (एक) देशों के नाम (दो) सहयोग के क्षेत्र (तीन) भारतीय भागीदारों के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ये सहयोग सरकारी क्षेत्र में हैं अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी सहयोग के लिए वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान क्रमशः 590, 673 और 752 प्रस्तावों को स्वीकृत दे दी है। विदेशी सहयोग से संबंधित/स्वीकृति प्रस्तावों के ब्यौरों को अर्थात भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी, विनिर्माण की मद, सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र (इण्डियन अन्वेंस्टमैंट सैन्टर द्वारा मासिक न्यूज लैटर के अनुपूरक के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती है। सरकार द्वारा स्वीकृति विदेशी सहयोग के लिए 752 प्रस्तावों में से, 740 प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे इण्डियन इन्वेस्टमैंट सेंटर द्वारा पहले से ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

विदेशी सहयोग के लिए शेष 12 प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे अभी प्रकाशित किए जाने हैं ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1984 के दौरान अनुमोदित विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से संबंधित अनुपूरक सूची

क्र. सं.	भारतीय क्र. का नाम	विदेशी कं. का नाम	विनिर्माण की/मद कार्यकलाप	सहयोग का स्वरूप
1	2	3	4	5
1.	मै. नेप्ट्यून इत्मपमेंट प्रा. लि. 128, न्यूकलाथ मार्किट, रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380001. गुजरात	मै. एल्फ्रेड कारछार गम्म एण्ड कं. पश्चिम जर्मनी,	हाई प्रेशर कलीनिंग इक्विपमेंट	तकनीकी
2.	मै. युनिवर्सल इंजीनिरिंग कारपोरेशन, ई.-2/77, झंडेवालान, नई दिल्ली	मै. काबाग कार्लसमुहेर बोमाशनन जम्ब, पश्चिम जर्मनी	कंक्रीट मिक्सिंग एण्ड बैचिंग प्लांटस	तकनीकी
3.	मै. एन. जी. ई. एफ. लि. पोस्टबाक्स-3876 बंगलौर-560038	मै. ए. ई. जी. टेलीफन्कन, पश्चिम जर्मनी	विदेशी तकनीकी विदों के सेवाएं प्राप्त करना	तकनीकी
4.	डा. नागप्पा चन्द्रशेखर, साकेत, 8/10, बुलटेंपल रोड बासवानगुडी, बंगलौर-560004	मै. डाटालेजिक एस. पी. ए., इटली	ओपिटक इलैक्ट्रिक स्विच	वित्तीय

1	2	3	4	5
5.	मै. सुनील स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 22 बड़ौवा स्ट्रीट, बम्बई-400009	मै. अली अब्दुल्ला लतीफ हस्सन, हलसरापक कुवैत	स्टीलकास्ट रौल्स एण्ड जनरल स्टील कास्टिंगंस	वित्तीय
6.	मै. रैवलगन शुगन फार्म लि. कसंट्रक्शन हाउस बालचन्द हीराचन्द मार्ग. बम्बई-400036 .	आटोरैंरस (नारविच) यू.के. (इग्लंड)	बिस्कुट रैंपिंग एम./सी- डब्ल्यू. एल. टाइपस्पीड 32 पैकस/डबल रैपडपैक्स पेपर में लगभग 13 आयातकार बिस्कुट प्रतिमिन्ट	तकनीकी
7.	मै. दक्षिण एण्टरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड-5-2-175/6, राष्ट्रपति रोड, सिकदराबाद-500003	मै. हारेफील्ड रबर कं. लि. यूक्के (इग्लैंड)	रबर, फलोरिंग टाईल्स	तकनीकी
8.	मै. इंटरनेशनल कंवेयर लि. 10 मिडलटनरो, कलकत्ता-700071	मै. बी. बी. ए. ग्रुप लि. इग्लैंड	पी. बी. सी. माइनिंग कन्वेयर बैलिटंग्स	तकनीकी
9.	मै. रामी प्रोसस प्लांट एण्ड मशीनरी लि. 53, मित्तलकोर्ट-ए बम्बई-400021	मै हैरिसबर्ग इन्क सुयंक्त राज्य अमेरिका	तेल की खोज के लिए कैमिकल हैंडलिग इक्विपमेंट	तकनीकी
10.	मै. बिहार होटलंस लि. साउथ गांधी मैदान, पोस्ट बाक्स-137, पटना-800001	मै. शेरेटन इंटरनेशनल इन्क संयुक्त राज्य, अमेरिका	तकनीकी सेवाएं और बिक्री/प्रबंध	तकनीकी

	क. प्रा. लि. 27, शंकर शेट रोड, पुणे-411037	सिस्टमस संयुक्त राज्य	बेगस	
12.	मै. मेपको मैटल पावडर, प्रा. लि. 311/312, जोगनी इंडस्ट्रियल ए-स्टेइस, तुलसी पाइपरोड दादर, बम्बई-400028	मै. वोरल टैक्नीकल मैटलस एण्ड कम्पोजिट कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका	हाईस्पीड स्टील एलोए मैठल, पाउडर आदि	वित्तीय

बिना लाइसेंस के टी. वी. और रेडियो सैट

1073. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 के दौरान देश में बिना लाइसेंस के टी.वी और रेडियो सेटों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिना लाइसेंस के कितने रेडियो और टी.वी. सेट पकड़े गये;

(ग) बिना लाइसेंस के टी.वी. सैट और रेडियो रखने वालों से वर्ष 1984 में कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(घ) वर्ष 1985 के दौरान बिना लाइसेंस के रेडियो और टी.वी सेट पकड़ने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम विलास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 2,59,321 (दो लाख उनसठ हजार तीन सौ इक्कीस) रेडियो और 89,676 (नवासी हजार छः सौ छियतर) टी.वी. सेट बगैर लाइसेंस के पकड़े गए।

(ग) 66,74,424 रु. (छियासठ लाख, चौहतर हजार, चार सौ चौबीस रुपये) रेडियो के लिए तथा 64,52,700 रुपये (चौसठ लाख बावन हजार सात सौ रुपये) टी.वी. सेटों के लिए वसूल किए गए।

(घ) 17 मार्च, 1985 से रेडियो और टी.वी सैटों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

1074. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वे कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में कितनी लाइनें है;

(ग) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने व्यक्ति नये टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा-सूची में थे;

(घ) क्या दिसम्बर 1982 तक पंजीकृत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए दिल्ली में और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो नये टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खुलेंगे और वे कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली टेलीफोन में 50 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जिनके नाम तथा स्थान संलग्न विवरण एक में दिए गए हैं :

(ख) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता अनुबन्ध "क" के कालम 4 में दी गई है।

(ग) 31 दिसम्बर 1984 को विभिन्न एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण एक के कालम 5 में दी गयी है।

(घ) जी हां। लंबित प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए मौजूदा एक्सचेंजों और

(ङ) का विस्तार करने तथा नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष बार एक्सचेंज चालू करने का तीन वर्षीय प्रस्तावित कार्यक्रम संलग्न विवरण दो में दिया गया है। फिर भी यह संसाधनों तथा केबिलों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण एक

क्रमांक	एक्सचेंज	स्थान	सज्जित लाइनों की संख्या	31-12-84 को प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की सं.
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	तीस हजारी ii	तीस हजारी	10,000	7,373
2.	तीस हजारी iii	तीस हजारी	20,000	
3.	तीस हजारी iv	तीस हजारी	10,000	
4.	शक्ति नगर i	शक्ति नगर	20,000	17,304
5.	शक्ति नगर ii	शक्ति नगर	3,600	
6.	अलीपुर	अलीपुर	200	21
7.	बादली	बादली	500	494
8.	नरेला	नरेला	600	223
	पूर्वी क्षेत्र			
9.	शाहदरा पूर्व	शाहदरा	4,000	5,324
10.	शाहदरा i	शाहदरा	2,100	9,966
11.	लक्ष्मीनगर	लक्ष्मीनगर	1,200	
12.	दिल्ली गेट i	दिल्ली गेट	9,600	7,720
13.	दिल्ली गेट ii	दिल्ली गेट	9,900	
14.	ईदगाह i	ईदगाह	9,000	10.770
15.	ईदगाह ii	ईदगाह	10,000	
16.	ईदगाह iv	ईदगाह	10,000	
17.	गाजियाबाद i	गाजियाबाद	2,100	1100

1	2	3	4	5
18.	गाजियाबाद ii	गाजियाबाद	4,000	82
19.	सी.एच.ई. पूर्व ii	शाहदरा	2,000	432
	दक्षिणी क्षेत्र			
20.	चाणक्यपुरी	चाणक्यपुरी	10,000	3,005
21.	चाणक्यपुरी	चाणक्यपुरी	8,400	
22.	ओखला	ओखला	[illegible],000	6,198
23.	नेहरु प्लेस i	नेहरू प्लेस	2,400	7,010
24.	नेहरू प्लेस ii	नेहरू प्लेस	10,000	
25.	हौजखास i	हौजखास	7.600	9,354
26.	हौजखास ii	हौजखास	10,000	
27.	फरीदाबाद	फरीदाबाद	5,100	3,009
28.	बदरपुर	बदरपुर	700	57
29.	बल्लबगढ़	बल्लबगढ़	1,500	407
	पश्चिमी क्षेत्र			
30.	कैंट	कैंट	3,000	333
31.	राजोरीगार्डन	राजोरगार्डन	6,000	
32.	राजोरीगार्डन i	राजोरीगार्डन	5,000	21,638
33.	राजोरीगार्डन iii	राजोरीगार्डन	10,000	
34.	जनकपुरी	जनकपुरी	2,700	3,468
35.	करोलबाग i	करोलबाग	10,000	
36.	करोलबाग ii	करोलबाग	9,000	7,219
37.	करोलबाग iii	करोलबाग	1,000	
38.	बहादुरगढ़ मण्डी	बहादुरगढ़ मण्डी	400	253
39.	नजफगढ़	नजफगढ़	300	230
40.	नागलोई	नागलोई	500	644
	मध्य क्षेत्र			
41.	जनपथ i	जनपथ	3,000	
42.	जनपथ ii	जनपथ	5,000	1,791
43.	जनपथ iv	जनपथ	2,500	
44.	जनपथ v	जनपथ	2,600	
45.	सेनाभवन	सेनाभवन	10,000	601

1	2	3	4	5
46.	राजपथ	शास्त्री भवन	8,900	1,916
47	कनाट प्लेस	कनाट प्लेस	4,200	460
48.	जोरबाग i	जोरबाग	12,600	
49.	जोरबाग ii	जोरबाग	6,000	4,998
50.	प्रगति मैदान	प्रगति मैदान	400	

विवरण-दो

नए एक्चेंज जिन्हें स्थापित और स्टार्ट कनेक्शन की संभावना है :

I. **एक्सचेंजों के लक्ष्य जिन्हें 84-85 की शेष अवधि के दौरान चालू किया जाना है :**

एक्सचेंज का नाम	टाइप	क्षमता
1	2	3
1. किदवई भवन	इलेक्ट्रानिक	10,000 लाइनें (वर्तमान 4200 लाइनों के लेवल-4 के एक्सचेंज को बदलना)
2. जनपथ ii	क्रासबार	11,000 लाइनें
II. **1985-86 के दौरान जिन्हें चालू किया जाना है :**		
1. नेहरू प्लेस iii	अलेक्ट्रानिक	10,000 लाइनें) 2400 लाइनों में बदलना)
2. करोलबाग iv	वही	10,000 लाइनें 5,000 लाइनों में बदलना)
3. नेहरू प्लेस iii (विस्तार)	वही	10,000 लाइनें
4. राजोरीगार्डन iii	वही	10,000 लाइनें
5. तीसहजारी iv (विस्तार)	वही	10,000 लाइनें
6. ईदगाह iii	क्रासबार	1,000 लाइनें
7. स्ट्रोजर एक्सचेंज का विस्तार बदलना	—	2,000 लाइनें
		7,400 लाइने
कुल वृद्धि		47,000

III. 1986-87 के दौरान प्रस्तावित एक्सचेंज जिन्हें चालू किया जाना है

1	2	3
1. राजोरीगार्डन (डिजिटल)	इलेक्ट्रानिक (ई 10 बी)	10,000 लाइनें
2. शाहदरा (दक्षिण)	वही	15,000 लाइनें
3. शक्ति नगर iii	वही	10,000 लाइनें
4. ओखला ii	वही	10,000 लाइनें
5. नेहरू प्लेस iv	वही	10,000 लाइनें
6. शक्तिनगर iii (विस्तार)	वही	10,000 लाइनें
7. बादली	वही	1,000 लाइनें
8. राजोरीगार्डन	वही	6,000 लाइनें
9. बल्लबगढ़	वही	2,000 लाइनें
10. नजफगढ़	इलेट्रानिक	1,000 लाइनें
11. नागलोई	वही	1,000 लाइनें
12. गाजियाबाद, जनकपुरी और बल्लबगढ़ के वर्तमान		4,500 लाइनें
एक्सचेंजों का विस्तार बदलना		4,000 लाइनें
कुल वृद्धि		76,500 लाइनें
IV. 1987-88 के दौरान चालू किए जाने वाले एक्सचेंज		
1. शाहदरा दक्षिण (विस्तार)	इलेक्ट्रानिक	5,000 लाइनें
2. शाहदरा	वही	5,000 लाइनें (वर्तमान 21 एक्सचेंज, को बदलना)
3. गाजियाबाद ii	वही	8,000 लाइनें (वर्तमान 85 एक्सचेंज को बदलना)
4. बदरपुर	वही	2,000 लाइनें
बदलना		4,900 लाइनें
कुल वृद्धि		15,100 लाइनें

उपरोक्त चालू करने का कार्यक्रम केबिलों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

1075. **श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स कार्टर पूलर और कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बार बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त एकक के राष्ट्रीयकरण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) जी हाँ।

(ख) मैं. कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्रा0) लिमिटेड के उपक्रम को पहले ही 30. 4 -1983 को अनधिसूचित किया जा चुका है और यह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के अधिकार में है। उपक्रम को इसकी भावी जीव्यता पर भली भांति विचार करने के बाद और सरकार की नीति के अनुसार ही अनधिसूचित किया गया था। अतः इस अवस्था में इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में डाक प्रेषण डाक सामग्री के वितरण में विलम्ब

1076. **श्री अनिल बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानीगंज कोयला क्षेत्र में डाक सामग्री के अत्यधिक विलंब से प्रेषण वितरण के संबध में रानी गंज वाणिज्य मंडल (बर्दवान जिला, पश्चिम बंगाल) से 10 दिसंबर, 1985 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) उक्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन सेवाओं को सुधारने के लिए क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) डाक प्रेषण वितरण प्रणाली में अत्यधिक विलंब को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह शिकायत की गई है कि नई दिल्ली-कलकत्ता -रानीगंज और इससे विपरीत दिशा में तथा रानीगंज क्षेत्र में पत्रों के पारेषण/वितरण में असाधारण विलंब हो रहा है। इस संबंध में 28 उदाहरण दिए गए हैं। सेवा में सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है

(ग) इस बारे में पहले भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी जाँच की गई थीं। सेवा में सुधार लाने के लिए आवश्यकतानुसार डाक एवं वितरण व्यवस्था में संशोधन किया गया और विशेष निगरानी रखी गई। रानीगंज वाणिज्य मंडल की इस शिकायत के बारे में पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता जांच कर रहे हैं।

विवरण

उड़ीसा के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना

1077. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में वर्ष 1985 में कितने नए डाकघर खोले गए;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान उड़ीसा के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में कितने नए डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) नये डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नए पदों के सृजन पर लगी मितव्ययिता संबंधी आदेशों के कारण 1984 में क्योंझर, दियोनघर और मयूरगंज जिलों में एक-एक नया डाकघर खोला जा सका।

(ख) 1985 के दौरान उड़ीसा के पहाड़ी और पिछड़े जिलों में 42 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो जाए और नए पदों के सृजन पर लगी मितव्ययिता संबंधी पाबन्दी आदेश हटा दिए जायें।

(ग) नए डाकघर खोलने के मौजूदा मानदन्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

(क) **देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर

(ख) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गाँव की आबादी 2000 या उससे अधिक होनी चाहिए

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमोटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) गाँव (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे के गाँवों के समूह) की जन-संख्या 1000 या अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे के अन्दर कोई अन्य डाकघर न हो; और

टिप्पणी :—ग्रामीण डाकघर निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं :—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र और (11) पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र। जन-जातीय क्षेत्र गृह मन्त्रालय ने निर्धारित किये हैं। डाक विकास की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मानते समय यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र का विकास प्रति डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जा रही जनसंख्या के अखिल भारतीय औसत में 100 प्रतिशत कम है।

(दो) दूसरे, जब कोई स्थान विशेष जनसंख्या/क्षेत्र की दृष्टि से अखिल भारतीय या सर्किल औसत से बहुत पीछे हो तथा जिन गाँवों में डाकघर प्रदान किए गये हों उनकी प्रतिशतता सर्किल की तुलना में कम हो तो उस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मान लिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4,805 है। पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों की विकास गति बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) "पर्वतीय क्षेत्रों" की श्रेणी समाप्त करदी गई है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र भी हैं और ये क्षेत्र स्वयं ही इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

(ख) शहरी इलाकों में डाकघर खोलने के मानदंड

निम्नलिखित शर्तों के अधीन शहरी इलाकों में डाकघर खोले जाते हैं :—

(एक) डाकघर आर्थिक दृष्टि से स्वयं पर निर्भर हों, और

(दो) 20 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1 किलोमीटर हो। अन्य शहरी इलाकों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.05 किलोमीटर हो।

सर्किल अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

बरसात के मौसम में कलकत्ता की टेलीफोन प्रणाली

1078. **श्री हन्नान मौल्लाह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता में बरसात के मौसम में टेलीफोन प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होती है;

(ख) कलकत्ता की पहले ही से खराब टेलीफोन प्रणाली को आगामी बरसात के मौसम से बचाने के लिये सरकार ने एहतियाती तौर पर क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रणाली में बड़े पैमाने पर खराबी के बारे में पिछले अनुदानों का अध्ययन किया गया है और क्या तदनुसार सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) दोषयुक्त और पुराने केबिलों का बदलना।

(दो) प्राइमरी, सैकेण्डरी और जंक्शन केबिलों का दाबीकरण।

(तीन) वितरण परिपथ जाल में जेली और केबिलों का इस्तेमाल।

(चार) केबिल डक्टों में बिछाना।

(पांच) केबिल खाइयों को बन्द करने से पूर्व उनमें पानी भरना।

(छः) केबिलों में होने वाली क्षति का तुरन्त पता लगाने के लिए केबिल मार्गों पर गश्त लगाना।

(सात) केबिलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये विभिन्न प्राधिकारियों के सथ और व्यापक समन्वय स्थापित करना।

(आठ) मरम्मत के समय को कम से कम करने के लिये उनके ऊपर अधिक सतर्कता बरतना।

(ग) जी हां।

डाक और डाक वितरण सेवाओं में सुधार

1079. **श्री हन्नान मौल्लान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक और डाक वितरण सेवाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग समूची डाक णाली का निरंतर पुनरीक्षण कर रहा है, तथा उसमें सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की ांच कर रहा है।

(ख) और (ग) डाक मानीटर करने की पद्धति में और अधिक कड़ाई लाई गई है तथा ार्य-प्रक्रिया को कारगर बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए विभिन्न सुझावो की जांच की ा रही है।

देश में रुग्ण एककों के प्रभावित कर्मचारी

1080. **श्री आयानिल अबेदिन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों में प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या रुग्ण एककों को फिर से चालू करके अथवा उन श्रमिकों के लिए वैकल्पिक ोजगार की व्यवस्था करके श्रमिकों का पुनर्वास करने की कोई जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर ै ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) ारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में उसके द्वारा अपनाई गई "रुग्णता" ी परिभाषा के आधार पर उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इन एककों में काम पर लगे ्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठी नहीं की जाती।

(ख) प्रत्येक रुग्ण औद्योगिक को फिर से चलाना सरकार न तो व्यवहार्य ही समझती । और न आवश्यक मौजूदा नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक और वित्तीय

संस्थायें नैदानिक अध्ययनों के आधार पर पुनः स्थापना योजनायें तैयार करते हैं और साथ ही पूंजी के पुनर्निर्माण, ब्याज देयताओं की वित्त व्यवस्था, आसान शर्तों पर मूल पूंजी और कार्य-चालन पूंजी, प्रबन्ध सहायता, राहत या ऋण-सेवा देयताओं की फिर से सूची भी तैयार करते हैं। सरकार ऐसी राहतें और रियायतें भी देती है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार किए पुनः स्थापना पैकेज के एक अंग के रूप में व्यवहार्य और आवश्यक हो। इसके अलावा स्वस्थ एककों द्वारा रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लिए जाने के लिए आयकर में राहत देकर उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है। तकनीकी विकास नीति तथा पुराने संयंत्रों और मशीनों को बदलने और आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत माल के आयात के बारे में आयात नीति के अंतर्गत सहायता भी उपलब्ध है। इन उपायों को सही ढंग से लागू करने से संभावत: जीव्य रुग्ण औद्योगिक एकक के फिर से चालू होने की आशा है।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में टेलीफोन और तार सेवाओं में गिरावट

1081. **श्री अजीत कुमार साहा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानी गंज वाणिज्य मंडल रानीगंज (पश्चिम बंगाल) से 8 दिसम्बर, 1984 को कोई ज्ञापन मिला है जिसमें शिकायत ज्ञापन की गई है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र में टेलीफोन और तार सेवायें खराब हो रही हैं;

(ख) उनकी शिकायतों और सुझावों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) रानीगंज के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में टेलीफोन तार सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत के ब्यौरे निम्न लिखित हैं :—

(एक) अवरुद्ध डायल टोन और अपर्याप्त ग्रुप डायलिंग सर्किट

(दो) 27 नवम्बर 1984 को टेलीफोन सेवाओं का अव्यवस्थित हो जाना और खराबी का लगातार बने रहना।

सुझाव

(एक) स्थिति का निरीक्षण करने और उपचारी कदम उठाने संबंधी। सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय विशेषज्ञ दल तैनात करने का अनुरोध।

(दो) सभी एक्सचेंजों के कार्यकरण के स्तर में सुधार लाना।

(ग) रानीगंज के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में टेलीफोन/तार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) ग्रुप डायलिंग प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए ग्रुप डायलिंग एक्सचेंजों के जंक्शन नेट वर्क में विस्तार किया जा रहा है।

(दो) जमूरीहाट एम. एक्स. II का 100 से 200 लाइनों में विस्तार किया गया है।

(तीन) बहुला एक्सचेंज का 300 से 400 लाइनों में विस्तार किया जा रहा है।

(चार) आसनसोल और बादाकर के बीच एक 300 चैनल पी. सी. एम. प्रणाली स्थापित की जा रही है और बेहतर सेवा क्षमता और कार्य निष्पादन के लिए बाराकर से एस. टी. डी. सर्किटों को इस पी. सी. एम. प्रणाली के जरिये लगाया जायेगा।

(पांच) रानीगंज कोयला क्षेत्र में इन सेवाओं में सुधार लाने के लिए अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(छः) सातवीं योजना अवधि में ग्रुप डायलिंग नेटवर्क में विभिन्न एक्सचेंजों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाने की योजना है :—

1. आसनसोल—2400 से 3000 लाइनों में विस्तार
बाराकर—500 से 900 लाइनों में विस्तार
बुर्नपुर—400 से 500 लाइनों में विस्तार

2. रानीगंज 1300 लाइनों के एम. ए. एक्स. II के स्थान पर 2000 लाइनों के आई. सी. पी. क्रासबार की स्थापना करना

3. अन्डल और पंडवेश्वर के मौजूदा एम. ए. एक्स. III एक्सचेंजों को एम. ए. एक्स. II एक्सचेंजों से बदलना तथा इन्हें ग्रुप डायलिंग नेटवर्क में शामिल करना।

4. आसनसोल एम. ए. एक्स. I के स्थानीय क्षेत्र के भीतर कुमारपुर में यूनिट II एम. ए. एक्स. 1 खोलना

5. रानीगंज के मौजूदा संयुक्त डाक तार घर के स्थान पर विभागीय तारघर स्थापित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। यह रानीगंज क्षेत्र के तार परियात को तेजी से निपटाने तथा बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक होगा।

न्यू अपर चैबीडांगा आसनसोल के समीप श्रीपल्ली हिल व्यू में डाकघर खोलना

1082. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल के सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र में से न्यू अपर चैबीडांगा के समीप श्री पल्ली हिल व्यू में एक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी नहीं। अपर चैलीडांगा में पहले ही एक वितरण उप डाकघर है जिसके वितरण अधिकार क्षेत्र के अधीन (1) आसनसोल कोर्ट (2) हिल व्यू (3) कुमारपुर स्थित तीन गैर वितरण उप डाकघर हैं जो. इस क्षेत्र में डाक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन

1083. **श्री अजीत कुमार साहा :**

श्री नरसिंह मकवाना :

क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मिटटी केतेल की मांग कितनी है तथा उसका राज्यवार क्या ब्यौरा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और माहवार कितना आवंटन किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और माहवार वास्तविक प्रति कितनी की गयी;

(घ) क्या मांग और पूर्ति के बीच कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(च) पूर्ति बढ़ाकर अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी के तेल की आवश्यकता के मूल्यांकन का आधार पिछले वर्ष की 4 महीनों की तद्नुरूपी ब्लाक अवधि के दौरान किए गए आबंटन पर और 5 प्रतिशत वृद्धि देकर करना है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान किए गए आबंटन और बिक्री को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तीन वर्षों का माह-वार ब्योरा देने में लगने वाला समय व श्रम प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) से (च) विवरण-पत्र को देखने से पता चलता है कि मुख्यतः आबंटन के अनुरूप ही हुई है।

आबंटन की वर्तमान प्रणाली के मूल्यांकन तथा राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन के अपनाई जाने वाली नीति के तर्काधार के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है। इस समिति से जुलाई, 1985 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1982, 1983 और 1984 में किए गये मिट्टी के तेल के राज्यवार आबंटन और बिक्री

(आंकड़े मी. टनों में)

क्रम सं	राज्य/संघ का नाम	1982		1983		1984	
		आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
1	2		3	4		5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	377500	369845	390920	391987	410480	409100
2.	अरुणाचल प्रदेश	5700	4960	6050	4483	6340	6432
3.	अण्डमान और निकोबार	2400	1173	2300	1462	2060	1778
4.	असम	141410	141129	163500	152665	171270	171777
5.	बिहार	265900	263208	278410	272277	298250	296328
6.	चण्डीगढ़	12600	12370	13360	13210	14228	14530
7.	दादर और नागर हवेली	2400	2839*	1900	2054*	2060	4321*
8.	दिल्ली	152200	147360	159237	153165	164090	162390
9.	गुजरात	486800	488868	505900	499507	538880	537200
10.	गोआ, दमन और दीव	17900	15685 =	20100	16147 =	21140	18484 =
11.	हरियाणा	91312	92050	98628	101040	110020	113890

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हिमाचल प्रदेश	20600	20510	22100	21271	24390	23493
13.	जम्मू और कश्मीर	39100	37590	42180	44129	46690	46980
14.	कर्नाटक	283700	275375	292000	282893	309660	303917
15.	केरल	150700	144880	158150	152662	171580	170185
16.	मध्य प्रदेश	216200	218867	236320	229503	255120	252164
17.	महाराष्ट्र	928397	920819	979786	950347	1024680	1022820
18.	मणिपुर	11800	11665	14150	13046	14840	14906
19.	मेघालय	9100	7047	10490	9953	10380	10794
20.	मिजोरम	4400	2694	3820	3365	41410	3860
21.	नागालैंड	5800	5202	6010	6236	6900	7002
22.	उड़ीसा	96046	85498	91570	90868	100900	99004
23.	पंजाब	184000	195990	207290	206187	201010	223080
24.	पाण्डिचेरी	8900	8278	9240	9139	10200	9710
25.	राजस्थान	151900	151130	159570	157704	172380	172458
26.	सिक्किम	5700	2783	4540	3489	5060	2938
27.	तमिलनाडु	416500	408348	437010	425007	460085	460786
28.	त्रिपुरा	13000	11180	13350	11686	15030	12248
29.	उत्तर प्रदेश	539591	543740	600760	599006	638520	640889

		439900	442177	475270	475721	526600	529076
31.	लक्ष्यद्वीप	360	एन ए	360	एन ए	606	एन ए
	योग	5081856	503531	5404381	5302740	5757743	5746554

*दमन और दीव में बिक्री सम्मिलित है।

= दमन और दीयू में बिक्री सम्मिलित नहीं है।

एन ए का तात्पर्य "उपलब्ध नहीं है" से है।

श्री लंका की नौसेना की नौकाओं द्वारा भारतीय समुद्री सीमा का अतिक्रमण

1084. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को नौसेना की नौकाओं द्वारा भारतीय समुद्री सीमा का हाल ही में कोई अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तट रक्षक और नौसेना गश्ती नौकाओं द्वारा पाक खाड़ी क्षेत्र की भारतीय सामुद्रिक सीमा में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके लिए हवाई सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजनयिक माध्यमों से भी यह मामला उठाया गया है और बड़ा विरोध प्रकट किया गया है।

पश्चिम बंगाल में बंद पड़े औद्योगिक एकक तथा उन्हें पुन: खोलने/उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए कार्यवाही

1085. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31 दिसम्बर, 1985 को कितने बड़े और छोटे औद्योगिक एकक बंद पड़े थे;

(ख) राज्य में भारतीय औद्योगिक पुन: निर्माण निगम के प्रबन्ध के अधीन कितने एकक हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या बंद पड़े उक्त किसी एकक को पुन: खोलने, उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह शर्त रखी है कि राज्य सरकार सम्बन्धित एकक को सभी पिछली देनदारियाँ स्वीकार किये जाने पर ही उसका राष्ट्रीय किया जा सकता है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) देश में बंद पड़े औद्योगिक एककों के संबंध में सूचना और उनसे संबंधित ब्यौरे इस मन्त्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत फैक्टरियों पर जो दीर्घावधि अथवा अल्पावधि के लिए बंद पड़ी है श्रम मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से एकत्र सूचना, इण्डियन लेबर जर्नल में प्रकाशित स्टैंडर्ड टेबूलेटेड फार्म में दी जाती है जो श्रम ब्यूरो, भारत सरकार का मासिक प्रकाशन है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार में लिए गए निम्नलिखित उपक्रमों का संचालन इस समय भारयीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है :—

(1) मै. बंगाल पाटरीज लिमिटेट।

(2) मै. दुर्गा कांटनस्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड।

(3) मै. इण्डिया मशीनरी कं. लिमिटेड।

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: चलाने अथवा राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 को जारी किए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विचार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषतायें पहले ही लोक सभा में 23.1.85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में दी जा चुकी है। विद्यमान नीति के अनुसार, सरकार रुग्ण एकक को पुन: जीवित करने/राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि एकक निकट भविष्य में जीव्य बन सके।

(घ) ऐसा कोई सामान्य विचार नहीं किया गया है। फिर भी, क्या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले किसी प्रस्तावित एकक का पहले से ली गई देयताओं को उनके द्वारा पूरा किया जायेगा, यह ऐसे देयताओं के स्वरूप पर निर्भर करता है।

रुग्ण उद्योगों को दिया गया ऋण

1086. **श्री अजय विश्वास :**
श्री चित्त महाटा :
श्री अमल दत्त :

क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण उद्योगों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गए हैं :

(ख) क्या सभी रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई "रुग्णता" की परिभाषा के अनुसार रुग्ण औद्योगिक एककों एवम् उनके पास बकाया बैंक ऋणों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकटठे किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31-12-1983 को बैंकों

द्वारा सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के पास 3, 101 करोड़ रु. की राशि बकाया थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के राष्ट्रीयकरण पर विचार, अक्तूबर, 1981 में रुग्ण उद्योगों के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये नीति संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर, इनके गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। सरकार के लिए प्रत्येक रुग्ण एकक को बन्द होने से रोकना अथवा रुग्णता के कारण बन्द हुए एकक को पुनर्जीवित करना न तो सम्भव है और न ही आवश्यक है न ही आवश्यक है। फिर भी, विशेष उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय हित में उत्पादित वस्तुओं की दीर्घकालीन जीव्यता एवम् जटिलता को देखते हुए सरकार इनमें से कुछ उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करती है।

पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डे

1087. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अमरीका के 3.2 बिलयन डालर के वर्तमान अधिकांशत: सैनिक सहायता कार्यक्रम के बदले में अमरीकी सेना को अपने समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में और थल पर सैनिक अड्डे बनाने की छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी रक्षा मन्त्री द्वारा हाउस की विदेशी मामलों संबंधी समिति के समक्ष सुरक्षा सहायता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दिए गए साक्ष्य का गहराई से अध्ययन करने पर उक्त तथ्य का पता चलता है;

(ग) यदि हां तो क्या भारत ने इन समाचारों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान ने अमरीका को किन-किन स्थानों पर अपनी सेना के अड्डे बनाने की अनुमति दी है; और

(ङ) पाकिस्तान द्वारा अमरीका को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दिए जाने से भारत की सुरक्षा को किस सीमा तक खतरा पैदा हो गया है और इस बारे में भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में सैनिक अड्डों को सुविधाएं प्राप्त करने के बारे में सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टें देखी हैं। अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि वे पाकिस्तान में सैनिक अड्डे बनाने की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

(ख) इसका अनिवार्य रूप से ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उसके लिए आवश्यक उचित कदम उठाती है।

ब्रिटेन के साथ हुए रक्षा समझौतों का कार्यान्वित न होना

1088. **श्री बी. बी. देसाई :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भावी रक्षा अनुबन्धों को कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने भारत के प्रति भारी नाराजगी प्रकट की है;

(ख) क्या इससे दोनों देशों के बीच हुए व्यापार और रक्षा संबंधी वार्ताओं पर भारी प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या रक्षा संबंधी मदों पर किये गये समझौतों में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) दोनों देशों के बीच हुए उन रक्षा अनुबन्धों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक क्रियान्वित होना था; और

(च) क्या रक्षा संबंधी मदों के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के बारे में भारत ने आगे कार्यवाही नहीं करने का फैसला किया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) ब्रिटेन के साथ रक्षा मदों की खरीद के लिए समझौता वार्ताएं निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) दोनों देशों के बीच समझौता वार्ताओं या किए गए ठेकों या करारों के ब्यौरे देना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु क्षेत्र में बड़े क्षेत्र के एककों का प्रवेश

1089. **श्री बी.बी. देसाई :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े क्षेत्र के ऐसे एककों को अनुशासित करने में सफल रही है; जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) क्या लघु उद्योगों के हित की रक्षा करने संबंधी सरकार के विधान का अब तक कारगर रूप में क्रियान्वयन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) बड़े एककों ने कितने आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश किया है और उन एककों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लघु एककों का बड़े एककों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु कुछ वस्तुएं आरक्षित कर रही है। जहाँ तक आरक्षित क्षेत्र में बड़े घरानों के प्रवेश को रोकने की व्यवस्था का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक लघु अथवा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम, जिसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण किसी अन्य उपक्रम द्वारा किया जाता है या जो किसी अन्य उपक्रम की सहायक कम्पनी है, उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 के लाइसेंस संबंधी उपबन्धों से छूट पाने का पात्र नहीं है। अतः किसी भी बड़े घराने द्वारा औद्योगिक लाइसेंस लिए बिना किसी भी लघु एकक की स्थापना करना अवैध होगा तथा उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी लघु उपक्रम का पंजीकरण न करें जिनका स्वामित्व अथवा नियंत्रण किसी अन्य उपक्रम द्वारा किया जाता है या वह उस उपक्रम की एक सहायक कम्पनी हो। यह भी प्रावधान किया गया है कि लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बड़े अथवा मझौले उपक्रम को अपने उत्पादन के न्यूनतम 75 प्रतिशत तक निर्यात का उत्तरदायित्व लेना होगा।

(ख) से (घ) यह जांच करने के लिए कि क्या किसी बड़े एकक ने लघु क्षेत्र के आरक्षित क्षेत्रों में अप्राधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया है, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

फ्रांस से मिराज विमानों की खरीद

1090. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री जी.जी. स्वैल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस से "मिराज" विमानों की खरीद के सौदे के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) "मिराज" विमान कब तक प्राप्त होने शुरू हो जाने की संभावना है तथा आर्डर दिए गए सभी विमान कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(ग) उक्त सौदे की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या हाल ही में जासूसों के गिरोह के पकड़ जाने का उक्त सौदे पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) 1982 में 40 विमानों की खरीद के लिए हुए ठेके पर मिराज-2000 विमानों की सुपुर्दगी आरम्भ हो गई है। सभी विमान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिलने की संभावना है।

(ग) यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1091. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय वायुसेना का एक विमान देश के पश्चिम क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां :

(ख) और (ग) एक जांच अदालत दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा अधिगृहीत रुग्ण एककों को रियायतें

1092. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा अधिगृहीत रुग्ण एककों को अधिक रियायतें देने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त रियायतें देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) इस समय उन कर्मचारी सहकारी समितियों को अधिक रियायतें देने के लिए कोई अलग योजना नहीं है जो रुग्ण औद्योगिक एककों का अभिग्रहण करती हैं। तथापि, इस प्रकार की कर्मचारी सहकारी समितियों से सहायता हेतु प्राप्त अनुरोधों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर

1093. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में देश में वर्ष 1980-85 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक वृद्धि की दर 8 प्रतिशत रखी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान (1984 तक) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही तथा केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं तथा विभिन्न राज्यों की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए छठी योजना में कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था तथा ऐसी परियोजनाओं पर (1983-84) तक राज्य-वार वास्तव में कितना व्यय किया गया ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक सर्वेक्षण, 1984-85 के अनुसार छठी योजना अवधि में उद्योग की विकास दर लगभग 6 प्रतिशत निकलती है। राज्यवार औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जो कुछ राज्यों द्वारा संकलित किए गए हैं छठी योजनावधि से पहले के हैं। उद्योग और खनिजों हेतु राज्यवार छठी योजना परिव्यय संबधी जानकारी योजना आयोग द्वारा प्रकाशित संबधित वार्षिक योजना प्रलेख में उपलब्ध है।

मोटर एण्ड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

1094. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के संबंध में दिनांक 25 जनवरी, 1985 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मंत्री द्वारा उक्त पत्र में उठायी गयी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि मै. मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड को मै. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत इन्जीनियरिंग उपक्रम के साथ संलग्न कर दिया जाए।

(ग) और (घ) किसी अन्य सरकारी उपक्रम द्वारा इसके अभिग्रहण की संभावना का पता लगाने के लिए इस उपक्रम की अभिग्रहण अवधि को 30.4.85 तक बढ़ा दिया गया है।

इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड हावड़ा को सूची से निकालना

1095. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि इस तथ्य के बावजूद कि सभी विशेषज्ञ समितियों ने विचार व्यक्त किया था कि हावड़ा स्थित इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती है और इस तथ्य के बावजूद भी कि भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम द्वारा मार्च, 1982 में इसके राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई थी, इस कम्पनी को नवम्बर 1983 में सूची से निकाल दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस मामले पर पुनः विचार करने और इसे रेलवे का एक आरक्षित एकक बनाने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क). इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स के प्रबन्ध को अनधिसूचित करने का निर्णय उपक्रम की तात्कालिक तथा दीर्घकालीन जीव्यता तथा इसके द्वारा उत्पादित सामान की जटिलता पर गंभीर रूप से विचार करने के बाद लिया गया था।

(ख) जी नहीं। रेलवे के आन्तरिक एकक के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर भी उपक्रम की संभाव्यता की जांच की गई थी परन्तु यह व्यवहार्य नहीं समझा गया।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी का दो रिफ्रेक्ट्रीस यूनिटों को बन्द करने का प्रस्ताव

1096. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी ने घाटे में चल रही दो रिफ्रैक्टरी यूनिटों को बन्द करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने 20 मई, 1985 से अपने दुर्गापुर कारखाने और रानीगंज नम्बर 2 कारखाने को बन्द करने के नोटिस दिए हैं जिनमें औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत कारखाने बन्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय की अनुमति मांगी गई है। मामला विचाराधीन है।

आशय-पत्रों के लिए आवेदन पत्र

1097. श्री मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान आशय-पत्र मंजूर किए जाने के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने आशय-पत्र मंजूर किए गए;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1983—और 1984 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक लाइसेन्सों की मंजूरी हेतु 5375 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि में कुल 2103 आशय पत्र जारी किए गए थे।

(ग) जी हां।

(घ) 211 आवेदन प्रवासी भारतीयों से प्राप्त हुए थे। इनमें से 68 आशय पत्र जारी किए जा चुके और 109 आवेदन अस्वीकृत कर दिए हैं।

पश्चिम बंगाल में नेशनल टेनरी कंपनी लिमिटेड की पुनः स्थापना

1098. श्री आनन्द पाठक :

श्री अमुल हक :

क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में नेशनल टेनरी कंपनी लिमिटेड के पुनः स्थापन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके पुनः स्थापन हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इसे अधिगृहीत करके राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के अधीन रखने अथवा इसका सीधे राष्ट्रीयकरण करने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागजों का मूल्य ढांचा

1099. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का निर्माण करने वाले एकक निर्धारित कार्य क्रम के अनुसार स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज का संभावित मूल्य ढांचा क्या है तथा किस्म और मूल्यों की दृष्टि से आयातित अखबारी कागज से इसकी कहां तक तुलना की जा सकती है; और

(घ) क्या सरकार अखबारी कागज के उत्पादन हेतु किसी वैकल्पिक कच्ची सामग्री पर विचार कर रही है;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) देश में अखबारी कागज बनाने के लिए विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के अलावा' औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र देकर 5.83 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है। ये कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज का पूर्वप्रत्याशित लागत, ढांचा परियोजना की निवेश लागत कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की लागत पर निर्भर करेगा। स्वदेशी अखबारी कागज की किस्म मोटे तौर पर आयातित अखबारी कागज की किस्म के समान ही होने की संभावना है।

(घ) स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता का अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में खोई और रद्दी अखबारी कागज के उपयोग पर आधारित होगा।

राजस्थान में जयपुर और जिला मुख्यालयों के बीच एस. टी. डी. सुविधा लागू करना

1100. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री राजस्थान में जयपुर जिला मुख्यालयों के बीच एस. टी. डी. सुविधा आरम्भ करने के बारे में 22 जनवरी, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या-111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में किन-किन जिला मुख्यालयों को 1985, 1986 और 1987 में जयपुर के साथ एस. टी. डी. द्वारा जोडा जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 1985, 1986 एवं 1987 के दौरान राजस्थान में जयपुर के साथ एस. टी. डी. द्वारा जिन जिला मुख्यालयों को जोड़ने का प्रस्ताव है उनके नाम इस प्रकार हैं :-

1985	धौलपुर
1986	जोधपुर
1987	बीकानेर एवं श्रीगंगानगर,

मारुति कारों का उत्पादन और स्तर

1101. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने एक वर्ष की अवधि में 10,000 कारें बेची हैं और अगले वर्ष इसका 40,000 कारों की सुपुर्दगी देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके स्तर और किस्म को भी बनाए रखा जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1984-85 में मारुति उद्योग 20,000 कारें तथा 2000 वैनें बेचेगा और 1985-86 में लगभग 36000 कारों तथा 12000 वैनों का निर्माण करने की योजना है।

(ख) गुणवत्ता बनाये रखने को सर्वोच्च प्रथमिकता देना कम्पनी की नीति है।

राजनन्द गांव से दिल्ली तक सीधी डायल सेवा

1102. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनन्द गांव और दिल्ली अथवा अन्य किसी नगर के बीच एस. टी. डी. सुविधा प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एस.टी.डी. सेवा कब तक प्रारम्भ की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) राजनन्द गांव को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायपुर में नई छावनी

1103. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में रायपुर में एक छावनी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए रायपुर का चयन करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागेतर डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1104. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेतर डाक कर्मचारियों को पिछले 12 महीने में कोई वेतन वृद्धि मंजूर की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम बार उनके वेतन में कब संशोधन किया गया था ?

(ग) क्या वे अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के समेकित भत्ते में 1-9-84 से संशोधन किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने अभी हाल ही में एक सदस्य समिति नियुक्त की है जो डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच कर रही है।

कलकत्ता में सिटी टेलीफोन एक्सचेंजों में रेडियो तथा आप्टिकल फाइबर केवल प्रणाली

1105. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता शहर में सिटी टेलीफोन एक्सचेंजों में रेडियो तथा आप्टिकल फाइबर केबिल प्रणाली की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कलकत्ता में टेलीफोन एसक्चेंजों में इस प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1 **रेडियो प्रणालियां** :

13 जी एच जैड में 5 रेडियो प्रणालियों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है तथा वे स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। 13 जी एच.जी.जेड बैंड में 18 रेडियो प्रणाली तथा यू.एच.एफ बैंड में 12 प्रणालियां स्थापित करने के प्रस्तावों का सर्वेक्षण तथा व्यवहार्य अध्ययन भी किया जा रहा है।

2. **आप्टीकल फाइबर प्रणालियाँ** :

140 एम. बी. एस. क्षमता की लगभग 14 प्रणालियों में काम करने के लिए लगभग 100 कि.मी. आप्टीकल फाइबर केबिल की योजना पर विचार हो रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1106. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य वार कितने मिनी-सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) मिनी-सीमेंट संयंत्रों का कार्यकरण कहाँ तक सफल रहा है;

(ग) क्या हरियाणा राज्य में 1985-86 के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

राज्य	इकाइयों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	7
बिहार	1
गुजरात	5
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	1
उड़ीसा	1
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	1

(ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों का कार्य संचालन अब तक सामान्यतया संतोषजनक पाया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों/तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास किए गए पंजीयन के अन्तर्गत हरियाणा में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, फिर भी हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो प्रस्तावों के सम्बन्ध में हरियाणा वित्तीय निगम, चण्डीगढ़ द्वारा ऋणों की मंजूरी दी गई है। इन दो एककों से सम्बन्धित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. मै. स्वराज्य सीमेंट उद्योग (प्रा.) लिमिटेड, गुड़गांव।
(आंशिक रूप में ऋण दे दिया गया है।)

2. मै. तारा सीमेंट (प्रा.) लिमिटेड, नारनायल जिला, रेवाड़ी।
(ऋण मंजूर हो गया है परन्तु अभी तक लिया नहीं गया है)।

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलना और सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

1107. **श्री [illegible] सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान हरियाणा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं ? और

(ग) इसके लिये यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है तो कितनी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण एक और दो में दी गई है। यह वित्तीय और साज सामग्री संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) उपर्युक्त कार्य के लिए अपेक्षित निधि निदेशालय द्वारा सर्किल हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये आवंटित एक मुश्त निधि से पूरी की जाएगी।

विवरण

1985-86 और 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज

1985-86	1986-87
1	2
1. सौगा	1. बड़ा गांव
2. लौहारी	2. माराबाड़
3. मलिकपुर	3. मोधान
4. मानवाल	4. सामलखालम
5. चम्बेल	5. बारोदा
6. पाबरा	6. सालावास

1	2
7. ब्यास	7. मोहनी
8. मंगल-सारोही	8. घोज
9. मंडकोला	9. गोदपुरी
10. बधा	10. जाटबेर
11. फतेहपुर बलोच	11. मोहरा
12. क्योरक	12. रामगढ़
13. खेरीलक्खासिंह	
14. रामथली	

छोटे टैलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये स्थानों का निर्धारण प्रस्तावों की विस्तृत जांच करने के लिये कर लिया गया है। ये एक्सचेंज न्यूनतम मांग और वित्तीय व्यवहार्यता की शर्त पूरी होने पर खोले जाएंगे। तत्पश्चात एक्सचेंज उपस्कर और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही स्थापित किए जा सकेंगे।

विवरण-दो

1985-86 और 1986-87 के लिए लंबी दूरी के सार्वजनिक टैलीफोन खोलने का प्रस्ताव

(क) 1985-86

1. योलकी
2. हालीपु (हिसार)
3. अखावली (")
4. खेरुमपुर (")
5. खेरीसावे (")
6. बाथेरू (रोहतक)
7. पानीबारी (सिरसा)
8. लोहरी (गुड़गांव)
9. सुरेथी (रोहतक)
10. राजपुर (सोनीपत)
11. पालपा (रोहतक)
12. कालसोरा (हरनाल)
13. बामनाडोरी (हिसार)
14. हैड रामपुरबास (मोहिन्द्र गढ़)
15. खाबरा कलां (हिसार)
16. काबरेल (हिसार)
17. किशोरी (")
18. लालनदा (हिसार)
19. राजथल (हिसार)
20. नैलोई (कलां) (")
21. कोहली (")
22. बुन्धार (")
23. जुगलान (")
24. स्वाती (फरीदाबाद)

25. मिताबपीर (हिसार)
26. बहबालपुर (")
27. खरिया (")
28. धामन (")
29. जन्दलि कलां (हिसार)
30. इधानी (")
31. खरीकोरी (")
32. नाली (")
33. पघाना (जिंद)
34. रहाना (")
25. जल्लावान (")
36. दिदवाड़ा (")
37. पिलाना (सोनीपत)
38. खिपरू (")
39. रेरकलां (करनाल)
40. देहमौन (हिसार)
41. गदामा (रोहतक)
42. मंडवा (")
43. मंडीहरिया (")
44. जंगरोड (")
45. यमरावास (")
46. बनवासा (")
47. इवानामल (सोनीपत)
48. करोला (गुड़गांव)
49. सहशोला (")
50. बारदा (मोहिन्द्र गढ़)
51. मसनोटा (")
52. मोहब्बतपुर (")
53. रानामजरा (करनाल)
54. कुशाक (फरीदाबाद)
55. पौहरका (सिरसा)
56. मल्लिका (")
57. कालूना (सिरसा)
58. फरीदाबाद मिसा (फरीदाबाद)
59. करौला (गुड़गांव)
60. बिसालीवास (भिवानी)
61. रोहरा (करनाल)
62. कोकोट (कुरुक्षेत्र)
63. फाफारोना (")
64. डेहरी
65. कोपरा
66. गलियाना
67. रोहरा
68. सांगरी
69. नोच
70. खेरकरांजी
71. खेड़क
72. थाना
73. मीना
74. पिपलाना
75. करोरा
76. सांच
77. गिहाना
78. खारहन
79. खरोड़ी
80. खाह रोड़ी
81. मार्क

(71–81: कुरुक्षेत्र)

1986-87

1. गरौना (भिवानी)
2. लिलाम्रो (")

3. खुराखुर्द (")
4. कसानी (")
5. मंडोल (")
6. बिधवान (")
7. खेरा (")
8. कर्णपुर (")
9. ईस्सरवाल (")
10. सारल (")
11. लेगहराबानन (")
12. बागाना (")
13. शेरहा (करनाल)
14. कलखा (")
15. भांगरोली (महेन्द्रगढ़)
16. चाहरवाला (सिरसा)
17. नाथु सारी कलां (")
18. उट्टु (सिरसा)
19. सरतिया (")
20. कलूना (")
21. लोहगढ़ (")
22. साकिला खेड़ा
23. ख्यानमल खाना (")
24. मस्तान (सिरसा)
25. कोहला (सोनीपत)
26. मोई (सोनीपत)
27. जसराना (")
28. भोगीपुर (")
29. चुलकाना (")
30. नाहरी (")
31. घनकोट (गुड़गांव)
32. मालाहेरा (")
33. नाथीपुर (")
34. मोहम्मदपुर शोर (गुड़गांव)
35. जोरासी (")
36. इन्द्री (")
37. पट्टी काना (महेन्द्रगढ़)
38. कौड (")
39. नांगल कालिया (")
40. जैनबाद (")
41. लिसान (")
42. कुतबपुर भोला (")
43. सिहोल (फरीदाबाद)
44. जानौली (")
45. पिगोर (")
46. मानपुर (")
47. उतवार (")
48. अलीमू (")
49. खैर खेमवती (जींद)
50. खारावाल (")
51. खेरा करामजू (")
52. रूपगढ़ (")
53. गढ़ी जटां (करनाल)
54. खानपुर (")
55. खेरा (")
56. काबरी (करनाल)
57. बुसाना (रोहतक)
58. मोरखेरी (")
59. राबत खेड़ा (हिसार)
60. मुंडाना (")

61. कुर्दी (कुरुक्षेत्र)
62. कामोडा (")
63. रामसरन (")
64. खेड़ा (")
65. नाडा (अम्बाला)
66. मल्ला (")
67. गढ़ी (")
68. ककर माजरा (")
69. बड़ागांव (")
70. आनन्दपुर जलेबरा (")
71. मोहरी (")
72. सारना (")
73. देमला (")
74. मुंडौली (")
75. मारवा खुर्द (")
76. दारा (")
77. सरधेरी (")
78. सुल्लर (")
79. बोह (")
80. नहावानी (")
81. मानभौली (")

1981 की जनगणना के आधार पर षड भुजाकार के अन्तर्गत इन स्थानों का निर्धारण श्रेणी के स्थान के बतौर किया गया है। यह सुविधा वित्तीय और साज सामग्री साधन उपलब्ध होने पर प्रदान किए जाएंगे।

बड़ौदा टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

1108 **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा टेलीफोन जिले की टेलीफोन सलाहकार समिति जून, 1983 से जबकि पिछली टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्य काल समाप्त हुआ था, कार्य नहीं कर रही है,

(ख) क्या टेलीफोन सलाहकार समिति के न होने के कारण जनता के चुने गये प्रतिनिधी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तथा टेलीफोन प्रशासन में सुधार के लिए भी अपने सुधार नहीं दे सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बड़ौदा टेलीफोन जिले के लिये एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

(ग) बड़ौदा टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन शीघ्र किए जाने की संभावना है।

कोले बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अनुमोदन

1109. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधिकारियों, उद्योग निदेशालय, पश्चिम बंगाल तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रतिनिधियों के दल ने कोले बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अनुमोदन करने की सिफारिश करते हुए भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन उद्योग, इस्पात और खान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 27 मार्च, 1984 के अपने अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 92 सी. एम. के द्वारा कम्पनी के अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) जी हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) दल ने पंजीकरण प्रमाण पत्र पर 18,00 मी. टन की क्षमता का पृष्ठांकन करने की सिफारिश की थी जिससे कि एकक आर्थिक रूप से जीव्य हो सके। सरकार 18,000 मी. टन की क्षमता को पृष्ठांकन संबंधी सिफारिश पर पहले सहमति दे चुकी है। बशर्ते कि कम्पनी एकक के 5 वर्ष चल चुकने के बाद वर्तमान नीति के अनुसार निर्यात दायित्व पूरा करने का वचन दे। निर्यात दायित्व अनिवार्य हो गया क्योंकि बिस्कुट का उत्पाद लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है। कम्पनो तथा पश्चिम बंगाल की सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है।

डाक विभाग द्वारा कलकत्ता में 24 मंजिले भवन का निर्माण

1110. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के डाक विभाग ने कलकत्ता के बी.बी.डी. क्षेत्र में एक 24 मंजिलें भवन के निर्माण की योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता के बी.बी.डी. क्षेत्र में एक बहुमंजिले भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है :

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

बंगलौर में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

1111. **श्री बी.एस. कृष्ण अय्यर :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में खाना पकाने के गैस (एल.पी.जी.) के अब तक कितने कनक्शन दिए गए हैं;

(ख) गैस कनेक्शन के लिए अभी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ग) क्या गैस लगाने के लिए 500 रु. जमा कराने की अपेक्षा को देखते हुए निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को गैस कनेक्शन लेने में कठिनाई महसूस हो रही है; और

(घ) क्या सरकार का इस राशि को घटाकर पहले की भांति 250 रु करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) बंगलौर शहर में जारी/निलंबित कुकिंग गैस कनैक्शनों की संख्या निम्नलिखित है :—

	जारी किए गए	लंबित
1. इण्डियन आयल कारपोरेशन, 1 फरवरी, 1985 तक	97,300	700
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड—18 मार्च, 1985 तक	69,500	—
3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 28 फरवरी, 1985 तक	14,000	—

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

रक्षा प्रयोजना के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद

1112. **श्री बी.एस. कृष्ण अय्यर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जासूसी कांड के कारण पश्चिमी देशों से रक्षा के प्रयोजनों के लिए करोड़ों डालर मूल्य के आधुनिक हथियारों की खरीद का काम ढीला पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के हित में रक्षा प्रयोजनों के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद हेतु तत्काल कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) पश्चिमी देशों के साथ रक्षा मदों की खरीद के लिए समझौता-वार्ताएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहीं हैं। इस संबंध में ब्यौरें प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

हल्दिया में "कोकिंग केटालिस्ट" निर्माण के लिए लाइसेंस

1113. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से हल्दिया में "कोकिंग केटा-लिस्ट" का निर्माण करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार का कब तक लाइसेंस देने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उन्होंने हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कोकिंग केटेलिस्ट के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने हेतु मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. के आवेदनपत्र को अनुशंसित किया है।

(ख) प्रस्ताव को सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि इसके निर्माण की पर्याप्त क्षमता एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम मै. प्रोजक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. के पक्ष में अनुमोदित कर दी गई है तथा और क्षमता के लिए लाइसेंस देने की कोई गुन्जाइश नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान औद्योगिक विकास

1114. **श्री बी.वी. देसाई** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र औद्योगिक विकास दर 7.5 प्रतिशत से अधिक होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग के चुनोदा क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में वर्तमान प्रवृति तथा औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में समग्र वृद्धि के आधार पर ऐसी आशा की जाती है;

(ग) क्या आधारभूत ढांचा उद्योगों का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट समझा गया है;

(घ) क्या औद्योगिक विकास पर कुछ मौसमी (सीजनल) कारणों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास में किस सीमा तक सुधार लाने पर विचार किया जा रहा है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक अनन्तिम के आधार पर औद्योगिक उत्पादन में वर्ष अप्रैल-नवम्बर, 1983 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1984 के दौरान 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक समीक्षा 1984-85 के अनुसार इस वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) 6 अवस्थापना उद्योगों अर्थात बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, क्रूड पेट्रोलियम और सीमेंट के उत्पादन के सूचकांकों में एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1984-85 के दौरान 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(घ) और (ङ) औद्योगिक उत्पादन पर विभिन्न मौसमी कारकों का असर पड़ता है। किन्तु यह असर अलग-अलग उद्योग में भिन्न होता है।

(च) सातवी योजना (1985-90) की नीति-पत्र में इस योजनावधि के दौरान 7 प्रतिशत को औसत वार्षिक विकास दर का अनुमान लगाया गया है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1115. **श्री अमर सिंह राठवा :**

कुमारी पुष्पा देवी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में गैस पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्रों को स्वीकृत दी गई,

(ख) उनमें से कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं वे किन-किन स्थानों में हैं तथा प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस पर आधारित उर्वरक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) चार उर्वरक संयंत्रों, दो थाल वैसठ, महाराष्ट्र में और दो हाजिरा गुजरात में, के अलावा चरणबद्ध रूप से गैस पर आधारित 6 अन्य उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। थाल वैसठ में स्थित दो संयंत्र यांत्रिक रूप से पूर्ण कर लिए गए हैं और हाजिरा में स्थित संयंत्रों को यांत्रिक रूप से शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाने की आशा है। गैस पर आधारित अन्य 6 उर्वरक संयंत्रों में से 3 की स्थापना के लिए कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है। गैस पर आधारित शेष 3 उर्वरक संयंत्र भी चरणबद्ध रूप में हाथ में लिए जाने की आशा है। इन संयंत्रों के स्थान, उत्पादन क्षमता और फेजिंग से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गैस पर आधारित इन 10 संयंत्रों के अलावा नामरूप—3 विस्तार उर्वरक संयंत्र, जो गैस पर ही आधारित है, के 1986 के मध्य में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में उर्वरक परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

विवरण

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

क्र.सं.	स्थान	उत्पादन	जीरो डेट यांत्रिक रूप से पूर्ण
1.	थाल वेसठ, महाराष्ट्र	अमोनिया:2 × 1350 टी.पी.डी. यूरिया:3 × 1500 टी.पी.डी.	यांत्रिक रूप से पूर्ण हो गया है।
2.	हाजिरा, गुजरात	अमोनिया:2 × 1350 टी.पी.डी. यूरिया:4 × 1100 टी.पी.डी.	यांत्रिक रूप से शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।
3.	विजयपुर (जिला,गुना) मध्य प्रदेश	अमोनिया:1350 टी.पी.डी. यूरिया:2200 टी.पी.डी.	1-6-1984
4.	आंवला, बरेली जिला, उ.प्र.	अमोनिया 1350 टी.पी.डी. यूरिया 2200 टी.पी.डी.	1.10.1984
5.	जगदीशपुर, सुलतानपुर जिला, उत्तर प्रदेश	अमोनिया 1350 टी.पी.डी. यूरिया 2200 टी.पी.डी.	1.3.1985
6.	बिलोपा गांव,सवाई माधोपुर जिला-राजस्थान	अमोनियाः 1350 टी.पी.डी. यूरिया 2200 टी.पी.डी.	1.4.1985
7.	बबराला, बदायु जिला,उ.प्र.	अमोनियाः 1350 टी.पी.डी. यूरियाः 2200 टी.पी.डी.	1.10.1985
8.	शाहजहांपुर जिला, उ.प्र.	अमोनिया 1350 टी.पी.डी. यूरियाः 2200 टी.पी.डी.	1.4.1986

प्रचार तथा विज्ञापन पर व्यय

1116. **श्री अजय विश्वास :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उदयनों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रचार तथा विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या विज्ञापनों के सम्बन्ध में इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कोई नीति है; ौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) द्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सरकारी क्षेत्र के पक्रमों द्वारा प्रचार और विज्ञापनों पर वर्ष 1982-83 में 657.89 लाख रुपए तथा वर्ष 983-84 में 772.46 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ख) और (ग) नीति सम्बन्धी एक मामले के रूप में, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से वल उन्हीं विज्ञापन अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा गया है जो प्रत्या-त और विज्ञापन एव दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की नामिका में ामिल हों ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपयुक्त छवि प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ीनता प्रदान की जा सके।

सहायक उद्योगों को सहायता

1117. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहायक उद्योगों को मदद करने के लिए कार्यवाही करने का ोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या लघु एककों के संरक्षण के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के ाचाराधीन है; और

(ग) सहायक उद्योगों की मदद करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ; हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ा मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर बढ़िया किस्म ं वस्तुओं का उत्पादन करके मूल-भूत एककों की जटिल प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा ने की दृष्टि से सरकार का विचार सहायक एककों के संयंत्र और मशीनों में किए जाने वाले वेश की विद्यमान 25 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर देने का है।

तेल का पता लगाने के लिए तेल-क्षेत्र उपकरणों की खरीद

1118. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में बढ़े हुए तेल की खोज के लिए तीव्रता से चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए तेल क्षेत्र उपकरणों की खरीद का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त काम के लिए कितने अतिरिक्त तेल क्षेत्र उपकरण खरीदने का प्रस्ताव है और उनका कुल मूल्य कितना है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्विति में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 की योजना के अनुसार, लगभग 2097 करोड़ रुपए मूल्य के तेल क्षेत्र उपस्कर प्राप्त किए जाने हैं। विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया के आधार पर खरीद प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए पृथक प्रस्ताव सरकार के पास आते हैं। इन प्रस्तावों पर तत्काल कारंवाई की जाती है।

रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक/उपक्रम

1119. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक सुसज्जित एकक/उपक्रम, विशेषरूप से नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड, पश्चिम बंगाल, परिष्कृत आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अत्यन्त भारी खर्च से बचाने हेतु प्रशासन की एकरूपता और उत्पादकता मे प्रभावी वृद्धि और काम में सफाई आदि होने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा उनको आयुध एकक के साथ सम्बद्ध न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के भी उपक्रम हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

इसके अतिरिक्त, रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिविल क्षेत्र में विद्यमान क्षमता का भी उपयोग किया जा रहा है। सिविल क्षेत्र अधिकतर सिविल मार्किट के लिए सामान का निर्माण करता है इसलिए उसे रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया है।

जहां तक कलकत्ता स्थित नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का संबंध है, उनके अपने वर्तमान उत्पादन में वहां केवल 12 प्रतिशत मदें रक्षा कार्यों के लिए तैयार की जाती हैं।

हावड़ा को पिछड़ा जिला घोषित करने संबंधी पात्रता

1120. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से किसी जिले अथवा क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या इस दृष्टि से हावड़ा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति स्थापित करने का है जो यह पता लगायेगी कि भारत में एक समय के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अब उद्योग क्यों धराशायी होते जा रहे हैं, और जो इसके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगी;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का दिसम्बर, 1969 में सुझाव दिया था।

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यानों/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या जिला खाद्यानों/नक़दी फसलों का मुख्य रूप से उत्पादक है (अन्तर-जिला मिलान परिवर्तन की खाद्यानों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन की परहें, जहां कहीं आवश्यक होता है, पूर्व-निर्धारित आधार पर तय की जा सकती है)।

(2) कृषि कामगारों में जनसंख्या का अनुपात।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

(4) प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार फैक्टरी में कर्मचारियों की संख्या अथवा प्रति लाख जनसंख्या में द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या।

(5) प्रति व्यक्ति बिजली की खपत।

(6) जनसंख्या के संदर्भ में पक्की सड़कों की लम्बाई या जनसंख्या के संबंध में रेल की मील दूरी। यह भी सूचित किया गया कि राज्य औसत से काफी नीचे वाले सूचकांकों के उन जिलों को वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिए चुना जाए।

तदनुसार, 246 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा निर्धारित किया गया जो रियायती वित्त संबंधी सुविधाओं के पात्र थे। इनमें से, 101 जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता स्कीम के अन्तर्गत लाभों के लिए और निर्धारित किया गया इन सूचियों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

नवम्बर, 1981 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के आधार पर भारत में उन सभी जिलों का त्वरित निर्धारण किया गया जिनमें कोई बड़ा अथवा मध्यम उद्योग नहीं था। ऐसे 90 जिलों को निर्धारित किया गया। और श्रेणी "क" में रखा गया।

1.4.1983 से सभी निर्धारित पिछड़े और उद्योग रहित जिलों को 3 श्रेणियों अर्थात "क", "ख" और "ग" में निम्नप्रकार से वर्गीकृत किया गया :—

श्रेणी "क" :— इसमें उद्योग रहित जिले और विशेष क्षेत्र जिले शामिल हैं।

श्रेणी "ख" :— इसमें केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने वाले जिले शामिल हैं। इसमें श्रेणी "क" में सम्मिलित जिले शामिल नहीं हैं।

श्रेणी "ग" :— इसमें रियायती वित्त वाले जिले शामिल है, जिनमें श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" में सम्मिलित जिले शामिल नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी नहीं, इस प्रकार की समिति की समिति को गठित करना राज्य सरकार का कार्य है।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधार

1121. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सी. जंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने लोक सभा और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के लिए हाल में हुए साधारण निर्वाचन में हुए अनुभव के आधार पर निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार. निर्वाचन आयोग से ऐसे प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रही है। आयोग ने सूचित किया है कि वह दिसम्बर, 1984 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन और हाल ही में हुए

राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के दौरान प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए, निर्वाचन संबंधी सुधारों पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। आयोग मुख्य निर्वाचन आफिसरों की रिपोर्टों और राजनैतिक दलों और अन्यों से बड़ी सख्या में प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात ही अपनी सिफारिशें भेजेगा।

इदुकी और बेनाड जिलों (केरल) में उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता

1122. **प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इदुकी और बेनाड जिलों में बड़े और मध्यम दर्जे के कोई उद्योग नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इन दो जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए केरल से, कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार इन "उद्योग रहित जिलों" में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की पात्र है। इस संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत में नारियल जटा उत्पादनों की छूट युक्त बिक्री

1123. **प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार और केन्द्र सरकार भारत भर में नारियल जटा उत्पादों को छूट युक्त बिक्री के खर्च में हिस्सेदारी करने के लिए सहमत हो गए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) 1 जून, 1984 से केन्द्रीय सरकार केयर बोर्ड की एक योजना भारत में केयर उत्पादों की बिक्री पर छूट" को लागू करने के लिए सहमत हो गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अधिकृत दुकानों द्वारा बेचे गये हथकरघा केयर उत्पादों पर 20 प्रतिशत छूट दी जाती है। वर्ष 1984-85 में कुल 60 दिन के लिए छूट दी गई है। इस योजना के कारण होने वाले खर्च को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों तथा केयर बोर्ड की बीच बांटा जायेगा।

केरल में एरोमैटिक काम्पलेक्स की स्थापना

1124. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कोचीन में एक ऐरोमैटिक काम्पलेक्स की स्थापना के लिए एक आशय पत्र हेतु आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) केरल स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने 1980 में एक ऐरोमेटिक्स कम्पलेक्स की स्थापना हेतु आशय पत्र के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था। कोचीन में बेंजीन के उत्पादन के लिए ऐरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना का कार्य कोचिन रिफाइनरी लिमिटेड को सौंपा गया है।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए कार्यक्रम

[हिन्दी]

1125. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए कोई नई नीति तैयार की है अथवा वर्तमान नीति के अंतर्गत कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण गैर सरकारी क्षेत्र इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिये उक्त क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र में बड़े औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये प्रभावी उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए चुने गए आदिवासी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए रियायतों और प्रोत्साहनों की योजना की घोषणा इस मंत्रालय में दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण सं. 4/1/81—बी. ए. डी. (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) द्वारा कर दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय निवेश मुख्यतः आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है अतः इस प्रकार की परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय तकनीकी आर्थिक बातों पर व्यापक रूप से विचार करने के बाद लेना होता है। सरकार की

नीति इन धारणाओं के अन्तर्गत, केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की रही है अवस्थापना सुविधाओं सहित ऐसे अनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। किन्तु, विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश का समान वितरण सुनिश्चित कर पाने में स्वाभाविक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त, कर सम्बन्धी रियायतें मूल/सीमांत धनराशि, ब्याज-राजसहायता आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है।

औद्योगिक विकास के लिए चुने गये पिछड़े जिले

1126. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) देश के उन पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये चुना गया है; और

(ख) नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इन जिलों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं/सहायताओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 90 जिलों का, जिसमें कोई भी बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है, सामूहिक प्रभाव करने की दृष्टि से उनका शीघ्रता से औद्योगिक विकास करने के लिये पता लगाया गया है। इन जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन जिलों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति देने में उच्चतम प्राथमिकता, सबसे अधिक दर पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता अर्थात् 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रु. तक एवं अखिल भारतीय सांवधि ऋणदात्री संस्थाओं से रियायती वित्त सुविधायें, केवल 30 प्रतिशत निर्यात दायित्व पर लघु क्षेत्र के लिये अनारक्षित परिशिष्ट-1 से भिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए एम. आर. टी. पी./फेरा कम्पनियों को अनुमति आदि प्रदान की जाती है। उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को कुल लागत की 1/3 तक, जिसकी अधिकतम राशि 2 करोड़ रु. प्रति जिला होगी, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

इन जिलों की सूची जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है।

(1) **असम**

1. लखीमपुर
2. उत्तरी कछार पहाड़ियां

(2) **बिहार**

1. औरंगाबाद
2. भोजपुर
3. खगरिया
4. नालंदा
5. पूर्णिया
6. सहरसा (इसमें माधोपुर से बना नया जिला सम्मिलित है)।

(3) **गुजरात**

1. डांग

(4) **हिमाचल प्रदेश**

1. चम्बा
2. कांगड़ा
3. किन्नौर
4. कुल्लू
5. लाहौल और स्पीती

(5) **जम्मू और काश्मीर**

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. लद्दाख
4. पूंछ
5. फुलवामा
6. राजौरी
7. ऊधमपुर

(6) **कर्नाटक**

1. बीदर

(7) **केरल**

1. व्यानाड
2. इदुक्की

(8) **मध्य प्रदेश**

1. बालाघाट
2. भिन्ड
3. छतरपुर
4. छिंदवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झबुआ
10. मांडला
11. नरसिंहपुर
12. पन्ना
13. राजगढ़
14. सिवनी
15. शिवपुरी
16. सीधी
17. सुरगुंजा
18. टीकमगढ़

(9) **मणिपुर**

1. मणिपुर (केन्द्रीय)
2. मणिपुर (पूर्व)
3. मणिपुर (उत्तरी)
4. मणिपुर (दक्षिण)
5. मणिपुर (पश्चिम)
6. टॉंगलोपाल

(10) **मेघालय**

1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
2. पश्चिमी गारो पहाड़ियां
3. जयन्तिया पहाड़ियां
4. पश्चिम खासी पहाड़ियां

(11) **नागालैंड**

1. तुएनसांग

(12) **उड़ीसा**

1. बालासौर
2. बोलनगीर
3. बोद्ध खडिमल्स (फुलबनो)

(13) **राजस्थान**

1. जैसलमेर

2. सिरोही

(4) **सिक्किम**

1. गंगटोंक

2. ग्यालसिंग

3. मंगन

4. नाम्बी

(15) **त्रिपुरा**

1. उत्तर त्रिपूरा

2. दक्षिण त्रिपुरा

3. पश्चिम त्रिपुरा

(16) **उत्तर प्रदेश**

1. बांदा

2. चमोली

फतहपुर

हमीरपुर

जालौन

जौनपुर

पौड़ी गढ़वाल

सुल्तानपुर

टिहरी गढ़वाल

10. उत्तर काशी

11. कानपुर देहात

(17) **पश्चिम बंगाल**

1. बांकुरा

2. कुच बिहार

3. दार्जिलिंग

4. जलपाईगुड़ी

5. माल्दा

(18) **अंडमान और निकोबार.**

1. निकोबार द्वीप समूह

(19) **अरुणाचल प्रदेश**

1. कामग

2. सियांग

3. सुबनसीड़ी

4. तिरप

(20) **लक्षद्वीप**

1. लक्षद्वीप

(21) **मिजोरम**

1. ऐजल

2. लुगलेज

(22) **दादरा और नगर हवेली**

1. दादरा और नगर हवेली

न्यायाधीशों की सेवा-शर्तें

[अनुवाद]

1127. **श्री पीयूष तिरकी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार के पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े अनेक मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए इन न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने और जितनी जल्दी संभव हो सके उनकी सेवा-शर्तों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कोई योजना है; और

(ख) सरकार न्यायाधीशों की शिकायतों पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने तथा और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले पर सरकार, संबद्ध सांविधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से, विचार कर रही है। सरकार न्यायाधीशों की शिकायतों को यथासंभव दूर करने के लिए उनकी सेवा की शर्तों और समय-समय पर उनको दी गई सुविधाओं का निरन्तर पुनर्विलोकन कर रही है।

टेलीग्राफ मेसेंजर और पोस्टमैन के वेतन में विषमता

[हिन्दी]

112८. **श्री रामकुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि टेलीग्राफ मेसेंजर की वेतनमान 19 रुपये से प्रारंभ होता है जबकि पोस्टमैन का बेतनमान 210 रुपये से प्रारम्भ होता है हालांकि टेलीग्राफ मैसेंजर का तार वितरण करते समय प्रेषितियों से हस्ताक्षर प्राप्त करने जैसे अतिरिक्त कार्य भी करने होते हैं जबकि पोस्टमैन को केवल डाक का वितरण करना होता है;

(ख) इस प्रकार के भेद भाव के क्या कारण है; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी पद का वेतनमान उसके कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तार संदेशवाहक (टेलीग्राफ मैन के रूप में जाना जाने वाला) कार्य प्रेषितियों को तार वितरण करना है जो पोस्टमैन की तुलना में सरल माना जाता है क्योंकि पोस्टमैन को बीमाकृत वस्तुओं मनीआर्डरों मूल्य देय वस्तुओं, नकदी आदि का वितरण करते हुए उनका रिकार्ड भी रखना पड़ता है। इसे देखते हुए टेलीग्राफमैन के 196-232 रुपये के बेतमान की तुलना में पोस्टमैन को उच्च वेतनमान (रुपये 210-270) दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली टेलीफोन विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा से हटाया जाना

1129. **श्री रामकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली टेलीफोन विभाग के अनेक ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा से हटा दिया गया है जहां पर नैमित्तिक आधार पर तीन से सात वर्ष से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें नौकरी में रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां

(ख) 41 नैमितिक कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस देने के बाद 31.3.85 से सेवा त किया जा रहा है। इनमें से 15 नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा अवधि 3 वर्ष की है और नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा अवधि 3 वर्ष से भी अधिक है। इन कर्मचारियों को विशेष रयोजनाओं के संस्थापन कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, इन परियोजनाओं के पूरा होने हो इन्हें सेवा मुक्त किया जा रहा है।

(ग) भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें नियुक्त करने के प्रयास ए जा रहे हैं।

कोयम्बतूर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापिन करना

नुवाद]

1130. **श्री आर. अन्ना नाम्बी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोयम्बतूर में जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा द्योगिक शहर है और जिसे भारत के मैनिचेस्टर के रूप में जाना जाता है नये टेलीफोन क्शन के लिए 6000 आवेदनकर्ता प्रतीक्षा-सूची में हैं और पांच वर्षों से अधिक समय से के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रतीक्षा-सूची के सभी आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन देने के लिए ा कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय जना के दौरान कोयम्बतूर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां लेकिन 5 वर्ष अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या केवल 592 है।

(ख) साय बाबा कालोनी, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन निर्माणाधीन है, के ए 13000 लाइनों के लिए क्रासबार उपस्कर का आबंटन कर दिया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोयम्बतूर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

1131. **श्री आर अन्ना नाम्बी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या यह सच है कि जसवन्त सिंह आयोग को कोयम्बतूर में उच्च न्यायालय की यायपीठ स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में अवगत करा दिया गया है ताकि उससे मिलनाडु में पेरियार, सलेम, धर्मपुरी और नीलगिरी जैसे पड़ोसी जिलों की सेवा हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस क्षेत्र के मुकदमा करने वालों और जनता के हित में इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) जसवन्त सिंह आयोग इस विषय से अवगत है और उसने कोयम्बत्तूर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने या अन्यथा की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए जून, 1984 में कोयम्बत्तूर का दौरा भी किया था।

(ख) से (घ) मामला, जसवन्त सिंह आयोग के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

1132. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने और इसे सीधे अल्मोड़ा और हल्द्वानी से जोड़ने का है; और

(ख) यदि नहीं तो इसकी वर्तमान उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और जनता के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (i) इस समय चौखुटिया टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि एक्सचेंज में अभी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है।

(ii) चाखुटिया को 3 चैनल कैरियर प्रणाली से अल्मोड़ा के साथ सीधा जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(iii) इस समय चौखुटिया को हलद्वानी के साथ सीधा जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में यू. एच. एफ. प्रणाली से अल्मोड़ा को बरेली से जोड़ने की योजना है जिससे इस क्षेत्र की दूर संचार सुविधाओं में सुधार होगा।

रानीखेत, उत्तर प्रदेश में यू. एच. एफ. प्रणाली का टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

1133. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में रानीखेत को बरेली और देश के अन्य बड़े शहरों के साथ यू. एच. एफ. प्रणाली के माध्यम से जोड़ने के बारे में स्थानीय लोगों और उनके जन प्रतिनिधियों की ओर से उनके मन्त्रालय को कोई प्रस्ताव मिला हैं; और

(ख) यदि हां, तो रानीखेत में यू. एच. एफ. एक्सचेंज कब तक स्थापित हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नये टैलेक्स सेवा केन्द्र स्थापित करना

1134. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कस्बों में टेलैक्स सेवा के लिए नये केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर इन केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे कस्बों में स्वचालित इलैक्ट्रानिक टैलीफोन एक्सचेंज सुविधा

1135. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ छोटे कस्बों में स्वचालित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन कस्बों के नाम क्या हैं; और उनमें यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) कस्बों के नाम नीचे दिए गए हैं। 1985-86 के दौरान उपस्कर प्राप्त होने की संभावना है और उसके बाद सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

कस्बों के नाम :

1. मन्नौर	2. कलपेट्टा
3. रोहा	4. मनमाड
5. अरमूर	6. कोठागुडेम
7. कोरापुट	8. सुन्दरगढ़

9. फूलबनी
10. छतरपुर
11. क्योंझर .
12. धेनकनाल
13. बारीपाडा
14. मांडला
15. टीकमगढ़
16. दतिया
17. अम्बिकापुर
18. बालाघाट
19. भिण्ड
20. बेतुल
21. शाजापुर
22. धार
23. खारगोन
24. शिवपुरी
25. गुना
26. टोंक
27. कालाबाड़
28. सवाई माधोपुर
29. सवाई माधोपुर (आर एस)
30. झुंझुनू
31. बूंदी
32. जैसलमेर
33. जालोर
34. सिरोही
35. डूंगरपुर
36. मधुबनी
37. हाजीपुर
38. नवादा
39. दुमका
40. पुर्णिया
41. रानीखेत
42. पिथौरा गढ़
43. उरई
44. ललितपुर
45. फतेहपुर
46. गाजीपुर
47. बांदा
48. सुलतानपुर
49. कटुआ
50. हमीरपुर
51. बिलासपुर
52. नाहन
53. ऊना
54. चम्बा
55 कुलु
56. पौड़ी

अखबारी कागज उपभोक्ता सम्मेलन में अखबारी कागज टेक्नोलाजी का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए सुझाव

[अनुवाद]

1136. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अखबारी कागज के उत्पादन संबंधी टेक्नोलाजी का दर्जा बढ़ाने का सुझाव देने और देश में बेहतर लम्बे रेशे वाले कच्चे माल से लुगदी का उत्पादन करने वाला एकक स्थापित करने के लिए नेपा नगर में अखबारी कागज उपभोक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) सरकार जहां कहीं आवश्यक होगा, आवश्यक कार्यवाई करने के लिए सुझावों का ध्यान रखेगी।

उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयंत्र में कोयले और बिजली की कमी

1137. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में देश के सबसे बड़े तालचेर उर्वरक संयंत्र को कोयले और बिजली की *भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिनके कारण* उर्वरक के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, और

(ख) इस संयंत्र की कोयले और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि इसके उत्पादन पर कुप्रभाव न पड़े ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यद्यपि कोयले की कोई कमी नहीं है फिर भी, पावर की दीर्घकालीन कटौतियों ने तालचर में उर्वरक के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(ख) पावर की कमी को दूर करने के लिए एफ. सी. आई. द्वारा एक 30 मेगावाट क्षमता का कैपटिव गैस टर्वाईन जेनरेटर सेट लगाया गया है।

चप्पल बनाने वाले छोटे उद्योगों का बन्द होने की स्थिति में होना

1138. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विदेशों को बड़े पैमाने पर किये गए निर्यात के बाद तैयार चमड़े, सोल और पतावे के चमड़े की अनुपलब्धता के कारण चप्पल बनाने वाले छोटे उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तैयार चमड़े, जूतों के तलों और तलों के भीतर लगने वाले चमड़े की इतनी अधिक कमी नहीं है कि लघु फुटवियर एककों को बन्द करना पड़े ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी होने के कारण कमाये हुए चमड़े और विभिन्न चमड़ा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है । अप्रैल से अक्तूबर, 1984 के प्रथम सात महीनों में 326.7 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 230.7 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था चमड़ा उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची खालों और चामों तथा वेट ब्लू टैन्ड (अर्ध-निर्मित) क्रोम चमड़े का शुल्क मुक्त आयात करने को अनुमति दे रही है । हाल ही में सरकार ने जानवरों की चामों से क्रस्ड लेदर और कमाये हुए चमड़े का शुल्क मुक्त आयात करने की घोषणा की है ।

हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन का कार्य

1139. **श्री जी. जी. स्वैल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा, बीजापुर, जगदीशपुर, गैस पाइपलाइन के कार्य में बिलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या छह उर्वरक संयंत्रों को एक निश्चित तिथि को प्रारम्भ करने का कार्यक्रम इस पाइप लाइन पर निर्भर है ;

(ग) क्या सरकार ने पाइप लाइन के लिए कार्य के आबंटन के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) निर्माण कार्य के फरवरी, 1985 में आरम्भ किए जाने का कार्यक्रम था; अब इस कार्य को आगामी मानसून मौसम के बाद आरम्भ कराने को संभावना है ।

(ख) यह पाइप लाइन छः उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी ।

(ग) निविदाओं के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैस पर आधारित बड़े उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करना

1140. **श्री एम. महफूज अली खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस पर आधारित अधिकतर बड़े उर्वरक संयंत्रों के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) परियोजनाओं को पहले के अनुमानित समय पर पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने क विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उर्वरक और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विजयपुर, ओनल तथा जगदीशपुर उर्वरक परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ हो चुका है। तथापि, कम्पनी द्वारा परामर्शी करारों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण, जगदीशपुर उर्वरक परियोजना, जो मै. इण्डो-गल्फ उर्वरक तथा रसायन कार्पोरेशन लि. (आई.जी.एफ.सी.सी.) के कार्यान्वयनाधीन है, की जीरो तिथि को चार माह आगे बढ़ा दिया गया है। परियोजना की लागत पर इस विलम्ब के प्रभाव को अभी निर्धारित किया जाना है। उपरोक्त तीन परियोजनाओं की प्रगति समयसारणी के अनुसार हो रही है। बाकी तीनों उर्वरक परियोजनाओं की (जीरो तिथियां) आगे दी गई हैं :—

क्रमांक	स्थिति	जीरो तिथि
1.	बिलौपा गाँव सवाई माधोपुर राजस्थान	1.4.85
2.	बाबराला, जिला बदायूं (यू.पी.)	1.10.85
3.	शाहजहाँपुर जिला, यू.पी.	1.4.1986

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की आवधिक पुनरीक्षा तथा निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनको कार्यान्वित करने में कोई बिलम्ब न हो।

कलकत्ता में टेलीफोन लाइनों का बदला जाना

1141. **श्री अमर दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निवासियों को अपेक्षाकृत न्यूनतम टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी नगर की लगभग एक लाख टेलीफोन लाइनों को तुरन्त बदले जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है;

(ग) आवश्यक सुधार कब तक किए जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। कलकत्ता में एक्सचेंज उपस्कर की लगभग एक लाख लाइनों को बदलना आवश्यक समझा गया है।

(ख) 44000 लाइनों के उपस्कर का प्रतिस्थापन कार्य चल रहा है।

(ग) शेष उपस्करों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बदलने का प्रस्ताव है।

बम्बई हाई में उपलब्ध गैस का उपयोग

1142. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में गैस का कितना अनुमानित भंडार उपलब्ध है;

(ख) उर्वरक उद्योग द्वारा इसकी कुल कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) शेष गैस कितना प्रतिशत अन्य राज्यों को दिये जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर कितनी पूंजी लगाई जानी है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कितना-कितना भाग दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) यथास्थिति दिनांक 1 जनवरी, 1984 को अपतटीय क्षेत्रों में वसूली योग्य अधिशेष भंडार 378 बिलियन घनमीटर का था।

(ख) उर्वरक उद्योग द्वारा प्रतिदिन 5.10 मिलियन घन मीटर बम्बई हाई गैस का प्रयोग किया जाता है।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलिय कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि. को प्रतिदिन 0.40 मिलियन घन मीटर गैस देने की बचनबद्धता की गई है। तालोजा में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को लगभग 0.05 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन देने की बचनबद्धता की गई है। थाल स्थित भारी जल संयंत्र को लगभग 0.15 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन देने की वचनबद्धता की गई है। इन सबके बाद और अधिक वचनबद्धता के लिए अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर संचार तन्त्र का विस्तार

1143. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार तंत्र के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दिये जाने का विचार है;

(ख) इस क्षेत्र के लिये सातवीं योजना में कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या 1990 के अन्त तक टैलैक्स कनैक्शन लगभग मांग करने पर उपलब्ध कराये जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में गिरो फैसिलिटी उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में दूरसंचार परिपथ जाल के पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) योजना आयोग अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) यह सुविधा अंतिम योजना आबंटन पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) भारत में डाक प्रणाली के रूप में जी.आई.आर.ओ. सुविधा शुरू करने के मामले पर तत्परता से विचार किया जा रहा है।

जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में गिरावट

1144. **श्री एम. महफूज अली खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में कई जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन लगभग बंद हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक आधारभूत औषधियों की पूर्ति कम हो गई है और औषधि निर्माण यूनिटों के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सान्द्रित निट्रिक एसिड तथा औद्योगिक अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कुछ प्रपुंज औषधों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण की हानि से उठाई गई आपत्ति के कारण राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.) के निट्रिक एसिड संयंत्र के एक स्ट्रीम को बन्द करना पड़ा। सान्द्रित निट्रिक एसिड की कमी की रिपोर्टों की प्राप्ति पर स्थिति का पुनरीक्षण किया गया। आर.सी.एफ. को सलाह दी गई है कि प्रपुंज औषध उत्पादकों की तरह पूर्णता वाले उपभोक्ताओं की सान्द्रित निट्रिक एसिड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहां कहीं आवश्यक होता है अलकोहल पर आधारित मध्यवर्तियों के आयात की अनुमति दी जाती है।

लद्दाख में पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण

1145. **श्री के. प्रधानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने लद्दाख में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे लम्बरा क्षेत्र में सिमाचिन ग्लेसियर क्षेत्र में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर कब्जा करने के लिए कई बार प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के सीमा निर्धारण और पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा लद्दाख क्षेत्र के साइचिन ग्लेशियर इलाके से भारतीय जवानों को हटाए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। हमारी सेनाओं ने ऐसे सभी प्रयासों को विफल कर दिया है।

(ख) यह क्षेत्र पूरी तरह हमारी सीमा में आता है और इसका सीमांकन करने से पूर्व युद्ध-विराम के लिए सेक्टर कमांडरों के स्तर पर तीन ध्वज बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। लेकिन ये बैठकें अनिर्णायक रही हैं।

नये स्थानों पर अन्वेषण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की व्यक्तियों' उपस्करों और अनुसंधान संबंधी आवश्यकता

1146. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए स्थानों पर अन्वेषण करने विशेषकर उन स्थलों के चयन के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या मापदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या सम्पूर्ण सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मौजूदा कर्मचारी संख्या और अपेक्षित उपस्कर पर्याप्त हैं अथवा उन्हें और अधिक कर्मचारियों, उपस्करों और अनुसंधान की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अन्वेषण हेतु स्थलों के चयन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वीकार किए गए मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(क) सैडीमेंट्री कालम की मोटाई तथा आयु।

(ख) सैडीमेंट्री कालम की विभिन्न राक यूनिटों के जमा होने का वातावरण।

(ग) स्रोत राकों की प्राप्यता तथा उनकी परिपक्वता।

(घ) हाइड्रोकार्बनों को तिकालने के लिए उपयुक्त संरचनाओं तेलाशयों तथा पाद शैलों की प्राप्यता।

(ङ) सतही रिसावां प्रदर्शी, मड-वालकेनोंज, ग्राउण्डवाटर में कुछ रसायन संघटकों की उपस्थिति इत्यादि के तेल या गैस के होने के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण,

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकलापों में वृद्धि होने से कार्मिकों उपस्करों तथा अनुसंधान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपेक्षित इनपुटों का अनुमान लगाया जाता है और इन्हें प्राप्त किया जाता है।

कलकत्ता में भूमिगत गैस के भण्डार

1147. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पता चला है कि कलकत्ता नगर और वृहद कलकत्ता क्षेत्र भूमिगत गैस और पेट्रोलियम भण्डारों से भरपूर है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के सूरत जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

[हिन्दी]

1148. **श्री सी. डी. गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के सूरत जिले में किन-किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने थे;

(ख) किन-किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं; और

(ग) बाकी स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) निम्नलिखित स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है :

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	टेलीफोन एक्सचेंज
1	2
1. पिंजराट	1. बोलवान
2. सारा	2. कावस
3. पंचोल	3. अरेथ
4. नोगमा	4. संचिन
5. देवडिया-बोरसाड	5. कामरेज
6. बालपुर	6. झांका

1	2
7. अम्बा	7. मोदन
8. गोपालपुर	8. ओंजल
9. मारपांडा	9. ओमारपाडा
10. बोलर	10. डोंगरी-चिखली
11. रायगढ़	11. ककरापार
12. जेबेल्डी	
13. फुलवाड़ी	
14. भीलवाड़ा	
15. जंगरी	
16. करंजी	

(ख) निम्नलिखित स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं :—

लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	टेलीफोन एक्सचेंज
1. पिंजराट	1. दोसवाड़
2. सारा	2. कावथ
3. पंचोल	3. मरेथ
4. नोगमा	4. संचिरा
5. देगडिया-बोरातोड	5. कामरेज
6. बालपुर	6. झांका
7. अम्बा	7. ओंजल
8. गोपालपुरा	8. ओमारपाडा
9. मारपाडा	9. भूदान

(ग) बाकी स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और टेलीफोन एक्सचेंज संभवतः 1985-86 के दौरान स्थापित कर दिए जायेंगे।

पश्चिमी तट पर नौसैनिक अड्डा

[अनुवाद]

1149. श्री हुसैन दलवाई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के पश्चिमी तट पर एक नौसैनिक अड्डा बनाने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित नौसैनिक अड्डे के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थान का नाम क्या है ?

रक्षामंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार कर्नाटक में कारवार में एक नौसेना परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पश्चिमी समुद्र तट पर नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल

1150. श्री हुसैन दलवाई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तट पर रहने वाले लोगों की नौचालन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के पश्चिमी समुद्र तट पद नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का कोई ठोस प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण स्कूल किस स्थान पर खोला जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। नौसेना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केरल के कण्णनूर जिले में एजीमाला में एक अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कर्वे, बम्बई में मरचेंट नेवी के अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक तटीय अकादमी के पहले चरण की भी मंजूरी दे दी गई है। सभी पात्र भारतीयों के लिए इन प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधायें उपलब्ध रहेंगी।

पेट्रोलियम उत्पादन

1151. श्री हुसैन दलवाई : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) वार्षिक आवश्यता की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रतिशत क्या है; और

(ग) कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी और अब तक 26.19 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। इससे हमारी लगभग 69% आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं।

(ग) अभी तक सरकार द्वारा कोई ऐसी तिथि निश्चित नहीं की गई है।

महिला उद्यमियों के उत्पादों के निर्यात के लिये कदम

1152. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात के लिये अब तक कोई कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महिला उद्यमियों को निर्यात के लिये विशेष सहायता नहीं दी जाती है। किन्तु, महिला उद्यमी निर्यात हेतु सरकार द्वार दी जाने वाली सभी सुविधाओं और प्रोत्साहनों को पाने को पात्र हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धनों को विधिक सहायता

1153. **श्री बी. सोभानाद्रीश्वरा राव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "निर्धनों को विधिक सहायता स्कीम" के अन्तर्गत आबंटित पूरी राशि को कई राज्यों द्वारा व्यय नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धनों को न्याय नहीं मिलता; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस स्कीम को उचित गंभीरता से कार्यान्वित करने और इसके लिए नियत राशि का पूर्णतः उपयोग करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश देने का है !

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) विधि सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से, जिसे सरकार ने विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये गठित किया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्धनों की विधिक सहायता के लिये जो अल्प धन उपलब्ध किया गया था, उस सभी धन का, राज्यों के सम्बन्धित विधिक सहायता और सलाह बोर्डों ने लगभग उपयोग कर लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों का उत्पादन

[हिन्दी]

1154. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दस औषधियों के नाम क्या हैं, जिनकी देश में सबसे अधिक खपत है,

(ख) इन औषधियों का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन औषधियों के मूल्य में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है, और

(घ) सरकार द्वारा इन औषधियों को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जाने का विचार हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अत्याधिक खपत वाली औषधों के नाम और 1983-84 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में उनका उत्पादन संलग्न विवरण एक में दर्शाया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मूल्यों में परिवर्तन की मात्रा दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

(घ) इन औषधों के मूल्यों को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अधीन विनियमित किया जाता है। इसके साथ ही उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पर्याप्त क्षमता के अनुमोदन से उपयुक्त मूल्यों पर औषधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

विवरण-एक

क्र.सं.	दवाईयों के नाम	इकाई	1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र में उत्पादन	1983-84 के दौरान निजी क्षेत्र में उत्पादन	कुल उत्पादन
1.	एम्पीसिलीन	टन	8.64	114.98	123.62
2.	टैट्रासाइक्लीन	टन	115.20	113.34	228.54
3.	ट्रीमेथोप्रिम	टन	3.65	95.95	99.60
4.	सल्फामेथोक्साजोल	टन	14.05	333.00	347.05
5.	एनलजिन	टन	314.71	514.77	829.48
6.	क्लोरमफेनीकोल	टन	—	102.79	102.79
7.	इरिथ्रोमाइसिन	टन	0.90	30.61	31.51
8.	क्लोरोक्विन फोस.	टन	3.11	120.35	123.46
9.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	टन	147.59	90.72	238.31
10.	पैनीसिलीन	एम.एम.यू.	124.62	192.12	316.74

विवरण-दो

क.सं.	औषध का नाम	इकाई	1-1-1982 को मूल्य रुपये	31-12-1984 को मूल्य रुपये	प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (—)
1	2	3	4	4	6
1.	एम्पीसिलीन ट्रीहाइट्रेट	कि.ग्रा.	1475.00	1677.00	(+) 13.59
2.	टैट्रासाइक्लीन एच.सी.एल	,,	729.68	801.49	(+) 9.77
3.	ट्रीमेथोप्रिम	,,	2420.65	892.00	(—) 63.15
4.	सल्फामेथोक्साजोल	,,	538.58	390.00	(—) 27.59
5.	एनलजिन	,,	196.30	224.00	(+) 14.11
6.	क्लोरेमफेनीकोल	,,	680.79	756.00	(+) 11.05
7.	इरिथ्रोमाइसिन एसटोलेट	,,	1700.00	1992.50	(+) 17.21
8.	क्लोरीक्विन फास्फेट	,,	476.00	510.00	(+) 7.14
9.	स्ट्रैप्टोमाइसिन	,,	660.75	847.42	(+) 28.25
10.	प्रोकेन पैनीसिलिन	बी.यू.	813.00	856.71	(+) 5.38

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1155. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ख) मूल्यों में हो रही इस वृद्धि और नकली दवाओं के निर्माण को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मूल्य नियन्त्रित औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1984 के दौरान मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप कुछ औषधों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी जबकि कुछ अन्य औषधों के मूल्यों में कमी भी हुई थी।

(ख) मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अधीन विनियमित किये जाते हैं।

घटिया औषधों के निर्माण को रोकने के लिये औषधों पर गुण नियंत्रण औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रखा जाता है।

टेलीफोन बिलों में अधिक राशि दर्शाना

[अनुवाद]

1156. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन बिलों में दिखाई गई अधिक राशि की समस्या से तुरन्त छुटकारा दिलवाने हेतु यदि कोई नये प्रबन्ध किये गये हैं तो वे क्या हैं;

(ख) क्या इस तरह की शिकायतों के मामले में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार बड़े महानगरीय जिलों के एरिया मैनेजर के पास होगा अथवा जनरल मैनेजर के पास; और

(ग) क्या शिकायतों का निपटान किये जाने तक प्रयोक्ताओं को विवादास्पद बिलों का भुगतान करने के लिये बाध्य किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अधिक राशि के बिलों सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिये मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं महाप्रबन्धकों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ऐसी शिकायतों का अन्तिम रूप से निपटान करने के लिये वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं। उनकी शक्तियों के अधीन न आने वाले मामलों तथा अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान उच्च प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार यदि एस.टी.डी वाले स्टेशन पर स्थानीय कालों के प्रभार का बिल पिछले एक वर्ष के दौरान स्थानीय कालों के अधिकतम बिल की राशि के दुगने से अधिक हो, तो शिकायतकर्त्ता से बिल का आंशिक भुगतान करने के लिये आग्रह किया जाता है और शेष बिल राशि जांच पूरी होने तक के लिये विवादस्पद राशि के रूप में रखी जाती है।

मामले की जांच करने पर तथा उस बारे में निर्णय लेने के बाद उपभोक्ता को शेष राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान करने के लिये कहा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तारघर

1157. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां इस समय तार घर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस प्रकार के तार घरों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार का समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को कब तक तारघरों के नेटवर्क के अन्त लाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 15-1-85 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 32, 084 ग्रामों में तार घर थे।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वित्तीय और साज-सामग्री साधन उपलब्ध होने पर 1990 तक उत्तरोतर देश के अधिकांश रिहायशी इलाकों के 5 कि. मी. के भीतर अधिकांश स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/तारघर उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

विवरण

15-1-85 **को ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य वार तार (संयुक्त डाक तार घर की स्थिति)**

क्रमांक	सर्किल का नाम	ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5056
2.	बिहार	2439
3.	गुजरात (गुजरात, दादरा, नागर हवेली, दिव, दमन सहित)	1225
4.	जम्मू एवं काश्मीर	290
5.	कर्नाटक	2315
6.	केरल (केरल, माहे एवं मिनिकाय, लक्षद्वीप, अमीनबीद द्वीपसमूह सहित)	1472
7.	मध्य प्रदेश	2541
8.	महाराष्ट्र (महाराष्ट्र, गोआ सहित)	2068
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित	640
10.	उत्तर पश्चिम (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पंजाब और चण्डीगढ़ सहित)	1729
11.	उड़ीसा	940
12.	राजस्थान	1205
13.	तमिलनाडु (तमिलनाडु और पांडिचरी सहित)	5042
14.	उत्तर प्रदेश	4736
15.	पश्चिम बंगाल, (पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित)	1186
	योग	32884

उपभोक्ताओं के लिए "कार्डलेस" (बिना डोरी वाले टेलीफोन)

1158. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 मार्च, 1985 को नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज '301' का उद्घाटन करते समय यह घोषणा की थी कि अब उपभोक्ता सौ मीटर तक के दायरे में बिना डोरी वाले टेलीफोन रख सकते हैं;

(ख) क्या उक्त निर्णय केवल दिल्ली पर ही लागू होता है अथवा अन्य शहरों पर भी;

(ग) इनको नियमित घोषित करने के लिए क्या शर्त हैं और इसकी लाइसेंस फीस कितनी है;

(घ) क्या सरकार को देश में इस समय उचित ढंग से अथवा चोरी छिपे लाए गए बिना डोरी के टेलीफोन के बारे में कोई अनुमान है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा क्या वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत क्या कोई उपभोक्ता ऐसे टेलीफोन रख सकता है; और

(च) उक्त प्रकार के टेलीफोन न का स्वदेश में निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में इसकी तस्करी को रोका जा सके ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम विलास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस निर्णय के अन्तर्गत देश के समूचे दूर संचार परिपथ जाल को शामिल किया गया है।

(ग) बिना तार वाले टेलीफोनों को नियंत्रित और नियमित करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) देश के दूर संचार परिपथ जाल में बिना तार वाले टेलीफनों का उपयोग करने की अभी अनुमति नहीं है।

(च) अपने देश में स्वीकृत तकनोकी विनिर्देशनों के आधार पर बनाए गए बिना तार वाले टेलीफोनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

भारत को अमरीकी हथियारों की पेशकश

1159. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भुगतान के आधार पर भारत को अत्याधुनिक हथियार देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का अमरीका के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए उससे हथियार न खरीदने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) अमेरिकी सरकार ने भुगतान आधार पर भारत को अत्याधुनिक शस्त्रों की बिक्री की कोइ पेशकश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आई. टी. आई. बंगलौर में दूसरे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए फ्रांस की "सिट-अल्काटल" से सहयोग :

1160. **श्री के. प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में दूसरी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए फ्रांस की "सिट-अलका टल" से तकनीकी सहयोग लेने के बारे में सरकार का नवीनतम विचार क्या है; और

(ख) इसके वित्तीय तथा अन्य पहलू क्या है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार इस मामले के ब्यौरों की अध्ययन कर रही है।

सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध

1161. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लिये जाने पर प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की देनदारियों के लिये गैर-सरकारी उद्यमी उत्तरदायी होते हैं अथवा सरकार जो कथित रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लेती है; और

(ख) दोषी उद्यमियों को दण्ड देने और उसमें अन्तर्गस्त धनराशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवही करने का विचार है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सिद्धान्त रूप में औद्योगिक उपक्रम को अपने हाथ में लिये जाने पर प्रबन्ध ग्रहण से पहले की देनदारियों को जो कि कम्पनी की है, सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी विशेष मामले में प्रबन्ध ग्रहण से पहले की देनदारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए अथवा नहीं यह प्रत्येक मामले के गुणावगुणों तथा देनदारियों के स्वरूप पर निर्भर करता है।

(ङ) कुप्रबन्ध के लिए चूक करने वाले प्रवर्तकों/उद्यमियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है जिसमें जुर्माने या जेल या दोनों के द्वारा दण्ड की व्यवस्था की गई है।

सैनिकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए पुणे में राष्ट्रीय एकता संस्थान की स्थापना करना

1162. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न धर्मों द्वारा बताए जाने वाले नैतिक मूल्यों में अधिकारियों, जे'सी.ओ. और धार्मिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय एकता संस्थान की स्थापना की है;

(ख) क्या इस योजना के अनुरूप सेना के प्रचारकों को नीतिशास्त्र और उनके धर्म की तत्व मीमांसा की शिक्षा देने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इसका पाठ्यक्रम क्या होगा; और

(घ) क्या इसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे, भारतीय मिलिटरी अकादमी, देहरादून और सशस्त्र सेनाओं के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों अथवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां,। संस्थान ने 4 फरवरी, 1985 से कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) जी हां,

(ग) पाठ्यक्रम में मुख्यतः ये बातें शामिल हैं—विभिन्न धर्मों की दार्शनिकता और एकता, सभी धर्मों के प्रति पारस्परिक आदर और उन्हें समझना, राष्ट्रीय एकता के लिए भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं का ज्ञान, देश की सुरक्षा के लिए सभी धर्मों के मानने वालो की समान वचनबद्धता, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए व्यक्तियों को तैयार करना, उनमें मानवीय भावनाओं, सभी धर्मों के लिए आदर, समाज सेवा और नैतिक मूल्य, समाज कल्याण और एक सामूहिक उद्देश्य की तरफ प्रेरित करने की भावना।

(घ) यह अभी चलाई गई प्राथमिक परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

मंदसौर जिले के कारदू ग्राम में एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

1163. श्री महेन्द्र सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदसौर जिले के कारदू ग्राम में लोगों की लम्बे समय से मांग और वहां की

जनसंख्या 3000 से अधिक होने और वहां एक बैंक की शाखा होने, एक हायर सैकेण्डरी स्कूल और एक विद्युत उप-केन्द्र और एक व्यापारिक केन्द्र होने के बावजूद अभी तक वहां पर एक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ख) मंदसौर जिले के कारजू ग्राम में टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) ; (क) कारजू ग्राम में अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक्सचेंज खोलने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मात्रा में उपभोक्ताओं ने कारजू ग्राम में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ।

(ख) एक्सचेंज खोलना इस बात पर निर्भर करता है कि निर्धारित न्यूनतम 25 लाइन के एक्सचेंज के लिए कम से कम 10 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया हो, और प्रत्याशित राजस्व वार्षिक व्यय का 40 प्रतिशत हो।

निजी क्षेत्र की आधुनिकीकरण के प्रति अनिच्छा और विपणन तथा प्रबंध के मामलों में असफलता

[अनुवाद]

1164. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के प्रबन्धों द्वारा आधुनिकीकरण के प्रति अनिच्छा प्रकट करने और विपणन एवं प्रबन्ध के मामलों में असफल रहने पर कार्रवाई करने का विचार है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में सरकार द्वारा कुछ दंडात्मक कार्यवाहियां किए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार को ऐसे मामलों से किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) प्रबन्ध किसी भी कम्पनी का आन्तरिक मामला है। सामान्यतया, सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और कम्पनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट कारणों अथवा पृष्ठभूमि के अलावा किसी भी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करती।

(ख) से (घ) कुछ विशेष मामलों में जहां यह सिद्ध हो जाता है कि प्रबन्धकों अथवा इस प्रकार के उपक्रमों के मालिकों के वैयक्तिक लाभ के लिए किसी उपक्रम का जान बूझकर

कुप्रबन्ध किया जा रहा है तो कम्पनी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आदि के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रबन्धकों को दंडित करने के लिए उचित कार्रवाई की जा सकती है।

'उच्च प्राथमिकता' वाले उद्योगों की सूची

1165. **श्री के. प्रधानी :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च प्राथमिकता वाले उन उद्योगों की सूची का विस्तार करने का है, जिन्हें बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी लेकर स्थापित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन उद्योगों को शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1959 की धारा 22-क के उपबन्धों के अन्तर्गत, जारी 6 मई, 1983 की अधिसूचना के माध्यम से "उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता" के रूप में वर्गीकृत कतिपय उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षाओं से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। अभी तक अधिसूचित उद्योगों की सूची में अतिरिक्त उद्योगों को सम्मिलित करने के लिये संशोधन समीक्षाधीन है।

सरकारी नियन्त्रण में लिए गए रूग्ण उद्योगों को अनधिसूचित किया जाना

1166

1156. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूग्णता के कारण अपने अधिकार में लिए गए कुछ औद्योगिक एककों को अनधिसूचित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पांच औद्योगिक एककों को अर्थात् कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लि. श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. बंगाल पाटरीज लि. इन्डियन रबर मैन्युफैक्चरिंग लि. और मोटर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग लि. को भी अनधिसूचित किया जाएगा;

(ग) क्या अनेक स्त्रोतों की ओर से इसका विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विरोध किसने किया है और उनके तर्क क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उनके तर्कों पर विचार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धाधीन चल रहे सभी औद्योगिक उपक्रमों के अन्तिम निपटान के बारे में सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में जारी किए गए नीतिविषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं लोकसभा में दिनांक 23-1-1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में पहले ही दे दी गई है।

किन्तु कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड और इन्डियन रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड नामक दो औद्योगिक उपक्रमों को अभिग्रहण के बाद की अवधि के दौरान इन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की ध्यानपूर्वक जांच करे लेने के पश्चात् अक्तूबर, 1983 में अनधिसूचित कर दिया गया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण करने के लिए सरकारी परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न यूनियनों, संसद सदस्यों और पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किए गए सभी एककों, जिनमें अब अनधिसूचित कर दिए गए एकक भी सम्मिलित हैं, का राष्ट्रीयकरण कर देने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों में यह बताया गया है कि यदि हाथ में लिए गए एककों का आधुनिकीकरण कर दिया जाए और उनके प्रबन्ध को सुदृढ़ बना दिया जाए तो ये एक जीव्य हैं या जीव्य बन सकते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन हाथ में लिए गए उपक्रमों का अन्तिम निपटान करने सम्बन्धी निर्णय प्रत्येक मामले पर सरकार की नीति के अनुसार ध्यानपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात लिया जाता है।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. को हुई हानियां

1167. प्रो. राम कृष्ण मोरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. को पिछले कई वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस लाभ कमाने वाली कम्पनी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. पिछले वर्षों से शुद्ध हानियां उठा रहा है।

(ख) ये हानियां विभिन्न कारणों से हैं, जैसे कि प्रौद्योगिक समस्याएं, मूल स्तर से उत्पादन की उच्च लागत और उत्पाद मिश्रण में मुख्यतः श्रेणी 1 और 2 प्रपुंज औषध तथा फार्मूलेशन शामिल हैं जिनका मार्क अप निम्न होता है।

(ग) उपचारी उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि आयात नीति में कमियों को दूर करना जो उत्पादन और क्षेमता उपयोगिता में बाधा डालते हैं, कार्यकारी पूंजी और महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा औषध मध्यवर्तियों को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयास करना।

मैसर्स पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी

1168. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, पीयरलेस—जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी के कथित अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मैसर्स पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड एन्वेस्टमैन्ट कम्पनी लि., कलकत्ता के विरुद्ध कतिपय अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष 19-2-1965 को उपभोक्ता एवं अनुसन्धान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 ख के अन्तर्गत एक शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में लगाये गये आरोपों का सार और सारांश निम्न प्रकार है :—

(1) मैसर्स पीयरलैस जनरल फाइनैंस एण्ड इन्वेस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड ने जनता के समक्ष मिथ्या रूप से प्रस्तुत किया है कि उसकी योजनाएं वित्तीय बचत योजना हैं, जो तथ्यगत नहीं हैं।

(2) कम्पनी ने अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में, "समर्पण मूल्य", "प्रदत्त मूल्य", "बोनस", "धर्मादा", "पुनर्जीवन", "व्ययगत" आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कम्पनी द्वारा प्रयुक्त ये शब्द अन्य और समर्थन ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि ये योजनाएं जीवन बीमा के लाभ देती हैं। तथापि, सत्य यह है कि बीमा दुर्घटना द्वारा मृत्यु के खतरे मात्र के लिए है और यह भी राष्ट्रीय बीमा कम्पनी के वर्ष के बाद वर्ष की सहमति के अधीन है।

(3) कम्पनी की योजनाएं वास्तविक रूप से राशि परिचालन योजनाएं हैं और इस प्रकार की योजनाओं पर पुरस्कार चिट्स और धन परिचालन योजना (बैंनिंग)

अधिनियम, 1978 के अधीन प्रतिबंध लगा हुआ है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी द्वारा ऐसी योजनाओं को प्रेरित करना अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इससे कम्पनी जनता के सामने प्रस्तुत करती है धन सम्बन्धी परिचालन व्यापार को करने में वह कानूनी रूप से हकदार है, जो सही रूप से, कानून के अन्दर निषिद्ध है।

(4) कम्पनी की योजना, विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 का उल्लंघन करती है। अतः उक्त योजना में जहां तक कम्पनी का संबंध है अनुचित व्यापारिक प्रथा का जनता के समक्ष प्रतिनिधित्व करती है कि उसकी योजना कानूनी हैं और उपर्युक्त निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

(5) कम्पनी अपनी योजनाओं के गुणों के सम्बन्ध में अत्यधिक दावे करती है तथा अपने दुर्गुणों को दबाती है। यह भी अनुचित व्यापार प्रथा है।

आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 ग के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच का आदेश दिया है।

पाकिस्तान और अन्य देशों से खतरा

1169. **प्रो. मधु दंडवते :**

श्री एस. एम. गुरड्डी :

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि पाकिस्तान का मौजूदा "आक्रामक रुख" देश की सुरक्षा के लिए खतरा है;

(ख) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनकी गतिविधियां भारत के लिए खतरनाक हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस चुनौती का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) से (ग) यह पता चला है कि पाकिस्तान, अमेरिका सहित कई देशों से अत्याधुनिक हथियार और उपस्कर खरीद रहा है। यह भी ज्ञात हुआ है कि चीन भी अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कुछ देशों से मिलिटरी उपस्कर खरीद रहा है। इन गतिविधियों का हमारे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार नजर रखती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए समुचित उपाय करती है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए अतिरिक्त पुर्जे

1170 **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से इटली का कोई उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल वहां के रक्षा मन्त्री श्री ग्लोवान्नी स्पाडो लिनी के नेतृत्व में मिला है;

(ख) क्या इटली के शिष्टमंडल ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए अत्यावश्यक अतिरिक्त पुर्जे सप्लाई करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां। इटली के रक्षा मन्त्री 4 अक्तूबर, से 7 अक्तूबर, 1984 तक सरकारी यात्रा पर भारत आए थे।

(ख) इटली के रक्षा मन्त्री के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिए अतिरिक्त पुर्जे सप्लाई करने के प्रश्न पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ।

(ग) भाग (ख) के उतर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वनों पर आधारित ईंधन को बचाने के लिए हिमालय क्षेत्र के लोगों को कम दरों पर खाना बनाने की गैस उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

1171. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय, वनों पर आधारित ईंधन को बचाने और वनों के विनाश में कमी के लिए हिमालय क्षेत्र के लोगों के पेट्रोलियम मन्त्रालय के सहयोग से कम दरों पर खाना बनाने की गैस उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो वनों पर पड़ने वाले ईंधन संबंधी बोझ से बचने के लिये क्या वैकलिपक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वनों पर निर्भर ईंधन भार से बचने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा किये जा रहे उपायों में सामाजिक तथा फार्म वन विद्या को लोकप्रिय बनाना, बिकसित स्टोवों/चूल्हों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना, आरा मिलों तथा ब्रिकेटिंग हेतु लागिंग अपशिष्टों का उपयोग, जहां आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो बायो-सम्परिवर्तनीय विधियों इत्यादि को गति देना व उनका विकास शामिल है।

उन राज्यों के नाम, जिनमें बाल विवाह प्रथा प्रचलित है

[अनुवाद]

1172. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अभी भी बाल विवाह प्रथा प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं, जहां पर यह प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित है;

(ग) क्या ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है और यदि हां तो ऐसे कितने मामले हैं और किस राज्य के हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बुरी प्रथा को रोकने तथा अनभिज्ञ व्यक्तियों को इस बुराई से अवगत कराने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) बालक विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के अधीन अभियोजनों के और बारे में वर्ष 1977 से 1979 तकको अवधि की बाबत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इकट्ठी की गई जानकारी से पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप में अधिनियम के अधीन अभियोजन किए गए हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उक्त अवधि के दौरान उनके यहां ऐसे कोई अभियोजन नहीं किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में अधिनियम के अधीन किए गए अभियोजनों की संख्या से अनिवार्यतः यह दर्शित नहीं होता है कि उन राज्यों में बाल विवाह प्रथा किस सीमा तक प्रचलित है, क्योंकि अभियोजन चलाने का प्रश्न, प्रशासनों की सतर्कता पर निर्भर करता है। किसी विशिष्ट राज्य का, जिसमें बाल विवाह प्रथा प्रचलित है, नाम लेना उचित नहीं होगा। समाज के कुछ वर्गों में बाल विवाह प्रथा सामाजिक रूढ़ि के रूप में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और इस प्रथा को समाज के इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करके ही, पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।

(घ) बालक विवाह अवरोध अधिनियम के उल्लंघन के लिएअभियोजन चलाने में तेजी लाने के अतिरिक्त, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार करके, इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित करके और अन्य उपायों द्वारा इस बुराई के परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए कई अन्य उपाय किए जा रहे हैं। प्रचार के अन्तर्गत, परिवहन बसों में पोस्टर लगाना, रेडियो कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडों, वृत्तचित्र फिल्मों, प्रेस पोस्टरों का प्रदर्शन ग्रामीण महिलाओं से सामूहिक चर्चा करना, टीन के डिब्बों पर (टीन डिब्बों पर विज्ञापन जिनमें उप-भोक्ता वस्तुएं बेची जाती हैं) संदेश, आदि, है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से वर्ष 1977, 1978 और 1979 की बाबत यथा प्राप्त बालक अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929		
	1977	1978	1979
1. गुजरात	112	98	180
2. हरियाणा	कुछ नही	कुछ नहीं	2
3. हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2
4. मध्य प्रदेश	8	20	14
5. महाराष्ट्र	8	4	17
6. राजस्थान	कुछ नहीं	6	12
7. तमिलनाडु	1	1	2
8. उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1
9. पश्चिमी बंगाल	1	1	2
10. अन्दमान और निकोबार द्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	3

12.02 म. प.

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

(कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया बैठ जाइये। आप मेरी अनुमति की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करते। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं प्रत्येक को बुलाऊंगा। जब तक पहले आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करते मैं आप में से किसी को नहीं सुनुंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण किजिये। मैं आपको बुला लूंगा।

श्री चिन्ता मोहन (तिरुपति) : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामला गम्भीर है। कृपया बैठ जाइये। आप बैठेंगे या नहीं ? पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए तब मैं आपको एक-एक करके बोलने को कहूंगा सभी को नहीं। यदि आप सभी खड़े हो जायेंगे तो मैं आप में से किसी की भी बात कैसे सुन सकता हूं ?

श्री चिन्ता मोहन : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने गुजरात की साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में वक्तव्य दिया है और उन्होंने गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के प्रति विपक्षी दलों के दृष्टिकोण के बारे में उन पर दोष लगाया है। हमारा उन घटनाओं से किसी प्रकार का संबन्ध नहीं है। कांग्रेस (इ) सरकार वहां मुसीबत खड़ी कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है।

श्री चिन्ता मोहन : दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना नहीं मिली। पहले मुझे सूचना दीजिए।

प्रो. मधु दण्डवते : (राजापुर) मैं आपको पहले ही सूचना दे चुका हूं। मुझे स्पष्ट करने दीजिए। प्रधान मंत्री जी 23 मार्च को अहमदाबाद गये थे। हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने समस्त विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि समस्त विपक्ष, निराश विपक्ष, गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेवार है।

आपको स्मरण होगा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने गुजरात का दौरा करने के बाद 21 मार्च को सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में कहीं थोड़ा सा भी यह संकेत नहीं था कि इस सब के लिए विपक्ष जिम्मेवार है। महोदय, हम इसीलिए इस आरोप का कड़ा विरोध करते हैं। हमारा तर्क यह है कि सरकार उस वक्तव्य को सिद्ध नहीं कर पायी है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आपने सूचना दी है ··

प्रो. मधु दण्डवते : मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह स्थगन प्रस्ताव पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उसे स्वीकार नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसे अस्वीकार किया जाता है। कृपया बैठ जाइये। अब स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद की गुन्जाइश नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले का जहां तक संबंध है, कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम विरोध करते हैं और बहिर्गमन करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर बाहर चले गए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकार किया जाता है। इस पर अब कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : आज विभिन्न समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ धनराशि आबंटित की है। उसी समाचार पत्र में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि कुछ उग्रवादी दिल्ली में घुस आए हैं। यह एक गंभीर मामला है और हमें अपने माननीय प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के जीवन की बहुत चिन्ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य दें और सभा को बतायें कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन की रक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिली है। हम इस पर विचार करके आपको बता देंगे।

श्री पी. चिदाम्बरम (शिवगंगा) : कुछ दिन पहले माननीय विदेश मन्त्री ने श्रीलंका की स्थिति पर वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के बाद हम आशा कर रहे थे कि सभा में इस विषय पर चर्चा होगी। सत्र प्रारम्भ होने के बाद उस वक्तव्य के अलावा हमने इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की है। अब मद्रास से समाचार मिले हैं कि कुछ विपक्षी दल महीने भर का आन्दोलन चलाने की योजना बना रहे हैं·· (**व्यवधान**)···केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सामने आन्दोलन करना चाहते हैं हम केवल यह चाहते हैं कि सभा में चर्चा किए जाने का अवसर मिलना चाहिए हम इस मामले पर यहां अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मैं आपसे तारीख निश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। आपने मेरे कक्ष में आकर और इस मामले पर विचार किया था। श्री लंका की स्थिति निस्सन्देह, गम्भीर है और न केवल यहां बल्कि वहां भी विपक्ष ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : तब हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह समस्या किस प्रकार अच्छी तरह हल हो सकती है, सरकार भी इस संबंध में कुछ प्रयास कर रही है। वे गम्भीरता से कार्यवाही कर रहे हैं। आपने आज समाचार-पत्रों में देखा होगा कि विदेश सचिव श्री भण्डारी कोलोम्बो गए हैं और वहां विचार-विमर्श कर रहे हैं और कुछ हल निकलने वाला है। इस संबंध में मैं राज्य मन्त्री और प्रधान मंत्री जी से मिला हूं। वे इस मामले को निपटाने में शीघ्रता कर रहे हैं। जहां तक वाद-विवाद की अनुमति देने का प्रश्न है, मैं उस पर विचार करूंगा। मैं जानता हूं कि सदस्य इस पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, श्री दण्डवते ने एक बात ऐसी कही है जिसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा है कि प्रधान मन्त्री जी ने अहमदाबाद में कहा है कि दंगों के लिए विपक्ष

उत्तरदायी है। उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने तो यह कहा था कि जो हार गए हैं वे इस मामले को गलियों में घसीट रहे हैं। क्या उनके कहने का यह अर्थ भी था कि जो हैदराबाद में हारे हैं वे भी इस मामले को गलियों में घसीट रहे हैं ? आन्ध्र में भी दंगे हो रहे हैं। इसी तर्क को आधार बना कर तो हम भी यह कह सकते हैं कि आन्ध्र में जो हारे हैं वे मामले को गलियों में ले गए हैं और हैदराबाद में दंगे करा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी यदि कोई विषय उठाना चाहते हैं, उसे कृपया लिखित में दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विपक्ष पर इस तरह प्रतिदिन आरोप लगाने का मैं विरोध करता हूं। मैं भी वहिर्गमन कर रहा हूँ।

[तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त सभा से उठकर बाहर चले गए।]

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदय, इस संबंध में मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का भार दिल्ली पुलिस के जिस उपनिरीक्षक को सौंपा गया था, वह कुछ दिनों से लापता है। हाल ही में दिल्ली में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। सोवियत संघ के अधिकारी की हत्या, दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक का लापता होना और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव इसके उदाहरण है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लें और यथाशीघ्र वक्तव्य दें। इससे लोगों के जीवन की सुरक्षा के संबंध में व्यर्थ में आतंक पैदा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने पहले इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, आप लिखित में दीजिए। तब मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं···मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्निहित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले बता चुका हूं। कृपया लिखित में दीजिए। बाद में मैं इस पर विचार करूंगा। अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्रों को लेते हैं।

12.11 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना; हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन; इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, औषधि (मूल्य नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1984 की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 26 अप्रैल, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 343 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 573/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 574/85]

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बड़ौदा का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये । संख्या एल. टी. 575/85]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव सीमित, बड़ौदा, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव सीमित, बड़ौदा, के वर्ष 1983-84 के कार्यरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 576/85]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम. 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आदि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया, लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का. आ. 67 (अ), जो 31 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स एसोशिएटेड इण्डस्ट्रीज (आसाम) सीमित, चन्द्रपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का.आ. 104 (अ), जो 8 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था मैसर्स डा. पाल लोहमन (इण्डिया) सीमित, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पाँच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(तीन) का. आ. 105 (अ), जो 8 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल सीमित, उज्जैन, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(चार) का. आ. 163 (अ), जो 25 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स ब्रेटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इण्डिया) सीमित, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 577/85]

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 को उपधारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "रबड़ के माल (डिप्ड लेटेक्स उत्पाद) के विनिर्माण को उक्त अधिनियम की अनुसूची में ग्रामोद्योग के रूप में जोड़ा गया है।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 578/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया सीमित, कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेनरी फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया सीमित, कानपुर, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 579/85]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लेखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 579/85]

(5) (एक) सीमेंन्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सीमेंन्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ इण्डिया, नई दिल्ली, वर्ष के 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 580/85]

(7) (एक) सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में देखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 581/85]

(9) (क) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जथा लेखापरीक्षित लेखे
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 582/85]

(दो) सेंटल टूल रूम, लुधियाना, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 583/85]

(तीन) इंस्टीच्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंन्ट्स, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 584/85]

(चार) सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 585/85]

(पांच) टूल रूम एंड ट्रेनिग सेंटर, दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर कलकत्ता, सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना, इन्स्टीच्यूट फार डिजायन आफ इलक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्ट्रूमैन्टस, बम्बई, सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ टूल डिजाइन, हैंदराबाद, तथा टूल रूम बम्बई एंड ट्रेनिग सेंटर, दिल्ली, के वर्ष

1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 586/85]

(11) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेमेंन्ट, डिजाइन और व्यापार-चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 587/85]

(12) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 588/85]

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1985 जो 19 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 205 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का. आ. 1089, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'ज्वाइंट प्लांट कमेटी' (संयुक्त संयत्र समिति) को निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का. आ. 1090, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इन्डिया' को निर्धारण वर्षों 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का. आ. 1091, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत "डिवाइन लाइफ सोसाइटी" को निर्धारण वर्षों 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पाँच) का. आ. 1092, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट" को निर्धारण वर्षों 1986-87 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का. आ. 1093, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "खेलघर शिशु निवास व शिक्षा केन्द्र" को निर्धारण वर्षों 1983-84 और 1984-85 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का. आ. 1084, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (23 ग) के अन्तर्गत "दि लोटस ट्रस्ट" को निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 1095, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भाई वीर सिंह साहित्य सदन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1096, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "इण्डियन पीपल्स फॅमिन ट्रस्ट" को निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का. आ. 1097, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मराठा मन्दिर" को निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 1098, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "गांधीग्राम न्यास, गांधीग्राम, मदुरै" को निर्धारण वर्षों 1984-85 और 1985-86 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(बारह) का. आ. 1099, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के ,राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इन्स्टीच्यूट आफ रेल ट्रांसपोर्ट" को निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1985-86 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 1100, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिवियम. 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

'वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन्डिया, बम्बई' को निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में संख्या (दो) से (तेरह) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 589/85]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 284 (अ), जो 18 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 18 मार्च 1985 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान किसी छोटे निर्माता द्वारा निकासी किए गए 30 हजार रुपए तक मूल्य के कार्बनिक रसायन को छूट देने के बारे में है।

(दो) सा. का. नि. 285 (अ), जो 18 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 18 मार्च, 1985 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान किसी छोटे निर्माता द्वारा निकासी किए गए 30 हजार रुपये तक मूल्य के यात्रा-सामान की छूट देने के बारे में है।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 590/85]

12.12 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली, में द्रव क्लोरीन का अत्यधिक रिसाव होने तथा हजारों कर्मकारों और अन्य लोगों के जीवन को खतरा पैदा होने की कथित सम्भावना

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं रसायन और उर्वरक मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर दिलाना चाहती हूं तथा उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें :

"मैसर्स श्री राम कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली में द्रव क्लोरीन का अत्यधिक रिसाव होने तथा हजारों कर्मकारों और अन्य लोगों के जीवन को खतरा पैदा होने की कथित संभावना तथा इस मामले में सरकार द्वारा उठाये गये पग।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मै. श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. के अधीन आने वाले एककों में से एक एकक मै. श्री राम कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली है, जो नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है। इस समय, मै. श्री राम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. अपने नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित संयंत्र में कास्टिक सोडा और तरल क्लोरीन सहित रसायनों के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन के अनुसार लगभग 280 टन क्लोरीन, जो कास्टिक सोडा के उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, भण्डारण टैंकों में भण्डार करके रखा गया है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस एकक में किए गए निरीक्षणों से पता चलता है कि श्रमिकों तथा कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए निवारक एवं नियंत्रण उपाय अपर्याप्त थे। दिल्ली प्रशासन क्लोरीन स्टोरेज से श्रमिकों तथा कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को होने वाले खतरे की संभावना से पूर्णतः अवगत है।

भोपाल दुर्घटना के पश्चात, सरकार खतरनाक तथा जहरीली प्रक्रियाओं के जोखिमों की समस्या से पूर्णतः सचेत है। इसलिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि टास्क फोर्स/विशेषज्ञ दल गठित करें जो ऐसे सभी एककों का शीघ्र सर्वेक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुरक्षा नियंत्रण एवं निवारक उपाय अपनाए जाएं। सरकार कारखाना अधिनियम, 1948, और नियमों में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है ताकि उनको और कठोर बनाया जाए और सुरक्षा सुनिश्चित हो। सरकार द्वारा अन्य मामलों के साथ-साथ आई.एल.ओ. से तकनीकी सहायता के लिए जिन क्षेत्रों की शिनाख्यत की है उनमें रसायन उद्योग सहित खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रमुख जोखिम नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है। इस समस्या की आई. एल. ओ. मिशन के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी, जब वे इस मामले पर अप्रैल, 1985 में विचार करेंगे।

मैं सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि न केवल इस कंपनी द्वारा बल्कि खतरनाक प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले अन्य एककों द्वारा अपेक्षित सुरक्षा मानकों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है और हम पहले ही दिल्ली प्रशासन के साथ सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों तथा आम जनता दोनों के हित में इस सम्बन्ध में शीघ्र उपाय किए जाएं।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ सभी राज्यों के लोग रहते हैं। इसका अतीत गौरवपूर्ण है। इसके पास विरासत में मिली संस्कृति है तथा इसका राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। ऐसे विश्वजनीन शहर में इस तरह की घटना या दुर्घटना होने से न केवल दिल्ली वासियों बल्कि देश भर के लोगों पर दूरगामी असर पड़ेगा। अत: यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मुझे बहुत खुशी है कि सरकार इस मामले को बहुत गम्भीरता से ले रही है और माननीय मंत्री अपने वक्तव्य में बता चुके हैं कि न केवल रसायन एककों वाली कम्पनियां द्वारा बल्कि खतरनाक प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाली अन्य कम्पनियों द्वारा अपेक्षित सुरक्षा मानकों पर

कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है दिल्ली में लगभग 400 फैक्टरियां है जिनमें से कुछ से पर्यावरण प्रदूषित होने का खतरा है। भोपाल दुर्घटना के कारण लोगों के मन में दहशत है कि वैसी भयंकर दुर्घटना यहाँ भी हो सकती है। इसीलिए इस गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इस विशेष दुर्घटना को देखते हुए हमारी चर्चा का दायरा बहुत सीमित है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर भय बना हुआ है इसीलिए यह विशेष समस्या सरकार के ध्यान में लाई गई है ताकि वह एहतियात के तौर पर कार्रवाई करके लोगों में विश्वास जागृत कर सके। बताया गया है कि एक क्लोरिन गैस यूनिट में रिसाव हुआ था। मैं नहीं जानती कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है या नहीं तथा क्या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को कोई संभावित खतरा तो नहीं है। मुझे बताया गया है कि कुछ समय पहले रिसाव के कारण एक इन्जीनियर की मृत्यु हो गई थी। यह भी बताया गया है कि श्रीराम कैमिकल्स के कारण पर्यावरण के प्रदूषित होने के खतरों के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने एक जांच की थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस यूनिट को बन्द कर दिया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि इस समस्या की जांच के लिए ब्रिटेन से एक विशेषज्ञ बुलाया गया था। उस विशेषज्ञ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। कि इस संयंत्र से लोगों के जीवन को खतरा होने की हर संभावना है तथा इससे होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को भी गंभीर खतरा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम्पनी के परिसर में स्थापित गैस टैंक के रख-रखाव से सम्बन्धित सुरक्षा उपाय सही नहीं हैं। इन सब बातों पर चर्चा की जानी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि कई बार हमें महसूस होता है कि इन यूनिटों द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतम सुरक्षा मानकों से देश केवल कागजों पर ही वाकिफ हैं। केवल 400 रसायन प्रक्रियाओं के लिए ही मानक हैं। तो अन्य प्रक्रियाओं के लिए मानक क्यों नहीं हैं ? जो कुछ हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा। भोपाल दुर्घटना से पूर्व इन समस्याओं पर विचार करने के लिए रसायन उद्योग समिति के तत्वाधान में एक उप समिति का गठन किया गया था इस उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार बड़े तथा संगठित क्षेत्रों से इस तरह का कोई खतरा नहीं है लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि पर्यावरण प्रदूषण के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार सरकार कुछ सुरक्षा उपाय तैयार करके राज्य सरकारों को दे देती है। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कितने राज्यों ने उन उपायों को लागू किया। कई बार केन्द्र भी उद्योगों को लाइसेंस तथा आशय पत्र देता है। लेकिन उद्योग सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करते हैं। अतः परियोजना रिपोर्ट में सुरक्षा उपायों का उल्लेख करना ही काफी नहीं है बल्कि इस पर कड़ाई से जोर दिया जाना चाहिये कि उन उपायों को ईमानदारी से लागू किया जाए। इन उपायों को लागू करने के लिए जरूरी है कि संयंत्र स्थल का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है इन सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया जाता और न ही उन पर पर्याप्त निगरानी रखी जाती है। हमने देखा है कि उद्योग पति भी कई बार इन उपायों को लागू करने के प्रति उदासीन रहते हैं। वे महसूस करते हैं कि सुरक्षा उपायों पर किया जाने वाला व्यय अनुत्पादक तथा व्यर्थ है। इसलिए वे इस पर व्यय नहीं करते।

कई बार हम देखते है कि भारतीय कम्पनियों की उत्पादन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी हस्तांतरित

करते समय विदेशी कम्पनियां सुरक्षा उपायों से सम्बन्धी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं करती। यही तो कठिनाई है। इसलिए मैं इस विशेष फर्म अर्थात् श्री राम कैमिकल्स के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ।

पहला प्रश्न स्थान से संबंधित है। मुझे बताया गया है कि यह उद्योग घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। मैं नहीं जानती कि जब इस उद्योग को लाइसेंस दिया गया था तो उस समय क्या स्थान के बारे में केन्द्र सरकार की कोई विशिष्ट नीति थी। क्या इस शहरी क्षेत्र या बड़े महानगरों में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी शर्त तब तक बनाई जा चुकी थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले उस शर्त का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो अब क्या किया जाएगा ? अब कौन सा अगला वैकल्पिक समाधान है ? क्या इस तरह के उद्योगों को कहीं और स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

अब मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में पूछना चाहती हूँ। बोर्ड ने विभिन्न खतरनाक रसायनों की सूची तैयार करने के लिए स्पष्ट रूप से इन खतरनाक रसायनों का निर्धारण किया है क्या सरकार द्वारा गठित इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बहिःस्राव के मानक निर्धारित किए हैं। यदि हां-तो क्या यह पता लगाने के लिये मौजूदा नमूनों की जांच की गई है कि इन मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं ?

मैं जानना चाहती हूं कि इस विशेष श्रीराम केमिकल्स उद्योग में किस हद तक जल एवं गैस प्रदूषण विद्यमान है ? मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि वे बहुत से कदम उठा रहे हैं और सुरक्षा उपायों के बारे में भी विभिन्न तरीके निकाल रह हैं। मुझे खुशी है कि वे इस बारे में वास्तव में ईमानदार हैं परन्तु प्रश्न यह है : कि अगर इस फैक्ट्री में कभी भी प्रदूषण का पता चलता है तो इस विशेष फैक्ट्री के लिये सुरक्षा उपायों को लागू करने की समय सीमा क्या है ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आशंका है कि जो कुछ भी निर्णय हम लेने जा रहे हैं अथवा जो कुछ भी योजनाएं हमारे पास हैं क्या हम वास्तव में उनको कार्यान्वित कर रहे हैं।

भोपाल मे, बचाव के तीन तरीके थे, एक तो पानी छिड़काव की व्यवस्था, दूसरे कास्टिक सोडा स्ट्रैंगलर और तीसरी चीज थी ब्लास्ट टावर। इन तीन उपचारात्मक उपायों को लगाने के बावजूद भी भोपाल में इतनी भयंकर दुर्घटना हुई थी।

मैं जानना चाहूंगी कि इस मामले में किन-किन उपचारात्म उपायों को अपनाया गया है और क्या वे दोनों गुणात्मक रूप में तथा परिणात्मक रूप में पर्याप्त हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि उपचारात्मक एवं सुरक्षा उपायों का नेमी निरीक्षण करने के लिये क्या सरकार के पास योग्य कार्मिक हैं। मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि निरीक्षण के लिये कदम उठाये गये हैं। परन्तु मैं जानना चाहती हूं नेमी निरीक्षण क्या है, और वे इसे किस प्रकार कर रहे हैं। मैं इसका सम्पूर्ण ब्यौरा जानना चाहती हूं और क्या कार्मिक मौके पर निरीक्षण करते हैं अथवा नहीं।

कभी-कभी हम देखते हैं कि हम लोग उत्पादन की ओर, कर्मचारियों की संख्या में कमी तथा लागत में कटौती के उपायों पर जोर देते हैं। ऐसी हालत में क्या होता है कि उपचारात्रक

उपायों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता या इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं जानना चाहती हूं क्या सरकार कर्मचारियां की संख्या में कमी तथा लागत में कटौती के उपायों के प्रति सजग है जिन से रसायन उद्योगों के सुरक्षा प्रतिष्ठनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे स्वास्थ्य के लिये काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये सभी बातें हैं।

अन्त में, एक मुद्दा है।

हमारे यहाँ वायु एवं जल प्रदूषण विधेयक है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास फैक्ट्री में काम बन्द करावाने के लिये पर्याप्त शक्तियां हैं अगर वे चाहते हैं कि यह बहुत ही जरूरी है। अगर ये लोग भोपाल में होते तो शायद वहां यह दुर्घटना नहीं होती। इसीलिये मैं पूछ रही हूं कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान अधिनियम में है क्योंकि अगर कोई कमी है, और यदि हम फैक्ट्री को बन्द नहीं कर सकते तो इससे जन जीवन की हानि होगी। आप इस अधिनियम को किस तरह से लागू करेंगे ताकि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो ?

मेरे मित्र श्री ललित माकन दक्षिण दिल्ली के सदस्य हैं। इस विषय में उनकी भी रुचि हो सकती है। इसलिए मैं कुछ प्रश्न उनके पूछने के लिए भी छोड़ देती हूं। धन्यवाद

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्यों का तथा सदन को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि विशेषकर भोपाल दुर्घटना के पश्चात् केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी खतरनाक उद्योगों में सर्वेक्षण एवं निरीक्षण करने तथा आवश्यक कदम उठाने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि सुरक्षा उपायों को अपनाया जा सके और जब कभी भी उद्योगों में अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण कराया जाना चाहिये और इन एककों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये। और वहां का वातावरण इस तरह का होना चाहिए कि इससे फैक्ट्री के बाहर रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर सामान्यतया प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहां तक इस एकक का सम्बन्ध है और दिल्ली में स्थिति अन्य खतरनाक एककों का सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि भोपाल दुर्घटना के पश्चात् दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक प्रभावी कदम उठा लिए हैं। श्रम आयुक्त ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक एककों का पता लगाने के लिए औद्योगिक उपक्रमों का स्वयं निरीक्षण करवाया है और उन्होंने ऐसे एककों का पता लगा लिया है तथा श्रीराम फर्टलाइजर एकक भी उनमें से एक है। श्रम मंत्रालय के आग्रह पर एक विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ डा. स्लेटर से इस फैक्ट्री का दौरा करने और यह पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया था कि क्या इस एकक में अपनाए गए सुरक्षा उपाय और सुरक्षा मानक पर्याप्त हैं अथवा कोई और कार्यवाही करनी है। अतः यू. के. विशेषज्ञ डा. स्लेटर ने इस फैक्ट्री का दौरा किया तथा क्लोरीन भंडारण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार को तथा श्रम मंत्रालय को रिपोर्ट दी और श्रम मंत्रालय ने उस रिपोर्ट पर और आगे कार्यवाही करने के लिए उसे उप राज्यपाल के पास भेज दिया। मुझे आशा है कि उप राज्यपाल यू. के. विशेषज्ञ द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार और आगे कार्यवाही कर रहे हैं : इसके अतिरिक्त, वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली

प्रशासन ने आठ निरीक्षण किये थे, जहां तक इस फैक्ट्री अथवा एकक का सम्बन्ध है इसके खिलाफ पहले ही दो चालान अदालत में दायर किए जा चुके हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास कोई अवस्थिति नीति है क्या इस एकक को अवस्थिति नीति के अनुसार ही लाइसेंस जारी किया गया था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अवस्थिति नीति पर मई, 1978 में निर्णय किया गया था परन्तु यह एकक बहुत पहले स्थापित किया गया था। मुझे बताया गया है कि यह एकक उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले स्थापित लिया जा चुका था, शायद इसकी स्थापना सन् 1940 के बाद के वर्षों में हुई हो। मैं इस एकक के बनने की सही सही तारीख अथवा सन् तो नहीं जानता लेकिन औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम बाद में लागू हुआ। बाद में भारत सरकार ने अवस्थिति नीति के बारे में निर्णय लिया। अतः लाइसेंस के बारे में मैं नहीं समझता कि भारत सरकार के लिए इसका लाइसेंस रद्द करना मुमकिन है। और जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है, निरीक्षण के पश्चात् अगर दिल्ली प्रशासन यह पाये कि सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं तो वह कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने निरीक्षण कार्य कर लिवा है और अगर कहीं सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं तो उन्हें दूर करने के लिए कतिपय उपाय कर दिए हैं। इस इकाई के खिलाफ कार्यवाही करने और इकाई को अनुदेश जारी करने के लिए दिल्ली प्रशासन पूर्णतया सक्षम है। अगर दिल्ली प्रशासन से अनुदेश प्राप्त करने के बाद इकाई उनका पालन नहीं करती है तो इन परिस्थितियों में सिर्फ एक ही कार्यवाही होगी और वह है इस प्रक्रिया संहिता की धारा 133 की शरण लेना। दिल्ली प्रशासन इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और यहाँ तक कि इकाई को बन्द करने की सूचना भी जारी कर सकता है। परन्तु मैं नहीं समझता कि इस मामले में ऐसी स्थिति आ गई है। क्योंकि यह इकाई न सिर्फ श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय कर रही है परन्तु फैक्ट्री के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का भी समुचित ध्यान रख रही है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह इकाई दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। जब यह बनी थी नजफगढ़ जंगल था। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली का विकास तेजी से हो रहा है। यह न सिर्फ दिल्ली के बारे में ही है अपितु सभी शहरी इलाकों की बात है। उस समय जहां कहीं भी इकाईयां लगी हुई थीं वहाँ पर कोई नहीं रहता था। वह बिल्कुल जंगल ही था। परन्तु इसके बाद विकास हुआ, फैक्ट्री के आस पास लोग रहने लग गए और इस समय यह दिल्ली के बीचों बीच है।

जहां तक इस इकाई को दिल्ली से बाहर ले जाने का माननीय सदस्य का प्रस्ताव है मैं नहीं समझता कि यह प्रस्ताव व्यावहारिक है। क्योंकि यही सिर्फ एक मामला नहीं है परन्तु सभी शहरों में यही दिक्कत है जहां पर कि बहुत सी इकाईयाँ हैं जो जन-स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, परन्तु उन्हें वहां से हटाना मुश्किल है इसलिये नहीं कि यह खर्चीला है परन्तु इसके और भी कारण हैं।

अगर हम फैक्ट्री को बन्द कर देते हैं तो उसमें कार्यरत हजारों श्रमिकों को सरकार द्वारा

या संगठन अथवा समाज या दिल्ली प्रशासन द्वारा नौकरी देनी होगी। अतः स्थानांतरण अथवा बन्द करना समाधान नहीं है।

परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि फैक्ट्री के अन्दर कार्यरत और इसके आस-पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करना न सिर्फ दिल्ली प्रशासन का ही कर्त्तव्य है परन्तु संगठन को भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सभी कार्यवाही करदी गई हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। श्रम मन्त्रालय ने और आगे कार्यवाही की है। वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्पर्क में हैं। और उन्होंने विशेषज्ञों को यहां आने के लिए अनुरोध भी किया है। उनके अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ डा. बी. कैल्टा, चीफ (सेफ्टी एण्ड हैल्थ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने फरवरी, 1985 के प्रथम सप्ताह में हमारे देश का दौरा किया और हमारे विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की और वापिस चले गए। वहां जाने के पश्चात् और अन्य कार्यवाही करने के बाद, वे दो और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों को भेजने के लिए राजी हो गए। उनमें से एक पहले ही हमारे देश में है। एक और विशेषज्ञ बहुत जल्दी ही हमारे देश में आने वाले हैं। ये विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान देंगे कि श्रमिकों के हितों की किस प्रकार सुरक्षा की जाए और किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वातावरण इन सभी खतरनाक चीजों से मुक्त एवं स्वच्छ हो जहां तक श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं वातावरण का सम्बन्ध है, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से सरकार ने भी कई कदम उठाये हैं। मैं पहले ही गिना चुका हूं कि विभिन्न मौकों पर क्या क्या कदम उठा चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहां तक सभी खतरनाक उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य, वातावरण तथा सुरक्षा उपाय करने का सम्बन्ध है सरकार काफी सचेत है। विधि मंत्रालय निरन्तर दिल्ली प्रशासन के सम्पर्क में है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी आवश्यक है वह भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जायेगा और इन मामलों में संगठन को उचित निर्देश दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली बारूद के ढेर पर खड़ी है और जो लेबर कमिशनर की रिपोर्ट गई है, उस लेबर कमिशनर की रिपोर्ट में यह साफ शब्दों में लिखा है कि जो घटना भोपाल में हुई है, उससे भी ज्यादा खतरनाक घटना दिल्ली के अन्दर हो सकती है और वहां पर एक साथ, एक समय में 280 टन क्लोरीन स्टोर किया जाता है। उसकी गहराई में जायें तो उस गैस का यह असर होगा कि वह गैस जिस तरफ चल पड़े, अर्थात जिस तरफ हवा का रुख होगा, तो

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कम से कम 200 किलोमीटर तक जितने भी लोग आयेंगें, वह उसमें आ जायेंगे और गलती से इस लोक सभा के अन्दर चल पड़े तो न आप रहेंगे, न हम।

अभी एक साल पहले इसी फैक्ट्री के बाहर कुछ गैस लिक नहीं हुई, जो हो रही है, जो गैस हवा में निकलती है, वहां से स्कूल के बच्चे जो स्वतंत्र भारत मिल जो पास में हैं, उस फैक्ट्री के नजदीक से गुजर रहे थे, तो 40 बच्चे सिर्फ सड़क से गुजर रहे थे, वहीं पर बेहोश हो गये और यह घटना हो गई।

अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने चालान किया। अध्यक्ष महोदय, अगर चालान होता रहे तो यह पूंजीपति बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें 1000-2000 रुपये चालान में देने पड़ेंगे। यह कहा गया कि लाइसेंस को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यह लेबर कमिशनर की रिपोर्ट मेरे पास है, इस लेबर कमिशनर की रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि हम सेफ्टी मेजर्स लेंगे। इस रिपोर्ट का एक पैरा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

"वर्तमान सुरक्षा उपाय फैक्ट्री में सम्बद्ध जोखिमों को दूर नहीं कर सकते और फैक्ट्री में खतरनाक प्रक्रियाओं को (कास्टिक सोडा संयंत्र) तुरन्त बंद किया जाना चाहिये।"

[हिन्दी]

मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी इम्प्रूमेंट करना चाहे, कर लें, लेकिन उस इम्प्रूमेंट के बावजूद भी आज जो खतरा दिल्ली के लाखों नागरिकों के सिर पर मंडरा रहा है, वह खतरा रुक नहीं सकता है। यह मेरे अलफाज नहीं हैं, लेबर कमिशनर के अलफाज हैं।

अभी जिक्र किया गया कि दिल्ली प्रशासन में लेफ्टीनेंट गवर्नर कार्यवाही करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि लेफ्टीनेंट गवर्नर और दिल्ली प्रशासन के पास कोई ताकत नहीं है इनके खिलाफ कार्यवाही कर सके. इसलिये लेबर कमिशनर ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह रिकमेंड किया है कि इनके लाइसेंस को फौरन ससपेंड किया जाये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब लेबर कमिशनर ने यह सिफारिश करके कहा है कि उनके पास कोई ताकत नहीं है कि इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें तो आज मन्त्री महोदय को क्या परेशानी है, वह क्यों नहीं उनके लाइसेंस को ससपेंड कर देते जिस से दिल्ली के लाखों नागरिकों को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यह जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के पीछे जो पानी गिरता है, इस पानी के अन्दर कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सल्फरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड जो सारे जहर हैं, यह सब इस पानी के अन्दर जाते हैं आज मैं पूरे सदन के लोगों को बताना चाहता हूं कि वह पानी यमुना में जाता है। उस से मछलियां मरती हैं, सब्जियां मरती हैं और हमारी फसलें मरती हैं। उसके साथ साथ उस पानी को पीने से हमारे और आप लोगों के शरीर में स्लों-प्वायजनिंग होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लेबर कमिशनर ने जो यह कहा है कि इम्प्रूवमेंट से कुछ नहीं

होगा, लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, उस की रिपोर्ट के बाद क्या वह इस के लाइसैंस को सस्पेंड करेंगे ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि यहां का जो पानी जा कर यमुना में गिरता है, उस को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

इस फैक्ट्री के अन्दर जितने भी मजदूर हैं उनमें से 20 परसेंट को टी बी हो चुकी है। यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं, यह डाक्टरों की रिपोर्ट है। डाक्टरों ने यह कहा है कि 20 परसेंट मजदूरों को यहाँ टी बी हो चुकी है। साढे तीन हजार मजदूर इसमें काम करते हैं। उन 3500 मजदूरों में से 25 सौ कान्ट्रेक्टर लेबर हैं। सिर्फ एक हजार मजदूर रेगुलर हैं। पिछले दो साल के अन्दर 5 मजदूर मर गए। एक साल में 150 मजदूर ऐसे होते हैं जिन में किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पांव जल जाता है, किसी का कोई और अंग जल जाता है। दिल्ली के अन्दर आज जितने भिखारी हैं उनको बुलाकर पूछा जाय तो उन में 25 प्रतिशत डी.सी.एम. कैमिकल्स के मिलेंगे। वह इसलिए कि कांट्रेक्टर के जो लेबर होते हैं उन का कोई रेकार्ड वहां नहीं है। जब उनका हाथ या पांव कट जाता है या और कोई ऐक्सीडेंट हो जाता है तो वह नौकरी से तिकाल दिये जाते हैं ताकि उन को कोई कम्पन्सेशन न देना पड़े। जब वह मर जाते हैं तो उन को उठा कर बाहर फेंक दिया जाता है। जब मैं मैट्रोपोलिटन कौंसिल का मैम्बर था तो वहां भी मैंने यह सवाल उठाया था, दो साल के अन्दर पाँच आदमी मरे। वह जितने भी आदमी वहां मरते हैं कांट्रेक्ट लेबर के उनके बीबी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कान्ट्रेक्टर या डी. सी. एम. कैमिकल्स एक फूटी कौड़ी भी उन को कम्पन्सेशन के लिए नहीं देता।

इसके आस पास 5 लाख लोगों की आबादी है। साढे तीन हजार मजदूर वहां काम करते हैं और जो भी मजदूर वहां अपनी आवाज उठाता है उसको डिसमिस किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है यह इतनी सेंसिटिव इन्डस्ट्री है जिसके लिए वह कहते हैं कि इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बगल में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स की फैक्ट्री है जो सरकार की फैक्ट्री है जिसको वह क्लोरिन देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स को शिफ्ट कर सकते है,उसका फैसला कर सकते हैं तो डी सी एम कैमिकल्स को शिफ्ट करने का फैसला क्यों नहीं कर सकते हैं यह इतनी सेंसिटिव इन्डस्ट्री है और यह एसेंसियल कमोडिटीज के अन्दर कवर होती है। मेरी मांग है कि इस फैक्ट्री को जिस में साढे तीन हजार में से ढाई हजार मजदूर कांट्रेक्ट के हों, जहां दो साल में पांच आदमी मरते हों, जहाँ साल में 150 ऐक्सीडेंट्स होते हों, मेरी माँग है कि उस फैक्ट्री को सरकार अपने हाथ में ले, उसका राष्ट्रीयकरण करे या उसका टेक ओवर करे और जल्दी से जल्दी इसको शिफ्ट करे। अगर हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स की फैक्ट्री शिफ्ट हो सकती है। तो यह डी. सी. एम कमिकल्स भी शिफ्ट हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इस संयंत्र से 280 टन क्लोरीन का भण्डारण किया जाता है। यद्यपि टैंक में क्लोरीन की भण्डारण क्षमता 280 टन है इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें हमेशा 280 टन क्लोरीन होती है (**व्यवधान**)।...

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : क्लोरीन इतनी सघन तथा भारी होती है कि वह पानी में घुल जाती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैंने पहले यहां बताया, कास्टिक सोडे की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन बनती है और जब क्लोरीन बनती है तो उसका भण्डारण करना पड़ता है। जहां तक इस संयन्त्र का संबंध है, जो क्लोरीन यहां उत्पादित होती है उससे यह बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन से वे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, एकटिव अर्थ, एल्यूमिना फैरिक तथा हाई टैस्ट कैलशियम हाइपोक्लोराइट का उत्पादन कर रहे हैं। इन सब वस्तुओं का क्लोरीन से उत्पादन किया जाता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हमेशा दिन के पूरे 24 घंटे या साल के सारे माह 280 टन क्लोरीन का टैंक में भंडार होता है। भण्डारण की क्षमता 280 टन है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय मन्त्री उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते तब तक मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्यों की यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि मैं यहां पर सूचनाओं को छिपाने के लिए हूं। मैं यहां पर उस संगठन का बचाव करने के लिए नहीं हूं और न ही यहां पर मैं किसी का एजेंट हूँ। मैं यहां पर तथ्यों को बताने के लिए आया हूँ और जो भी तथ्य मेरे पास हैं उसकी मैं सूचना दे रहा हूँ।

माननीय सदस्य ने 1982 में हुई एक घटना का उल्लेख किया है। यह सच है कि दिसम्बर, 1982 में यह समाचार मिला था कि स्कूल के कुछ बच्चे मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स वर्क्स के समीप जहरीली गैस में श्वास लेने के पश्चात् बेहोश हो गये थे। जांच में ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका। दिल्ली प्रशासन की जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह मामला केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और आगे जांच करने के लिए सौंपा गया था। इसके बाद, 1983 के शुरू में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने निरीक्षण किया था और वहां पर कोई क्लोरीन या इसका अंश वायुमंडल में होना प्रमाणित नही हुआ।

माननीय सदस्य ने श्रम आयुक्त के प्रतिवेदन का बार बार उल्लेख किया है। मुझे यह बताया गया है कि यह प्रतिवेदन दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया है और दिल्ली प्रशासन को इस मामले की जानकारी है तथा वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि विशेषज्ञों ने जो यू. के. तथा आई. एल. ओ. से आये थे, इस फैक्ट्री का दौरा किया है। उन्होंने एक प्रतिवेदन दे दिया है। हमने उस प्रतिवेदन को उपराज्यपाल के पास आगे कार्यवाही हेतु भेज दिया है। मुझे आशा है कि दिल्ली प्रशासन और उपराज्यपाल इस दिशा में सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे होंगे।

माननीय सदस्य ने बार बार पूछा है, लाइसेंस के निलंबन में क्या कठिनाई है। मैं माननीय सदस्य, जो दिल्ली के एक अत्यन्त विख्यात श्रमिक नेता है, को स्पष्ट करना चाहता हूँ—

वह पहले से ही यह जानते होंगे—कि एक बार लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो उसे वापिस नहीं लिया जा सकता। वर्तमान मामले में यह एकक बहुत पुराना है और उसे लाइसेंस उस समय जारी किया गया था जबकि उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम लागू भी नहीं हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार भी, एक बार लाइसेंस दिये जाने के बाद, मैं नहीं समझता हूं कि उसे रद्द करना हमारे लिए संभव है। यह हमारे सामने एक कठिनाई है। अतः, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, अगर एकक में कार्य कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा जान की सुरक्षा, तथा कारखाने के बाहर के लोगों की भी सुरक्षा करने में खामियां या कमियां हैं तथा यह एकक इन खामियों को दूर करने की दिल्ली प्रशासन की हिदायतें या सलाह का पालन नहीं करता है तो दिल्ली प्रशासन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हैं। भोपाल दुर्घटना में, मध्य प्रदेश प्रशासन ने इस विशेष धारा का सहारा लेकर एकक को बन्द करने के लिए कहा था। इसी तरह से अगर फैक्ट्री दी गई हिदायतों का पालन नहीं करती हैं दिल्ली प्रशासन भी उनसे यूनिट बन्द करसे के लिए कह सकता है। जहां तक लाइसेंस रद्द करने का संबंध है, एक सुझाव के अनुसार जो मुझे दिया गया गया है, यह व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही विकल्प है जिसका मैंने सुझाव दिया है।

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि यह एकक बहुत से श्रमिकों को अधिकांशतया संविदा श्रमिकों रोजगार दे रहा है, वहां फैक्टरी में बहुत दुर्घटनायें हो रही हैं; बहुत व्यक्ति मर रहे हैं तथा बहुत से लोग अपंग हो रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बताना चाहता हूं—इसलिए नहीं कि वह यह नहीं जानते हैं—कि जहां तक इस एकक का संबंध है, राज्य सरकार इसके लिए उपयुक्त सरकार है, वर्तमान मामले में दिल्ली प्रशासन न कि केन्द्रीय सरकार उपयुक्त है। मान लो कि कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जहां तक श्रमिक कानूनों का सम्बन्ध है, श्रम आयुक्त को कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। बहुत से श्रमिक कानून हैं। कार्यवाही करना दिल्ली प्रशासन का काम है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है क्योंकि जहां तक इस एकक का प्रश्न है, उपयुक्त अधिकार दिल्ली प्रशासन के पास है न कि केन्द्रीय सरकार के पास।

माननीय सदस्य हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच.आई.एल.) के अन्तरण के बारे में जानना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि हमने एच.आई.एल. के अन्तरण का फैसला ले लिया है या नहीं। मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। लेकिन जहां तक इन एककों को शिफ्ट करने का प्रश्न है, केवल दिल्ली में ही यह विशेष बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सभी शहरी क्षेत्रों में ऐसे एकक हैं। अगर आप नीति के आधार पर सभी एककों को शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें इन खतरनाक उद्योगों को शिफ्ट करने से होने वाले आर्थिक तथा अन्य प्रभावों का पता लगाना होगा। अतः मेरे विचार में यह व्यावहारिक नहीं है; यह आर्थिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है तथा इन उद्योगों को शिफ्ट करने का सुझाव भी उचित नहीं है। आप इस पर विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। यह पता लगाने के

लिए कि और कौन से उपाय किये जायें ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों में कोई कमी न रहे और इन सब खतरों से बिल्कुल शत प्रतिशत मुक्ति हो सके, अगर यह स्वदेश में संभव नहीं है तो हम अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। अत: मैं महसूस करता हूं कि जो भी कार्यवाही दिल्ली प्रशासन को करनी थी उन्होंने की है तथा जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमारा श्रम मंत्रालय दिल्ली प्रशासन से लगातार सम्पर्क बनाये हुए है। मेरे विचार से हमारे श्रम मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और उन्हें माननीय सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला है। वह अवश्य ही ये विचार दिल्ली प्रशासन तथा उपराज्यपाल को पहुंचा देंगे और हमारी तरफ से जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह हम करेंगे।

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है। जहां तक संविदा प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न है मुझे पक्का पता है कि यह कदम उठाना दिल्ली प्रशासन का काम है। लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं था।

जहां तक श्रमिकों को मुआवजा देने का संबंध है मुझे मालूम है कि यह दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है।

मेरा प्रश्न था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से लोग मर रहे हैं तथा कितने ही श्रमिक दुर्घटनाओं का बरा-बार शिकार हो रहे हैं और कितने ही लोग संविदा प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं तो क्या सरकार प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने या फैक्टरी का अधिग्रहण करने पर विचार करेगी। यह मेरा प्रश्न है।

और जहां तक दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने का सम्बन्ध है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता सकता हूँ कि दिल्ली प्रशासन सक्षम नहीं है। दिल्ली प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर इस मामले को दिल्ली प्रशासन पर छोड़ेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, लाखों लोगों की जान खतरे में होगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है, माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि श्रमिक-विरोधी गतिविधियों, जिसमें प्रबन्धक लिप्त है, को समाप्त करने के लिए इस एकक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत सारे मौकों पर सरकार की राष्ट्रीयकरण न करने की नीति को स्पष्ट किया है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की मांग है। यह एकक अच्छी तरह से चल रहा है। अगर वहां पर कुछ कमियां अथवा खामियां हैं या प्रबन्धक श्रमिक विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं तो हमारा श्रम मंत्रालय अवश्य ही इस बात पर ध्यान देगा और हम इस बारे में दिल्ली प्रशासन को लिखेंगे। और अगर आवश्यक हुआ तो मैं अपने सहयोगी, श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा, कि वह दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को विचार-विमर्श के लिये बुलाकर प्रभावकारी कदम उठाने के लिए कहें ताकि इस एकक में ये अनुचित श्रम प्रक्रियायें पूरी तरह से समाप्त हो जायें।

श्री ललित माकन : क्या माननीय मंत्री सिद्धांत रूप में श्रम आयुक्त की सिफारिशों को स्वीकार करने से सहमत हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे बहुत खेद है कि मैं किस तरह से इस स्थिति को स्पष्ट करूं। श्रम आयुक्त दिल्ली प्रशासन के अधीन है। जहां तक इस एकक का संबंध है उचित प्राधिकरण या उचित सरकार दिल्ली प्रशासन है। अतः श्रम आयुक्त की जो भी सिफारिशें हैं उन पर विचार करना तथा उन पर कार्यवाही करना दिल्ली प्रशासन का कार्य है न कि श्रम मंत्रालय का या भारत सरकार का।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) क्या वह भारत में रह रहे हैं या कि भारत से बाहर ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे कृपया बैठ जाइये। आप इससे सम्बद्ध नहीं हैं। आपका नाम यहां पर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं चूंकि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है और हम भी यहीं पर हैं तो हम अवश्य ही इस मामले पर गौर करेंगे। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा संघ शासित प्रदेश में सब जगह शुद्ध पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें इसके लिए हम अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : 1982 में भी यह मामला उठाया गया था और ऐसा ही उत्तर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइटलर जी क्या आपने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है ?

श्री जगदीश टाइटलर : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने नोटिस दिये हैं केवल वहीं पूछने के पात्र हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : यह कक्षा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री जगदीश टाइटलर : हम अपने लोगों की समस्या का उल्लेख कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। इस तरह से मुझे न बैठाइये। मैंने उचित प्रश्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप नोटिस दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा। बिना नोटिस दिये आप बोल रहे हैं। यह कैसे संभव है ? माननीय सदस्य, जिसने नोटिस दिया है मंत्री महोदय से चर्चा कर रहे हैं और उन्हें उत्तर दिया जा रहा है।

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर मेरी समझ में नहीं आया है। यह हो सकता है कि मैं समझने में असमर्थ हूं। मैंने पहले भी कहा है कि यह दिल्ली प्रशासन या उपराज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के वक्तव्य पर आप चर्चा नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइये। आप पहले ही बोल चुके हैं। आपने अपना मुद्दा रखा है। मंत्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया हैं। इस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ललित माकन : मुझे केवल एक स्पष्टीकरण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही दे दिया है।

श्री ललित माकन : लेकिन यह स्पष्ट नहीं है !

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट नहीं है का मतलब है आपको इसके लिए अलग नोटिस देना होगा। तब मैं उस पर विचार करूंगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसके लिए नोटिस दीजिए, मैं उनसे जवाब देने के लिए कहूँगा।

श्री ललित माकन : क्या मंत्री महोदय सिद्धांत रूप से······

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बता दिया है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : स्पष्टीकरण चाहते हैं। यह सदन की परम्परा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इन्हें अनुमति दे दी है। वह उसका उत्तर दे रहे हैं। आगे वह पूछना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ललित माकन : मेरा प्रश्न है : यह मान कर कि दिल्ली प्रशासन कुछ भी करने में असमर्थ है क्योंकि मैं यह जानता हूं कि यह दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में नहीं है—मान लो कि दिल्ली प्रशासन कुछ भी कार्यवाही करने में असमर्थता दिखाता है तो क्या मंत्री महोदय उस स्थिति में श्रम आयुक्त की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अजंया) : इसमें जो बातें कही गई हैं कि मैनेजमेंट शुरू से एक्सप्लायटेशन करता आ रहा है, तो यह एक पुरानी आदत मैनेजमेंट की है। जहां तक कान्ट्रक्ट लेबर का सिस्टम है, उसके बारे में और कई बातें हम लोगों ने सुनी हैं और लेबर कमीशन की रिपोर्ट में भी यह आया है। मैं चाहता हूं कि मैं एक मीटिंग बुलाऊं और उसमें मैं आपको भी बुलाऊंगा और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लेबर कमीशनर को बुला कर बात करेंगे। अभी कैमीकल मिनिस्टर साहब ने कुछ बातें बताई हैं। हम सेफ्टी के बारे में कुछ मैजर्स लेंगे। जहां तक फैक्टरी के लाइसेंस को सस्पेंड करने की बात है और फैक्टरी को वहां से उठाने की बात है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वह डेंजरस है, तो इसके बारे में सोच सकते हैं और भोपाल में जो इन्सीडेंट हुआ है, उसको सोचते हुए हम जरूर एक्शन लेंगे **विद दि कन्सलटेशन आफ माई कूलीन श्री वीरेन्द्र पाटिल**।

इन्सीडेंट्स के बारे में भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट में भी इसके बारे में है। वे जो वायलेशन्स कर रहे हैं, उन वायलेशन्स को करने की रिपोर्ट हमारे पास है और उसके बारे में सख्त कदम उठाएंगे। मैं यह समझता हूँ कि केमीकल इन्डस्ट्री में सब को पर्मानेन्ट जोब्स मिलने चाहिए और लाइफ इन्श्योरेंस भी करना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हम कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

मैं अपने साथियों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा। मैं एक संयुक्त बैठक बुलाऊंगा।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त संतोषजनक उत्तर है। मेरा प्रश्न है : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि श्रीराम कैमीकल्स के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

[हिन्दी]

श्री टी. अंजैया : अभी आई. एल. ओ. के एक्सपर्ट आ रहे हैं अप्रैल में। उनसे भी कहेंगे कि वे विजिट करें।

[अनुवाद]

श्री ललित माकन : क्या वह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इसमें कितना समय लगेगा ?

[हिन्दी]

श्री टी. अंजैया : 10-15 दिन के अन्दर मीटिंग बुलाएंगे।

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : मैं भोपाल से आया हूँ···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड न किया जाये। कार्यवाही वृतान्त में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य से कहता हूँ कि वह बैठ जायें। कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

12.59 म. प.

समितियों के लिये चुनाव

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक-लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.00 म. प.

श्री एच. के. एल. भगत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312(ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312(ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने सात सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समित के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331(ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरम्भ

तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से बीस सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331(ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1985 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से बीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1985 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा अपने दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिए केन्द्र खोलने तथा और अधिक शीतागारों का निर्माण करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों को इस वर्ष अपना आलू लागत से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता इतनी नहीं है कि उसमें सारा आलू सुरक्षित रखा जा सके। हालत इतनी गम्भीर है कि जून

पसीना एक करके और घर से लागत लगा कर पैदा किया गया आलू गर्मी बढ़ने के साथ ही सड़ना शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि आलू उत्पादकों को न्यूनतम पचास रुपये क्विंटल का समर्थन दाम अवश्य दिया जायेगा। पर सरकार ने आलू खरीद के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। आलू पर उत्पादन लागत चालीस रुपये क्विंटल आती है जबकि बाजार में किसानों को पच्चीस-तीस रुपये क्विंटल से अधिक नहीं मिल रहा है।

ऐसी स्थिति में मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था करे। सरकार द्वारा जगह जगह खरीद केन्द्र खोले जायें। आलू को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी कोल्ड स्टोरेजों में आलू रखने की व्यवस्था की जाये।

तत्काल की व्यवस्था के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में आलू के भारी उत्पादन को देखते हुए वहां सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अधिक संख्या में कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा एक ऐसी केन्द्रीय एजेंसी का गठन करना चाहिए जो किसानों से सीधे आलू की खरीद का काम कर सकें।

(दो) पेयजल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा राज्य में विशेषकर इस कड़ी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की बहुत कमी हो गई है। राज्य के बहुत से गांवों में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी उपलब्ध न होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी गांव लवणीय क्षेत्रों में स्थित है जहां टैंक, जलाशय, नदी, छोटी नदी या कुंआ आदि में मीठा पानी उपलब्ध नही है! ट्यूबबलों को गहराई तक लगाए जाने से ही केवल पीने का पानी उपलब्ध किया जाता है। केन्द्र साकार की पहल पर 4 वर्ष पहले उड़ीसा राज्य सरकार ने इन तटीय जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डेनमार्क सरकार की एक संस्था 'डानीडा' को सौंपी थी! लेकिन उड़ीसा सरकार की तित्तीय अड़चनों के कारण उन्होंने आखिरकार डानीडा संगठन को इसे सौंपने से इन्कार कर दिवा। इन सभी वर्षों के दौरान विशेषकर अपर्याप्त वर्षा के कारण चालू वर्ष में पीने के पानी की बहुत कमी हो गई। राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि गांवों की पेयजल सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्यूबबैल लगाने की व्यवस्था नहीं भी जा सकती।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राज्य सरकार को अपेक्षित धन ताकि प्रभावित गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार सक्षम हो सकें!

(तीन) जम्मू कश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : दो वर्षों से पर्यटक व्यापार में निरन्तर असफल होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर इस समय एक बार फिर पर्यटन की बेहतर संभावनाओं की

आशा कर रहा है क्योंकि पर्यटन ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है ! राजनैतिक हलचल और आर्थिक विषमता के इस पूरे दोर में कारीगार, छोटे ट्रेडर, दुकानदार, नैमित्तिक मजदूर, होटल मालिक आदि बहुत प्रभावित हुए है । इसके परिणामस्वरूप पर्यटक संबंधी व्यापार और वाणिज्य में गतिहीनता आ गई । कश्मीर में अनेक मनोरम स्थल, विश्व प्रसिद्ध सुनहरे क्षेत्र, स्की स्थल, अनुपम और आकर्षक झीलें मनमोहक हरे घास में मैदान तथा इसके कारीगरों की अद्भुत कला न केवल स्थानीय लोगों के लिए वरदान है बल्कि भारतीय पर्यटन के विकास का एक बहुमूल्य स्रोत है ।

भारत सरकार ने अभी तक अपने पर्यटक मौनचित्र में कश्मीर को उचित स्थान नही दिया है । पर्यटन क्षेत्र में निवेशों की अत्यधिक एवं व्यापक संभावनाओं एवं राष्ट्रीय सम्पदा पैदा करने की क्षमता थी दुर्भाग्यवश उपेक्षा की गई है । केन्द्र सरकार को समूचे विश्व से बड़े पैमाने पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में धन लगाना चाहिए ।

कश्मीर में पर्यटन व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र को कश्मीरी कला के कारीगरों और ट्रेडरों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन देकर उनकी उदारता से सहायता करनी चाहिए, देश में तथा विदेशों में परम्परागत हस्तकला सामान, गलीचे शालें, कुट्टी नकन्कामी इम्ब्राडरी आदि की बिक्री के लिए नये बाजार ढूंढने चाहिए :

हालांकि इस वर्ष राज्य में पर्यटक मौसम विपुल संभावनाओं के साथ आरम्भ हो रहा है, केन्द्र को हवाई जहाज और रेल किराए पर विशेष छूट देने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा पर्वतीय स्थानों पर रियायतें भी पहले की तरह रखनी चाहिए । इसके अलावा, पूरे विश्व में भारतीय मिशनों के द्वारा कश्मीर के बारे में फिल्म और प्रदर्शनी दिखानी चाहिए । सभी संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेन्सियों से राज्य में पर्यटक उद्योग के लिए सीधे धन तकनीकी की जानकारी देने के लिए सम्पर्क किया जाना चाहिए ।

1.10 म.प.

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

(चार) मथुरा में यमुना नदीके जल को साफ करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति जी, भारतवर्ष में धार्मिक दृष्टि से यमुना, गंगा एवं सरस्वती "तीनों" नदियां प्रधान हैं। भगवान कृष्ण योगेश्वर की जन्मभूमि मथुरा में इस यमुना नदी की धार्मिक आस्था और अधिक बढ़ जाती है ।

हमारे शास्त्रों एवं सम्पूर्ण भारतवर्ष में धार्मिक आस्थानुसार यमुना जल का महात्म्य स्नान से अधिक आचमन का है । यह दुर्भाग्य की बात है कि यमुना नदी का जल स्तर प्रशासन की लापरवाही के कारण गिरता जा रहा है और आज मथुरा नगर में पवित्र यमुना नदी ने एक गन्दे नाले का रूप ले लिया है जो बड़े दुख और अफसोस का विषय है । कपड़ा धुलाई उद्योग की

वजह से यह पवित्र जल लाल हो गया है जो इस पवित्र जल को रक्त का रूप देता जा रहा है एवं मथुरा शहर में सीवेज न होने के कारण प्रातःकाल एवं सायंकाल यह पवित्र यमुना जल न होकर गन्दे नाले का रूप धारण कर लेता है। दुर्गन्ध की वजह से स्नान तो दूर, पास नहीं खड़े हो सकते। इस कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष से आये लाखों तीर्थ-यात्रियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और पवित्र यमुना जल से लोगों की आस्था उठ रही है।

मथुरा नगरवासियों ने 17 मार्च को यमुना जल को खुद साफ करने का अभियान प्रारम्भ किया। सफाई के दौरान आठ सड़ी हुई लाशें मिलीं। कीचड़ और काई तो टनों की तादाद में निकाली जा रही है। यमुना जल की पवित्रता का तो हनन हो ही रहा है, डर है कि कहीं महामारी के शिकार होकर सैकड़ों धर्म में आस्था रखने वालों को कहीं जान न देनी पड़े। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने मथुरा आगमन पर यमुना प्रदूषण हेतु अपने विचार रखे थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्र व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(पांच) सैनिक कल्याण सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, श्री के. पी. सिंह देव, तत्कालीन केन्द्रीय रक्षा मंत्री (अब धार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री) की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन करने के बारे में भारत सरकार के निर्णय पर देश के भूतपूर्व सैनिक बड़ी आशायें लगाए बैठे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 27 अक्तूबर 1984 को प्रस्तुत कर दी थी और इसे 8वीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था भूतपूर्व सैनिक सरकार के निर्णय को बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं।

मैं सरकार से समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर तुरन्त निर्णय की घोषणा के लिए अनुरोध करता हूं।

(छः) दिल्ली में पट्टा पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री ललितमाकन (दक्षिण दिल्ली: महोदय, राजधानी में भूमि के पट्टे की प्रणाली बिल्कुल अनावश्यक और अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में मकान (फ्लेट) दुकान खरीदता है तो उसे पूरी कीमत देनी पड़ती है। इसके अलावा उसे उस सम्पत्ति पर मकान कर, जल कर, संपत्ति कर, धन कर, सम्पदा शुल्क आदि सभी प्रकार के कर देने पड़ते हैं। उसे ये सभी और अन्य कर इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि वह मकान 1 फ्लेट 1 दुकान का मालिक है लेकिन फिर भी उस भूमि पर जिस पर मकान 1 फ्लेट I दुकान है, वह पट्टे पर है।

अब यदि किसी कारण उस स्वामी को मजबूरन इसे बेचना पड़ता है तो वह एक विशेष

अवधि तक कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी प्रत्येक बिक्री में पट्टे की दर पर वृद्धि की जाती है।

राजधानी में एक मकान मालिक की इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि पार्टी भी पट्टे की प्रणालों को समाप्त करने के लिए बचनबद्ध है।

मैं भारत सरकार से आशा करता हूँ कि वह पट्टे प्रणाली को खत्म करने के निर्णय की घोषणा करे।

(सात) झुन्झुनू निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिये इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : जनाब, राजस्थान का वह इलाका जो मेरी कान्स्टीच्युएन्सी झुन्झुनू क्षेत्र है, यह वह जगह है जहां पर कि खून सस्ता मिलता है और पानी महंगा मिलता है। मेरे इस इलाके का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। मगर दुख है कि आजादी के 3· साल बाद भी इस इलाके के लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी की दो बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है और जो पानी मिलता है वह दूर दराज से लाया जाता है। वह पीला-पीला, गदला-गदला सा छानकर हम लोग इसको अमृत जानकर पी लेते हैं। यह सच है कि हमारा मुल्क विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है, मगर अफसोस है मेरे इस इलाके में जहां पर कि खारे पानी का बेल्ट है वहां पर आज भी लोगों को बैलों और ऊटों के जरिये पानी खीचना पड़ता है।

इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण कुओं के पानी की सतह बहुत गहरी है जिससे सिंचाई तो दूर पीने का पानी भी मुश्किल से नसीब होता है। किसानों को जो बिजली का कनैक्शन जिन कूओं पर दिया गया है वहां पर मुसलसल बिजली सप्लाई न होने से उनको बड़ी मायूसी का मुंह देखना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस वाटर स्कीम के तहत अब तक जो साधन मुहैया करवाए हैं वह नाकाफी हैं। राजस्थान सरकार की अपनी सीमाएं हैं जिनके कारण बहुत सी ऐसी योजनायें अमल में नहीं लाई जा सकी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान रखा जाए कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी झुन्झुनू जिले तक पहुंचाया जा सके ताकि सदियों से प्यासी यह मरुभूमि सरसब्ज और आबाद हो सके। नहर का यह मुकद्दस पानी चूरू जिले के तारानगर तक आ गया है जो मेरे क्षेत्र से सिर्फ 15-16 कि. मी. की ही दूरी पर है। तारानगर से यह पानी नहर के जरिए या पाइप के जरिए मेरे क्षेत्र में लाया जा सकता है। यह पानी पाकर मेरा क्षेत्र के यह गौरवशाली लोग एक बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में नए टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं और इन जिलों में संचार

व्यवस्था की भारी कमी है। कई दफा भारत सरकार के संचार मंत्री महोदय से मैंने पत्रों द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों की मुश्किलात बताई, परन्तु अभी तक वह कोई भी कार्यान्वित नहीं हुई। मैं हिमाचल के लोगों की ओर से मांग करता हूं कि निम्नलिखित जगहों पर दूरभाष केन्द्र खोले जायें :

(1) हरिपुर धार, रएाहाट, नौराधार, शिलाई, कोपट्टा, जिला सिरमौर।

(2) जोरसी, हरिपुर पट्टा, बरावरी, जावर जमरोट, छावसा, देलगी जिला सोलन।

(3) रतनाड़ी, (चमीन) ग्राम पंचायत कलबोग, मेलठी, बरयाटा, जिवणीपुर, कुपुई, दोडरा क्वार जिला शिमला

तथा सोलन, नाहन, शिमला को माइक्रोवेव सिस्टम द्वारा जोड़ा जाए। मैं भारत सरकार के संचार मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि उक्त मांग को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द आदेश जारी किए जायें ताकि यहां के लोग लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने दूरभाष प्राप्त करने हेतु आपके विभाग को रुपये जमा करा रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें दूरभाष की सुविधा प्रदान नहीं की गई। मुझे आशा है कि इस पर ध्यान देकर लोगों की यह तकलीफ दूर की जायेगी।

(नौ) कालेत्तुमकारा रेल फाटक (केरल) पर एक उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. मोहनदास (मुकुन्दपुरम्) : कालेत्तुमकारा रेलवे फाटक केरल राज्य के दो शहरी निगम क्षेत्रों इरिन्जुलाकुडा तथा चलालकुडी के बीच स्थित है। सैंकड़ों वाहन तथा हजारों व्यक्ति प्रतिदिन इस फाटक को पार करते हैं। त्रिचुर तथा एर्णाकुलम् के बीच से गाड़ियां बारंबार गुजरती-हैं और इस फाटक पर यातायात रुक जाता है। बार-बार फाटक पार करने में लोगों को कठिनाई होती है। साथ ही यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि इरिन्जुलाकुडा के पास इस महत्वपूर्ण कालेत्तुमकारा रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल बनवायें जिसकी सिफारिश केरल सरकार द्वारा भी की गई है।

1.18 म. प.

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में संकल्प—जारी
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985—जारी,
पंजाब बजट 1985-86—जारी,
लेखानुदानों की माँगें 1985-86 (पंजाब)—जारी,
तथा
अनुदानों की अनपूरक मांगें 1984 85 (पंजाब)—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कार्य सूची की मद संख्या 14, 15, 16, 17, तथा 18 पर आगे चर्चा करेगी।

श्री राजमंगल पांडे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं कल सदन को बता रहा था कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री के प्रति उतम प्रयास भी विफल रहे। यदि आप और थोड़ा पहले के तथ्यों का सहो मूल्यांकन करें तो आप पायेंगे कि यहाँ दिल्ली के एक गुरुद्वारे में एक बैठक हुई थी जिसे हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने सम्बोधित किया था। उसमें उन्होंने कुछ रियायतों की एक तरफा घोषणा की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनका भी इन लोगों के दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ वे और भी अधिक कटु शब्द इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी माना। उन्होंने सोचा कि सरकार उनकी लगभग सभी माँगे मानती जा रही हैं अब पंजाब में हत्याओं और लूट-पाट को घटनाओं के बढ़ जाने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। स्थिति इस सीमा तक बिगड़ गई है कि वे लोग भी—जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा श्री एल के एडवानी, आदि जो यह कह रहे थे कि शायद है समस्या का कोई हल निकल जाए—हमने उनके वक्तव्य आज के समाचार पत्र में देखे हैं—उन्होंने भी यह कहा है कि अकालियों का रवैया सन्तोषजनक नहीं है। इनका विचार है कि उनसे साथ कोई सम्मान जनक समझौता होना मुश्किल है। जो माँगे उन्होंने रखी हैं उनसे यह इंगित होता है कि कोई भी सरकार उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। वे सेना के भगोड़ों के विरुद्ध, चल रहे मुकदमों को वापस लेने तथा उन सभी लोगों जो न केवल आगजनी तथा लूट पाट के अपराधी हैं बल्कि जो इस देश की एकता तथा सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने के अपराधी हैं। उनके विरुद्ध जो मुकदमे चल रहे हैं,

उन्हें भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को कोई भी सरकार सहन नहीं कर सकती ।

महोदय, अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक जो सदन के समक्ष है इस पर हमने केवल यही विचार करता है कि इसे 3 या 6 महीने तक और बढ़ाया जाए। मेरे विचार से जैसी स्थिति चल रही है उसे देखते हुए इसे केवल 6 महीने ही नहीं बल्कि तब तक लागू रखा जाए जब तक अकालियों के दिमाग में यह बात न आ आए कि वे भी भारत का एक अंग हैं तथा भारतीय संविधान उन पर भी लागू होता है। वे सोचते हैं कि शायद वे हमारे ऊपर दबाव डालने वाली स्थिति पैदा करके अपनी मांगे मनवा सकते हैं। वह किसी भी स्थिति में व्यवहारिक तथा सम्मानजनक नहीं होगा। सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि आप दिल्ली के किसी टैक्सी चालक से बात न करें तो वह जोर दार शब्दों में यह कहता है कि सिखिस्तान लाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। यह किस बात का संकेत है ? यह इस बात का द्योतक है कि वे समस्त भारत के प्रति शत्रुता की भावना रखते हैं। हमें उनकी इस भावना को समझा-बुझा कर तथा अन्य और तरीकों से, दूर करना होगा। विरोधी दल के सदस्यों तथा इस देश के 70 करोड़ लोगों को विश्वास में लेना होगा क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से समझौता नहीं करेगी जिससे देश की एकता तथा अखंडता को खतरा हो। कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि वे हिन्दू हैं परन्तु अब वे कहते हैं कि वे एक अलग कौम है। वे अलग ध्वज की मांग कर रहे हैं तथा अलग राष्ट्रीयता का हक चाहते हैं। ऐसी बातें कौन सहन करेगा ? यदि कोई सरकार इस स्थिति से समझौता कर लेती है तो मेरे विचार से इस देश के लोग उसे सहन नहीं करेंगे ? इसलिए इस विधेयक को बिना किसी चर्चा या विरोध के पारित कर देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय आप तथा माननीय मंत्री जी मुझे माफ करेंगे यदि मैं इन विशेष वैधानिक उपायों के समर्थन में या इनके विरुद्ध कुछ भी न कहूँ क्योंकि ये ऐसे उपाय हैं जिनका उद्देश्य जो स्थिति पिछले कई महीनों से चल रही है, उसे बहाल रखना है पहला प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिए तथा दूसरा राष्ट्रीय, सुरक्षा अधिनियम की अवधि में बढ़ाने के बारे में है।

मैं आशा कर रहा था कि माननीय मंत्री सदन को इस विषय में विश्वास में लेंगे कि इस समस्या को सुलझाने हेतु और क्या-क्या राजनीतिक उपाय विचाराधीन हैं जिससे कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है मेरा अभिप्राय इन वैधानिक अथवा प्रशासनिक उपायों की यथावत् स्थिति से नहीं है बल्कि उस सामान्य यथावत् स्थिति से है जो पंजाब समस्या के समाधान में विरोध के रूप में बची हुई हैं, – उस का हल निकाला जा सके मुझे लोगों की मनःस्थिति का या इन अकाली नेताओं में से कुछ नेताओं का जो लगातार कलाबाजी दिखा रहे हैं की परवाह नहीं है। उसका किसी ने भी समर्थन भी नहीं किया है तथा किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कम से

कम इस सदन में तो किसी भी ओर से यह नहीं कहा गया कि अकाली नेताओं की ओर से जो पूर्व शर्तें या मांगे रखी गई हैं वे स्वीकार की जाएं। आज के अखबारों में मुझे उन कुछ नए प्रस्तावों के बारे में पढ़कर बड़ा दुःख हुआ जो गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की बैठक में पारित किए गए हैं। उनमें से अधिकांश ने श्री लोंगवाल के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। वह तो ठीक है। लेकिन साथ ही कुछ पूर्व शर्तें भी जुड़ी थीं कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई नागरिक, धर्म-निरपेक्ष देशभक्त नागरिक कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह सब बताते हुए मुझे खेद हो रहा है। मैं नहीं जानता कि समाचार पत्रों में छपी सूचनाएं सही हैं या नहीं। उनमें तो यहां तक लिखा है कि ब्लूस्टार आपरेशन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने वाले जवानों को देशद्रोही करार दिया जाए और सेना के भगोड़ों को हीरो का दर्जा दिया जाए। किसी को भी यह बातें स्वीकार्य नहीं होंगी। इस बारे में इसी सदन में मैंने पिछली बार भी बोला था। सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सशस्त्र सेना को भेजने का राजनैतिक निर्णय लिया था। यह निर्णय जवानों ने नहीं लिया था। जवानों को जिन परिस्थितयों में कुछ आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था, मेरे विचार से संभवत संसार की कोई भी सेना उन हालतों में उन आदेशों का पालन न करती। उन्होंने अपना कर्त्तव्य जिस ढंग से निभाया उसके लिए वे सबके सम्मान तथा आदर के पात्र हैं। लेकिन अधिक बेहतर यही होता कि ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं होतीं और धार्मिक स्थल सशस्त्र सेना को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन गड़े मुरदे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया; अब हम उसे मिटा नहीं सकते। इस देश के लोग धार्मिक प्रकृति के हैं। यहां बहुत से धर्मों को माना जाता है। सिख ही नहीं बल्कि किसी अन्य समुदाय के किसी व्यक्ति को चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई हो, यदि कभी यह महसूस हो कि सेना के प्रवेश से उनका, मंदिर मस्जिद या चर्च अपवित हुआ है तो निसंदेह उन पर भी वही प्रतिक्रिया होगी जैसे अब सिखों पर हो रही है। यह एक अलग मामला है। लेकिन सरकार को सभा को, विरोधी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था ताकि हम सब मिलकर कोई उपाय खोज निकालने में समर्थ हों। निसंदेह यह एक कठिन काम है। कोई व्यक्ति उन सभी कठिनाइयों की सूची तैयार कर सकता है जो पिछले बहुत से महीनों में इकट्ठी हो गई हैं। इतना सब जो पंजाब में घटित हुआ है उसके बाद पंजाब में क्या स्थिति है अधिकतर सिखों की मनोस्थिति क्या है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। महोदय, हमने हाल ही में देखा कि चंडीगढ़ में हत्याएं हुई हैं। इसके पीछे भी कोई उद्देश्य है क्योंकि पीछे हमने देखा है कि जब कभी किसी समझौते या प्रस्ताव की बात होती है तो स्वार्थी वर्ग हत्या आदि जैसे आतंकवादी उपाय अपनाता है ताकि दोबारा से वातावरण दूषित किया जा सके। उसका यह एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन महोदय सरकार का देश के प्रति दायित्व है क्योंकि पंजाब संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। सीमा के पार से खतरे की हम आए दिन चर्चा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का सैन्य शासन विध्वंसक हथियारों का बहुत अधिक जमाव कर रहा है।

अमृतसर पाकिस्तानी सीमा से 20 मील की दूरी पर स्थित है। क्या हम इस सीमावर्ती राज्य में, जिसने अतीत में आक्रमण होने पर हमेशा हमारी रक्षा की है, में मौजूदा हालत को बने रहने देंगे? यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका केवल पंजाब या सिखों से ही संबंध है। यह सारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है अगर उसे और समय तक होने दिया गया तो समस्या वैसे ही बनी रहेगी और समस्त देश के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए श्री लोंगवाल और उनके मित्रों लोगों के सामने जिस अनुचित रवैये को अपनाए हुए हैं मैं नहीं जानता कि उनका व्यक्तिगत मत भी यहीं है—और जो टकराव का रुख वह अपना रहे हैं उस पर विचार किए बिना सत्तारूढ़ सरकार का कर्त्तव्य है कि वह हार न माने, हताश न हो, बल्कि दृढ़ता और धैर्य से निरंतर कोशिश करें और इस मामले को धीरे-धीरे हल करने के लिए कोई राह निकालें। मैं जानता हूँ कि मन्त्री जी कहेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस आशा से कुछ नेताओं को रिहा किया था कि वे कुछ सकारात्मक कार्यवाई करेंगे। जहाँ तक उनकी रिहाई का संबंध है मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अन्य नेताओं को रिहा क्यों नहीं किया गया? न रिहा होने वालों में कम से कम एक भद्र पुरुष ऐसे हैं जिन्हें हमेशा अकालियों ने सबसे नरमपंथी अकाली का दर्जा दिया गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें क्यों नहीं रिहा किया गया? सरकार एक तकनीकी तर्क पेश कर रही है कि जिन लोगों को रिहा किया गया है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद किया गया था। और जिन्हें रिहा नहीं किया गया है उनके खिलाफ खास आरोप हो सकते हैं। यदि उन लोगों के खिलाफ खास आरोप हैं तो यह तो सरकार पर है कि आरोप वापस ले लिए जाएं या उन आरोपों के लिए जाए या उन आरोपों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि मामले को शीघ्र निपटाया जा सके। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मामले को महीनों घसीटा जाए। मेरा विचार है कि ब्लू स्टार आपरेशन से पहले हुई वार्ताओं में जिन अकाली नेताओं ने भाग लिया था उन्हें आगे आना चाहिए। यदि वे वार्ता के लिए पहल नहीं करना चाहते या निरन्तर ऐसी शर्तें रखते हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है तो सरकार को उनके इस अनुचित रवैये के प्रति जनमत तैयार करना चाहिए। अंततः इस गतिरोध को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि समझौते के पक्ष में तथा इन अकाली नेताओं में से कुछ के अनुचित रवैये के विरोध में प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जाए। जनमत को उनके दृष्टिकोण से अलग रखना चाहिए। एक बार ऐसा अवसर आया था पर हमने उसे गवां दिया। मैं साफ-साफ कहूंगा कि एक समय ऐसा था जब पंजाब में ज्यादतर सिख भाई बहन सामान्य किसान कठिन परिश्रम करने वाले लोग इन कार्यों हिंसा तथा आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले कामों के पक्ष में नहीं थे। एक समय ऐसा आया था जब सरकार कुछ कड़े कदम उठाकर, कुछ द्विपक्षीय घोषणाएं करके भिंडरावाला तथा उनके साथियों को शांतिप्रिय आम सिखों से अलग-अलग करने में सफलता प्राप्त कर सकती थी। लेकिन हम मौका गवां बैठे हैं।

खेद की बात है कि अब सम्भवत अधिकतर सिखों की कम से कम उनकी मन:स्थिति तो, आतंकवादियों से बहुत भिन्न नहीं है और समस्या को सुलझाना अब दस गुना अधिक कठिन हो गया है।

मेरा सुझाव है कि इस मामले में जरूर पहल की जाए। इसको कुछ आर्थिक उपायों द्वारा, जिनकी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों हुसैनवाला में घोषणा की थी, हल नहीं किया जा सकता। उन घोषणाओं का मैं स्वागत करता हूं किन्तु इन्हीं से समस्या का हल नहीं हो सकेगा।

मंत्री उस खुले पत्र से वाकिफ ही होंगे जो कुछ दिनों पहले सिख फोरम ने प्रधानमंत्री को भेजा है। आशा है आपने उसे पढ़ा होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस सिख फौरम के प्रति सरकार का क्या रवैया है। मैंने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे निश्चित तौर पर लगा है कि यह पत्र आकाली नेतृत्व द्वारा रखी गई मांगों, पूर्व शर्तों तथा मन: स्थिति को नहीं दर्शाता। इस पत्र के अधिकतर हस्ताक्षरकर्त्ता तथा सिख फोरम के सदस्य भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने मेरे विचारानुसार-युद्ध तथा संकट के समय देश की उत्कृष्ट सेवा की है तथा अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं की हैं। सिख फोरम ने कुछप्रस्ताव रखे हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि उन सभी गिरफ्तार या कैद में रखे लोगों को एक साथ रिहा कर दिया जाना चाहिए। जिन पर उग्रवादी कार्यवाहियां करने का आरोप है या उग्रवादी या आतंकवादी कार्यवाहियों से संबद्ध हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरा विचार है कि गिरफ्तार लोगों में से कुछ निश्चित तौर पर उग्रवादी हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पुलिस बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर पकड़ तथा कैद कर रही है। मुझे सूचना मिली है कि कुछ गांवों के लोगों को, जिन्हें उग्रवादी तथा आंतकवादियों के रूप में अच्छी तरह जाना जाता है, उस गांव का होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। वे खुले तौर पर घूम रहे हैं। लेकिन उसी गांव के शायद पन्द्रह बीस, तीस या चालीस निर्दोष युवकों की धर पकड़ की गई तथा कैद में रखा गया है। मेरे विचारनुसार इस तरह के दृष्टिकोण से समस्या का हल नहीं होने वाला। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि सभी को रिहा कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार जांच मशीनरी या जांच समिति का गठन करे। यह बात सिख फोरम ने भी कही है। जांच समिति द्वारा जांच करने के बाद, जिन लोगों को बेकार गिरफ्तार किया गया है तथा जिनका उग्रवादियों से कोई सबंध नहीं है उन्हें कैद में नही रखा जाना चाहिए तथा रिहा कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं संक्षेप में कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा जिनके आधार पर पहल की जा सकती है। पहला मुद्दा ऐसा है जिसे स्वीकार किए बिना सदा के लिए समस्या के हल के लिए कभी नहीं खुलेगा। अकालो ही नही बल्कि अब तो हर सिख की यहीं मांग है चाहे उसे

हम पसंद करें। या नहीं। मैं इस मत के पक्ष में नहीं हूँ कि जिस बात का सारे समुदाय से संबंध हो और सरकार उस समुदाय के एक दल या संगठन विशेष को चुनकर मैं इससे सहमत नहीं। उसे सारे समुदाय का एकमात्र प्रवक्ता बना दे। सरकार ने औरों पर ध्यान नहीं दिया। क्या अकालियों के सिवाए और सिख नहीं है ? और सिख हैं ! कुछ सिख आपके दल में, कुछ मेरे दल में तथा कुछ सी. पी. एम. में भी हैं खासतौर पर सिख फोरम के सदस्य जो कि किसी दल में शामिल नहीं हैं। उन लोगों को तो सामने लाया ही नहीं गया। असम में भी आपने ऐसा ही किया था। असम में हुए झगड़ों से पूर्व केवल आखिल असम छात्र संघ (ए. ए. एस. यू.) ही असम जनता का प्रतिनिधि था। उसे असम की समस्त जनता, इसमें सभी अल्प संरक्षक भी शामिल हैं, एक मात्र प्रवक्ता बना दिया गया था। मुसलमानों, आदिवासियों गैर असमी लोगों को लम्बे समय तक चली समझौता वार्ताओं में कभी भी प्रतिनिधि के रूप में किसी तरह का दर्जा नहीं दिया गया। मैं भी समझौता वार्ता में एक था। वहाँ केवल ए. ए. एस. यू. से बातचीत होती थीं। और अब केवल अकालियों से, ही बात कीजाएगी और किसी से नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर यह बहुत लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा।

बहरहाल जिस छोटी सी बात को लेकर सारा काम रुका हुआ है वह है जांच का प्रश्न। मुझे यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर आप जाँच का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, या श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या तथा ब्लू स्टार आपरेशन से पूर्व हुई हत्याओं को शामिल करने के लिए जांच आयोग के निदेश पदों को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभी हत्याओं की जाँच कराई जाये। किन्तु गत वर्ष नवम्बर के आरम्भ के दिनों में जो घटना हुई थी उससे सिख स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक उत्तेजित हैं और स्वयं को भिन्न समझ रहे हैं और मेरे विचार से जांच कराने से इनकार करने का सरकार के पास कोई कारण नहीं है। तीन दिन और तीन रात दिल्ली शहर में जो कुछ हुआ है उसे सोचकर मैं चिंतित हूं कि भविष्य में सारे देश में क्या-क्या कठिनाइयां पैदा होंगी। इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने हत्या, लूट, आगजनी, आदि अपराधों में सीधे भाग लिया है उसे देखते हुए कोई भी यह सोच सकता है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, वे इससे मुक्त हैं। कोई जांच नहीं होगी और न किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, और आप इस प्रकार के नये वर्ग के व्यक्ति पैदा कर रहे हैं जो उन तीन दिन और तीन रातों में मनमानी करते रहे। यदि आप उन्हें छोड़ देंगे, तो आप देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटना की आकृति को नहीं रोक सकते। और तब कानून और व्यवस्था कानून और अन्य बातों के बारे में बात करने का लाभ ही क्या है ?

आप भली भांति जानते हैं, मंत्री जी को भी पता है कि गैर-सरकारी जांच रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनको पढ़ने से आप लोगों को नहीं रोक सकते। एक रिपोर्ट पी. यू. सी. एल

की है और एक दूसरी रिपोर्ट गैर-सरकारी समिति द्वारा प्रकाशित की गई है जिसके अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री तिकरी हैं। हाल ही में पंजाब के एक बस स्टैंड पर मैंने देखा कि तिकरी रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां बेची जा रहीं थी। लोग उन्हें खरीद रहे हैं, ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं :

एक माननीय सदस्य : यह संसद सदस्यों को भी परिचालित की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कम से कम आप मुझसे अधिक भाग्यशाली हैं। किन्तु यदि मैं चाहूँ तो मैं एक प्रति खरीद सकता हूं। पी. यू. सी. एल रिपोर्ट परिचालित हो चुकी है और मैं कहता हूँ, कि उसमें विक्षोभ पैदा करने वाली बात यह है कि जांच के बारे में सरकार जितना अधिक टालम-टोल करेगी. सिखों में यह धारणा उतनी ही दृढ होती जाएगी कि सरकार कुछ छिपा रही है और सरकार जांच नहीं कराना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आयेंगी जिनको सरकार या सत्तारूढ़ दल प्रकाश में नहीं आने देना चाहती। इसलिये अत्यधिक आग्रहपूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि स्थिति में परिवर्तन हो, और किसी स्तर पर कोई समझौता हो जाये तो मैं यह नहीं कहता कि जांच का आदेश देने मात्र से तत्काल सभी बातों का समझौता हो जाएगा, अब इतना आसान भी नहीं हैं—तो इसके बिना, अब कोई समझौता हो भी नहीं सकता। यह बात सही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यथा शीघ्र जांच कराने का आदेश देने का रास्ता निकाले और उस जांच का दायरा इतना व्यापक बना दे कि उसमें अन्य घटनाओं की जांच हो जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अब जहां एक आनंदपुर साहिब संकल्प का संबंध है, मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि मूल संकल्प क्या था? मैं 1978 के लुधियाना संकल्प की बात कर रहा हूं जिसे अकाली दल के आम सम्मेलन में बहुमत से स्वीकार किया गया था। सिख फोरम के पत्र में उसका पूरा पाठ दिया हुआ है। उसमें 12 संकल्प थे। मेरे विचार में इस संकल्प के बारे में मन्त्री जी का यह दावा नहीं करेंगे कि इसमें अलगाववाद या पृथकतावाद की बू आती है। मुझे नहीं पता कि मूल संकल्प क्या था। शायद वह बहुत ही आपत्तिजनक था; किन्तु जहां तक 1978 के संकल्प का संबंध है, उसके उस अंश में, जिसमें केन्द्र-राज्य के संबंधों के बारे में कहा गया है, जिसमें और अधिक संघीय संविधान की, राज्यों को और अधिक शक्तियां देने, आदि की बातें कही गई हैं,—मेरे विचार से उन 12 संकल्पों में यह पहले नम्बर का संकल्प है। मेरे विचार से इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिसे संविधान के दायरे से बाहर की बात कहा जा सकता है। वे लोग इस भावना से कुछ संवैधानिक सुधार किये जाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे संघवादी की भावना के से सही समझते हैं। मेरा सुझाव है कि इस संकल्प का यह अंश सरकारिया आयोग को भेजा जाना

चाहिये। यह सरकारिया आयोग के विचारणीय विषय के अन्तर्गत आता है। इस सरकारिया आयोग के अध्यक्ष एक प्रसिद्ध सिख न्यायाधीश और हैं। संकल्प के इस अंश के बारे में सरकारिया आयोग विचार करें और इस पर अपनी राय प्रकट करें।

चंडीगढ़, नदी जल विवाद और चंडीगढ़ तथा हरियाणा की सीमा पर बसे विवादास्पद गांवों के बारे में, मेरा यह विचार था कि आपरेशन ब्लू स्टार से पहले के समय में, कम से कम इन मामलों पर न्यूनाधिक रूप से हम लोग एक सामान्य समझौते पर पहुंच गये थे। केवल इतनी ही बात रह गई थी कि सरकार उसकी घोषणा करती। आज तक कोई घोषणा नहीं की गई है, यहाँ तक कि यह भी नहीं घोषित किया गया है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी नगर होना चाहिये। क्या अभी भी हरियाणा के कुछ लोगों का दबाव पड़ रहा है? मैं नहीं जानता। शायद, यह है, उस समय यह निर्णय कर लिया गया था। किन्तु आज एक साधारण सिख वास्तव में यह संदेह कर सकता है, कि इतने रक्तपात के बाद भी उन्हें यह भरोसा नहीं है कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जायेगा अथवा नहीं। मेरे विचार में इस मामले को बेकार में लम्बे समय तक खींच कर सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है। प्रधान मंत्री ने घोषणा की है—हुसैनी वाला में की गई घोषणा बहुत ही स्वागत करने योग्य है—कि थीन बांध पूरा किया जायेगा और शीघ्र पूरा किया जायेगा। इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं पंजाब में एक और बड़ी परियोजना है, वह है नांगल की हाइडल परियोजना। वह पूरी हो चुकी है और उसके लगभग 6000 श्रमिक, जिनमें से अधिकांश सिख हैं, फालतू हो गये हैं और उनकी छंटनी होने वाली है। इसलिये. मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मामलों पर ध्यान दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ये श्रमिक जो कुशल और अनुभवी हैं, जिन्होंने नांगल की हाइडल परियोजना पूरी की है, उन्हें बेरोजगारी का शिकार बनाने की बजाय इस थीन बांध पर नियुक्त किया जाये जिसे प्रधान मन्त्री जी ने पूरा करने का आश्वासन दिया है।

इन उग्रवादियों और उग्रवाद का समर्थन करने वाली ताकतों को पंजाब में सभा आयोजित करने से केवल इसलिये नहीं रोका जा रहा है क्योंकि वे लोग गुरुद्वारा के अन्दर सभा आयोजित कर सकते हैं। हर रोज वे लोग गुरुद्वारे में सभा आयोजित करते हैं। किन्तु धर्म निरपेक्ष ताकतों और गणतंत्र वादी ताकतों को, जो उग्रवाद की विरोधी हैं; सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि सभाओं पर व्यापक प्रतिबंध लगा हुआ है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। उग्रवादी सभा आयोजित करते रहते हैं और गुरुद्वारे में की गई सभाओं के माध्यम से अपने संदेश का प्रसार करते हैं और जो उनके विरुद्ध हैं; जो धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिये, देश की एकता के लिये लड़ रहे हैं, उन के लिये सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध है। इसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिए अन्यथा, आप कभी भी लोगों को संघटित नहीं कर सकते हैं हमें यह विश्वास नहीं है कि इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक

साधनों और केवल सरकारी अभिकरणों के माध्यम से हो सकेगा। इसमें लोगों की भी रुचि है और उन्हें संघटित होने तथा बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

पंजाब में किसी समय विभिन्न स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्यों में, केन्द्र स्तर पर और ऐसे ही अनेक स्तर पर कागज पर अनेक सलाहकार समितियाँ, साम्प्रदायिक सद्भाव समितियाँ गठित की गई थीं। मेरी जानकारी के अनुसार ये सलाहकार समितियाँ और साम्प्रदायिक सद्भाव समितियाँ आदि केवल कागज पर ही हैं। वे वास्तव में काम नहीं कर रही हैं। पंजाब में मेरा दल बहुत अधिक इच्छुक है कि इन समितियों को कार्यरत बनाया जाये। जो भी दल साम्प्रदायिक सद्भाव में रुचि रखते हैं उन्हें इन समितियों के माध्यम से काम करने का तथा आम लोगों में प्रचुर प्रचार करने का अवसर मिलना चाहिये, जिससे कि उग्रवादियों को एक तरफा प्रचार करने का अवसर न मिले।

अन्त में, इन दो मामलों पर उत्पन्न गतिरोध को सबसे पहले समाप्त किया जाना चाहिये उन नेताओं को छोड़ा जाये जो अभी भी जेल में हैं; कुछ लोगों को छोड़ने तथा कुछ को बंद रखने से बहुत ही हानिकर स्थिति पैदा होती है और दूसरा मामला जाँच का है। मेरे विचार से इन दोनों मामलों को निपटाये बिना, कोई भी कुछ नहीं सुनेगा। कुछ दिनों पूर्व, मंत्री जी ने मुझे बताया था कि ऐसी आशा की जाती है कि मंत्रीमंडल के तीन सदस्यों की एक समिति, जिसमें वह भी एक सम्माननीय सदस्य हैं, विभिन्न स्थानों का दौरा करने, और विभिन्न लोगों से मिलने के लिए पंजाब जायेगी। इस बात को बहुत दिन बीत गये हैं। किन्तु अब तक अचानक इस समिति के दौरा करने की बात न हमने पढ़ी न सुनी। उसका क्या हुआ है? यह समिति कब जा रही है? क्या वह जा रही है अथवा नहीं? क्या इस बात की घोषणा करने के लिए वे और कोई विशेष ठोस उपाय करने को तैयार हैं? यह बात, कृपया मुझसे मत कहिये। यदि हम इस बात पर सहमत हो जायें तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वे लोग अपने विचार तत्काल बदल देंगे और बातचीत के लिए तुरंत दौड़े आयेंगे? मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। समस्या अब बहुत ही जटील हो गई है और अब, इस प्रकार की गारंटी देना किसी के लिए भी कठीन है। किन्तु, कम से कम, यदि सरकार किन्हीं विशेष उपायों पर ऐसा रवैया शीघ्र अपनाती है तो लोगों को उन व्यक्तियों के अनुचित रवैया को बताना सम्भव हो सकेगा जो अनुचित बात मनवाना चाहते हैं और तब उन्हें अलग किया जा सकता है और उनके विरुद्ध आम राय बनायी जा सकती है और यही एक रास्ता है जिससे हमें कदम ब कदम समझौते की ओर बढ़ सकते हैं।

श्रीकृष्ण मोहन महंती (पुरी): सभापति महोदय, जहाँ तक देश के उस भाग में, अर्थात् पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का कठोरता के साथ लागू करने का प्रश्न है, इसका सभा के

सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो समस्या कल थी, वह आज नहीं है। अनेक वर्षों से इस सभा में पंजाब समस्या के बारे में हम लोग बराबर चर्चा करते रहे हैं। एक बात जो मैं इस सभा के सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि क्या हमने ऐसा वातावरण तैयार कर लिया है जो पंजाब के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुदृढ़ बनाएगा अथवा नहीं ? मेरा कहना यह है कि राजनैतिक नेतृत्व के एक वर्ग में ऐसा वातावरण पैदा करने और स्पष्ट बात कहने की न तो दूरदर्शिता ही है और न शक्ति ही। दुःखद स्थिति यही है और भारत के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि इस स्थिति के लिये मूल रूप से वे लोग ही उत्तरदायी हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मूल रूप से जब आनन्दपुर साहिब संकल्प पारित किया गया था तब श्री चरण सिंह ने कहा था कि वह इसकी भर्त्सना करते हैं। किन्तु सरकार से संबद्ध अन्य नेताओं की क्या राय थी ? जनता सरकार के नेता वर्ग की क्या भूमिका थी ? श्री प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब में मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने यह आदेश पारित किया था कि कोई भी मोना सिख सरकार में यहीं लिया जाएगा। उस आदेश को सहन कर लिया गया था और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया था। सदा ही, विरोधी दल का एक वर्ग सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध स्थिति से लाभ उठाना चाहता है। कठिनाई तो यही है।

श्री जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह आपत्तिजनक है। (**व्यवधान**)

श्री बृजमोहन महंती : मैं इसे प्रमाणित करूंगा ? विरोधी दल का एक वर्ग स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। (**व्यवधान**) क्या यह कुछ असंसदीय है ? मैं आपको बताऊंगा। राजनैतिक दलों का एक वर्ग जब श्री नगर में मिला था, तब क्या हुआ था ? श्री नगर सम्मेलन का क्या मतलब था ? (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। उन्हें ऐसे दल के साथ मिलने का सम्मान क्यों दिया जा रहा है जो पंजाब तथा सारे देश में साम्प्रदायिकता फैला रहा है। मुझे यही कहना है।

एक नेता विशेषज्ञ ने इंग्लैंड जाते समय कुछ आतंकवादियों के साथ भांगड़ा नृत्य किया था ? उसके बारे में उनका क्या उत्तर है ? "**इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इण्डिया**" में मैंने उनका एक लम्बा लेख पढ़ा था। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि मैंने उग्रवादियों के साथ नृत्य नहीं किया है। उन्होंने टालमटोल वाला उत्तर दिया है। मैं कहता हूँ कि पंजाब में उग्रवादियों की विभिन्न गतिविधियों के साथ ही इस बात की भी तीखी भर्त्सना की जानी चाहिए थी आज सिखों के एक वर्ग का, सिखों के लोंगोंवाल गुट का सम्मेलन हो रहा है। उनका पहला नारा क्या था ? उनका प्रथम नारा था "खून के बदले खून से लेंगे।"

उनका पहला नारा यह था। इसकी भर्त्सना किसने की ? क्या मैं जान सकता हूँ कि इसकी भर्त्सना किसने की ? समस्या यह है। जब कभी कोई विवाद होता है तो वे लोग यही

मांग करते हैं कि सिख छात्र संघ से प्रतिबंध हटा लिया जाये। क्या उन संगठनों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाना चाहिये जो अलगाववाद का प्रचार ही नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न भी करते हैं कि पंजाब भारत से अलग हो जाये ? मैं विरोधी दल से स्पष्ट सुझाव चाहता हूं कि जब तक अलगाववादी रवैया नहीं छोड़ते तब तक किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध न हटाया जाये।

मैं अन्य पहलुओं के बारे में कहना चाहता हूँ : अब वे लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि भगोड़ों को फिर से सेना में ले लिया जाये। क्या यह सम्भव है ? इसके बारे में विरोधी दलों का क्या रवैया है ? दिल्ली में हुए उपद्रव के बारे में, मैंने स्वयं ही उस दिन 20 प्रमुख सिखों को शरण दी थी। मैंने उनको कहा था कि कोई भी व्यक्ति उन्हें छू भी नहीं सकेगा। उनमें से कुछ संसद सदस्य भी है। क्या यह मात्र किसी विरोधी दल का था ? गैर सरकारी जांच समिति की रिपोर्ट क्या है ? यह क्या मजाक है ? क्या इस सम्बन्ध में यह ठीक और निष्पक्ष हैं ; क्या उन्होंने सभी स्रोतों से साक्ष्य एकत्र किए हैं ? इससे मामला और भी उलझ रहा है। विरोधी दल अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। वे चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल की भर्त्सना की जाये। मामले की दुखांत स्थिति यह है। क्या दिल्ली में न्यायिक जांच करवाने से मामला सुलझ जाएगा ? क्या ऐसा करने से सभी सिख तालमेल के लिए तैयार हो जायेंगे? नहीं। जल और क्षेत्र संबंधी विवाद अब पृष्ठ भूमि में रह गये हैं और अब नई मांगें पेश की जा रही हैं जैसे दिल्ली में हुए दंगों की जांच, सिख छात्र संघ से प्रतिबन्ध हटाना, भगोड़े सैनिकों को सेना में वापिस लिया जाना। इतना ही नहीं। अब सिख नेता यह भी स्पष्ट कह रहे हैं कि अपहरणकर्त्ताओं का बचाव किया जायेगा। क्या उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की निन्दा की ? स्पष्ट रूप से नहीं ? दुखद स्थिति तो यही है। 100 साल के बाद इतिहास इस बात का निर्णय करेगा कि धर्मनिरपेक्षता. राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के महान सिद्धांत के साथ किसने विश्वासघात किया था ? आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने सिख युवकों को गुरुद्वारों में सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए 2.5 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इसका क्या अर्थ है ? तीन या चार दिन पहले मैंने एक राष्ट्रीय दैनिक पत्र में एक समाचार पढ़ा था कि कुछ धर्मान्ध सिखों ने भारत में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी श्री के रोल उर्फ जैकाल को किराये पर किया है। क्या हमें पड़ोसी राज्यों के हितों की लागत पर समझौता करना चाहिये ? एक बार हमें यह विश्वास हो गया था कि यदि धार्मिक मांगें पूरी हो गई तो स्थिति में सुधार हो जायेगा। धार्मिक मांगें स्वीकार कर ली गई हैं परन्तु हुआ कुछ नहीं है। सरकार धीरे-धीरे सब कुछ स्वीकार करती जा रही है। एक बार श्रीमती गांधी ने कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब के लिए बनाया गया है। वह एक संकेत था। परन्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मोर्चा वापस नहीं लिया गया। यह आवश्यक है कि

बातचीत द्वारा समझौता करने का इरादा होना चाहिए और पहली बात तो यही है कि सिखों को यह वचन देना चाहिये कि वे भारतीय हैं और पंजाब भारत का एक अंग है और कोई पृथकतावादी गतिविधि सहन नहीं की जायेगी। ऐसा कौन कहता है? सभी सिख नेताओं को आगे बढ़ कर स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि कोई पृथकतावादी गतिविधि अथवा खालिस्तान आन्दोलन नहीं चलाया जाएगा। ब्लू स्टार कार्यवाही के बाद बी. बी. सी. से घोषणा की गई थी कि खालिस्तान आन्दोलन के स्वयंभू नेता ने कहा कि इन्दिरा गांधी की हत्या की जायेगी।

2.00 म. प.

इस प्रकार दुःख तो इस बात का है कि राजनीतिक नेतृत्व एक नहीं है, दुःख तो इस बात का है कि वे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। आज क्या हो रहा है? भारत ऐसे देशों से घिरा है जिनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है। हमारे कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते। वे इसके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे हैं। अतः हमारे समक्ष जो चुनौती है संभवतः हम उसे भूल रहे हैं। हमें स्पष्ट बहुमत मिला है। कुछ विपक्षी दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जनता ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जब कभी भारत की एकता का प्रश्न उठा, सम्पूर्ण राष्ट्र ने कांग्रेस पार्टी और इसके प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के आह्वान पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हमें इस स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह विषय ऐसा नहीं है जिस पर हम राजनीतिक लड़ाई लड़ें। सम्पूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए और साम्प्रदायिकता और हिंसा की विचार धारा का विरोध करना चाहिए तथा भारत के किसी भी भाग को हमारी भौगोलिक सीमा से अलग करने के प्रयास को निष्फल किया जाना चाहिए। देश के सभी नागरिकों को इसके लिए वचनबद्ध होना चाहिए और जो सच्चे देश भक्त हैं उन्हें एक होना चाहिए। इस समस्या का यही हल है, यह नहीं कि आप वहां जायें, भाषण दें और सिखों को यह करने और वह करने के लिए प्रोत्साहित करें और यह कहें कि सरकार दोषी है, सरकार को जांच करानी चाहिए सरकार को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। इस प्रकार की बातों से उग्रवादियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूँ कि देश के सभी नागरिकों को अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला कर एक हो जाना चाहिए और इस देश को एक रखना चाहिए क्योंकि हम इस मामले में राजनीतिक खेल नहीं खेल सकते हैं। सभी को एक होकर धर्म निरपेक्षता की विचारधारा और लोकतंत्र के दर्शन को इस देश में बनाए रखना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): सभापति महोदय, (सत्तापक्ष से) ऐसी आशा थी कि वह कम से कम इस प्रकार के सवेदनशील विषयों पर बोलने के लिए अपने वक्ताओं का चयन करने में अधिक सावधानी बरतेगा लेकिन अभी जो हुआ वह बिल्कुल नासमझी की बात थी। हम सभी पंजाब समस्या को गम्भीरता पूर्वक हल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम में से कोई

भी यह नहीं चाहता कि पंजाब ससस्या और अधिक बिगड़े। परन्तु सत्तापक्ष के सदस्य द्वारा दिया गया। इस प्रकार का भाषण वास्तव में हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल है।

प्रारम्भ में, मैं यह कहूंगा कि हम सिद्धान्त रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे तरीकों के विरुद्ध हैं। अतीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि पंजाब समस्या को हल करने में प्रशासनिक उपायों से कोई सहायता नहीं मिली है। सर्वाधिक विनाशकारी घटना सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रशासनिक उपायों का शिकंजा कराने के बाद हुई। पंजाब का राजनीतिक दल निकालने की आवश्यकता है। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि पंजाब में अभी भी भयावह स्थिति है और इसे और अधिक बदतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें यह देखकर अत्यन्त हैरानी हो रही है कि पंजाब में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण ने अत्यन्त गम्भीर रुख अख्तियार कर लिया है और सिख समुदाय में पृथकता की भावना घर कर गई है। वहां उग्रवादी बहुत सक्रिय हैं। वे समस्या के समाधान के प्रत्येक प्रयास को विफल कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को साम्राज्यवादी एजेंट उकसा रहे हैं। हम जानते हैं कि सिख उग्रवादी तत्व विदेशों में लन्दन, न्यूयार्क और कनाडा जैसे स्थानों पर जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्चे के साथ, जो लन्दन में श्री म्हात्रे की हत्या के लिए जिम्मेवार था, सांठगांठ से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार वे मुजाहिदीनों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। यह वास्तव में विस्मयकारी है कि कुछ ही दिन पहले होली के दिन 7 मार्च को उग्रवादियों ने अकाली नेताओं को दबोच लिया। यह होला-मोहल्ला वाले दिन की बात है। अब यह कहा गया है कि जब किसी समझौते के लिए प्रयास किया जा रहा था तो उन्होंने उसे विफल करने का प्रयास किया। अतः उग्रवादियों को अलग-अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यह देखकर सन्तोष हुआ कि जब अकाली दल के कुछ नेताओं को रिहा किया गया तो उन्होंने विशेषरूप से श्री लोंगोवाल ने आगे आकर यह कहा कि वह खालिस्तान के विरुद्ध हैं, वह देश की एकता के पक्षधर हैं और उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। परन्तु यह दुःख की बात है कि इसके बाद अकाली उग्रवादियां के दबाव में आकर वे अब ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो समस्या के समाधान के लिए देश की एकता के लिए हानिकारक हैं।

समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है कि उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने गुरुद्वारों में सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ धनराशि आबंटित की है। यदि यह सच है तो देश के लिए अत्यन्त हानिकारक है। हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं। अब यह अकाली दल का काम है कि वह अपने असली इरादे स्पष्ट करे।

हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि प्रधान मंत्री ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान जो कुछ कहा था, जब उन्होंने विपक्ष पर स्पष्ट रूप से यह गलत आरोप लगाया था कि विपक्ष

ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के अलगाववादी अंश का समर्थन किया है, इसका हमने कड़े शब्दों में खंडन किया था और हमने कहा था कि हममें से किसी ने उसका समर्थन नहीं किया है हमारे पास समस्या को सही ढंग से हल करने के समुचित सुझाव हैं—उस सबके बावजूद हमें यह देखकर सन्तोष होता है कि 14 मार्च को प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने राज्य सभा में यह कहा था कि यदि अकाली आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को केन्द्र राज्य समस्या समझते हैं तो इसे सरकारिया आयोग के पास भेजा जा सकता है और वह इसे वार्ता के लिए पूर्व-शर्त भी नहीं बनाएंगे। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि इस संबंध में सरकारी दृष्टिकोण और भी स्पष्ट किया जाए।

दूसरा स्वागत-योग्य वक्तव्य गृहमंत्री ने राज्य सभा में यह दिया कि यदि दिल्ली घटना की जांच से समस्या हल होती है तो हम दिल्ली की घटना की जांच कराने की संभावना से इन्कार नहीं करते। यह भी स्वागत योग्य कदम है।

दूसरी घोषणा यह थी, कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री का 2 जून, का वक्तव्य बातचीत का आधार होगा। यह भी अत्यन्त स्वागत योग्य वक्तव्य है। और अब यदि अकाली दल समाधान चाहता है तो यह उनका काम है कि वह अपने सुझाव और प्रस्ताव पेश करें। यदि वे इसमें असफल रहते हैं कि तो यह न केवल देश के लिए न केवल पंजाब के लिए बल्कि उस सिख समुदाय के लिये हानिकारक होगी जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। अब अकालो दल को यह बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति इस देश की एकता भंग नहीं होने देगा। हम सब देश की एकता की रक्षा करेंगे। लोगों की कुछ ऐसी वास्तविक शिकायतें हो सकती हैं। जिन पर विचार किया जाना चाहिए। परन्तु अकाली दल द्वारा उग्रवादियों के समक्ष आत्म समर्पण करने और उनसे समझौता करने से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि अकाली दल के नेताओं को दो दिन पहले हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मनचन्दा की हत्या का निन्दा करनी चाहिये। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिये यह और भी आवश्यक है।

इस मुद्दे पर बोलते हुए मैं कुछ अकाली नेताओं की रिहाई का स्वागत करता हूँ और जैसा कि बताया गया है कि अभी कुछ अकाली नेता जेलों में बन्द है मुझे आशा है कि सरकार उनकी रिहाई के बारे में भी विचार करेगी। उनकी रिहाई से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी क्योंकि उनमें से कोई भी अकेला निर्णय नहीं ले सकता। हम यह महसूस करते हैं कि कुछ अकालियों को रिहा करने और कुछ को बन्द रखने के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से समस्या को सुलझाने में सहायता नहीं मिलेगी। इससे समस्या को लटकाने की स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार की स्थिति सरकार के लिए अतीत की भांति हानिकर होगी।

राज्य सभा में 14 मार्च को और किसी अन्य स्थान पर भी कहा है कि धार्मिक मांगों को मान लेना हमारी भूल थी। हमने भी यही कहा था कि धार्मिक मांगों को मान लेने से उग्रवादियों को बल मिला है। हमें बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना होगा और उसी से हल ढूंढने में सहायता मिलेगी। हम पंजाब की स्थिति और अधिक नहीं लटकने देंगे। हम सब जानते है कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पाकिस्तान को हथियारबन्द किया जा रहा। अतः यदि उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इससे निस्सन्देह देश की सुरक्षा के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस संबंध में सरकार को और अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना होगा और राज्य सभा में सरकार ने जो संकेत दिए हैं उन्हें और अधिक स्पष्ट किया जाना होगा, विशेष रूप से दिल्ली की घटनाओं की जांच कराने के संबंध में। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं को भी यदि इस जांच में सम्मिलित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन घटनाओं को भी इस जांच की परिधि में लाया जा सकता है।

चण्डीगढ और अन्य संबंधित मामलों के बारे में अकालियों की मांगों के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ? हम महसूस करते हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें वार्ता करना संभव होगा। अकाली दल को इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। और उन्हें उग्र-वादियों के समक्ष आत्म-समर्पण नहीं करना चाहिए। परन्तु इस सबके बावजूद यदि दुर्भाग्यवश अकाली दल वार्ता के लिए आगे नहीं आता तो सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह विपक्ष को विश्वास में ले और उनकी चिन्ता न करे। सरकार को चन्डीगढ़, जल-विवाद और सीमावर्ती गांवों के बारे में एकपक्षीय निर्णय दे देना चाहिए। आपको अकेले ही आगे आना चाहिए। देश किसी की सनक पर नहीं चल सकता। हमें निर्णय लेना होगा। इसके लिये आवश्यक यह है कि हम इसे सफल बनाएं। उसके लिये आपको लोगों को विश्वास में लेना होगा। आपको लोगों को सक्रिय करना होगा। शासक दल होने के नाते लोगों को सक्रिय बनाने में आपकी विशेष भूमिका है। हमें पंजाब के लोगों के पास जाना होगा, उनके लिये समर्थन जुटाना होगा। इस संबध में आपका क्या रिकार्ड रहा है ? आपको आत्म निरीक्षण करना होगा। कांग्रेस दल के सदस्यों के लिए यह राजनीतिक परीक्षा है। क्या वे लोगों के पास जा रहे हैं ? हम अपने विनम्र ढंग से प्रयास कर रहे हैं परन्तु हमें अभी बहुत कुछ करना है।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने समुद्रपार कांग्रेस के बारे में सुना है। वे विदेशों में क्या कर रहे हैं। उग्रवादी बहुत सक्रिय हैं। बहुत से सिख विदेशों में रहते हैं। देश की वास्तविक स्थिति के बारे में उन्हें कौन बताता है ? लगता है सरकार केवल प्रशासनिक सेवा पर ही निर्भर है। वह सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है कि लोगों को इकट्ठा (जुटाने) करने के लिए उग्रवादी अपनी गुरुद्वारों में बैठकें बुला सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग भी मन्दिरों तथा मस्जिदों में जा सकते हैं। लेकिन लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले लोगों के

विषय में आपकी क्या राय है ? हमारा देश ही हमारा मन्दिर है। हमारी गलियां ही हमारे मन्दिर हैं तथा हमारे लोग हमारे देवता हैं। हम मन्दिरों में बैठकें नहीं बुला सकते, क्योंकि वहां बैठकों पर प्रतिबन्ध है। जब हम वहां बैठकें नहीं कर सकते तब उग्रवादी गुरुद्वारों में बैठकें करते हैं ? इसका मतलब है कि आपके प्रतिबन्ध का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। परन्तु गुरुद्वारों में उनकी बैठकें होना लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले लोगों के लिए हानिकारक है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्रामसभाओं पर प्रतिबन्ध हटाकर ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे बात लोगों तक पहुंचाई जा सके तथा ग्राम सभायें की जा सकें।

अब मैं बजट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कुछ बातों का यहां हवाला देना पड़ेगा। थीन बांध के बारे में काफी कहा जा चुका है। पंजाब समस्या की गंभीरता देखते हुए इस बजट में कुछ भी नहीं है। थीन बांध पर काम बहुत वर्षों पहले, सन् 1964 में शुरू किया गया था तथा उस पर 64 करोड़ रुपए से ऊपर लागत आने का अन्दाजा था, जो अब 700 करोड़ रुपये है। राजनीति तथा खर्च तथा और अन्य बातें इसमें आती रही हैं। इसी प्रकार से निर्माण कार्य की अवधि भी आगे बढ़ती रही है। इस बजट में इसके लिये धनराशिका आबंटन अधिक नहीं है। तो सरकार का इरादा क्या है ? कृषि क्षेत्र में आगे हैं परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ापन है। उनकी अपनी बेरोजगारी की समस्याएं हैं। परन्तु इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर विचार करना होगा।

दूसरी बात है कुन्द्री क्षेत्र के बारे में जो गुरदासपुर, रोपड़ तथा होशियारपुर जिलों को मिलकर बना है। वहां पीने के पानी की उचित सप्लाई न होने के कारण लोग बड़े परेशान हैं। उनका मामला उठाना चाहिए। परन्तु इस बजट में इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया।

दूसरा मुद्दा, सरकारी बजट तथा निष्क्रान्त भूमि के बारे में है जिस पर छोटे किसानों ने कब्जा कर लिया है। अब क्या हो रहा है ? इस भूमि को सरकार नीलाम कर रही है। जिन लोगों का उस जमीन में कब्जा है उन्हें वे उस जमीन को लेने का अवसर नहीं दिया जा रहा है तथा उसमें भी परेशानियां आ रही हैं। इसलिए आपको इस पर भी फैसला लेना पड़ेगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। सरकार से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमने जो मसले उठाए हैं उन पर ठोस कदम उठाएं। उन्हें निष्क्रियता की नीति त्यागकर बातचीत जारी रखनी पड़ेगी। लोगों को संगठित करना होगा तथा इसके लिए उन्हें विपक्षीदल को विश्वास में लेना होगा। आखिरकार, यदि अकाली दल इसके लिए तैयार नहीं होता तो सरकार को, विरोधी दल को विश्वास में लेकर लम्बित मामलों के बारे में अपने एक पक्षीय स्थिति की घोषणा कर देनी चाहिए तथा देश को बचानें के प्रयास जारी रखने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, जी- यह राष्ट्रीय सुरक्षा

बिल माननीय मंत्री जी ने माननीय सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

जहां तक उग्रवाद को बढ़ावा देने की बात है, वहां मैं यह समझता हूं कि जब से आनन्दपुर प्रस्ताव पास हुआ है और आनन्दपुर प्रस्ताव के जरिये जिस तरह से बातचीत की गई थी कि यह धार्मिक मांगें हैं और इनको माना जाना चाहिये। इस पर भारत सरकार ने भी काफी समय तक बात की और अकालियों को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन जिस तरह अकालियों ने संविधान की कापियों को जला दिया, यह संविधान का कड़ा उल्लंघन करना है। इस तरह से पंजाब के हालात और खराब करने की कोशिश की गई, जिससे कई लोगों की जानें गई, बे-गुनाह लोग मारे गये, बसों में बैठे निर्दोष लोगों को मारा गया। श्री अटवाल जो डी. आई. जी पुलिस, थे, उनकी हत्या वहां पर गुरुद्वारे के बाहर की गई। ये सारी बातें हम देखते रहे और सोचते रहे कि सुधार होगा। लेकिन अकालियों से कभी कोई बयान नहीं दिया इसके बारे में कि यह ज्यादती हो रही है पंजाब वालों के साथ।

पंजाब के अन्दर अगर सब से बड़ा कोई काम किसी ने किया है तो पंजाब के बहादुर किसानों ने किया है, प्रोडक्शन को बढ़ाया है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर सब से ज्यादा जितनी अनाज की पैदावार हुई वह सब पंजाब के अन्दर हुई और हिन्दुस्तान के लोगों ने भी पंजाब का साथ दिया। आज जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और जितने उद्योग नजर आते हैं उन को भारत सरकार ने ही नहीं, बल्कि जो उस वक्त की वहां की राज्य सरकारें थीं कांग्रेस की, उन्होंने उस के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया और इस तरह से पंजाब को पहले दर्जे पर लाए। जिस वक्त यह सारा काम हुआ तो यहां तक कर दिया, इनको क्या कहा जाय, रोपड़ में नहर काट दी गई। जितनी भी बातें वहां हुई सब में भारत सरकार का पैसा लगा। लेकिन उस में पानी बन्द कर दिया गया, पानी का रूख दूसरी तरफ कर दिया गया।

इसलिए पंजाब के अन्दर शांति कायम करना है तो यह आवश्यक है कि चंडीगढ़ और पंजाब में यह सुरक्षा अधिनियम सख्ती से लागू किया जाय ताकि लोगों के जान-माल की हिफाजत ठीक से हो सके। हमको यह बात भी याद रखनी होगी कि अगर वह रिहा होने के बाद हमारे साथ प्यार से बात करते ठीक ढंग से हिन्दुस्तान के लोगों के साथ मिलाप करते, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए काम करते तो फिर तो उनको सब को रिहा किया जाना चाहिए लेकिन अगर वह हिन्दुस्तान के खिलाफ बात करते हैं और फिर भी विपक्षी यह कहते हैं कि सारे को बुलाओ तो किस को बुलाओ ? जितने आदमी विपक्ष के हैं दो दो, तीन तीन' वही बुलाकर उनको समझा देते, वही सुझाव देते कि क्या उनके सुझाव हैं ? लेकिन वह सुझाव देने को तैयार नहीं हैं।

हिन्दुस्तान के अन्दर जो इस तरह का एलीमेंट है जिसने हिन्दुस्तान के अमलनामा को खराब कर दिया, उस को हमें दबाना होगा। अगर हम हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं करेंगे तो भारत

के प्रति हम अपनी वफादारी नहीं दिखायेंगे। इसलिए सबसे पहले हम को यह काम करना है, जहां पर पंजाब के अमलनामा को खराब करने की बात चल रही है वहां हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, मैं खास तौर से गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा जो बोर्डर है वह सारा का सारा उससे लगा है। मेरा क्षेत्र तो आनन्दपुर साहब से लगा है, रोपड़ से लगा है और इधर देहरादून से लगा है, उधर तिब्बत से लगा है। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ-साथ जितने उद्योग लगे हुए हैं उनमें भी ये उग्रवादी गए। लेकिन वहां पहाड़ में ये कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वहां भाग नहीं सकते, वहां पहाड़ में जल्दी आदमी पकड़ा जाता है। कई उग्रवादी ऊपर भी गए थे, रोडू के इलाके में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो पंजाब की पुलिस फोर्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन आदमी उसमें ठीक है कौन नहीं ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। हम टाइम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए तो उससे काम नहीं चलने वाला है। लोकतन्त्र की हत्या करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप को याद है कि 1980 में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो अकालियों का एक मेम्बर था लहनासिंह तूर। बाकी सारे के सारे कांग्रेसी जीते थे। निहाल सिंह वाला ने यहां यह बात को कि भिण्ड्रावाले क्या करना चाहते हैं? भिंड्रावाले उनके गांव रोड़े के हैं और वह डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, पेप्सू स्टेट में रहते थे... ** थे वहां पर। वह वहां पर जाकर गुरुद्वारे में बैठ गए और गुरुद्वारे से सारे हिन्दुस्तान के सिखों को आवाज लगायी कि कोई सरकार की बात न माने। तमाम सिखों ने हिन्दुस्तान के लोगों का साथ दिया है, सिर्फ कुछ लोग ही इस तरह हैं—जोकि हर तबके में होते हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं—तो ऐसे लोगों को दबाना पड़ेगा क्योंकि जो लोग भी राष्ट्र को खण्डित करना चाहते हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

यह जो पंजाब का मसला है और पंजाब के जो हालात हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब एक बहुत छोटा प्रदेश है परन्तु वहां पर देश का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। आप हैरान होंगे कि इतनी नहरें खोदी गयीं और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए पंजाब में और अभी फिर हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने कहा है कि वे पंजाब के लोगों को एक बहुत बड़ा उद्योग देने जा रहे हैं। वहां मीटिंग में भी उन्होंने कहा और यहां भी कहा है। लेकिन हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद भी कुछ लोग कहने के लिए तैयार नहीं हुए कि इन्दिरा जी का जो कत्ल कर दिया गया वह मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो एलिमेन्ट है जो कि देश को बरबाद करना चाहता है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो साफ और इमानदार लोग हैं जो राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हैं, उनकी हर जगह इज्जत होनी चाहिए। लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो देश की पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको बिलकुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

**अध्यक्ष पीठ के आदेसानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश एक पिछड़ा हुआ इलाका है और उसका सारा बार्डर पंजाब से जुड़ा हुआ है तथा हिमाचल में जितने भी उद्योग हैं वह भी बार्डर पर ही हैं। बार्डर होने की वजह से कुछ लोग जल्दी से इधर चले आते हैं और जल्दी से उधर चले जाते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार को लिखता भी रहा हूं और इस सदन में भी आवाज उठाता रहा हूं कि उन इण्डस्ट्रीज को इंटीरियर में ले जाया जाए। आप किसी तरह से उन लोगों से हमारा पीछा छुड़ाइये। इसी तरह से आप देखें कि जो हरयाणा है, वहां भी एक नहर बनाई गई जिस पर करोड़ों रुपया लगा-भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी—लेकिन उस में पानी नहीं है। कारण यह है कि पंजाब में नहर बनने नहीं देते हैं हालांकि उसका उद्घाटन किए हुए कई साल हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं यह राष्ट्र का नुकसान है। कुछ लोग चाहते हैं कि यहां के लोग भूखों मर जायें और हरित क्रांति के बजाए खूनी क्रांति हो।

इसी तरह से आप देखें कि कश्मीर में ट्रेनिंग सैन्टर बने हैं जहां पर ट्रेनिंग देकर पंजाब में झगड़ा पैदा कराया जाता है कि किसी को गोली से मार और किसी को बन्दूक से मार। इस-लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ किया जाए तो उसकी मुखालिफत बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। यदि राष्ट्र एक नहीं रहेगा तो हम विभाजित हो जायेंगे। इसीलिए हमारे नेता यहां कि राष्ट्र को एक रखने में यदि हमारी जिन्दगी भी खत्म हो जाती है तो उसकी कोई परवाह नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिलिट्री में जो लोग भागे और कत्लेआम करने की कोशिश की बस अगर जेलों में हैं तो उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने देशद्रोही काम किया है। जिन्होंने भी इस तरह का काम किया हो उनको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए।

अकालियों की जो समस्या है वह बड़ी टेढ़ी है क्योंकि वे उल्टे बयान देते रहते हैं। यहां पर जब जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रकाश सिंह बादल और बरनाला जी उसमें मन्त्री थे। वे गुरुद्वारों में मिलते थे, वहां पर पगड़ी बंधती थी, जो बोले सो निहाल कहा जाता था और फिर प्यार से वे बाहर आ जाते थे। आप लोगों का तो अकालियों से सीधा ताल्लुक रहा है। वहां पर पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे लाला जगत नारायण की हत्या हुई, चाहे रमेश जी की हत्या हुई जो कि अखबार के बड़े भारी नामा-निगार और सम्पादक थे या जो हमारे एम. एल. ए. मारे गए और जो हमारे राज्य सभा के मेम्बर तिवारी जी थे उनकी हत्या की गई। यह सारे बुद्धिजीवी लोग थे। तो मैं आपसे एक तो यह चाहता हूं कि आप हमारे बार्डर को सुरक्षित कीजिए और दूसरे लोगों की पूर्ण सुरक्षा का प्रबन्ध कीजिए क्योंकि जैसे निहालसिंह वाला बोले तो उनकी गाड़ी पर भी गोली चला दी गई, यदि उनका लड़का साथ नहीं होता तो उनको

खत्म कर दिया जाता। तो इस सिलसिले में आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं जानता हूं चह्वाण साहब बड़े मजबूत आदमी हैं और जो भी वे करते हैं वह पूरी इमानदारी और लगन के साथ करते हैं। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को वे पंजाब में अच्छी तरह से लागू करेंगे और जो वहां पर बरबादी का डर है उसको दूर करेंगे। मैं मन्त्री जी को सतर्क कर देना चाहता हूं कि जैसा कि कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राजीव जी फोरैन दौरे पर जायेंगे तो उनके पीछे उनका एक ब्रिगेड लग जायेगा तो हमारे नेता की रक्षा के लिए हर प्रकार से सतर्कता बरती जानी चाहिए। हमारे नेता की हर तरह से रक्षा होनी चाहिए। हर तरह से इसकी जिम्मेदारी गृह मन्त्री पर है, गृह विभाग पर है कि आप इस बारे में पूरे स्टैप्स उठायें और सख्ती से इसको लागू करें।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हम पंजाब के बारे में यहां बहस कर रहे हैं और पंजाब का कोई प्रतिनिधि इस हाउस में नहीं है। यह पहला अवसर है कि जब किसी राज्य के बजट के बारे में बहस हो रही हो और उस राज्य का कोई प्रतिनिधि लोकसभा में न आया हो। पिछली बार आसाम की भी यही स्थिति थी लेकिन कुछ मेम्बर आसाम के इस हाउस में मौजूद थे और वे अपने राज्य के बारे में राय जाहिर कर सकते थे। पंजाब की स्थिति सचमुच गम्भीर बनती जा रही है। नई सरकार देश की एकता और देश की अखण्डता के नाम पर एक भारी जन-आदेश लेकर यहां आई है और प्रधान मन्त्री जी ने सबसे पहले चिन्ता व्यक्त की कि किसी प्रकार से पंजाब की गुत्थी सुलझाई जाए, पंजाब में आम हालात की बहाली की जाय और पंजाब में लोकसभा तथा विधान सभा के चुनाव कराए जायें। इस के लिए उन्होंने मन्त्रिमन्डल की एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित की। कुछ कदम भी उठाये गये, अकाली दल के कुछ नेताओं को रिहा भी किया गया। सरकार की तरफ से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि पंजाब की समस्या का समाधान बातचीत के जरिये हो जाय, बातचीत से कोई रास्ता निकल आये। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि पंजाब के मामले को ले कर जहां से हम चले थे, वहीं हम वापस आ गये हैं।

पहले भी इस सदन में, आपरेशन ब्लू-स्टार के पहले, बार-बार, कितनी बार मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बार पंजाब के बारे में इस माननीय सदन में बहस हुई और सब की राय थी कि समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जाय। बातचीत में हमारे विरोधी दलों के नेता भी शामिल हो गये। द्विपक्षीय वार्ता हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन जब भी बातें सफलता के करीब पहुंचने वाली होती थी, तो पंजाब में कुछ न कुछ गड़बड़ ऐसी मचा दी जाती थी, कुछ ऐसी हिंसक कार्यवाहियां पंजाब या चंडीगढ़ या दिल्ली में कहीं न कहीं कर दी जाती थीं, जिससे बातचीत वहीं रुक जाती थी, वहीं डेडलाक हो जाता था। कुछ शक्तियां ऐसी थीं जो पसन्द नहीं

करती थीं कि बातचीत हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि अकाली दल से लगभग समझौता हो गया था, लेकिन अकाली दल उस हुए समझौते से भी मुकर गया, कोई दबाव अकाली दल के नेतृत्व पर ऐसा पड़ता कि जब भी वे समझौते के करीब आते थे उस से मुकर जाते थे, उस से हट जाते थे। आज भी लगता है कि कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई है। आज जब यह वातावरण प्रधान मंत्री जी ने बनाया कि बातचीत से कुछ मामला हल हो, कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाय जिस से बातचीत के लिए वातावरण बन सके, जैसे अकाली दल के नेताओं को रिहाई दी गई, उन्होंने अभी हाल में पंजाब में जाकर वहां की अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ घोषणायें कीं, कारखाने कायम करने के लिए, बांध बनाने के लिए तो चण्डीगढ़ में बी.जे.पी. के नेता की हत्या कर दी गई। अभी पहले समाचार-पत्रों में पढ़ा जाता था कि कुछ अकाली उग्रवादी, जो विदेशों में सक्रिय हैं, वे प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के समय या दूसरे भारत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी विदेश यात्रा के समय, उनकी हत्या करने का प्रयास करेंगे। अभी अखबारों में यह आया है कि अकाली बजट बना रहे हैं आर्म्ड ट्रेनिंग देने के लिए अपने गुरुद्वारों में और जगह-जगह पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देंगे। तो ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं।

पहले तो कहा जाता था कि अकाली दल में कुछ लोग नरम गुट के हैं और उन में संत लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया जाता था। कुछ को कहा जाता था कि वे गर्म गुट के हैं और वे भिंडरावाले के ज्यादा करीब हैं। आज नरम गुट की बात दिखाई नहीं दे रही है और सारा गर्म गुट ही दिखाई दे रहा है। जिधर देखो उधर गर्मी ही गर्मी है। ऐसी हालत में क्या किया जाए ? कैसे पंजाब का यह मामला हल हो और कौन आधार बने पंजाब के मामले को हल करने के लिए। सभापति महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि देश की एकता और अखण्डना कभी बातचीत का आधार नहीं बन सकती। मुझे दुःख है और मैं इस दुःख को व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ समाचारपत्रों में इस प्रकार का इशारा मिला है कि सरकार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन को भेजने को तैयार हो सकती है। तो क्या सरकार की नीति आनन्दपुर प्रस्ताव के बारे में कुछ बदल गई है। आनन्दपुर प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, जो देश की एकता और अखण्डता को चोट पहुंचाता है। आनन्दपुर प्रस्ताव पर बातचीत करना कभी इस सरकार की, इस देश की नीति नहीं है और न रही है। एक शुबाह पूरे देश के लोग के अन्दर पैदा हो गया है कि क्या आनन्दपुर प्रस्ताव को बातचीत का मुद्दा बनाया जा सकता है। इस के बारे में गृह मंत्री जी साफ-साफ इस सभा को और पूरे देश को बतायें। मैं तो चाहता हूँ कि वे साफ-साफ यह कहें कि आनन्दपुर प्रस्ताव पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और न वह प्रस्ताव सरकारिया कमीशन को भेजा जा सकता है। इसके अलावा और मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जो आर्थिक समस्या है, जो सामाजिक समस्या है, उस पर बातचीत हो सकती है। अगर पंजाब के लोग और ज्यादा रियायत चाहते हैं आर्थिक मामलों में या सामाजिक मामलों में और उनको अगर कोई और ग्रीवान्सेज हैं, शिकायतें हैं, धार्मिक मांगें हैं, तो उन पर बातचीत हो सकती है। बहुत सी धार्मिक मांगों को मान लिया गया है और आर्थिक मांगों को

भी मान लिया है और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। हरियाणा के लिए दूसरी राजधानी का इन्तजाम केन्द्रीय सरकार कर सकती है और मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोग इसको मान लेंगे। आनन्दपुर प्रस्ताव सरकारिया कमीशन को भेजने या उस पर बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो कहां से शुरू किया जाए, आज अकाली दल को यह बात सोचनी चाहिए। संत लोंगोवाल या दूसरे जो अकाली नेता हैं,उनको यह बात सोचनी चाहिए कि भारत सरकार राजीवगांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और मैं तो कहता हूँ कि पूरा देश भी इस देश की अखण्डता और एकता को दांव पर लगाकर बातचीत करने को तैयार नहीं होगा। इस तरह की अगर कोई मांग पेश करता है, इस तरह की अगर कोई बात करता है, तो पंजाब की गुत्थी कितनी ही उलझी रहे, उस से बातचीत करने की कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती। उनको यह सोचना चाहिए कि अगर वे वाकई में पंजाब की समस्या के समाधान में दिलचस्पी रखते हैं, अगर वे चाहते हैं कि पंजाब की वही हालात बरकरार हो जो आपरेशन ब्लू स्टार या उस से पहली थी जब भिंडरावाला युग शुरू हुआ, तो उनको ईमानदारी से मेज पर आकर बात करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि सरकार का दिल इस मामले में खुला हुआ है। वह कोई भी रियायत, जो देश की एकता और अखण्डता के अन्दर हो, पंजाब के लोगों और खासकर अपने सिख भाइयों को देने को तैयार है। लेकिन इस बात को उनको फण्डामेंटल्ली और बुनियादी तौर पर मानना होगा कि पंजाब इस देश का अखण्ड हिस्सा है और उसी प्रकार अखण्ड हिस्सा है जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार। उसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली या उस स्टेट्स को किसी प्रकार से खत्म करने की बात नहीं हो सकती है।

सभापति जी, यह बहुत दुखद बात है कि आज हमारे बहुत से सिख भाई हमसे मिलते हैं और पूछते हैं कि पंजाब में ब्लु स्टार आप्रेशन के पहले और बाद में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन दोषी है। क्यों सिखों का एक हिस्सा अलग-थलग पड़ गया है? सिख कम्युनिटी हमारे देश की एक प्रमुख कम्युनिटी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका देश के विकास में प्रमुख भाग रहा, जिसने देश की रक्षा की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। आज जो वह अपने को अलग-थलग महसूस कर रही है, उसके लिए कौन दोषी है? क्या इसके लिए सरकार दोषी है? मैं कहता हूं कि इसके लिए अकाली दल दोषी है। सरकार ने तो हमेशा सिखों को रियायतें दी हैं, हमेशा सिखों को नौकरियों में ज्यादा हिस्सा दिया है, हमेशा सिखों के साथ अत्यधिक विश्वास किया है। यह ठीक है कि उन्होंने ऐसे काम किये जिससे कि उन्होंने विश्वास पैदा किया।

लेकिन यह जो अविश्वास आज पैदा किया जा रहा है वह कौन कर रहा है? वह अकाली दल के लोगों के कारण हो रहा है, उग्रवादियों के कारण हो रहा है। वह अविश्वास कांग्रेस के द्वारा या इस देश की सरकार के द्वारा पैदा नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए।

आज मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग जो फौज में बड़े-बड़े अफसर रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, कभी-कभी ऐसी बातें लिखते हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आती हैं। इसके लिए कौन दोषी है? सरकार ने इसके लिए क्या किया? आज जो सारा वातावरण पंजाब के बारे में बना हुआ है, सिखों के बारे में बना हुआ है, इसके लिए केवल अकाली दल दोषी है।

मैं इन्द्रजीत गुप्त की इस बात का समर्थन करता हूँ कि केवल अकाली दल को ही सिखों का प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए। पिछली लोक सभा में अकाली दल का केवल एक मेम्बर चुनकर आया था, बाकी सारे मेम्बर कांग्रेस के थे। अगर आज भी वहाँ चुनाव हो जायें तो मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस वहाँ पहले से भी अधिक मतों से विजयी होगी। इसलिए केवल अकाली दल को ही सिखों का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए।

सिख केवल अकाली दल में ही नहीं है। सिख कांग्रेस में हैं, जनता पार्टी में हैं, सी.पी.एम. में हैं, सी.पी.आई. में है। लगभग सभी पार्टियों में सिख हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलाए। उसमें जितने भी पंजाब के संगठन हैं, चाहे वह राजनीतिक संगठन हों, चाहे सामाजिक संगठन हों, चाहे शैक्षणिक संगठन हों, सभी के प्रतिनिधियों को उस गोलमेज कांफ्रेंस में बुलाये और उसमें पंजाब के मामले पर खुले दिल से बातचीत की जाए। अगर उसमें अकाली दल शामिल होना चाहता हो तो हो। आज इस प्रकार का वातावरण पूरे देश में और पंजाब में, विशेषकर सिख कम्युनिटी में बनाने की जरूरत है।

अगर इस वातावरण के लिए अकाली दल अपने को दोषी नहीं मानता है तो वह आगे आये और बातचीत करे। भारत की एकता और अखण्डता के हित में उनकी जो भी उचित और न्यायोचित मांग होगी, मैं समझता हूँ कि उसको राजीव गांधी की सरकार कभी भी मानने में हिचकेगी नहीं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : अब तक आजाद भारत ने एक राष्ट्र के रूप में जितनी चुनौतियों का सामना किया है उनमें से, सबसे बड़ी चुनौती पंजाब की समस्या है। केवल सत्ताधारी दल के लिए ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हम सभी के लिए यह एक कठिन परीक्षा है। पंजाब की समस्या त्रुटियों से उत्पन्न एक त्रासदी तथा खोये हुए अवसरों व भूलचूक की कहानी सिद्ध हुई है। यह ग्रीक त्रासदी का एक पुरातन राजनीतिक उदाहरण है। सभी यह देखते रहे कि इन सभी बातों का परिणाम, बुरा होगा परन्तु उस बढ़ती हुई बुराई को

दूर करने की ताकत शायद किसी में भी नहीं थी। इतिहास का विद्यार्थी इस समस्या के कारणों का पता भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हुए साम्राज्यवादी षड़यन्त्र से लगा सकते हैं। परन्तु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल की समस्या पिछले लगभग तीन वर्ष से शुरू हुई है।

इस समस्या की शुरूआत तब हुई जब अकालियों ने उग्रवादियों के दबाव में आकर अपने पन्थ (सम्प्रदाय) की एक बैठक बुलाई तथा 45 मांगों का चार्टर तैयार किया। उस समय सरकार ने इनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद श्री प्रकाश सिंह बादल ने उनमें से केवल दस मांगों के बारे में विरोधी दलों को पत्र लिखा। उनमें से 4 धार्मिक किस्म की मांगें थीं तथा 6 मांगें सभी पंजाबियों से संबंधित थीं।

त्रिपक्षीय सम्मेलन में, जिसमें विरोधी दलों ने भी भाग लिया था, अकाली दल को विपक्षी दलों ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पर हठ न करने को समझाया। वास्तव में उस सम्मेलन में अबोहर तथा फाज़िलका क्षेत्र से सम्बन्धित मामले को छोड़ कर बाकी सभी मामलों पर सहमति हो गई थी। कुछ समय बाद इस पर भी सहमति हो गई। परन्तु किसी वजह से यह समझौता नहीं हो पाया।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : क्यों ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता।

2.48 **म. प.**

(श्री एन. वी. रत्नम पीठासीन हुए)

इस पर अमल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि या तो उस समय की सरकार की इच्छा नहीं थी या ऐसा हो सकता है कि अकाली नेताओं ने उग्रवादियों को ब्लैकमेल के खिलाफ पर्याप्त राजनीतिक इच्छा का प्रदर्शन नहीं किया। इसे हम अपने समस्त राष्ट्रीय नेताओं की असफलता भी कह सकते हैं। इन सब पर मैं अब चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह मसला पक्षपात पूर्ण राजनीति का एक खिलौना बन गया। हमें आजाद हुए अभी कुछ ही काल हुआ है परन्तु हमने बहुत से शानदार परंपरायें देखी हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको भारत के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय की याद दिलाता हूँ। जब कि अनुभवी विपक्षी नेता आचार्य कृपलानी की एक समाचार पत्रिका द्वारा हंसी उड़ाई गई थी तब उन्होंने किस प्रकार इस सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था ? परन्तु देखिये कि आज लोक सभा में वाद-विवाद का स्तर कितना गिर गया है। अभी एक माननीय सदस्य किस प्रकार से विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध घोर आरोप लगा रहे थे। यदि अकेले सदस्य को ही आरोप

लगाये होते तो मैं उसको भूल जाता, परन्तु मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वयं विरोधी दलों के नेताओं के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। लोक-सभा के चुनावों के मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया परन्तु किसी ने भी अभी तक इस बारे में तनिक भी सबूत पेश नहीं किया।

श्री राजेश पाइलट (दौसा) : क्या माननीय सदस्य मुझे एक मिनट देंगे ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नहीं। मैं झुकने वाला नहीं हूँ। पहले विरोधी दलों तथा सिखों के बीच के अन्तर को समाप्त करने का बहुत कम प्रयास किया गया। प्रारम्भ में विपक्ष तथा सिखों के बीच इसके पश्चात सिखों तथा अकालियों व तीसरे अकालियों तथा उग्रवादियों के बीच और अन्त में विपक्ष तथा उग्रवादियों के बीच भेदभाव समाप्त करने का एक निपुणतापूर्ण प्रयास किया गया था। ऐसा समझा गया था कि लोक सभा चुनाव समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे पर आरोप लगाने का यह सिलसिला समाप्त हो जायेगा। और जब श्री एच. के. एल. भगत को प्रधान मंत्री जी के दूत के रूप में प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के पास पंजाब के मसले पर उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा गया था तो भी यह समझा गया था कि पंजाब के मामले को एक दलगत मामला समझने को यह खतरनाक प्रवृत्ति समाप्त की जाएगी। परन्तु विधान सभा चुनावों के समय स्वयं प्रधान मंत्री जी ने इस बात को फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पृथकतावादी तत्वों से मिले हुए हैं। वास्तव में उन्होंने लंदन में भूतपूर्व जनता सरकार में मंत्री की कुछ सिक्खों के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया है। विपक्षी दल के नेताओं के विरुद्ध प्रधान मंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों की मैं न्यायिक जाँच की माँग करता हूं। अगर प्रधान मंत्री जो इससे सहमत नहीं हैं, तो उन्हें इन आरोपों को वापस लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि इस 70 करोड़ आबादी वाले महान राष्ट्र के प्रधान मन्त्री गैर जिम्मेदाराना विद्वेषपूर्ण या झूठे आरोप लगाये और उनसे छुटकारा पा जायें।

श्री राजेश पाइलट : वह निर्वाचित प्रधान मंत्री हैं, मनोनीत नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने के लिए उन्हें नहीं चुना गया है। इस देश को जिम्मेदारी से चलाने के लिए उन्हें चुना गया है।

पंजाब समस्या हमारे स्वतन्त्रता संग्राम और स्वतन्त्र भारत सभी चिरपोषित मूल्यों के लिए एक गम्भीर चुनौती है। अब माननीय गृह मंत्री जी राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ाना चाहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए इसका कोई विकल्प नहीं हैं। सिवाय इसके कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाए। इसके साथ ही लोकतन्त्र के बुनियादी मूल्य जो हमने संजो रखे हैं। वे भी समाप्त होते जा रहे हैं। यहां तक कि धर्म निरपेक्षता के मूल्य भी समाप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा जब लोगों के दिमाग में आर्थिक मामलों के अतिरिक्त अन्य मसले जैसे कि पंजाब

की समस्या छा जाते हैं तो बुनियादी आर्थिक मसले तथा मूल सामाजिक मसलों को पीछे धकेल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा मिलने लगती है।

वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से स्पष्ट रूप में पता चलता है कि बहुत सी घटनाओं जैसे कि पंजाब समस्या, आदि की वजह से देश में प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। पंजाब की आर्थिक प्रगति को देश के सभी लोगों ने सराहा है। पंजाब एक ऐसा राज्य था जिस पर हम सभी को गर्व था। देश के सभी भागों के लोग पंजाब की आर्थिक प्रगति से प्रेरणा लेते थे। हमारे वित्त मंत्री जी का वर्ष 1984-85 का बजट यह दर्शाता है कि इसमें 70 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही (ब्लू स्टार आपरेशन) के बाद इसके आर्थिक ढांचे को काफी धक्का पहुंचा है। एक जिम्मेदार दैनिक पत्र 'दी हिन्दू' ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सैनिक कार्यवाही (ब्लू स्टार आपरेशन) पर वास्तव में 100 करोड़ रुपये की लागत आयी है। इसके अलावा नहरों में दरारों आदि से ही एक हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। अतः यह उचित है कि वित्त मंत्री जी ने पंजाब राज्य को विशेष सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया था। इस तरह का कार्य मेरे विचार से एकदम सही व स्वागत योग्य है।

महोदय, इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा सुलझाने का शायद यह अंतिम अवसर है। मेरे विचार से सरकार ने कुछ प्रमुख अकाली नेताओं को रिहा करके अच्छा कार्य किया है परन्तु यह बेमन से किया हुआ एक हिचकिचाहटपूर्ण अनिश्चित उपाय है। मेरे विचार से अन्य नेताओं श्री प्रकाश सिंह बादल तथा श्री तोहरा को भी छोड़ दिया जाना चाहिये। जैसाकि हम सभी जानते हैं श्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सम्पूर्ण मसले पर वास्तव में बड़े पक्के नरम पंथी रहे हैं।

महोदय, पंजाब प्रश्न पर प्रधान मंत्री जी के रवैये में परिवर्तन का भी मैं स्वागत करता हूं। एक समय ऐसा भी था जबकि वह किसी हालत में आनन्दपुर साहिब संकल्प को हाथ लगाने के लिये भी तैयार नहीं थे। परन्तु मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में संकेत दिया है कि आनन्दपुर साहिब संकल्प में उन्हें सिर्फ कुछ भाग ही आपत्तिजनक लगे हैं। उन्होंने इस संकल्प के उन भागों को सरकारिया आयोग को भेजने पर आपत्ति नहीं उठाई।

अब मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात हुये दंगों की न्यायिक जांच करवाने की मांग के प्रश्न पर आता हूं। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता है कि सरकार इसमें बाधक क्यों बनी हुई है। मुझे यह देखकर भी खुशी हुई है कि प्रधान मंत्री जी ने इस पर विचार करने के लिये तैयार होने का भी संकेत दिया है। अब, मेरे विचार से इस समय अकाली दल की जिम्मेदारी है कि वह समयानुकूल कार्य करे। जब कभी भी हमने अतीत में इस

समस्या को निपटाने के कोई भी सम्मिलित प्रयास किये तो उग्रवादियों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जिसमें कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था और इस संबंध में वे हरबार एक ही रवैया अपनाते थे। पिछले दो दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वे भी उसी रवैये की पुनरावृत्ति थीं अर्थात् भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या। वातावरण खराब करने का यह एक तरीका है जोकि धीरे-धीरे स्वयं हीं। ऐसा होता जा रहा है। परन्तु सरकार तथा अकाली दल के नेताओं के लिये यह आवश्यक है कि इस मसले के सम्बन्ध में एक निश्चितकार्य से वह पीछे न हटें।

महोदय, सत्ता रूढ़ दल में जो कुछ भी आरोप विपक्षी दलों पर लगाये हों, मैं कहूंगा कि देश भक्ति पर कांग्रेस (आई) दल का ही एकाधिकार नहीं है और मैं यह भी कहूंगा कि जो लोग विपक्षी नेताओं की देश भक्ति पर संदेह करते हैं वे खुद भी अत्यधिक देश भक्त होने का दावा नहीं कर सकते। हम इतने ज्यादा देशभक्त हैं कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई भी अर्थपूर्ण महल करने के लिये हम बिना शर्त पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा पंजीब में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के लिये प्रस्तुत किये गये संकल्प को जारी रखने तथा पंजाब बजट का मैं समर्थन करता हूँ। महोदय मैं तन्मयता से विपक्षी दल के कई माननीय सदस्यों की बातों को सुन रहा था।

3.00 म. प.

यह सच है कि पंजाब के प्रश्न पर हमारी तरफ से अथवा उनकी ओर से संकीर्ण दृष्टिकोण से चर्चा नहीं की जानी चाहिये। मैं अपने युवा मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी की भांति इससे चिंतित हूं कि देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ईमानदारी से इस मामले पर चर्चा करनी होगी और इससे निपटना होगा।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब और देश के अन्य भागों के लोगों ने इसमें क्या भूमिका निभायी है। गुरुदेव टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना करते समय पंजाब के योगदान की सबसे अधिक प्रशांना की है। राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति देश के किसी भी भाग से नहीं अपितु पंजाब से शुरू होती है—**पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग।**

उन दिनों ब्रिटिश राज की निन्दा करने के लिये गुरुदेव टैगोर स्वयं आगे आये और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने पर घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने जो उन्हें नाइट की उपाधि दी थी वह उसकी परवाह नहीं करते। स्वामी शारदानन्द बंगाल से जलियांवाला बाग में

आये और सन्यासी होते हुये पहली बार उन्होंने जिन्दगी में सन्यास का त्याग किया और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गये। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन होने पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लिया। अतः पंजाब सांस्कृतिक राजनैतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से सिर्फ पंजाब से ही नहीं जुड़ा हुआ है। यह सम्पूर्ण देश से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय लाला लाजपतराय देश के महान शहीद थे। हम सभी जानते हैं कि भगतसिंह से लेकर लाला लाजपत राय तक सभी शहीदों का योगदान देश की आजादी के लिये क्या था।

उग्रवादी आंदोलन मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सन 1967 से 1971 के दौरान बंगाल में देखा है। हर जगह दीवारों पर लिखा हुआ था कि सत्ता बंदूक की नोक पर आयेगी। प्रारम्भ में, वे सभी लोग उनके शिकार हो गये, चाहे वे सी.पी.आई. (एम) के या सी.पी.आई. अथवा कांग्रेस के थे परन्तु अत्यधिक दृढ़ता से वे लोगों के पास एक पहलू से संतुष्ट करने के लिये गये कि बंदूक ताकतवर नहीं है, यह तो जनता और उसकी इच्छाशक्ति है जो ताकतवर है। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि पंजाब में 'ब्लू स्टार आपरेशन' होने के काफी समय पहले अगर सभी राजनैतिक ताकतों द्वारा इस प्रकार के प्रयास किये जाते, यद्यपि कांग्रेस, सी.पी.आई. अथवा सी.पी.आई. (एम) के हताहत हुये व्यक्तियों की संख्या अधिक हुई होती परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि भिन्डरावाले और मन्दिर के अन्दर उनके डाकुओं अथवा अन्य व्यक्तियों की बन्दूकें लोगों की शक्ति के सामने कहीं बहुत छोटी होती। परन्तु जो कुछ होना था हो गया।

विपक्ष यह जानने के लिये बहुत ही इच्छुक है कि सरकार पंजाब के बारे में क्या कर रही है। सबसे पहले मैं जनता पार्टी के श्री जयपाल रेड्डी की बात का जवाब दूंगा जो अभी-अभी बोल चुके हैं। उन्हीं की भांति कुछ सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात हुये दगों के जांच कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि देश में पिछले लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा जांच कार्य हो चुका है। विपक्ष के सदस्य निरन्तर इस बात पर तर्क करते हैं कि प्रधान मंत्री ने विपक्ष के नेताओं पर दोष क्यों लगाया गया है। अगर प्रधान मंत्री ने कुछ दोषारोपण कर दिया अथवा कुछ टिप्पणी की हो कि विपक्ष उत्तरदायी पूर्व रवैया नहीं अपना रहा है। तो क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं कि लोक सभा चुनावों के दौरान देश में सभी दीवारों पर जानबूझकर लिखा गया कि दंगों के लिये सिर्फ एक दल ही जिम्मेदार था? इसके बारे में आपने मतदाताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की। मैं इसे दस्तावेजों तथा फोटो से साबित कर सकता हूं। आपने विद्वेषपूर्ण तरीके से कांग्रेस दल तथा उनके नेताओं को बुरा-भला कहा कि दंगे इन्होंने ही करवाये हैं। परन्तु जब आप ये आंकड़े लोगों के सामने रखें तो क्या हुआ? वे इसका फैसला अच्छी तरह कर सकते हैं। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि यह सच नहीं है। जो लोग दंगा करने वाले हैं वे दंगा करने वाले ही हैं, उन्हें साम्यवादी, कांग्रेस अथवा किसी अन्य दल से मत जोड़िये। वे दंगा करने वाले हैं। आप गैर-सरकारी जांच समिति तथा तथाकथित न्यायाधीशों और जी. यू. सी. एल. दस्तावेजों के बारे

में बात कर रहे थे। मैं जी. यू. सी. एल. लोगों को जानता हूँ। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुद्धिजीवी नहीं हैं परन्तु वे व्यवसाय से बुद्धिजीवी तथा व्यापारी हैं। मुझे यह कहते हुये खेद होता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान बेलछी में हुए हत्याकांड की जांच क्यों नहीं करवायी गयी थी ? बंगाल में विधान सभा चुनावों के पश्चात बहुत बड़े स्तर पर प्राप्त हेराफेरी की रिपोर्टों की जांच क्यों नहीं करवायी गयी ? श्री तारकुंडे को तथ्य दे दिये गये थे। क्या वे तथ्यों से इन्कार कर सकते हैं ? उस समय, उन्हें जांच करवाने का समय नहीं मिला। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात जो कुछ भी हुआ उसको जांच के लिए वे अधिक इच्छुक हैं। वे इस बात की जांच कराने के इच्छुक नहीं हैं कि आनन्दपुर साहिब संकल्प का कब और क्यों पास किया गया। निरंकारी दल का मुखिया, लाला जगत नारायण, डी. आई. जी. अटल तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता चण्डीगढ़ में क्यों और कब मारे गये। वे इन पहलुओं में नहीं जाते। क्या वे उग्रवादियों का सामना करने तथा स्थिति का मौके पर मुआयना करने के लिये पंजाब में गयेथे? क्या उन्होंने कभी कहा है कि हम बुद्धिजीवी हैं और अगर आपने मार-धाड़ बन्द नहीं की तो हम पहले अपना खून बहायेंगे ? नहीं, वे तो दिल्ली में बैठकर कांग्रेस दल के सत्ता में होने पर जांच करवाने की मांग करेंगे। बुद्धिजीवियों के प्रति पूरी श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए मैं कहूंगा कि उनमें से बहुत से व्यवसायिक तथा व्यापारी हैं। सही बात तो यह है कि वे बुद्धिजीवी नहीं हैं।

यदि वे वास्तव में बुद्धिजीवी थे तो उस समय वे कहां थे जब श्रीमती गांधी ने सैनिक कार्यवाही (अपरेशन ब्लयू स्टार) से बहुत पहले पंजाब के बारे में दूरदर्शन पर अपील की थी और कहा था कि मैं यह कार्यवाही करने के लिए मजबूर हूँ। फिर भी अगर वे पुन : वातचीत करना चाहें तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ उस समय वे बुद्धिजीवी कहां गए थे ; क्या वे कहीं चले गए थे ? क्या वे इनको फिर से बात करने के लिए मना नहीं सकते थे ! क्या बुद्धिजीवियों का यही व्यवहार होना चाहिए कि वे कहें कि हम जांच करेगें और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे। क्या सरकार इस बात को मानेगी। मैं उनको उतना ही दोषी मानता हूँ वे गैर जिम्मेदार कायर हैं। जब किसी कायर की लेखनी लिखती है तो उसकी लेखनी से स्याही की जगह स्वार्थ टपकता है। वे सिर्फ समय का लाभ उठाते हैं और समस्या को और जटिल बना देते हैं। यह सही है कि ये दगें हैं और कई लोगों ने इस स्थिति का फायदा उठाया है तथा पूरे देश के लोग आतंकित थे। जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई तो मैंने कई दिनों तक आसू बहाए। मैं उन परिवारों के लिए भी आसू बहाता हूँ जिन्होने अपने आदमियों को खोया है और समाज विरोधी तत्वों के हाथों में शिकार हुए; कोई खुश नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि हम खुश हैं ; क्या आप सोचते हैं कि ये दंगे हमने करवाए हैं। क्या आप सोचते हैं कि इसके पीछे काग्रेस पार्टी का हाथ है ? यह विपक्ष की कल्पना है। लोगों ने उसका जवाब दे दिया है।

सभापति महोदय, मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं; बंगाल से हमारे सी.पी. आई. (एम) के मित्र (मैं राजनैतिक में नहीं जाना चाहता) हमेशा ही जांच कराने की बात कहते

रहते हैं। वाम पंथी पार्टी में होने के कारण क्या वे एक बहुत साधारण प्रश्न का जवाब देंगे; जब मार्क्स मन्फी के शरणार्थी मारे गए थे तो उस समय क्या आप जांच के लिए तैयार थे ? जब बड़ी तादाद के दर्गे हुए थे तो क्या आपने कोई जांच करायी थी ? न्यायिक जांच क्या कर सकती है ? यह केवल यही बता सकती है कि कितने लोग मारे गए और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ? आप उन लोगों को कैसे पहचानेंगे। जो किराए पर लाए गए थे ? जो यहां से वहां जाते रहते हैं। पाकिस्तान और वृहत कलकत्ता में हुए दगों के बारे में जो जांच की गई उनसे कितने तथ्य सामने आए महात्मा गांधी की हत्या हुई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दुर्भाग्य था। यह लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में उस समय हुई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ मित्रता की संधि की थी यह और कोई नहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी थी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रत्येक अवसर पर जब कभी कोई संकट आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक क्षति पहुँची विपक्ष जो चाहें कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेताओं ने देश के लिए सब कुछ दिया है। विपक्षी नेता सब बातें भूल गए हैं। विगत में वे हर वक्त कहते थे कि विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए ! जिस दिन राजीव जी ने देश के प्रधान मंत्री की बागडोर संभाली। उसी दिन या उससे अगले दिन दिल्ली की स्थिति पर विचार करने के लिए विपक्ष से मिले थे। वह पूरी तरह गंभीर थे ; इन्दिरा जी जब जीवित थी तो एक अवसर पर ही नहीं बल्कि तीन अवसरों पर उन्होंने विपक्ष के साथ विचार विमर्श किया था।

विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि वे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक नहीं हैं ; क्या आप इसके प्रमाण में कोई राजनैतिक पाठ दिखा सकते हैं जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि "देखिए हम आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव और इसके उद्देश्यों की पूर्णतः निन्दा करते हैं ?" कुछ लोग इसके कुछ भागों की बात करते है। कुछ लोग इस भाग और कुछ लोग उस भाग के बारे में कहते हैं; महोदय मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत कब हुई थी ?

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की है कि वह पूरे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन उसमें कतिपय भागों से मुझे आपत्ति है, उन्होंने कहा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जी हां। मैं इस पर आ रहा हूँ। श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि उनका इसके साथ संबंध नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 27-29 अक्टूबर 1978 में लुधियाना प्रस्ताव में हुई थी। उस समय श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में जनता पार्टी संगठित थी। मसौदा लेखन समिति का अध्यक्ष जनता सरकार के मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करते

समय लुधियाना में अकालियों के जनसमूह को संबोधित करने के लिए विशेष संपर्क आमंत्रित व्यक्ति कौन था ? यह संगठित जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर थे। उन्होंने जनसमूह को संबोधित किया। जी हां। मैं इसे प्राधिकार कहता हूँ। उन्होंने वहां एकत्रित लोगों को संबोधित किया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा उसके बाद आप अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह नहीं है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी लेकिन इसे उनकी उपस्थिति में किया गया। वह विशेष रूप से आमंत्रित थे। उन्होंने जनसमूह को संबोधित किया। प्रस्ताव का प्रारूप बनाया गया था तथा यह कहते हुए कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के प्रकाश में उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है। एक वाक्य का उल्लेख किया गया था। वह कौन सा आधार था जिसकी हमें अभी तक जानकारी नहीं है। वह दस्तावेज 1978 में पारित किया गया था। उस समय प्रधान मंत्री कौन था ? श्री मोरारजी देसाई। इसे श्री मोरारजी देसाई के सामने पेश किया गया। उन्होंने कुछ आपत्ति की। उन्होंने किसी तरह विरोध नहीं किया। उस समय अकाली दल की ओर से जनता पार्टी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था। जनता पार्टी सरकार में श्री बरनाला के न रहने से उसकी सरकार गिरती नहीं। लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया।

इसी समय इस समस्या की शुरूआत हुई थी और उसे बढ़ने दिया गया तथा उसे इस हद तक बढ़ने दिया कि जब इन्दिरा जी सत्ता में आई तब इस मामले को उठाया गया। क्या यह राजनैतिक ब्लैक मेल नहीं है। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जब आप, बोलते रहे तो मैंने कुछ नहीं कहा था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था। सबसे पहली बात यह है। 1978 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। उस समय श्री चन्द्र-शेखर उपस्थित थे और उन्होंने समाचारपत्र वालों से कहा था कि वह प्रस्ताव के कई हिस्सों से सहमत नहीं हैं। यह रिकार्ड में है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं न तो श्री चन्द्रशेखर का पक्ष ले रहा हूँ और न ही उन्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि यह मामला कोई नया नहीं है। यह उनको उस दिन भी मालूम था जब वे उस तरफ थे। लेकिन उन्होंने उस समय यह मामला नहीं उठाया

और यह नहीं कहा इसे आगे न बढ़ने दिया जाए, वहीं समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने इसे बढ़ने दिया और इस सीमा तक बढ़ा दिया कि जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तब जाकर उन्होंने इसे उठाया। मैं किसी पार्टी को आरोप नहीं लगाता हूँ। मेरा कहने का आशय इतना है कि यह इनकी जानकारी से हुआ और उन्होंने लोगों को इसके बारे में नहीं बताया।

सभापति महोदय : कृपया विषय पर आइए।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यही विषय है। वह अन्य कौन से विषय का उल्लेख कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं जिसका उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि नेताओं ने पाकिस्तान के राज्याध्यक्ष से उस समय मुलाकात करना सुविधाजनक समझा जब उन्हें एफ-16 विमान दिए जा रहे थे। वे लंदन में आतंकवादियों से मिले और जब वे सदन में आते हैं तो वे एकता और सहयोग की बात करते हैं। यह उचित नहीं है। उन्हें अपने लोगों तथा दल पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या यह किसी भी दल के लिए उचित है कि जबकि हमारे देश को पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है, और आजाद काश्मीर तथा देश के अन्य भागों में उग्रवादी लोग मौजूद हैं, उनके नेता पाकिस्तान जाकर जिया से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं तथा उनसे कहते हैं : "हम पता लगायेंगे कि वहां क्या कठिनाइयां हैं।" ये सब बातें मत किजिए। पहले दल से उन लोगों को बाहर कीजिए।

आप साम्राज्यवाद षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। साम्राज्यवाद के एजेंट आपके दल में हैं, श्री जयपाल रेड्डी। पहले उन पर ध्यान दीजिए और तब सदन में आकर सहयोग की बात कीजिए। **(व्यवधान)** जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक पंजाब समस्या का संबंध है, यह देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि हमारे नये युवा प्रधान मंत्री ने इस सदन में प्रथम दिन ही कहा कि उनका सर्वप्रथम कार्य यह देखना होगा कि पंजाब तथा असम की समस्यायें कारगर ढंग से हल हों। महान शहीद भगतसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री हुसैनीवाला गये थे और उन्होंने वहां पर पंजाब के लिए अनेक आर्थिक राहत कार्यक्रमों तथा कुछ अन्य परियोजनाओं की घोषणा की।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ शत प्रतिशत सहमत हूँ जब उन्होंने कहा : अकालियों को ही सिखों का एकमात्र प्रवक्ता बनाने की कोशिश मत करिये। पंजाब के अन्दर तथा पंजाब से बाहर रहने वाले सिख समुदाय के अधिकांश लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं और वे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत पंजाब समस्या का हल चाहते हैं। वे देश के प्रधान मंत्री का साथ देना चाहते हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं। यह वास्तविक स्थिति है। अब क्या हुआ है? अकाली नेताओं का एक वर्ग उग्रवादियों के दबाव में जेल में कुछ कहता है, जेल के बाहर तथा कार्यालय

में कुछ और कहता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें कम से कम यह अहसास कराना चाहिए कि वे उग्रवादियों के दबाव में नहीं है।

जो भी सहयोग वे आपसे मांगते हैं आप उन्हें दीजिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। उन्हें उग्रवादियों के दबाव में मत रहने दीजिए; उग्रवादी थोड़े से हैं। उन दिनों में बहुत से युवा लोग बंगाल में भी पकड़े गये थे। मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ कि जब पुलिस ऐसी स्थिति में कार्य करती है तो वे प्रायः गलतियां करते हैं। जब किसी निर्दोष को हिरासत में लिया जाता है और जब वह वापिस आता है तो वह उग्रवादी बनकर आता है; ये हमेशा होता रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपनी बुद्धिमता का इस्तेमाल करके पता लगाना चाहिए कि वे सब युवा लोग जो पहले से ही पंजाब में नजरबन्द हैं—मुझे विश्वास है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति एक नया भारत, एक समृद्ध पंजाब, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं—वे उग्रवादियों के सम्पर्क में न आ सके। आप उनसे अच्छा बर्ताव कीजिए और स्थिति को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है इसके लिए उनकी अधिकारियों से बातचीत कराने की संभावनाओं का पता लगायें। सभी युवा जो उग्रवादी समझकर नजरबन्द किए गए हैं उन सबको उग्रवादी नहीं समझा जाना चाहिए।

हाल ही में, मैं खेलों में गया था। पंजाब से एक टीम लखनऊ में खेलने आई। वे महाराष्ट्र तथा बंगाल को हराकर फुटबाल की चैम्पियन बन गई। पंजाब में युवाओं का कहना है कि उनमें बहुत खेल भावना थी; हम पंजाब में कुछ खेलों की गतिविधियां करते थे; हम वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो प्रशासन यह महसूस करेगा कि जो युवा खेल मैदानों में आयेंगे वे उग्रवादी हो सकते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। आप उन्हें पंजाब के अन्दर जहाँ भी वे चाहें उन्हें खेल गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अवसर दें। मैं आपको बताऊं, मैंने पंजाब के कुछ हाकी खिलाड़ियों के साहस को देखा है। मुझे लास एन्जीलस में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। स्टेडियम में वे उग्रवादियों की गालियों का सामना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अच्छा खेल खेला; वे मैच हारे या जीते महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा, हमें भारतीय होने पर गर्व है; हम यहां पर भारतीय के रूप में आये हैं और हम भारतीय के रूप में ही वापिस जायेंगे। अतः वे उग्रवादी नहीं हैं। आप उनको विश्वास में लीजिए; और आज से ही वाद-विवाद के समाप्त होने के बाद आप अपनी बुद्धि तथा मशीनरी से एस.जी.पी.सी. की घृणित गतिविधियों को, किसी भी प्रकार समाप्त करने के लिए लगा दे। जो भी कानून आप बनाना चाहते है सारा सदन आपको समर्थन देगा। उन्हें धर्म के नाम पर देश की एकता को खतरा पहुंचाने के लिए युवकों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए धन राशि खर्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह गुरुग्रन्थ साहिब के विरुद्ध है; वे रोजाना गुरु नानक की हत्या कर रहे हैं; वे गुरु गोविन्द साहिब की स्तुति नहीं कर रहे हैं; वे गुरुओं की हत्या कर रहे हैं जिनको हम भी मानते हैं, जिनको हम भी नमस्कार करते हैं। अगर आप ऐसा

नहीं कर पायेंगे तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस देश की दूसरी पीढ़ी इन उग्रवादियों द्वारा भ्रष्ट कर दी जायेगी। अगर आप इसको अभी रोकेंगे, तो हो सकता है कुछ दुर्घटनायें हो; हो सकता है कुछ मूल्यवान जीवन खोने पड़े और जो चर्चा में भाग ले रहे हैं, उनका जीवन सुरक्षित न रहे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको करिए और सख्ती के साथ करिए। हम धर्म के नाम पर देश के किसी भी भाग में इन उग्रवादियों की गतिविधियों को सहन नहीं करना चाहते। राजनीति को बीच में घसीटे बिना, सारा सदन, पूरी निष्ठा के साथ आपका समर्थन करेगा। हमारे प्रधान मंत्री, जो इस देश के लोगों के सहयोग से इस समस्या को सुलझाने में लगे हैं, को सारे सदन का समर्थन मिलेगा। हम यह आशा करते हैं कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शीघ्र ही एक नए पंजाब का निर्माण किया जा सकेगा और प्रत्येक युवा जो पंजाब में भगतसिंह तथा लाला लाजपत राय का अभिवादन करते हैं एक दिन कहेगा कि यह राजीव गांधी है जिन्होंने पंजाब को बचाया और पंजाब हिंसा से मुक्त देश की मुख्य धारा का अंग बन गया है। धन्यवाद।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : गृह मंत्री जी कृपया श्री दास मुन्शी द्वारा दिए गए विवेकशील सुझावों को नोट करें कि सभी सिख अकाली नहीं हैं और सभी अकाली उग्रवादी नहीं है। कृपया यह बात नोट करें।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : हमें इसकी जानकारी है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह इससे सचेत रहें। आपको इसके प्रति सचेत हैं या नहीं कोई अधिक महत्व नहीं रखता।

[हिन्दी]

श्री राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति जी, मैं इन तमाम मुद्दों की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। यूं तो हमारे भारतवर्ष पर चारों तरफ से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जब पंजाब का जिक्र आता है तो पंजाब के हालात के मुताबिक मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं भी किसी वक्त पंजाब में था, 1952 से 1966 तक मैं पंजाब असेम्बली का मेम्बर रहा था, जिस समय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों इकट्ठे थे। उस वक्त भी इन अकालियों ने पंजाबी सूबे के लिए कुछ आवाज उठाई थी। सरदार प्रताप सिंह कैरो उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। जब मास्टर तारा सिंह और संत फतहसिंह ने इस मूव को चलाया और वे उस वक्त अकाली दल के लीडर थे, तो संत फतह सिंह ने मरण-व्रत रखा कि पंजाबी सूबा बनाया जाय, पंजाबी भाषा के आधार पर। उस समय बहुत झगड़े हुए, लेकिन प्रताप सिंह कैरो बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर थे। उनके सामने कुछ आदमियों ने जिक्र किया, कैरो साहब, अगर संत फतह सिंह मर गये या मास्टर तारा सिंह मर गये तो पंजाब में आग लग जायेगी। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने कहा—पंजाब में आग नहीं लग सकती। मास्टर तारासिंह

या संत फतह सिंह मर भी गए तो अर्थी उठाने वाले चार आदमी होंगे, पाँचवां नहीं होगा। उस वक्त सरदार प्रताप सिंह कैरो ने बड़ी सख्ती से काम लिया था।

यह सिलसिला चलता रहा। जो सैंटर में लीडर्स थे उन्होंने थोड़ी सी मेहरबानी की अकालियों पर, एक हिन्दी रिजन कमेटी और एक पंजाबी रिजन कमेटी उस वक्त बन गई। सन् 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ये तीन सूबे अलग-अलग हो गए। मैं अम्बाला से आता हूं, जो पंजाब से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है और मुझे वहां के बारे में सारा पता है। हमें तो खुशी है कि हरियाणा पंजाब से अलहदा होने के बाद मेरे ख्याल से इस मुल्क में डेवलपमेंट के लिहाज से नं. 2 पर पहुंच गया है। अब पंजाब एक छोटा सा इलाका रह गया है और पंजाब के अन्दर जो बहुत सारे नौजवान सिख हैं, वे रोजगार के लिए विदेशों में गए हैं। आप जानते है कि इंगलैंड हमारा दोस्त नहीं है, चीन हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिता हमारा दोस्त नहीं है और पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। ये जितने भी हमारे विरोधी मुल्क हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई डैवलपमेंट न करे, हिन्दुस्तान कोई तरक्की न करे और हिन्दुस्तान की वही हालत हो जाए जो अंग्रेजों के वक्त थी। आप जानते हैं कि मुल्क के अन्दर कोई गड़बड़ करानी होती है. मुल्क के टुकड़े टुकड़े कराने होते हैं, तो दूसरी ताकतें चन्द आदमियों को अपने हाथ में ले लेती हैं और वे देश में गड़बड़ करा कर उसको बरबाद करना चाहते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसे लोग हमारे देश में हैं, जो देशद्रोही हैं और वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वे देश में एकता नहीं रहने देना चाहते हैं। आज पंजाब की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। सारा पंजाब तबाह हो गया है, वहां का व्यापार खत्म हो गया है और वहां के व्यापारी तबाह हो गए हैं। जो ईमानदार आदमी थे, जो धर्मात्मा थे, उनको जिन्दा नहीं रहने दिया जाता है। लाला जगत नारायण और उनके बेटे रमेश चन्द्र और पुलिस डी. आई. जी. और दुनिया भर के कत्ल वहां पर हुए और अकाली कहते हैं कि संत भिंडरावाला हमारे रहबर हैं, हमारे खैर-ख्वाहा हैं और हमारे पैगम्बर हैं और उनको क्यों खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया ? उनका वर्लड को हमारे विरोधी देश की सरकारों के साथ तालमेल था और सारी बातों की खबरें उनके पास आती थी। उनके पास एक वायरलैस सेट था और दुनिया भर से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती थी और उसके मुताबिक वे चलते थे। पंजाब एक बहादुर सूबा था और पंजाब एक खुशहाल सूबा था, जिसका नम्बर हिन्दुस्तान में नं. 1 पर था लेकिन अकाली धर्म के नाम पर नारे लगाते हैं और क्या नारे लगाते हैं, यह आप जानते हैं। किसी धर्म के अन्दर किसी मजहब के अन्दर, किसी मस्जिद के अन्दर, किसी गिरजा के अन्दर इस किस्म की बातें नहीं होती हैं, जैसी पंजाब के अन्दर गुरुद्वारे में चली। दो चार आदमी बैठ कर एक हुकुमनामा जारी करते थे कि इस आदमी को मार दो और इसको कत्ल कर दो और इस तरह से बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। यहां तक कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी खत्म कर दिया। अब इनके साथ रियायत कैसी। अब कुछ हमारे लीडर कहते हैं और

पील करते हैं कि समझौता करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सब मेम्बरान से पील करना चाहता हूं कि इस तरह की अपील करने की जरूरत नहीं है। आपने अपीलें कर-रके सारे पंजाब को तबाह कर दिया और उसका असर हरियाणा पर भी पड़ा। हम जानते कि पंजाब के अन्दर कत्ल हो रहे थे और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता था। हमारी हिनें विधवा हो गईं, उनके बच्चे यतीम हो गए। आपने यह देखा होगा कि वे हमारे सूबे के ीफ मिनिस्टर भजनलाल जी को भी हटाना चाहते हैं। उनको भी हिट लिस्ट में रखा। इसके ावजूद हमारे भाई कहते हैं कि इन अकालियों को समझाया जाए, उनके साथ अपील करो। नके साथ क्या अपील करे ? अपील तो किसी समझदार से की जाती है। उनके साथ तो वही लूक होना चाहिए जो एक देशद्रोही के साथ होता है।

वे कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हम हिट-ल्स्ट में शामिल करदेगे। मैं कहता हूँ कि किसमें हिम्मत है जो राम प्रकाश को गोली मार । मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। मैं देखता हूं कि कौन मुझे गोली से मारने सामने आता है। हात्मा गांधी ने कहा था कि दुनियां में इन्सान का सबसे बड़ा दुश्मन 'डर' है। जिस इन्सान में र नहीं है उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता।

मैं आप से कहता हूँ कि जहां तक इनके साथ समझौते का ताल्लुक है, आप लिख लो, ापने पिछले 20-30 सालों में काफी समझौते किए लेकिन ये अकाली किसी समझौते पर कायम हीं रह सके। किसी पर नहीं रुके। अब आप उन्हें चण्डीगढ़ दे दोगे तो फिर ये दूसरी चीज की ांग करेंगे कि यह भी दो। पहले इन्होंने पंजाबी सूबा मांगा। जब वह मिल गया तो अब ालिस सिख सूबे की बात चला रहे हैं। इसे आप कैसे दे सकते हैं ? कभी भी नहीं दे सकते ।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनके साथ कभी भी नर्मी का बर्ताव नहीं करना ाहिए। अगर इनके साथ आपने नर्मी का बर्ताव किया तो उससे सारे मुल्क का नुकसान होगा। नसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

इनके बारे में हल क्या हो सकता है ? मेरी जो राय है उससे शायद आप बुरा मानें। रा कहना है कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा को एक कर दो। जैसा कि हमारे हरियाणा मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब की समस्या का हल करना है तो पहले जैसे पंजाब एक था, उसी रह का पंजाब कर दो। इसे एक करने में हम हरियाणा वालों को तो नुकसान हो जायेगा किन देश की रक्षा के लिए अगर हमें यह कुर्बानी पानी पड़ती है तो वह भी करेंगे। मैं समझता कि जब पंजाब एक हो जायेगा, उसमें हिमाचल और हरियाणा भी शामिल हो जायेगा तो मैं हता हूँ कि अकाली दल की जुरंत नहीं होगी कि आइन्दा वे कोई मांग उठा सकें जिससे देश के कड़े होने की बात होती हो।

मैं एक सीधा साधा अनपढ़ आदमी हूँ और सीधे-सादे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन अकालियों के साथ समझौते की कोई बात सफल नहीं होगी। अगर इनके साथ कोई समझौता हो भी जाता है तो वह भी सफल नहीं होगा, फेल होगा। इसलिए इस समस्या का एक ही हल है कि पंजाब को एक कर दिया जाना चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पंजाब जैसे विषय पर बोलने का मौका दिया। इस विषय पर मैंने दोनों पक्षों की बातों को सुना। इस विषय पर कई सालों से मेरे देखते देखते इस आशय के प्रस्ताव आते रहें हैं और उन पर बातें भी होती रहीं।

श्रीमान्, मुझे दो बातें याद आती हैं। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इस देश को गुलाम बनाये रखने के लिए पहले तो यहां की संस्कृति को नष्ट करना चाहा। पहले-पहल उन्होंने बंगाल में ऐसे सम्प्रदाय को जन्म दिया जिससे की भारतीय संस्कृति का लोप हो जाए और पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर हावी हो जाए। मेरी समझ में यह आता है कि आज जो वहां के आतंकवादियों और सिख नेताओं के मन में यह भाव पैदा किया जा रहा है कि तुम एक अलग कौम हो, तुम्हारा हिन्दु धर्म से कोई लगाव नहीं है, उसमें विदेशीयों का हाथ है।

ये बातें सिख धर्म और सिख सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हैं। अगर इसका अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि इस धर्म के स्थापना ने इसलिए इस धर्म की स्थापना की थी कि इससे हिन्दु समाज का कल्याण हो, और देश की रक्षा हो। आज उसे दूसरे ढंग से उनके दिलो-दिमाग में भरा जा रहा है और उनमें एक नफरत की आग जलाई जा रही है। मैं चाहूंगा कि पहले तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो नफरत को आग लग रही है, वह नफरत की आग समाप्त हो। पहले के सिख धर्मगुरुओं ने जो हमें उपदेश दिए हैं,जितने बड़े-बड़े संत हैं, सूफी संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, सूरदास हुए हैं, सबके साहित्य में यही भरा पड़ा है। गुजरात के एक संत ने कहा है- "संत वही जो पीर पराई जाने," यही सबसे बड़ा उद्देश्य है, किन्तु आज उसका उल्टा प्रचार करके उल्टे नफरत की आग पैदा की जा रही है। तो पहले तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह नफरत की आग दूर हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मैंने कई मित्रों को सुना, अपोजीशन के मित्रों को सुना। मैं अपनी अलग राय रखता हूं मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी ऐसी राय रखते होंगे, लेकिन उनको कहने का अवसर नहीं मिला होगा, यह जो बिल पेश किया जा रहा है, अभी-अभी चन्द दिन हुए, इससे बढ़कर के शराफत और क्या हो सकती है कि जिन नेताओं के नेतृत्व में इस देश में आग लगी और हजारों हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया और यहीं तक नहीं,

ारे देश की रहनुमा को भी गोलियों से भून दिया गया और आज हमारे प्रधानमंत्री ने वह अपनाया अपनत्व का कि जो उसके अगुंआ थे, बिलाशर्त उनको जेल से रिहा कर दिया। एक ावत है कि "प्रथम ग्रासे मक्षिका, "ज्यों ही उनको छोड़ा गया, फिर आग लगानी शुरू कर दी, र गोलियां चलनी शुरू हो गई, निरीह लोग मारे जाने लगे और हमें आश्चर्य होता है जब ारे लीडर बोलने लगते हैं, आतंकवादियों और नौजवानों की बात की जाती है। मैं तो यह ता हूं कि अकाली दल के जो सबसे बड़े लीडर हैं, वे ही सबसे बड़े गुनाहकार हैं। ज्योंही ोवाल को आपने छोड़ा, क्या उनका बयान आया ? उनका बयान आता है कि जितने आतंक- दी गिरफ्तार किए गए हैं, बिना शर्त उनको छोड़ दो। सिक्ख स्टूडेंट फेडरेशन जो सारी चीज जड़ है, उस पर से बेन हटाओ, जो अदालतें बनी हुई हैं, उनको समाप्त करो यही तक नहीं न्यवर, देश के खिलाफ बगावत करने वाले फौज के सिपाही थे, उनको भी बिना शर्त छोड़ दो। ज हमने अखबार में पढ़ा, हमको आश्चर्य हुआ, उनको दस हजार रुपये की धनराशि से पुरस्कृत या जा रहा है। जिन फौज के सिपाहियों ने बगावत की थी, हुकूमत के खिलाफ राजद्रोह किया था, ज उनके लिए वकील रखे जा रहे हैं और 10 हजार रुपया प्रत्येक आदमी को इनाम दिया जा ा है। इतना ही नहीं, एक बात का और भी आश्चर्य हुआ, इसके पहले भी हुआ था, गुरुद्वारों कुछ नौजवान भरती किए जा रहे थे और उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवाए जा रहे थे, उनका नाम "बलिदानी," किसके लिए बलिदान कहने के लिए प्रतिज्ञापत्र भरवाए जा रहे थे ारत से पंजाब को अलग करो, यही बलिदान है, इसके लिए बलिदानी तिज्ञा - पत्र भरवाए और रहे थे और उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, श्मीर में, उत्तरप्रदेश में और पंजाब में और इसका हाथ क्या हुआ ? आज र वही शुरू हो गया है। उनके यहां एक कमेटी है, करोड़ों रुपया उनके पास आता है। उसमें लाखों रुपया इसलिए खर्च किया जायेगा कि जो आतंकवादी हैं, उनको शस्त्र कला सिखलाएं। स सब के बाद कहा जा रहा है कि इनके प्रति मुरव्वत की जाए। मुरव्वत करके क्या करेंगे प। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं निर्भीक हूं और यह कहता कि समूचे देश के लोगों ने एकमत हो करके आपको विशाल बहुमत इसलिए लिए दिया है कि प भारत को एक रखो। अगर भारत को एक नहीं रखना होता तो इतना विशाल बहुमत पको नहीं मिलता। आज देश के लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया है। मैं आपसे निवेदन करने जा हा हूं कि जो आग पहले लगी हुई थी, वह आग फिर लगाई जा रही है। मैं अपने मंत्री जी से ानना चाहूंगा कि किस आधार पर उनको जेल से छोड़ा गया। वे जेल से निकलकर ऐसी हरकत करें की फिर से आग लगे, किन्तु जेल से निकलते ही आग उगलनी शुरू हो गई है, कत्लेआम रू हो गया, बगावत करनी शुरू कर दी, राजद्रोह शुरू हो गया। यह सब क्या है। र उनसे बात करने के लिए कहा जा रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे विरोधी ल के, लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है और विरोधी ल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भारत को एक रखना है या नहीं।

क्या पंजाब के उग्रवादी आए दिन हत्या करते रहेंगे। अगर वह महसूस करते हैं कि यह काम गलत है तो विरोधी दल के नेताओं को एक स्वर से यह प्रस्ताव हुकूमत को देना चाहिए कि इसके लिए जो भी कदम उठाए जायेंगे, हम आपके साथ हैं। विरोधी दल के नेता ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि देश माफ नहीं करेगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां एक अच्छे नेता चन्द्र शेखर जी का घर है। उनका घर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वह मेरे वोटर हैं। बलिया के लोगों ने सरेआम चन्द्र शेखर जी से सवाल किया था कि आप हमारे प्रिय नेता हैं तो क्या यह सत्य नहीं है कि आपने कहा था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने जो फौज वहां पर भेजी थी, वह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा क्यों कहा। अगर देश नहीं रहेगा तो आपको चुनकर क्या करेंगे। एक ही बात पर उनको हराया था, केवल चुनकर आने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप इस मातृभूमि के हैं। थोड़ी सी गलती से देश जल सकता है। उस समय हम सब और आप जलकर राख हो जायेंगे। आश्वासन दीजिए कि इसके लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, हम आपके साथ हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और जनता इसे माफ नहीं करेगी। मैं अपने हुकूमत पक्ष से कहना चाहता हूं। मैंने पेपर में पढ़ा कि लाखों रुपए इसलिए खर्च किए जायेंगे जिससे कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाए। ये मन्दिर किसलिए हैं। ये युद्ध-स्थल के किले हैं। अगर स्वर्ण मन्दिर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि जनता इसे माफ नहीं करेगी। यह संभव नहीं है तो मन्दिरों और मस्जिदों में भी ट्रेनिंग होगी। इसे आप कैसे रोक सकते हैं। यह आग समूचे देश में लगेगी। बड़ा ही नरमी का रूख अपनाया गया है। एक शेर है जो मांस खाता है। मंत्री जी हाथ जोड़कर कहें कि मान्यवर शेर जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चावल, दाल, दही, घी खाइए और मास न खाइए। क्या वह छोड़ देगा ? नहीं छोड़ेगा। मास खाने के जो आदि हैं, जिनका काम है इस देश में आग लगाना, आतंकवाद पैदा करना, उनका नेता इग्लैंड और अमेरिका में बैठा हुआ है और इस देश में बगावत करने की प्रेरणा दे रहा है। "धारों सठों से सठता सदैव, यह नीति कभी न भूलो नरेश"। मानव के साथ मानवता की जाती है। यह इन्होंने साबित कर दिया है। जेल से छोड़े गए लोंगोवाल जी का फोटो देखता हूं तो बड़े अच्छे देवता मालूम पड़ते हैं। लेकिन बोलने में आग उगलते हैं। सन्त का काम है देश की रक्षा और हिफाजत करना। मैं, सिख धर्म के उन अगुआ से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा ग्रन्थ है जिसमें हिन्दू धर्म से सम्बन्धित एक भी पंक्ति न हो और भारत की रक्षा के लिए न बना हो। गुरू गोविन्द सिंह जी ने बनाया, भारत के और धर्म की रक्षा के लिए। आज वही धर्म इस देश को कहीं और ले जाना चाहता है। मैं तो यह मांग करने वाला हूं कि उस समय तक भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक बिना शर्त यह सरेन्डर न कर दें कि भारत की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो भारत के विरुद्ध या भारत के सम्मान के खिलाफ हो। हम लोग राम का नाम लेते हैं। विभीषण ने राम की मदद की। वह भगवान राम के भक्त थे। मैं समझता हूँ, कोई भी अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। जयचन्द या मीर जाफर भी

कोई नहीं रखता है। वहां पर एक नहीं हजारों मीर जाफर पैदा हो चुके हैं। वे, अनुनय-विनय से नहीं मान सकते। मैं, इसलिए आग्रह कर रहा हूं क्योंकि जब निरीह हिन्दुओं को गोली से उड़ाया जा रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, उस समय भी मैंने यहां भाषण दिया था और हुकूमत से निवेदन किया था कि नरसंहार को नहीं रोक सकते हैं तो देश माफ नहीं करेगा और हुकूमत को मजबूर करेगा कि इसको रोकिए। फिर वही आतंक शुरू हो गया है। आखिर घर बचेगा तभी रक्षा होगी, घर जल जाने पर किस बात की रक्षा होगी।

इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां तिरुपति जी का मन्दिर है, हजारों रुपये वहां चढ़ते हैं और उसके प्रबन्ध के लिए वहां एक कमेटी बनी हुई है, कोई एक उदाहरण भी आप बता दें कि उसमें ऐसा कोई फण्ड हो जो कि राजनीति के लिए खर्च किया जाता है। उसका सारा फण्ड देश के निर्माण के लिए खर्च किया जाता है, वहां पर मैडिकल कालेज खोले जाते हैं, विद्यालय खोले जाते हैं और तीर्थ-यात्रियों के लिए धर्मशालायें बनायी जाती हैं लेकिन स्वर्ण मन्दिर में जो रुपया चढ़ रहा है, उससे देश-द्रोह करने वालों के बचाव के लिए वकील नियुक्त किए जाते हैं, जो लोग देश में आग लगा रहे हैं, उनको इनाम दिया जा रहा है, देश में आग लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हकूमत के पास उसके सबूत हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि सब कुछ होते हुए भी आप फिर क्यों उनसे बात करने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब सब कुछ फैक्टस आपके सामने हैं, क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की, क्या एक्शन लिया। ऐसी हालत में आपको तुरन्त एक्शन लेना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, क्या उसमें सारे नियम हमारे लिए ही लागू हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। आप हमारे किसी भी मन्दिर को ले लीजिए, कौन सा मन्दिर हमारे देश में ऐसा है, जिस पर किसी-न-किसी तरीके से आपका कन्ट्रोल नहीं है—बद्री आश्रम है, बनारस का शिवजी का मन्दिर है, पुरी में जगन्नाथ जी का मन्दिर है, तिरुपति जी का मन्दिर है—सब पर आप ने अपना कन्ट्रोल जमाया हुआ है। दूसरी ओर स्वर्ण मन्दिर पर आपका कितना कन्ट्रोल है और उसको क्यों नहीं आप अपने अधिकार में ले रहे हैं। क्यों उन लोगों को खुली छूट दी जा रही है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप हमें मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए आज्ञा दीजिए। यदि आप ऐसे ही उनसे आज्ञा मांगते रहेंगे तो देश में आग लगती रहेगी। मैं तो कहता हूं यह हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एक तरफ आप उनको मदद देते जा रहे हैं, दूसरी ओर हम लोगों को हैरास करते जा रहे हैं। उनके लिए आप सारी सुविधायें देते जा रहे हैं और हमें तबाह करते जा रहे हैं। यदि स्वर्ण मन्दिर में हथियार-बंद लोगों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी रहा तो मैं आपसे खुले शब्दों में कहता हूँ कि जनता मूकदर्शक बनी नहीं देखती रहेगी। फिर मन्दिरों और मस्जिदों में भी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको आप रोक नहीं पायेंगे। इस-

लिए भविष्य को देखते हुए, देश की एकता को देखते हुए, हमें उनके कार्यों को अवैध घोषित करार देना चाहिए। उनके प्रस्ताव देश के विरुद्ध हैं, देश की एकता के विरुद्ध हैं, हमें इसकी घोषणा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यहां मांग की जाती है कि वहां जो विशेष अदालतें गठित की गई हैं, उनको समाप्त कर दो। यदि आज आप उनको समाप्त कर देते हैं तो कल दूसरी जगहों से भी ऐसी ही आवाज उठेगी और चारों ओर देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। यदि इन उच्छृंखलतावादियों को बिना शर्त रिहा किया गया, जेल से छोड़ा गया, 10-10 कत्ल किए हुए आदमियों को बिना मुकदमा चलाये छोड़ा गया तो कल को दूसरे लोग भी मांग करेंगे और वैसा ही व्यवहार वे भी करेंगे। हकूमत इसलिए नहीं है। यहां मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं।

राम ने जानकी के लिए लंका का दहन किया, सर्वनाश किया और युद्ध किया जिसमें हजारों-हजारों लोगों की जान गई लेकिन जानकी को आजाद करने के बाद, राजसत्ता में आने के बाद, देश की हिफाजत के लिए उन्हीं जानकी को रात में जंगल में छोड़ना पड़ा, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप माया-मोह छोड़िये और देश को एक रखने के लिए, देश की जनता ने आपको खुला बहुमत दिया है, विशाल बहुमत दिया है, उसे एक रखने के लिए पंजाब में हिन्दुओं और अल्प-संख्यकों की रक्षा कीजिए। उनकी हत्या न होने पाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। यदि आप इसे नहीं रोकेंगे तो इसे मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा।

मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं ये सब बातें किसी भावावेश में आकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ।

अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि आतंकवादी नौजवानों को छोड़ दिया जाए। आप नौजवानों के नाम पर कितनी लूट करवाईयेगा ? यहां मांग हो रही है कि जिन नौजवान अकालियों को आपने जेल में बंद किया हुआ है, उनको बिना शर्त छोड़ दिया जाए, उनसे बात की जाए और कल देश में आग लगा दीजिए। दस-दस लोगों को कत्ल किए हुए लोगों को आप नौजवानों के नाम पर कितनी छूट देना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। हमारे सामने कोई सीमा होनी चाहिए। आतंकवादी यहां से ही सब कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी जड़ें इंग्लैंड तथा अमेरिका में हैं और उनके पास वहां से धनराशि आ रही है। वैसे सारी जगहों पर आपके नियम और कानून लागू हैं, हमारे मन्दिरों की जमीन पर भी आपकी पाबंदी है। जो चढ़ावा आता है, उस पर भी आपका आदमी निगरानी रखता है और उस धन को तिजोरी में बन्द करता है। आप उसे बिना परमीशन के खर्च नहीं करने देते। आपने यह क्या रियायत दे रखी है कि स्वर्ण मन्दिर में जो रुपया चढ़े, उसे वह लोग देश में आग लगाने के लिये खर्च करते जायें। यह आपके बस में नहीं है ?

आपको समूचे देश के लोगों को एक रखना है। मैं हुकूमत पर आरोप लगा रहा हूँ हुकूमत एकतरफा पक्षपात कर रही है। उन लोगों को विशेष छूट दे रखी है और दूसरी तरफ रे लोगों को छूट नहीं दे रखी है, बल्कि दबा रखा है। स्वर्ण मन्दिर में जितनी छूट है, उसी का रणाम यह है कि देश आज जल रहा है।

अगर देश में धर्म-निरपेक्षता का निर्माण करना है तो सारे धर्मावलम्बियों के साथ ता का व्यवहार कीजिये, एक को सिर से ऊपर मत उठाइये। मैं निवेदन करूंगा कि जिस य तक वहां शांति-व्यवस्था कायम न हो, जब तक आपको विश्वास न हो जाये कि देश की ता के लिये ये सतत प्रयास करेंगे, देश में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे विलगाव की त्ति बढ़े और वहां अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना न हो, मैं चाहूँगा कि उस समय तक को जेलों से न छोड़ा जाये, स्पेशल अदालतें बैठाकर उन्हें सख्त सजा दी जाये। जो स्वर्ण न्दर की कमेटी बनी हैं, वहां रुपये का बटवारा हो रहा है, उस पर आप अंकुश लगाइये, उस शासन का अधिकार होना चाहिये। उस रुपये का उपयोग मन्दिर के लिये, सिख धर्म के ार के लिये तो हो, किन्तु बगावत के लिये न हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन ता हूं।

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, सिक्योरिटी एक्ट, बजट और डिमांड र ग्रान्टस वगैरह तो आप पास करते जा रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक हम और पास करते येंगे? इसका एक पोलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए, अन्ततः राजनीतिक रूप से इसको ना चाहिये। मगर हमारे प्रधान मंत्री उसको एक आर्थिक सुधार के माफिक सुधारने की शिश कर रहे हैं।

जिस वक्त उन्होंने पंजाब का दौरा किया, तो वहां कुछ कन्सैशन्स पंजाब की जनता के ये बताये। एक बांध उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है। वहां पर गेहूं की उपज के लिये बोनस डिक्लेयर किया और बेरोजगारों के लिए उन्होंने एक कोच फैक्टरी की वहां स्थापना के लिये कहा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा एक चीज के लिए रुकता है तो उसको लड्डू र जा नही सकते। वहां राजनीतिक दलों को बैठाकर एक पोलिटिकल हल इसका होना हिये।

अफसोस की बात है कि सेना के रहने पर भी वहां हत्याएं हो रही हैं। श्री राजीव गांधी ां से आये और दूसरे दिन चण्डीगढ़ में दो लोगों की हत्या हो गई। यह दुःख की बात है। स वक्त वहां के आफिसर, पुलिस अधिकारी और सेना के अधिकारियों से हमारे चण्डीगढ़ के ा ने कहा कि हमें अंगरक्षक चाहिये, मुझे खतरा है इसलिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो ां के अफसरों ने किसी प्रकार का उस पर गौर नहीं किया। कोई सुरक्षा न रहने के कारण

उनकी हत्या हो गई। कल जिस समय उनका फ्यूनरल हुआ, उस समय भी कोई सिक्योरिटी के एरेन्जमैन्ट नहीं थे। जो लोग यहाँ से गये थे वह सब उग्रवादियों की लिस्ट में थे। वाजपेयी जी भी गये थे, उनकी भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी।

इस प्रकार से हम दो, तीन सालों से इस मामले को हटाते जा रहे हैं, कुछ लोग हत्याओं के शिकार हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी इसका राजनीतिक सौल्यूशन निकाला जाये।

जेलों में जो अन्य नेता हैं, श्री बादल हैं, श्री तोहरा हैं, उनको भी छोड़ना चाहिये और फिर इस बारे में सोचना चाहिए। जो श्री लोंगोवाल और श्री तलवंडी आये हैं, हमने आशा की थी कि वह अपने साथ रहेंगे, लेकिन वे उग्रवादियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। कितने आदमी मारे जा रहे हैं, उसकी निन्दा नहीं कर रहे हैं। इससे हमको पता लग रहा है कि अकाली दल अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ हैं। उन्होंने बता दिया कि सिख समुदाय के लोगों को जेल से रिहा किया जाये और जो उस पार्टी के बयान निकले हैं, उससे पता लगा रहा है कि जिन्हें हाल में जेल से निकाला गया है, वे भी उग्रवाद के साथ हैं। यह अकाली दल वाले आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव के विरुद्ध हैं, ऐसा पता नहीं चल रहा है।

[अनुवाद]

अकाली अप्रत्यक्ष रूप से उग्रवादी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। वे उग्रवादियों के साथ हैं। वे उग्रवादियों को समर्थन दे रहे हैं लेकिन ऐसा कह नहीं रहे है। वे उनकी निन्दा भी नहीं कर रहे हैं। अतः वे इन बातों को समर्थन दे रहे हैं।

[हिन्दी]

हम लोग देश में एकता और अखंडता चाहते हैं,

मगर 2-3 दिन पहले मुझे अखबार में पढ़कर दुख हो रहा है कि श्रीलंका के विषय को केवल दक्षिणी विषय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका हम को विरोध करना चाहिये। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री राम कृष्ण हेगड़े दक्षिण के मुख्यमन्त्रियों को बुलाकर श्रीलंका की समस्या पर डिसक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह केवल तमिल लोगों का विषय नहीं है। यह तो समग्र रूप से सारे भारत के लोगों का विषय है।

[हिन्दी]

बुरी बात जो कहते हैं, उसका विरोध करना चाहिए। साथ ही जो बुरा काम करे, उसको

कडैम करना चाहिए। इन्दिरा जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए, उसको कडैम करना चाहिए। मगर दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर श्रीलंका की समस्या पर चर्चा करने के लिए जो पहल की जा रही है, उसको कुडैम कर रहे हैं। श्रीलंका में जो तमिलों की हत्या हो रही है, नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के जो विवाद चल रहे हैं; ये इस देश के लिए नुकसानदेह हैं, ये देश की एकता को नुकसान पहुंचायेंगे।

आनन्दपुर साहब का जो प्रस्ताव है, भाजपा ने उसको विरोध किया है। आप उसको चुनाव में इस्तेमाल करके वोट मांगते हैं, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। आप में से किसी एक ने पहले तो बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा मिलकर एक राज्य होना चाहिए, मगर बाद में हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अलग रहेगा। इस प्रकार से वोट मांग लिया, और सरकार बना ली। इस प्रकार की दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्रीलंका की समस्या का हल नहीं खोजा जा रहा है, इसके लिए बहुत शोर हो रहा है।

श्री बी. के. गढ़वी (बनासकांठा) : कांग्रेस आई. की उच्च कमान ने कभी भी इन राज्यों के विलय के बारे में नहीं है। अगर एक व्यक्ति कहा कहता है तो उसे कांग्रेस आई का दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।

श्री सी. जंगारेड्डी : आपके कुछ लोगों ने कहा है!

[हिन्दी]

आपकी कांग्रेस पार्टी में यह होता है। साठे जी कुछ बोलते थे और इन्दिरा जी कुछ कहती थीं। कभी पब्लिक राय बनाने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, आपने कडैम नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है। हिमाचल प्रदेश में वोट लेने के लिए उन्होंने कह दिया कि हिमाचल अलग रहेगा। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीर के बारे में जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन बिल के बारे में कुछ भी नहीं बोले—न राज्य सभा में और न लोकसभा में—लेकिन जब डा. फारूख अब्दुल्ला से आपका समझौता नहीं हो सका तो वोट लेने के लिए रिहैबिलिटेशन बिल के खिलाफ बोल दिए। तो इस तरह से आपकी वोट-परस्त नीति चलती है। इसीलिए आज तक पंजाब की समस्या जटिल होती जा रही है। अब समय आ गया है कि जल्दी से जल्दी एक गोलमेज कांफ्रेन्स बुलाकर इस समस्या को तय किया जाए। ज्यादा दिन समस्या चलते रहने से देश की अखण्डता को क्षति पहुंचने का डर है। मेरा अनुरोध है कि इन्दिरा जी की हत्या के पहले और बाद जितने भी हिंसा काण्ड हुए हैं जिससे कि उन सिक्खों के मन में भी जोकि राष्ट्रवादी हैं,

जो अलग होना नहीं चाहते और जो आनन्दपुर रेजोल्यूशन के भी खिलाफ थे, वे भी अब खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए मैं दो चीजें चाहता हूँ—एक तो गोल मेज कांफ्रेन्स बुलाई जानी चाहिए और इन्दिरा जी की हत्या के पहले और बाद जितने भी हिंसा काण्ड हुए हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए तथा साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिकों के द्वारा सीधे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. कामसन मिजिनलांग (बाहय मणिपुर) : सभापति महोदय, पंजाब में आज जो समस्या विद्यमान है, वह केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है अपितु उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है क्योंकि हम देखते हैं कि विद्रोह तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है अपितु देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं।

सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेतपत्र के अनुसार अकाली दल की कुछ मांगे ऐसी हैं जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के आधार पर की गई हैं। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पर तीन दृष्टि-कोणों से नजर डाली जा सकती है। पहली मांग सिख संप्रदाय के संबंध में है और उनकी धार्मिक मांगें यह है अर्थात अमृतसर को पवित्र स्थल का दर्जा दिया जाये और वहां हरमन्दिर रेडियो स्टेशन की स्थापना करने तथा कृपाण ले जाने की अनुमाते दो जाए। दूसरी मांग अंतर्राज्जीय मामले अर्थात रावी-ब्यास जल विवाद तथा क्षेत्रीय और सीमा विवाद संबंधी समस्या के संबंध में है। तीसरा सामान्य मामला है, जो केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में है।

मैं अपने भाषण में केन्द्र राज्य संबंधों पर बल देना चाहता हूं क्योंकि पंजाब के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य संबंधों पर किये गये किसी भी निर्णय का देश के अन्य भागों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। जहां तक आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का सम्बन्ध है, अकाली दल ने कुछ मांगें रखी है—

> "आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के अनुसार शिरोमणि अकाली दल का दृढ़ विश्वास है कि राज्यों की प्रगति में ही केन्द्र की समृद्धि निहित है, इसलिए राज्यों को और अधिक अधिकार तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। केन्द्र को विदेश, रक्षा, मुद्रा तथा संचार (जिनमें परिवहन भी शामिल है) विभाग अपने मास रखने चाहिए जबकि शेष सभी विभाग राज्यों को सौंप दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सिखों को राष्ट्र के रूप में कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए।"

4.00 म.प.

यदि कोई राज्य विदेश, रक्षा, मुद्रा और संचार के मामलों को छोड़कर अन्य सभो प्रकार

से स्वायत्तता मांगे तो वह राज्य भारत का अंग नहीं रहेगा बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वह संरक्षित अथवा अधीन राज्य माना जायेगा। वह भारत का अंग होते हुए भी भारत से अलग माना जायेगा। वास्तव में हमने देखा कि भारत के कुछ भागों, जैसे जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। इसका कारण यह है कि उनका इतिहास अलग है और उनकी पृष्ठभूमि भिन्न है।

लेकिन जहां तक पंजाब का संबंध है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भारत का अंग रहा है। यदि पंजाब भारत से पृथक राज्य की मांग करता है तो अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करेंगे जिसके परिणामस्वरूप भारत में कई पृथक राज्य बन जाएंगे। भारत विखंडित हो जायेगा।

अतः गृह मंत्रालय को ऐसी पृथकतावादी मांगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। गृह मंत्रालय को यह मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग ऐसी पृथकतावादी मांगों के विरुद्ध हैं।

जहां तक पंजाब राज्य के आर्थिक विकास, और नदी जल विवाद तथा सीमा विवाद जैसे अन्य मामलों का सम्बन्ध है, गृह मन्त्रालय उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।

मैं इस सदन को तथा साथ ही गृह मंत्रालय को याद दिलाना चाहूंगा कि देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे भू भाग हैं जहां लोग अभी भी भारतीय बनने की प्रक्रिया में हैं। मैं कहूंगा कि नागालैण्ड, मिजोरम, मणीपुर और अरुणा चल प्रदेश के लोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी भारतीय बनने की प्रक्रिया में हैं। जो क्रम चल रहा है उसे सांस्कृतिक और राजनैतिक तौर पर भारतीयकरण की संज्ञा दी जा सकती है। ये लोग अभी भी भारत के संविधान में अधिक से अधिक भागीदार बनने का प्रयत्न कर रहे हैं।

परन्तु पंजाब के लोगों की यह स्थिति नहीं है। पंजाब के लोग बहुत आगे हैं। वे भारत का हिस्सा ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से वे भारत की रीढ और उसका आधार हैं।

यदि हम भारत के इतिहास को पढ़ें तो हम जान सकते हैं कि भारत की संस्कृति और धर्म को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए सिखों ने बड़े बड़े बलिदान किए। अतः पंजाब भारत का एक अभिन्न अंग है। और यदि हम अलग पंजाब की मांग को मान लें तो इसका अर्थ होगा पंजाब के लोगों का अ-भारतीयकरण की ओर अग्रसर होना यदि पंजाब को अलगाववादी मांग मान ली जाए तो इससे भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी और उस पर बुरा असर पड़ेगा।

अतः मैं गृह मन्त्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर कठोर कार्यवाही करे और पंजाब के लोगों की इस अलगाव-वादी मांग को प्रारम्भ में ही दबा दे तथा इस बात का ध्यान रखे कि देश के किसी भी भाग से इस प्रकार की कोई मांग न उठे। यदि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत हमेशा के लिए भारत रहे और यदि हम चाहते हैं कि देश की एकता और अखण्डता बनी रहे तो देश के किसी भी भाग से उठने वाली अलगाव-वादी मांग को नहीं माना जाना चाहिए। पंजाब की स्वायत्तता की मांग पर कभी भी विचार नहीं किया जाए।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने भारत के संविधान के अन्दर ही पंजाब समस्या का हल खोजने की घोषणा की है।

हमारे देश के किसी भी राज्य को उस सीमा तक स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए कि वह अपने को एक अलग राष्ट्र ही कहने लग जाए। इससे भारत के इतिहास के साथ-साथ भारत के संविधान पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

कभी हमारे मन में यह बात आ सकती है कि काश्मीर को इस प्रकार का विशेष दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। हमें आशा है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ दशाब्दियों के बाद जम्मू और काश्मीर राज्य भारतीय संविधान के अधिक निकट होगा और कुछ समय बाद हमें उसके विशेषाधिकारों को वापस लिये। समाप्त कर देंगे।

नागालैंड के मामले में भी हमने विशेष अधिकार दिए हैं परन्तु इसका कारण वहां चल रहे आन्दोलन की प्रकृति है। गृह मंत्रालय भली प्रकार जानता है कि जिन्होंने नागा आंदोलन चलाया है, उन नागाओं ने देश का दौरा कर रहे साइमन कमीशन को 1928 में एक ज्ञापन दिया था अर्थात् 1930 में हमारे लाहौर अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय लेने से दो वर्ष पूर्व। हमारे उस निर्णय से पहले ही तथा जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा उस समय भी नागा लोगों ने एक स्वतन्त्र राज्य का ज्ञापन प्रस्तुत कर रखा था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण हमने नागाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। मैं समझता हूं, ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होगा, हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले आयेंगे। यह प्रक्रिया चल रही है।

परन्तु भारत के दूसरे भागों को, चाहे वह पंजाब हो अथवा कोई अन्य, हम इतनी अधिक स्वायत्तता नहीं दे सकते कि वे अपने को भारत राष्ट्र से भिन्न एक अलग राष्ट्र मानने लगें। इसलिए मांग का तीसरा मुद्दा अर्थात् केन्द्र राज्य सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा तथा अनुरोध करूंगा कि इस विषय में कठोर रुख अपनाया जाए। यह मेरा सुविचारित मत है कि किसी भी दशा में यह मांग नहीं मानी जाये। मेरा तात्पर्य मात्र पंजाब से नहीं है; मेरा तात्पर्य है कि देश के किसी भी भाग को इस प्रकार की कोई स्वायत्तता प्रदान नहीं की जाए। देश के किसी भी भाग, किसी भी राज्य, जो भारत में है,

द्वारा इस प्रकार की स्वायत्तता की कामना करने का कोई कारण नहीं। कहा जाता है कि सिख एक धार्मिक सम्प्रदाय है। मैं बता देना चाहता हूं कि देश भर में बहुत से संप्रदाय/समुदाय हैं। मैं एक ऐसे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहां 29 भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हैं जिनकी संस्कृति धर्म, और परम्परायें भिन्न-भिन्न हैं। यदि ये उन्नत्तीस के उन्नत्तीस सम्प्रदाय यह मांग करना शुरू करदें कि, चूंकि उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान है इसलिए उन्हें स्वायत्तता दी जाए, एक अलग रेडियो स्टेशन दिया जाये और भो सब अलग से दिया जाये, तब क्या होगा ? मैं समझता हूं कि भारत में 600 से अधिक सम्प्रदाय हैं और प्रत्येक सम्प्रदाय की, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक अलग पहचान है। भारत के किसी भी सम्प्रदाय को केवल इस आधार पर कि उसकी अलग दृष्ठि है अथवा एक अलग पहचान है, एक अलग राष्ट्रीयता की मांग करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विषय में गृह मंत्रालय को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अन्यथा, सम्पूर्ण भारत उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां भारत का प्रत्येक भाग एक अलग राष्ट्रीयता की माँग कर रहा होगा तथा इस देश जिसे भारत कहा जाता है, का कोई भी राज्य भारत में नहीं रहेगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले में कड़ाई से काम करे। आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के सम्बन्ध में उन्हें कुछ और चीजें दी जा सकती हैं परन्तु केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के विषय में गृह मंत्रालय को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और हम इसको अपना पूर्ण समर्थन देंगे।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम (नगरकुरनूल) : सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है कि आज पंजाब का बजट यहां पेश किया गया है। यह बजट पंजाब की एसेम्बली में पेश होना था। लेकिन वहां पर राष्ट्रपति शासन कायम है इसलिये यह आज यहाँ पेश हुआ है।

70 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश हुआ है। हर जगह घाटे का बजट तो होता ही है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसमें कोई एतराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में आजकल जो डवलपमेंट के काम रुक गए हैं उनसे हमें ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की जनता को चिन्ता हैं।

पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसको यह सदन और सारा हिन्दुस्तान जानता है। जो पंजाब सारे हिन्दुस्तान को खाना देने वाला प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, जहाँ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज वगैरहः हैं, जो पंजाब हर तरह से आगे था वह आज कुछ शून्य हो गया है। उसे कुछ नहीं दिखता है।

यह क्या है। जब वहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय यह हुआ। वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट वहां की समस्याओं का परिष्कार नहीं कर सकी, कांग्रेस गवर्नमेंट वहां की समस्याओं को

ठीक से सुधार नहीं सकी, सुलझा नहीं सकी। इसका मतलब यह हुआ कि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो गई।

कांग्रेस गवर्नमेंट के फेल होने की वजह आप सब लोग जानते हैं। केन्द्र सरकार हर स्टेट में दखल करती है। यह आप सब जानते हैं कि वहां के अफसर, वहां के लीडर, वहां के चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, कहीं के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि यहां से कोई सिगनल न हो, यहां से कोई बात न बोली जाये। सूचना न दी जाए। अगर हर स्टेट के लोगों को, हर स्टेट के लीडरों को, वहां के चीफ मिनिस्टरों को पूरी पावर्स दी जाए तो आप जानते हैं कि वहां की समस्याएं वे ठीक से सुलझा सकते हैं.

जो बजट आज यहां पर पेश हुआ है उसके लिए हम 'हां' कहें या 'ना' कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 'हां' ही कहेंगे। आप कुछ करने जा रहे हैं उसके खिलाफ हमें बोलने की क्या जरूरत है। यह बात वहां की जनता को बोलनी चाहिए। यह चीज वहां पर डिस्कस होनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है ? भारत सरकार के लोग, प्राइम मिनिस्टर या दूसरे जो नेता हैं वे कहते हैं इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे ? क्या उन लोगों की बात को सुन कर उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे ? वे कहे हैं हम ठीक करेंगे पर करते हैं या नहीं करते हैं यह पता नहीं। उनकी भावना तो अच्छी है लेकिन मन में क्या है मालूम नहीं, अन्दर क्या है पता नहीं।

वहां के बारे में हरियाणा के मुख्य मन्त्री मिस्टर भजनलाल जी और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री दरबारा सिंह जी कहते हैं—जैसा कि पेपर में लिखा है—कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को मिलाया जाना चाहिए। यह क्या है ? क्या यह भारत सरकार करना चाहती है ? क्या यह भारत सरकार के मन में है या वे लोग अपने मन में ही विचार करते हैं ?

हम आपोजिशन वालों से कहा जाता है कि हम अलग-अलग हैं, अलग-अलग दृष्टि से बात करते हैं। हम मानते हैं कि हम अलग हैं, हमारे रास्ते अलग-अलग हैं, हमारी पार्टियां अलग हैं। लेकिन आप में क्या है ? आपकी सरकार एक है, एक पार्टी है जिसमें पार्टी के नेता प्राइम-मिनिस्टर हैं। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। क्या आपमें कोई एकता नहीं है। क्या कहा है आपने ? दरबारा सिंह जी को आपने कहा है या भजनलाल जी को कहा है, या वे अपने आप कहते हैं, क्या बात है ? आप लोगों को यह बात सोचनी चाहिए। आज पंजाब की हालत सारा हिन्दुस्तान जानता है, सारा हिन्दुस्तान समझ रहा है। आज उस को समझकर, सोचकर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं इस पंजाब के बजट पर। अगर यह बजट वहां डिसकस होता तो कितना अच्छा होता। यह हम कब देखेंगे, कब सुनेंगे कि वहां पर डिसकशन हो रहा है और वहां को स्थिति ठीक हो गई है। कब देखेंगे कि वहां पर शांति हो गई है, अब कुछ नहीं है, यह कब देखेंगे, कब सुनेंगे। जिस दिन हम यह सुनेंगे, उस दिन सारा हिन्दुस्तान खुश हो जाएगा, हिन्दुस्तान का बच्चा

बच्चा खुश हो जाएगा। यह बड़े दुख की बात है, पहले भी कहा है, अब भी प्राइम—मिनिस्टर साहब कहते हैं, लेकिन पंजाब की जो समस्याएं हैं, पंजाब में जो चल रहा है, उससे हर आदमी को दुख है। आपोजीशन वाले भी आपके साथ हैं, कोई आपका विरोध करने वाला नहीं है, अच्छे काम के लिए। यह बात हमने पहले भी कही थी, सारा अपोजीशन तैयार है आपका साथ देने के वास्ते, आप अच्छा काम करिए, अच्छे काम के लिए कोई भी आदमी आपका साथ दे सकता है। वैसे तो यहां सभी अच्छे और पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो फिर इसके खिलाफ कौन जाएगा, कौन बोलेगा। कौन ऐसे खराब रास्ते पर चलने के लिए तैयार होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि रोज-रोज कदम पीछे ही जा रहे हैं, आप पीछे कदम डाल रहे हैं, लेकिन आगे कदम नहीं जा रहे हैं। आगे कदम डालने के लिए जो आज कैबिनेट के मन्त्री हैं, उन सब को मिलकर सोचना चाहिए, प्रधान मन्त्री जी को भी सोचना चाहिए। कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सब अपोजीशन वालों को बैठाइए, सब बैठकर सोचें और उनसे बात करें, तभी रास्ता निकल सकता है। रास्ता न निकलने का कोई सवाल ही नहीं है हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई यह नहीं कह सकता कि रास्ता नहीं निकल सकता या यह ठीक नहीं हो सकता, यह कोई नहीं कह सकता। उसका रास्ता निकल सकता है। वैसे बहुत देर हो गई है, अब ज्यादा देर होने से और भी खराबी होती जाएगी। पंजाब के बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, आप जानते हैं कि पंजाब की जो मिलिटरी है, वह कैसी बहादुर है। हिन्दुस्तान का सिक्ख रेजीमेंट, सिक्ख लोगों की फौज को सारा हिन्दुस्तान कहता है कि सिक्ख रेजीमेंट बहादुर हैं और बहादुरी दिखाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। आज ऐसे पंजाब के लिए, ऐसे अच्छे लोगों के लिए, ऐसे बहादुरों के लिए, ऐसी बहादुर स्टेट के लिए कहते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं तो सुनने वालों को तकलीफ होती है, कहने वालों को तकलीफ होती है। यह कैसा न्याय है ? हम को बात करते हुए, सुनते हुए तकलीफ होती है। इसके लिए भारत सरकार को जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए।

आज वहां पर आपको एम.एल.एज. चाहिए, आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रखा है लेकिन आपको एम.एल.एज. चाहिए। क्यों एम.एल.एज. रखे हुए हैं, क्योंकि आप असेंबली को डिजाल्व नहीं करते, क्यों वहां पर शांति नहीं लाते, क्यों नहीं वहां पर इलेक्शन करवाते। आप वहां पर जल्दी इलेक्शन करवाइए, वहां पर शांति स्थापित कीजिए। वहां पर फिर से अच्छी फाउंडेशन डालिए और फिर से पंजाब का नाम ऊंचा कीजिए। इसके लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं। क्या उसके लिए आपके पास फुर्सत नहीं है या सोचने का वक्त नहीं है, या सोचने के लिए दिल नहीं है, मन नहीं करता है, क्या बात है ? आज कोई दूसरा स्टेट होता तो कह देता कि अपोजीशन वालों का था इसलिए ऐसा हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट का था इसलिए फेल हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भारत सरकार और आप लोग जिम्मेदार हैं इसीलिए चुप रहते हैं। अपोजीशन वालों का कुछ होता तो सदन में हल्ला होता। आज कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं ईमानदारी की बात करते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बात कीजिए। ......(व्यवधान) हम तो

यही चाहते हैं कि वहां पर जल्द में जल्द इलेक्शन हो। इस बजट के पेश करने से दुख हो रहा है। वहां पर कोई भी सरकार आये, चाहे वह सरकार आप की ही हो। उससे कोई मतलब नहीं है। वहां की जनता सुखी सोनी चाहिए और वहां का डवलपमेंट होना चाहिए। वहां के बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही कीजिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि वहां के लिए आप अवश्य कोई न कोई रास्ता निकालेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी. के. गढवी (बनासकांठा) :—सभापति महोदय, कांग्रेस को स्वतन्त्रता और अधिकार के संरक्षण का श्रेय प्राप्त है। इसलिए यह देखना हमारा धर्म है कि चुने हुए प्रतिनिधि संविधान की सीमा में रह कर अपने राज्यों का शासन चलाएं तथा संसद में अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करें।

वास्तव में मेरे लिए यह देखना बड़े दुःख की बात है कि इस बार इस सदन में भी पंजाब से एक भी सदस्य नहीं है। मैं समझता हूँ इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि संसद में जब हम एक महत्वपूर्ण राज्य के मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो लोक सभा में उस प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है।

जब आज हम इस सदन में, इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार कर रहे हैं, जब हम इन मामलों पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि वे कौनसी पारिस्थितियां रहीं जिनके कारण यह हालात पैदा किए।

पंजाब की स्थिति से कोई भी खुश नहीं है। पंजाब केवल सिखों का ही नहीं है। विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि सभी सिखों को अकालियों में समाहित नहीं किया जा सकता। जब हम पंजाब की आबादी की संरचना की जांच पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि यह हिन्दु, सिख और अन्य समुदायों से बनी है। ये सभी लोग पंजाब की आबादी में शामिल हैं। तो जब हम पंजाब की समस्या को सुलझाने के विषय में सोचते हैं तो क्या इस का अर्थ यह है कि इसका दिग्दर्शन केवल अकाली ही करा सकते हैं जो कि समग्र रूपसे पंजाब का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते? समस्याएं क्या हैं? निस्संदेह कुछ समस्याएं धार्मिक हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की दिलेरी की वजह से दिल्ली और पंजाब में कुछ रियायतें दी गई। नदी जल विवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में भी उनकी कतिपय मांगें हैं। भारत सरकार ने वास्तव में एक व्यावहारिक रवैया अपनाया। परन्तु अभी भी आन्दोलन जारी है। आन्दोलन ने आतंक और खून बहाने तथा निरपराध लोगों को मारने का मार्ग अपना लिया।

महोदय, अन्ततोगत्वा, भारत सरकार द्वारा अपनाये गये भारी आत्मसंयम के बावजूद उसे सैनिक कार्यवाही (ब्लू स्टार आपरेशन) करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सम्पूर्ण पवित्र

स्वर्ण मंदिर को अपवित्र कर दिया था। स्वर्ण मंदिर हत्या कांडों से लिप्त उग्रवादियों, देश के विभाजन की वकालत करने वालों, देश की एकता और अखण्डता को ललकारने वालों बाहरी ताकतों से शह पाये हुए लोगों तथा शान्तिप्रिय लोगों की जान और माल को खतरा पहुंचाने वाले लोगों का आश्रय स्थल बन गया था। सैनिक कार्यवाही जब (आपरेशन ब्लू स्टार) हो चुकी तथा जब श्वेत पत्र जारी कर दिया गया. उसके पश्चात् हमने वहां हथियारों के ढेर का भयावह भण्डार देखा। हमारे जिन फौजी भाइयों ने कार्यवाही में भाग लिया उन्होंने अपनी जान की कीमत पर भी सयम नहीं खोया। जिन बहादुर जवानों ने कार्यवाही में भाग लिया उनको बहुत सी कठिनाइयों और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की बल्कि उन्होंने यह सोच कर अत्यधिक सयंम को अपनाया कि पवित्र स्वर्ण मन्दिर को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भावी उलझनों से बचने के दृष्टिकोण से कार्यवाही में न्यूनतम फौजी ताकत लगाई गई और इस के लिए जवानों ने अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रभावित लोगों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखलाया है तथा चुनाव के पूर्व और चुनाव के पश्चात् हमने श्री राजीव गांधी के अनुकूल रुख के बारे में भी सुना है। वह हमेशा पंजाब की समस्याओं को हल करने की बात करते हैं। परन्तु अकाली दल से क्या उत्तर मिला है ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि अकाली दल के लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोई बात नहीं। परन्तु उन्होंने तो हिंसा के मार्ग का खण्डन भी नहीं किया है। वह चिल्ला रहे हैं कि वे देश भक्त हैं और वे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वे भारतीय हैं। परन्तु क्या भारत में, एक ऐसे देश में जिसने महात्मा गांधी जैसे महान नेता को पैदा किया, हम हिंसा-धर्म को धारण कर सकते हैं ?

महोदय, आज पंजाब में क्या हो रहा है ? अब सरकार ने यह उपाय किया है। निश्चय ही यह एक कानून और व्यवस्था की समस्या है। यह एक अनिवार्यता हो गई थी जिसके लिए सलाह कार समिति और अन्य किसी उपाय का आश्रय लिए बगैर यह उपाय करना पड़ा। परन्तु वहां क्या हो रहा है ? क्या हम केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित रहें ? क्या यह देखना भी हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि राज्य की सम्पन्नता में लगातार वृद्धि होती रहे ? परन्तु भारी विपत्तियों के बावजूद पंजाब के किसानों ने देश के खाद्यान्य भण्डार में भारी योगदान दिया है, भारी विपत्ति के बावजूद इस देश के उद्योग-धन्धे ठीक काम कर रहे हैं। परन्तु अभी भी पंजाब की सम्पूर्ण सम्पन्नता खतरे में हैं। हमने गरीबी की वजह से आन्दोलन होने के विषय में सुना है। परन्तु यह शायद एक मात्र ऐसा आन्दोलन है जो कुछेक लोगों की चरम सम्पन्नता का परिणाम है। उसके पास पर्याप्त धन है, वे हल्ला मचाने और दूसरों को उत्तेजित करने के लिए आदमी किराए पर रख सकते हैं। अपहरण कर्ताओं को समर्थन दे सकते हैं, घोर और जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों को प्रशिक्षण देने की घोषणा कर सकते हैं। अतः महोदय, नजरबन्द लोगों को कुछ समय तक जेल में रखने से ही हमें चिन्ता मुक्त नहीं हो जाना चाहिए परन्तु हमें

समस्या का स्थायी दल खोजने की चिन्ता भी करनी चाहिए। विरोध जल राजनैतिक समाधान का सुझाव दे रहे हैं। परन्तु जो राजनैतिक व्यक्ति मेज के इर्द गिर्द बैठ सकते हैं और समस्या का हल खोज सकते हैं केवल उनके साथ ही राजनैतिक दल खोजा जा सकता है। यह संभव नही है। अतः यही समय है कि हमें लोगों का आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें कुछ समय बाद चुनाव कराने चाहिए और पंजाब में किस पार्टी का शासन हो यह फैसला करना चाहिए। अकालियों तथा कुछ आतंकवादियों ने पूरे पंजाब में अराजकता फैलाई हुई है। अंततः यह स्थिति अन्य पड़ोसी राज्यों में फैल सकती है। समस्याएं और भी जटिल होती जा रही हैं। हमें सोचना है कि क्या समझौते की नीति से सफलता मिल सकती है अथवा प्रतिशोध की नीति से समाधान मिल सकता है।

मैं समझता हूं कि हमें यह बात भुला देनी चाहिए कि केवल अकाली ही पंजाब के हितों के संरक्षक हैं हमें पंजाब के सिख तथा अन्य सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। पंजाब में सभी का समान हित है।

हमारे द्वारा किये जा रहे उपाय अच्छे हैं परन्तु इन्हें हम कितनी देर तक जारी रख सकते हैं। यदि वे लोग हमारे प्रयत्नों को विफल करने के यत्न करते रहें तो इसका कोई अन्त नहीं। हमें और भी शक्ति से पंजाब समस्या का समाधान खोजना होगा। सरकार पंजाब समस्या के समाधान के लिए उत्सुक है अतः एक मन्त्री मन्डलीय स्तर की उपसमिति गठित की गई है। यदि जनता को किए जा रहे प्रयत्नों से अवगत कराया जाता है तो हमें तथा जनता को खुशी होगी इससे लोग इस समस्या की जटिलता को सही रूप में समझ सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, पंजाब को समस्या-पर जो हम यहाँ वाद-विवाद कर रहे है, यह हमारे देश के लिए एक जटिल समस्या बन गई है। सिक्योरिटी एक्ट का टाइम बढ़ाने के लिये जो प्रस्ताव लाये हैं, यह ठीक है, उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। इस समस्या को आप राजनीतिक पहलू से हल कर सकते हैं।

साथ ही साथ एक लोकप्रिय सरकार का गठन करके इस समस्या का निदान भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे है, कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा है कि आज पंजाब के बजट पर पंजाब का एक भी सदस्य यहां नहीं है और हम यहां एक रस्म-अदायगी कर रहे हैं। जैसे-जैसे यह समस्या और जटिल होती जायेगी, पंजाब का विकास रुकता जायेगा।

जब-जब हमारे देश पर संकट आया है, तो हम सब ने एकता का परिचय दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे पहले हमारा देश है. उसके बाद पार्टी है। यह सभी पार्टियों के बारे में है। जब देश पर संकट आया है तो सब ने दिखाया है कि हम एक हैं और एक रहेंगे।

उग्रवादियों के नाम पर जो कुछ लोग अकाली दल के बन्द थे, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया है। मेरा कहना है कि और लोगों को भी छोड़ना चाहिये, इसलिए कि वह भी निकलकर इस पर गौर करें कि देश की अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए।

साथ ही साथ एक चीज देखनी होगी कि जो हमारी प्रधान मंत्री जी की हत्या हुई और हत्या के बाद जो दंगे हुए, वह हमारे देश की एकता के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाले थे, इसको आपको देखना चाहिए। अगर इसको नहीं देखा गया तो आने वाला समय बतायेगा क्योंकि हिन्दू और सिख एक हैं और एक ही परिवार के हैं। मुझे एक बार 22 जनवरी को लुधियाना जाने का मौका मिला था, जहां पर हमारी पार्टी और सी.पी.एम. के लोगों ने मिल-कर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक मीटिंग आयोजित की थी। बाबा चित्तर दास जी के मैदान में आम सभा हुई थी। वहां 20 हजार आदमी एकत्र हुए थे। वह सभी सिख समुदाय के लोग थे। उन लोगों ने यह कहा कि कुछ मुट्ठी भर तत्व हैं जो विदेश से गाइड होते हैं, वह हम लोगों की एकता को चोट पहुंचा रहे हैं और आपसी मतभेद फैला रहे हैं, जिससे निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए हम लोग एक होकर मुकाबला करने के लिए बलिदान देंगे। मगर मालूम नहीं क्यों अभी तक इस समस्या को क्यों टाला जा रहा है। जो लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाला दिन उनको कभी माफ नहीं करेगा।

यह सवाल जो खड़े हुए हैं, इसमें पंजाबी का सवाल नहीं है, असम का सवाल नहीं है। आपने असम में, जैसे भी हुआ, चुनाव का माहौल बनाया, चुनाव कराये, मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। आप पंजाब में एक सरकार कायम कीजिए, चाहे वह आपकी ही सरकार क्यों न हो, लेकिन लोकप्रिय सरकार हो। उसी सरकार के जरिए हम लोग सही ढंग से वहां की समस्या का हल निकाल सकते हैं, वरना यह समस्या और जटिल होती जायेगी। इसलिये मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव की व्यवस्था करायी जाये और लोकप्रिय सरकार कायम की जाये जिस में लोक सभा और विधान सभा के प्रतिनिधि हों। जब आप सरकार कायम नहीं कर सके तो असेम्बली को समाप्त कर देना चाहिये, नई सरकार गठित करने के लिए वहां पर वातावरण तैयार करना चाहिए जिसके जरिये हम चुनाव करा सके। इसके लिए आप विरोधी पक्ष से सहयोग लीजिये और वहां की समस्या का निदान करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल समस्या का भी हल निकाला जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. सोमनाद्री सवरा राव (विजयवाड़ा)। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सरकार के विचारार्थ कुछ बातें कहने का अवसर दिया है। वास्तव में, जैसा कि मेरे साथी तुलसीराम ने बताया है, यह दुःख की बात है कि पंजाब विधान सभा के निलम्बित होते हुए हमें पंजाब का बजट पास करना पड रहा है। सभापति महोदय, हम सभी उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार आयेगा। चुनाओं के बाद हाल ही में भारत सरकार ने अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द्र सिंह लोगोंवाल तथा कुछ अन्य अकाली नेताओं को रिहा कर दिया है ताकि समझौते के लिए रास्ता प्रशस्त हो सके। हमें उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे। परन्तु हमें खेद है कि अभी पिछले दिन भाजपा के नेता श्री मनचन्दा की हत्या कर दी गई।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि दोनों ओर से हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। दो तरह के दृष्टिकोण वाले लोग हैं, एक नरमपंथी तथा दूसरे आंतकवादी। वास्तव में नरमपंथी गुट ने सच्चे दिल से विवादों के समाधान की चेष्टा की। बहुत से प्रयत्न किये गये। ऐसे अवसर आये कि समाधान हो रहा था। परन्तु दुर्भाग्य से शासक दल तथा सरकार पीछे हट गई तथा समाधान न हो पाने के कारण मामला लटकता रहा। इस प्रक्रिया में नरमपंथी लोगों का नियंत्रण समाप्त हो गया। उन्हें आंतकवादियों के पथ पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें उग्रवादियों के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करना पड़ा।

मैं अकाली दल के नेताओं से अपने रवैये पर पुनः विचार करने के लिए कहता हूं। वे इस बात पर सोचें कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक होते जा रहे हैं तथा 60 करोड़ भारत-वासियों की सहानुभूति खो रहे हैं। उन्हें बहादुरी के साथ घोषणा करनी चाहिए कि उनका उग्रवादियों की गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है तथा भारत के तथा ब्रिटेन और अन्य देशों में रह रहे उग्रवादियों के उन गैर-जिम्मेदाराना भाषणों से उनका कोई संबंध नहीं है। जो वे हमारी सरकार तथा देश के बारे में कहते आ रहे हैं। अकाली नेताओं को राष्ट्र विरोधी इन तत्वों से अपने को अलग रखने का साहस प्रदर्शित करना चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को भी रिहा करें जिन्होंने कि श्री लोंगोवाल तथा अन्य नेताओं के साथ मिल कर सरकार से बातचीत और विचार-विमर्श किया और समाधान खोजने का यत्न किया।

वास्तव में राष्ट्र को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद की घटनाओं से आप परिचित हैं। अकालियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि केवल वे ही पंजाब के निवासी नहीं हैं। वहां पर हिन्दू भी हैं। बहुत पर सिख भी

उनके इस रवैये के समर्थक नहीं हैं। वास्तव में पंजाब तथा कुछ अन्य भागों में निर्दोष हिन्दुओं की निर्मम हत्या ही श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद हुई घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। इसी कारण कुछ लोगों ने उस अवसर पर सिखों की हत्या की अथवा उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी। यह सिख समुदाय के लिए सामान्य रूप से तथा अकाली नेताओं के लिए विशेष रूप से चेतावनी है कि उन्हें समुचित सोच विचार के बाद निर्णय करना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या को राजनितिक लाभ के लिए लटकाये न रखा जाये। राष्ट्र के हितों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। राजधानी, नदि जल वितरण, भूमि के कुछ भागों का समायोजन, कुछ गाँवों का या तो पंजाब से हरयाणा को अथवा हरयाणा से पंजाब को अन्तरण ऐसे मामले नहीं हैं जिनका समाधान संभव न हो। ऐसे कई पूर्वोदाहरण हैं। वास्तव में मैंने यह बात चर्चा के पहले अवसरों पर सभा में स्पष्ट कर दी थी। अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि समाधान खोजने का यत्न करना चाहिए तथा निश्चय ही समाधान मिल सकता है।

हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में पंजाब की स्थिति सुधरेगी तथा पंजाब देश की मुख्यधारा के साथ चलेगा। पंजाब कृषि उत्पादन तथा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है तथा वहां के लोगों ने देश की रक्षा के लिए महती योगदान किया है। अभी भी वहां के बहुत से लोग रक्षा तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से तथा सरकार से निवेदन करता हूं कि अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें तथा शीघ्र स्थिति का समाधान निकालने का यत्न करें।।

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, अन्य सदस्यों की तरह मैं भी मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अक्तूबर, 1985 तक राष्ट्रपति शासन समाप्त कर पंजाब में लोकप्रिय सरकार कायम की जाए।

सिद्धान्ततः हम अनुच्छेद 356 के विरुद्ध हैं क्योंकि यह स्वरूप संघ व्यवस्था के विरुद्ध है तथा राज्य सरकारों के अधिकारों को न्यून बनाता है तथा इसका सहारा लेकर गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया जाता है। अतः राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने पर भी हमने आशंका व्यक्त की थी क्योंकि हम समझते हैं कि यदि केन्द्रीय सरकार ने समय पर उचित कार्यवाही की होती तो परिस्थिति इतनी न बिगड़ती। चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जा सकता था 1969 में दर्शन सिंह फेरूमन ने इस उद्देश्य के लिए भी अपना बलिदान दिया था। न कि जल बटवारे के लिये एक न्यायाधिकरण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सभापतित्व में नियुक्त किया जा सकता था। इसके अलावा सीमाओं पर निशान लगाने का कार्य बहुत पहले किया जा सकता था। परन्तु उसके स्थान पर परिस्थिति को बिगड़ने दिया गया और शासक दल ने बिगड़ी स्थिति से लाभ उठाने का यत्न किया। जब स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। तब सैनिक कार्य-

वाही करनी पड़ी। अब सरकार ने वचन दिया है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाला जायेगा। हम मांग करते हैं कि सरकार अपना वचन पूरा करें। परन्तु इस समस्या के समाधान से पूर्व श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद दिल्ली तथा अन्य स्थानों में हुए दंगों की जाँच करायी जानी चाहिये। इतना ही नहीं इसके लिए विपक्षी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि शासक दल के नेताओं की विपक्ष को बदनाम करने की आदत बन गई है। पिछले लोक सभा चुनावों के समय विपक्ष को देश-द्रोही बताया गया था।

महोदय, हमें 1962 के भारत-चीन लड़ाई की बातें याद हैं जबकि हजारों साम्यवादियों को चीन के एजेन्ट कह कर जेलों में डाल दिया गया था। परन्तु हमारी मांग है कि दो पड़ौसी महान देशों के मध्य विवाद को शान्तपूर्ण उपायों से सुलझाया जाना चाहिए। और अब भारत सरकार स्वयं शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रही है। अतः विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिये ताकि सर्व-सम्मत से निर्णय लिया जा सके। इतना ही नहीं, नेताओं को रिहा किया जाये ताकि सद्भावना का वातावरण बने। इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : सभापति महोदय, मैंने सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं नहीं समझता कि सभा के सामने जो प्रस्ताव है उस पर इतनी लम्बी चर्चा की आवश्यकता थी। इनमें से एक पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने और दूसरा वहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को एक और वर्ष तक लागू रखने के बारे में है। श्री चौधरी के अलावा जब सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने इन दो उपायों का विरोध नहीं किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि अधिकांश सदस्य इन प्रस्तावों के विरुद्ध नहीं हैं।

सारी चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने पंजाब के मामले पर विस्तार से चर्चा की और कुछ सदस्यों ने तो पूर्वोत्तर राज्यों का भी जिक्र किया है। अतः पंजाब की पूरी समस्या तथा सभी अन्य मामलों पर विचार-विमर्श किया गया है। यह स्वाभाविक ही है कि, जब सभा में इस प्रकार के उपायों की चर्चा हो तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाएं

आरम्भ में, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसी स्थिति वहाँ है, वह वास्तव में काफी जटिल है, और उन कुछ व्यक्तियों की कार्यवाही से और भी जटिल हो गई है जो कि इस समस्या का हल नहीं चाहते। मैं कुछ माननीय सदस्यों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उग्रवादी हैं और उनके कुछ संरक्षक जोकि विदेशी हैं वे जब कभी भी हम इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं या कोशिश करते हैं तो

हमेशा ही पंजाब में हिंसक गतिविधियां आरम्भ करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंजाब या देश के अन्य किसी भाग में जो भी हिंसक घटनाएं होंगी, सरकार उनके आगे कभी भी नहीं झुकेगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इस समस्या का कोई सही, सर्वसम्मत, राजनैतिक समाधान ढूंढ़ा जाये। और मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस दिशा में हमें अपना पूर्ण सहयोग दें।

भावावेश में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। कुछ भाषण जो दिए गए, मैंने उन्हें भी सुना है, वे सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की प्रतिक्रिया स्वरूप हो सकते हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन पर हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते : इस बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जहां तक देश की एकता और अखंडता का सम्बन्ध है, इस पर किसी समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिये मात्र इस बात से ही उत्तेजित न हो जाये कि कुछ लोगों ने एक वक्तव्य दिया है या वह संकल्प स्वीकार होना चाहिये या प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गये वक्तव्य को दूसरे शब्दों में कहा गया है। प्रधान मंत्री ने जो कहा था, मैं भी उस समय वहां उपस्थित था; उसका सही रूप यह है कि—पहले उन्होंने कहा था कि·······

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : किसने उनके कथन को तोड़-मरोड़ कर कहा ?

श्री एस. बी. चह्वाण : मैं नहीं जानता। मैं इस विषय में पड़ना भी नहीं चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तोड़-मरोड़ प्रैस सम्मेलन में दी गई थी न कि, राज्य सभा में।

श्री एस. बी. चह्वाण : ठीक है, मैं इस विषय में भी नहीं पड़ना चाहता।

पहले हमने यह माना था कि जब तक वे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध नहीं करते तब तक वार्ता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। मेरे विचार से माननीय सदस्य इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि हमें दो प्रस्तावों पर ध्यान देना है। एक वह प्रस्ताव है जो आनन्दपुर साहिब में पारित किया गया। वह कार्यकारी समिति का मसौदा प्रस्ताव था। इसके बाद 1978 में लुधियाना में एक और प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में इसे भी एक प्रकार का आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव मान लिया गया। यह एक बड़ी सभा, आम सभा थी, जिसमे उन्होंने 8 या 10 प्रस्ताव पारित किये। लेकिन बाद में लोग लुधियाना प्रस्ताव पर बात न कर आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की ही बात करने को कहते रहे। उस स्थान के प्रति सिखों की श्रद्धा है। इसलिए बाद वाले प्रस्ताव को भी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव कहा गया। सभा के सभी माननीय सदस्यों को जो श्वेतपत्र परिचालित किया गया था उसमें ये दोनों प्रस्ताव थे। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन दोनों प्रस्तावों का अध्ययन करें और यह खुद

निर्णय करने का प्रयास करें कि इस सम्बन्ध में क्या रवैया अपनाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा था, मैं सारे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इसके एक अंश के विरुद्ध हूं। बाकी अन्तर्राष्ट्रीय मामला, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध हैं जिन्हें कि सरकारिया आयोग को सौंपा जा सकता है, क्योंकि यह मात्र पंजाब तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वे और स्वायत्त शक्तियां चाहते हैं। कुछ और भी राज्य सरकारें हैं जोकि इसी प्रकार की मांग करती रही हैं। इसलिए जो केवल पंजाब के लिये ही नहीं है,इउसे सरकारिया आयोग को सौंपा जा सकता है। और अगर प्रस्ताव के किसी भी अंश में पृथकतावाद का अंश हो तो, मैं सम्मानीय सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं उस कोशिश का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति हूंगा जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की एकता और अखण्डता के साथ समझौता किया गया हो। इस बारे में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिये।

अन्य मामले भी थे। कुछ माननीय सदस्यों ने इस मसले पर चर्चा करते समय—मैं उनको दोष नहीं देना चाहता क्योंकि वे सभा में नये आये हैं और इसके सारे इतिहास को नहीं जानते हैं वे शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि जब हल निकालने वाला था तो सरकार ने सारी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की सोची। वास्तव में अगर यह आरोप उन कुछ माननीय सदस्यों ने लगाया होता जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। जहां तक मुझे पता है, और बाद की घटनाओं से भी इसकी पुष्टि होती है जब हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, वे कुछ विचार-विमर्श करते हैं और अगर हम महसूस करते हैं कि वे हमारी बात मान रहे हैं या हम उनकी बात से सहमत हो रहे हैं तो बाद में उन लोगों पर कुछ दबाव डाला जाता है। या तो उग्रवादी उन पर ये दबाव डालते हैं या कुछ अन्य तत्व; मुझे पक्का पता नहीं है कि कौन इन पर दबाव डालते हैं।

5.00 म.प.

लेकिन वे पुनः सोचने लगते हैं। अगर आप दो मांगें मान लेते हैं तो दूसरे दिन उन दो मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता अन्य दो मांगें आ जाती हैं। इस प्रकार वे इनमें वृद्धि करते जाते हैं। माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि हालांकि पुरानी मांगें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका अब महत्व नहीं है, लेकिन अब कुछ अन्य मांगें आ रही हैं। जब तक इन मांगों को माना नहीं जाता, वे बातचीत करें या न करें, लेकिन उन पर जोर दिया जाता है। जिन कुछ नेताओं को जेलों से रिहा किया गया है उनकी विवशता को मैं समझता हूँ और मैं उन्हें कुछ और समय देना उचित समझता हूं ताकि वे अपने मित्रों से विचार-विमर्श कर सकें और वे खुद ही किसी सही, तटस्थ नतीजे पर पहुंच सकें, वे इस बारे में अपना मत बना रहे हैं और इस प्रकार वे जो भी आजकल वक्तव्य दे रहे हैं, उन पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं जितना कि उस समय देना चाहिए जब वे सामान अवस्था में देते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होने के नाम

पर, उनके द्वारा दिये गये, कुछ वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अनुचित हैं। चाहे वे कुछ भी कहते रहें, हम कुछ समय तक उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और बाद में हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि उनके दिमाग में क्या है।

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि पंजाब के बारे में जो मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था उसके बारे में स्थिति क्या है और क्या हमारे पास कोई सही या वैकल्पिक हल है। हम पंजाब जाने के बारे में कटिबद्ध हैं और अगर मेरे अन्य दो माननीय सहयोगियों को समय मिला तो सम्भव है हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही पंजाब का दौरा करेंगे। जैसे ही गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें पारित हो जायेंगी कम से कम मैं पंजाब जाने के बारे में सोच रहा हूं और वहां विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करूंगा। और जैसा कि आपने ठीक ही कहा है केवल अकाली सिख ही सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अन्य लोग भी हैं। जिन्हें विश्वास में लेना होगा। निश्चय ही हम राजनैतिक मतभेदों के बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे। हम वहां जायेंगे और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी बात कहने का मौका देंगे जोकि इस जटिल समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालना चाहते हैं। जो कोई भी इस बारे में सुझाव देना चाहता है उसका स्वागत है और हमारे साथ विचार-विमर्श कर सकता है। हमारा पंजाब में लगभग दो दिन रहने का कार्यक्रम है और फिलहाल तीन या चार शहरों का दौरा करेंगे और दूसरे चरण में शायद अन्य तीन या चार शहरों का दौरा करेंगे और काफी लोगों से मिलेंगे जोकि शायद हमें सहायक हो सकें।

एक प्रश्न उठाया गया है कि हमने कुछ बन्दी छोड़ दिये हैं जबकि अन्य बन्दियों के बारे में सरकार ने फैसला नहीं किया है। मैंने पहले भी. शायद राज्य सभा में या इस सभा में कहा था कि हमने अधिकारियों से कहा है कि वे पूरी तरह जांच पड़ताल करके सरकार को सूची भेज दें। हमें इस बारे में सन्तुष्ट होना होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध कोई गम्भीर आपराधिक मामले नहीं हैं उन्हें छोड़ दिया जाये, चाहे वे अकाली दल के सदस्य हों या अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के सदस्य हों। अगर उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई गम्भीर अपराध का मामला नहीं है तो उनके मामलों की समीक्षा की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि अगले एक या दो दिनों में हमें ये सारी रिपोर्टें मिल जायेंगी और उसके बाद शायद हम इस मामले पर अन्तिम निर्णय ले सकेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम उन्हें लम्बी अवधि तक नजरबन्द नहीं रखना चाहते, हम बहुत जल्द इस मामले में फैसला कर लेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

5.05 म.प.

मैं समझता हूं कि कम से कम वार्ता के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गये ये कदम सही दिशा में हैं। अकाली नेताओं को रिहा कर दिया

गया है। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में हमारे विचार उनको स्पष्ट बता दिये गये हैं। प्रधान मंत्री और मैंने राज्य सभा में कहा है कि अगर समस्या का अन्तिम हल हो जाता है तो हम दिल्ली में हुए दंगों की जांच कराने को तैयार हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, हालांकि हमारा मत है कि इससे कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। अगर आप जख्मों को पुनः कुरेदेंगे तो दोनों सम्प्रदायों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंधों में तनाव आयेगा और स्वर्गीय प्रधान मंत्री की हत्या के पश्चात् दिल्ली में हुए दंगों की बातें पुनः आरम्भ की जाती हैं तो इससे शायद संबंधों में ज्यादा तनाव पैदा होगा। लेकिन इसे हम प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते हैं। अगर इससे उस वर्ग की कोई संतुष्टि हो जाती है और वे कहते हैं कि ऐसा करने से वे समस्या का अन्तिम हल करने को तैयार हैं, तो हम निश्चय ही इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है और न ही हम कहेंगे कि पहले आप कुछ करें तभी हम यह जांच करायेंगे। अगर हमें सम्बन्धित वर्गों से सही जवाब मिलता है तो कम से कम सरकार अवश्य ही ऐसा करेगी।

प्रधान मत्री ने पंजाब की जनसभाओं में दो-तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वे पाकिस्तान सीमा के नजदीक हुसैनीवाला गये और वहां की जनसभा में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में 'रेलगाड़ी डिब्बा' बनाने का एक कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं। थीन-बांध की मंजूरी दी जा रही है। और पंजाब के किसानों को कुछ बोनस दिया जा रहा है, जोकि हमारे खाद्यान्न भण्डार में काफी योगदान देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये जो बातें कही गई हैं, उन पर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने मात्र यह कहा है कि हालाकि थीन-बांध की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बजट-प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री एस. बी. चव्हाण : बजट में प्रावधान किये जाने पर निश्चित ही वृद्धि की गुन्जाइश होती है। मेरे विचार से कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। आगे आने वाले समय में इस पानी को लगातार पाकिस्तान की ओर जाने की अनुमति देने के बजाय, यह आश्वासन ले लेना आवश्यक है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि बांध बनाने का काम तत्काल आरम्भ कर दिया जाय, पानी को एकत्र किया जाय और संबंधित इलाकों को लाभ पहुंचाया जाये जिससे कि हमें स्थायी नुकसान न उठाना पड़े।

ये तीन मुख्य निर्णय हैं, जिनकी घोषणा माननीय प्रधान मंत्री ने वहां जाकर इस विचार से की थी कि इससे सद्भाव का वातावरण बनेगा, जिसमें इस प्रकार की अलगाव-वादी प्रवृति, जिसे कुछ लोग जान-बूझ कर पंजाब के दो प्रमुख सम्प्रदायों में पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं, समाप्त हो जायेगी जिसके परिणाम स्वरुप किसी प्रकार की गलत-फहमी की गुन्जाइश नहीं

रहेगी। इसीलिए इन निर्णयों की वहां पर घोषणा की गई थी। अतः हम लोग ये ठोस कदम उठा रहे हैं।

अब, कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि हम लोग इन सभी कदमों की घोषणा एकतरफा कर रहे हैं, किन्तु दूसरी ओर से तो कोई प्रत्युत्तर ही नहीं मिलता है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि उन्हें हिरासत में रखा गया था। उन्हें पृथक रखा गया था। उन्हें विभिन्न राज्यों में रखा गया था। उन इलाकों में भी उन्हें साथ-साथ रहने का अवसर नहीं मिला। उन्हें पहली बार छोड़ा गया है। और यदि उनमें कोई आंतरिक विचार-विमर्श हुआ, तो हम हिरासत में रखे गए कुछ और व्यक्तियों को भी जल्दी छोड़ सकते हैं जो इस समय जेल में हैं तथा जो उन सभी शर्तों को पूरा कर देंगे, जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इसलिए, यदि वे लोग इन शर्तों को पूरा कर देते हैं; तो उस दिशा में भी ठोस कदम उठाना सम्भव होगा जिससे कि वे एक दूसरे से विचार-विमर्श करने की स्थिति में हो सकें और समस्या का एक निश्चित हल ढूंढ सकें। मेरे विचार से यह बहुत ही ठोस कदम हैं किन्तु दुर्भाग्यवश हमें अभी तक कोई ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला है जिसकी हमने अकाली दल के नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों से सुनने की आशा की थी।

मैंने उस खुले पत्र का भी अध्ययन किया है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सिख मंच में किया है। सिख मंच की ओर से एक खुला पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा गया था। मैं उसे पढ़ चुका हूं और, जैसा कि, उन्होंने कहा है, कुछ मामलों में मतभेद हो सकता है लेकिन, वे ऐसे लोग हैं, जो सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, अथवा विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी बहुत ऊंची हैसियत है, जहां या तो वे काम कर चुके हैं अथवा अभी भी कार्य कर रहे हैं। यह अलग बात है कि वे लोग पंजाब में जनता को कितना प्रभावित करते हैं किन्तु वे लोग विख्यात व्यक्ति हैं। यदि वे लोग विचार-विमर्श के लिए आते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मैं चाहता हूं कि वे लोग एकमत होकर बात करें······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें आमन्त्रित क्यों नहीं कर लेते ?

श्री एस. बी. चह्वाण : मैं आरम्भ में सिख मंच के इन लोगों पर ध्यान देने के बजाय पंजाब के स्थानीय लोगों पर ध्यान देना पसन्द करूंगा। वास्तव में, बाद में, यदि आवश्यक हुआ तो उन सब मामलों पर उनसे विचार-विमर्श करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वे लोग विख्यात व्यक्ति हैं और उनसे पर्याप्त सहायता मिलेगी। लेकिन, इसके साथ ही मैं ऐसा प्रभाव नहीं उत्पन्न करने देना चाहता हूं कि मानों कि वही लोग किसी बात का निर्णय करने वाले हैं। इससे हो सकता है कि सिख समुदाय में आपस में ही बुरी भावना पैदा जाए और इसके बाद उनकी स्थिति कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो, उनके लिए कोई भी निर्णय लेना कठिन हो

जाएगा। इसलिए उनके अपने ही हित में मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग, बाद में, मामलों पर उनसे चर्चा कर सकते हैं।

विरोधी दल को विश्वास में लेने का मुद्दा उठाया गया था और यह कहा गया था कि हम सभी को इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से, हम इस विचार के विरोध में नहीं हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसका पालन हम पहले भी कर चुके हैं। इस बार भी मैं विरोधी दल के कुछ सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करता रहा हूं और उनसे किसी प्रकार की सलाह लेता रहा हूँ और किसी उपयुक्त समय पर यदि सरकार यह महसूस करती है कि किसी प्रकार का संयुक्त परामर्श आवश्यक है, तो मैं इस प्रकार का प्रबन्ध करना स्वीकार करूंगा।

दूसरा मुद्दा यह था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के बजट में किसी प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें उनका कहना है कि उसके अन्तर्गत हथियारों में प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरे पास सही सूचना अभी भी उपलब्ध नहीं है। जब तक हमें उनसे अधिकृत प्रति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि समाचार पत्रों में जो कुछ कहा जा रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वर्तमान गुरुद्वारा अधिनियम को आप रद्द क्यों नहीं कर देते ?

श्री एस. बी. चह्वाण : मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं।

फिर भी, मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति से सही और अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त करूंगा और यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि उग्रवादियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका प्रावधान पहले कभी नहीं किया गया और बार बजट में नियमित रूप से प्रावधान करके वे लोग ऐसा करने की चेष्टा कर रहे हैं; तो मेरे विचार से आप सरकार पर विश्वास करेंगे कि सरकार अपेक्षित कदम उठाने में कदापि पीछे नहीं रहेगी। किन्तु मेरे विचार से इसकी सही प्रति प्राप्त किए बिना, समाचार पत्रों में दिए गए। समाचार के अनुसार प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना उचित नहीं होगा और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में उनका हाथ है तो वास्तव में यह मसला बहुत गम्भीर है जिस पर संभवतः हम हल्के-फुल्के ढंग से नहीं सोच सकते हैं।

महोदय, माननीन सदस्यों ने जो मुख्य मुद्दे उठाए हैं, वे ये हैं और मेरे विचार से मैं जो कुछ कह चुका हूं उससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों की रुचि इस बात में थी कि मंत्रिमंडल उप समिति की कितनी बैठक हुई थीं। मेरे पास आंकड़े हैं किन्तु मेरे विचार से आपकी रुचि जिन बातों में है वे अल्प-

ब्यौरे हैं किन्तु मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम लोगों की गहन रुचि समस्या का एक सौहार्दपूर्ण समाधान पता लगाने में है जिसे, हमारे विचार से सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अपनी स्थिति और देश की एकता और अखंडता से समझौता न करते हुए हम लोगों की इच्छा समाधान का पता लगाने की थी। जिस ढंग से वे लोग अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कर रहे हैं, कम से कम फिलहाल मैं उन्हें कुछ और समय देने को तैयार हूँ जिससे कि श्री लोंगोवाल यदि चाहें तो कुछ क्षेत्रों में अपना नेतृत्व स्थापित कर सकें। इस प्रकार की बातों के प्रति मेरा विरोध नहीं है। किन्तु यदि मुझे यह पता चलता है कि यही उन्हें इसी मार्ग पर ही चलना है तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि स्थिति को जायजा ठीक नहीं लिया गया है। मेरे विचार से मैं जो कुछ कह चुका हूँ, उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। किन्तु तत्काल कम से कम मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूँ और वास्तव से यह उन लोगों की आरम्भिक प्रतिक्रिया है, जो अपने अन्य साथियों से नितान्त अलग-थलग थे। इसलिए रिहा किए जाने के बाद, वह अब उन लोगों के साथ सम्पर्क करने की चेष्टा कर रहा है, और इस बात को जानने की चेष्टा कर रहा है कि अब आगे किस प्रकार बढ़ना है। मेरे विचार से अब किसी प्रकार की गलत फहमी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि हमें कोई गलतफहमी न हो किन्तु इसके साथ ही हम लोग स्वयं इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि समस्या का समाधान ढूंढ़ने के प्रति वास्तव में उसके उद्देश्य का विश्लेषण क्या है। बाद में, जब हम पंजाब जायेंगे, तब वापिस आने के बाद हमें अपना ही विचार बनाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल उप-समिति में हमें आपस में विचार-विमर्श करना होगा कि पंजाब समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ने के लिए और क्या करना होगा। धन्यवाद।

श्री एस. एम. ह्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं स्पष्टीकरण का एक मुद्दा उठा रहा हूं। कुछ समय पूर्व गृह मंत्री ने राज्य सभा में यह कहा था कि पंजाब में सेना का रखा जाना एक स्थायी मामला है। दीर्घा से मैंने यह बात स्वयं सुनी थी। क्या इस मामले में आपका यही स्पष्टीकरण देने का विचार है आपका इस मामले में कोई नया दृष्किोण अपनाने का है ?

श्री एस. बी. चह्वाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने यह मुद्दा नहीं उटाया है क्योंकि मेरे पास वह भाषण जो मैंने दिया है नहीं है। फिर भी, मैंने राज्य सभा में जो कुछ कहा था, उसके बारे में स्पष्टीकरण देने में मुझे कोई आपत्ती नहीं है। किसी प्रश्न अथवा ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि तीन जिलों को छोड़कर अधिकांश भागों से सेना हटा ली गई है और यथा संभव हमारा प्रयास यही होगा कि स्थानीय पुलिस और अर्ध-सैनिक बल स्वयं ही सारा उत्तरदायित्व संभाल लें और यथा संभव शीघ्र ही सेना प्राधिकारियों को हटा लिया जाय, किन्तु किसी न किसीं रूप में सेना वहां हमेशा तैनात रहेगी। मैंने इस प्रकार का

वक्तव्य दिया था और लोग 'हमेशा' शब्द का राग अलाप रहें हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को यह पता होगा कि पंजाब एक सीमा राज्य है और हमने वहां बड़ी संख्या में सेना प्रतिष्ठापित कर रखी है और छावनी क्षेत्र बना रखे हैं। सेना को हटा कर हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिसमें विभिन्न वर्गों के लोगों में मनो-वैज्ञानिक भय व्याप्त हो जाए। इसलिए उन्हें चौकस किया जा रहा है। सेना को यथा संभव कम से कम समय में उपलब्ध होना होगा। वे लोग पीछे हट सकते हैं और यही बात सरकार के विचाराधीन है। जहां तक संभव होगा, हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, कि स्थानीय पुलिस और अर्ध-सैनिक पुलिस पूरा उत्तरदायित्व संभाल ले। यथा संभव, शीघ्र ही, आंतरिक प्रबन्ध, जिसे वे अब तक करते आ रहे थे, में से सेना को हटा लिया जायेगा। किन्तु इसके साथ ही, हम उन्हें सचेत भी करते रहेंगे कि वे लोग तैयार रहें। ऐसा इसलिए कि कम से कम समय की सूचना पर, यदि उन्हें आमन्त्रित किया जाये तो वे तैयार रहें। मुझे आशा है कि आप संतुष्ट हो गये होंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 19 माननीय सदस्यो ने चर्चा में भाग लिये किन्तु शायद ही कोई बजट पर बोला हो। मेरे विचार से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका उत्तर मैं दे सकूं।

किन्तु मैं एक मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ, और वह है कि राज्य में आर्थिक विकास की गति बनाये रखने के लिए मैं पंजाब के उद्योगपतियों और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्तियों को बधाई देता हूं। खाद्यान्न उत्पादन के सम्बन्ध में, मैं केवल चावल के बारे में उल्लेख कर रहा हूं।

इस वर्ष के दौरान 23. 1. 85 तक पंजाब में चावल का कुल उत्पादन 50.47 लाख टन रहा है। केन्द्रीय पूल में उनका अंशदान 39.89 लाख टन है। केन्द्रीय पूल के कुल उत्पादन में पंजाब का उत्पादन 79 प्रतिशत है। 23. 1. 1985 तक देश भर में कुल खरीद 71.02 लाख टन की हुई है। पंजाब में 39.89 लाख टन की खरीद हुई है। देश में जो कुल खरीद हुई है, उसमें पंजाब में हुई खरीद 56.1 प्रतिशत है। पंजाब के लोगों का यह उत्कृष्ट कार्य निष्पादन है।

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में, 1982-83 में 456.05 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। 1984-85 के दौरान 532.76 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। अब 1985-86 के लिए 541.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महोदय, पंजाब प्रशासन में हुई कुछ उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस राज्य को चार मदों अर्थात् गन्दी बस्तियों का सुधार, बिजली उत्पादन, नसबंदी और प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1983-84 के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में अपने

सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार एवं प्रोत्साहन बोनस दिया गया है। गन्दी बस्तियों, की आबादी को मूलभूत नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए अधिक ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पंजाब को 1.86 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन बोनस दिया गया है। गंदी बस्तियों में 1.65 लाख निवासियों के लक्ष्य की तुलना में राज्य ने 1,90,616 व्यक्तियों को शामिल किया जिससे 111.52 की प्रतिशतता उपलब्धि हुई।

जहां तक बिजली उत्पादन का संबंध है, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को गुरु नानक देव तापीय संयंत्र, भटिन्डा के कार्य निष्पादन के लिए 3.16 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयंत्र भार अंश, जो 1981-82 में 41.3 प्रतिशत था, 1983-84 में बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया है। देश में समान क्षमता वाले सभी तापीय एककों की सुविधा में वर्ष 1983-84 के दौरान, गुरु नानक देव तापीय संयंत्र भटिंडा का कार्य निष्पादन सबसे अच्छा रहा है।

परिवार योजना के मामले में भी पंजाब को 2.5 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है, वहां 1,40,246 नसबन्दी आपरेशन किये गये जब कि लक्ष्य 1,28,000 का रखा गया था।

प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ सारक्षता के क्षेत्र में भी पंजाब को 1.12 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार मिला है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की सर्वाधिक लड़कियों की भर्ती हुई और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में वहां 1983-84 के दौरान 12.02 लाख के लक्ष्य के विपरीत 12.83 लाख महिलाओं को भर्ती किया गया।

मैं कुछ उपलब्धियों को नहीं गिनाना चाहता। जहां तक पंजाब की कोच फैक्टरी के संबंध में प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा का संबंध है, इसकी क्षमता 1000 कोच रोगी और इस पर 200 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जायेगा। इससे 10000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

थेन बांध परियोजना के काम में तेजी लाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विपक्ष तथा सतारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी बड़ी तर्कसगत, टिप्पणी दी है कि केवल मुट्ठी भर लोग ही परेशानी पैदा कर रहे हैं। पंजाब के लोग स्थिति खराब नहीं कर रहे। केवल थोड़े से लोग ही ऐसे हैं जो देश को बरबाद करने पर तुले हैं।

जहां तक देश के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, पंजाब के बहादुर लोग वहां के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, किसानों का योगदान भी कुछ कम नहीं वह इस दिशा में बहुत अच्छा

काम कर रहे हैं। अतः पंजाब के लोगों के विरुद्ध कुछ भी कहने से पहले हमें सोच विचार लेना चाहिए।

मैं पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि वहां पिछले 2-3 वर्षों से अशांति के बावजूद भी उन्होंने धैर्य से काम लिया है और साहस से परेशानियों को बर्दाश्त किया है। उनका कार्य-निरपादन अच्छा रहा है जहां तक उनकी उपलब्धियों का सम्बन्ध था, उनका नाम अगृणी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से—मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां विकास दर में ज्यादा कमी हुई है, लेकिन कमी हुई जरूर है। 1981-82 में विकास दर 8.8 प्रतिशत थी; 1982-83 में यह कम होकर 5.3 प्रतिशत रह गई और 1983-84 में यह कमी 3.3 प्रतिशत हो गई। मेरा पंजाब के लोगों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उनकी विकास दर में कमी आ रही है। वे अच्छा कर सकते हैं और अग्रणी रह सकते हैं। कुछ लोगों की गतिविधियों के कारण वे पीछे रह गये हैं। यदि पंजाब के लोग इस ओर ध्यान दें तो वे पुनः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर सकते हैं. देश के हितों की रक्षा कर सकते हैं। देश की अखण्डता, सुरक्षा और स्थिरता को उनसे कोई खतरा नहीं होगा।

मैं पंजाब के लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वहइस पर ध्यान दें तथा केवल पंजाब की प्रगति के लिए ही नहीं अपितु देश की प्रगति के लिए भी काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मैं सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में जारी की गई 6 अक्तूबर, 1983 की उद्घोषणा को 6 अप्रैल, 1985 से आगे 6 महीने की अवधि के लिए लागू किये रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार किये जाने संबंवी प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य और चन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को लागू होने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.30 म. प.

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी। खंड 2

श्री बृजमोहन महंती ने एक संशोधन का नोटिस दिया था। वह आज अनुपस्थित हैं। श्री एस.एम. भट्टम।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस.एम. भट्टम (विशाखा पत्तनम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1 पंक्ति 7

"3 अप्रैल, 1986" के स्थान पर "3 अक्तूबर, 1985" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

मैं उस सम्बन्ध में टिप्पणी देना चाहता हूं। मैं विस्तार में बताऊंगा। संकल्प के मामले में, मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाये जाने का सुझाव दिया जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मामले में वह इसकी अवधि एक वर्ष बढ़ाना चाहते हैं। इस असंगति का क्या कारण है ? क्या उनका विचार राष्ट्रपति शासन की अवधि भी एक वर्ष और बढ़ाये जाने का है जबकि पहले उन्होंने इसकी अवधि 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था ? वास्तव में उनका विचार क्या है ? क्या आप स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण): माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, आप देखेंगे कि पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र है और हमारे यहां व्यवस्था है कि जो मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, उसमें तीन सदस्य हों, जिनमें एक सदस्य सेवारत जज अथवा उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त जज हो तथा दो सदस्य वह जिनमें उच्च न्यायालय के सदस्य बनने की योग्यता हो। सलाहकार बोर्ड की संरचना यही है।

हमें प्राप्त कुछ रिपोर्टों के आधार पर विशेषकर खुफिया सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात तथ्यों की जांच की जाती है। इसलिए उसमें 6 वर्ष का समय रखा गया है जबकि अन्य मामलों में अवधि कम रखी गई है। आप इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाए जाने का कारण यह है कि इसमें 2 वर्ष की अधिकतम समय-सीमा की व्यवस्था है। इस मामले में, इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ाये जाने का कारण यह है कि इस समय हम जिन मामलों का पता लगा रहे हैं, यदि उन्हें सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाए, तो इस बारे में जानकारी एकत्र करने में सरकारी तन्त्र को पर्याप्त समय लगेगा कि इन तथ्यों की ओर हमारा ध्यान गया है और उन्हें इस की जांच करनी है जिससे कि बोर्ड को हर प्रकार से संतुष्ट किया जा सके 6 महीने और 1 वर्ष तक अवधि बढ़ाने की विसंगति का यही कारण है।

श्री एस. एम. भट्टम : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री एस.एम. भट्टम द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1 अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम. विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लेखानुदानों की माँगें १९८५-८६ (पंजाब)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य की वर्ष 1985-86 के लिए लेखानुदानों की मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग शीर्षकों से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अवधिक संबोधन राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की माँगें (पंजाब), 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम		सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
1	2		3	
			राजस्व रु0	पूंजीगत रु0
1.	राज्य विधान मण्डल	...	58,91,000	...
2.	मंत्री परिषद्	...	42,94,000	...
3.	न्याय प्रशासन	...	2,80,68,000	...
4.	चुनाव	...	61,40,000	...
5.	राजस्व	...	7,54,37,000	...
6.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	...	3,24,10,000	...
7.	वित्त	...	41,58,33,000	...
8.	लोक सेवा आयोग	...	10,21,000	...
9.	सिविल सचिवालय	...	2,74,51,000	...
10.	जिला प्रशासन	...	4,01,19,000	...
11.	पुलिस	...	28,00,94,000	...
12.	जेलें	...	2,54,17,000	...
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	...	2,26,80,000	14,20,000
14.	फुटकर सेवाएं	...	3,22,80,000	...
15.	पुनर्वास, राहत तथा पुनर्स्थापन	...	6,37,000	...
16.	शिक्षा	...	1,11,13,33,000	...
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा टैक्नालोजी		1,78,62,000	28,00,000
18.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	...	43,56,27,000	50,000
19.	आवास तथा शहरी विकास	...	1,32,21,000	6,02,80,000
20.	सूचना तथा प्रचार	...	1,28,51,000	...
21.	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	...	45,29,000	10,00,000

1	2	3	
		राजस्व रु0	पूंजीगत रु0
22.	श्रम रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण...	4,92,72,000	8,52,000
32.	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ...	14,77,16,000	57,50,000
24.	आयोजन तथा सांख्यकी ...	87,15,000	...
55.	सहकारिता ...	4,73,20,000	8,55,14,(00
26.	कृषि ...	20,45,08,000	2,05,90,000
27.	भूमि तथा जल संरक्षण ...	1,85,17,000	...
18.	खाद्य ...	1,01,30,000	4,57,44,20,000
29,	पशु पालान ...	6,57,88,000	
30.	डेरी विकास ...	33,46 000	...
31	मछली पालन ...	56,28,000	...
32.	वन ...	8,56,06,000	4,50,000
33.	सामुदायिक विकास ...	28.70,88,000	...
34.	उद्योग	5,84,30,000	3,94,00,000
35.	सिविल विमानन ...	32,27,000	2,50,000
36.	सड़कें तथा पुल ...	12,18,30,000	23,27,50,000
37.	सड़क परिवहन ...	37,27,82,000	6,00,00,000
38.	बहुद्देशीय नदी परियोजनायें ...	6,75,29,000	20,81,80,000
39.	सिचाई जल विकास तथा बाढ़ नियंत्रण....	34,42,86,000	27,03,37,000
40.	भवन ...	30,01,67,000	9,15,98,000
41.	राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां...	...	1,31,37,69,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९८४-८५ (पंजाब)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य की वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित भागों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष, के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

भाग संख्या - 3,5,7,9,10,11,16,17,18,19,20,21 22,23,25,28,29,31,32,34,35,36, 38, और 40"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की अनुपूरक मांगे 1984-85 (पंजाब)

मांग की संख्या	मांग का नाम		मांग की राशि	
1	2		3	
			राजस्व रु0	पूंजीगत रु0
3	न्याय प्रशासन	...	87,53,000	...
5	राजस्व	...	2,59,25,000	...
7	वित्त	...	9,64,08,000	...
9	सिविल सचिवालय	...	54,42,000	...
10	जिला प्रशासन	...	27,80,000	...
11	पुलिस	...	6,61,07,000	...
16	शिक्षा	...	22,35,57,000	...
17	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और टैक्नालोजी	...	75,04,000	...
18	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	...	3,27,64,000	...

1	2		3	
			राजस्व रु0	पूंजीगत रु0
19	आवास और शहरी विकास	...	23,42,000	...
20	सूचना और प्रचार	...	20,82,000	...
21	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	...	1,73,000	...
22	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक परिक्षण	...	58,74,000	...
23	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	...	34,96,000	...
25	सहकारिता	...	49,88,000	...
28	खाद्य	...	31,54,000	...
29	पशु पालन	...	12,08,000	...
31	मछली पालन	...	4,99,000	...
32	वन	...	9,21,000	...
34	उद्योग	...	10,31,000	...
35	सिविल विमानन	...	10,31,000	4,72,000
36	सड़कें तथा पुल	...	...	1,20,00,000
38	बृहद्देशीय नदी परियोजनाएं	...	40,64,000	2,66,61,000
40	भवन	...	1,63,91,000	11,80,000

5.35 म0 प0

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ?

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूचित विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.38 म0 प0

पंजाब विनियोग (संख्यांक) विधेयक 1985

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और

राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपर राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये।".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.40 म.प.

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 1985

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ।

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राज्य की विधान सभाओं और संसद के दोनों सदनों के मामले में, दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने जाने से संबंधित संशोधन का प्रावधान संविधान में पहले से ही किया जा चुका है। विधान सभाओं से संबंधित सविधान के उपन्ध संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं पर लागू नहीं होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में दिये गये उपबन्धों से संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं की सदस्यता शासित होती हैं। संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं की सदस्यता के लिये उसी प्रकार की अयोग्यता का प्रावधान करने के लिये तथा दल-बदल के आधार अयोग्य ठहराये जाने का प्रावधान करने के लिये, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में एक नयी धारा 14 रु. अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर दी गई अयोग्यता निदेशात्मक रूप में संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं पर भी लागू हो जायेगी।

इस विधेयक में संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी उन्हीं उपबन्धों का प्रावधान करने की अनुमति चाही गई है जिन उपबन्धों का प्रावधान इस माननीय सभा में विस्तृत वाद-विवाद और चर्चा के बाद राज्य की विधान सभाओं और संसद की दोनों सभाओं के मामलों में संविधान में पहले से ही किया जा चुका है।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये आप कितना समय लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मेरे विचार से इसी प्रकार के विधेयक पर हर व्यक्ति पहले ही बोल चुका है। मेरे विचार से 15 मिनट प्रर्याप्त होंगे।

श्री एस. एम. भट्टम (विशाखापट्टनम) : इसके बारे में इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है···

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह विधेयक उसी आधार पर है जैसा कि सभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। आगे और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण के लिए कुछ कहना चाहता है तो उसकी अनुमति दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य गण बोलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी को मार्ग-निर्देश नहीं दे सकता है।

श्री एस. एम. भट्टम (विशाखापतनम) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधेयक पारित कर दिया गया था और वह भी निर्विरोध। मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं और वह यह है—इस बात की आवश्यकता पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मंत्री जी ने इस सभा के समक्ष पृथक विधेयक क्यों रखा है? थोड़ी सी दूरदर्शिता से इस पहलू को उसी समय समाहित किया जा सकता था? ऐसा क्यों नहीं किया गया? मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। उस समय इसे क्यों छोड़ दिया गया था? मैं केवल इतनी ही बात जानना चाहता हूं? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं एक कानूनी स्पष्टीकरण चाहता हूं। इससे पहले हमने एक संवैधानिक संशोधन पारित किया था। यह अधिनियम में केवल एक संशोधन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वैधानिक रूप से इतना पर्याप्त है और क्या यह उसी तरह मान्य है जिस प्रकार एक संवैधानिक संशोधन को मान्यता प्राप्त होनी है। इसके साथ ही हमने जब प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखने के बारे में सोचा भी नहीं था क्योंकि ऐसा करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि केवल जब प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन रखा जाता तो उससे संविधान के अनुच्छेद 19 का उलंघन होता है। यही कारण है कि हमने यह सोचा कि संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। अब क्या अधिनियम में संशोधन करने से वही प्रयोजन पूरा हो सकता है?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहूंगा कि आप इस बिल को यूनियन टरीटरीज पर लागू करना चाहते हैं जिसका कि मैं स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि इस बिल की पूरे मुल्क को जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इस बिल को जम्मू कश्मीर रियासत में क्यों नहीं एक्सटेंड किया जा रहा है? इसके लिए रियासत में पास दल-बदली कानून में थोड़ी बहुत तरमीम करनी पड़ेगी।

जहां तक नेशनल कांफ्रेंस का ताल्लुक है, यह बात हमने इस बिल पर डिस्कशन और बहस के दौरान भी कह दी थी कि जम्मू-कश्मीर स्टेट असेम्बली में नेशनल कांफ्रेंस सिंगल लार-जेस्ट पार्टी है। हम जम्मू-कश्मीर में भी इस ला को एक्सटेंड कराना चाहते हैं। अभी वहां पर

कांग्रेस के 26 मेंबरान हैं, उन 26 मेंबरान को सामने आ जाना चाहिए और नेशनल कांफ्रेंस के 32 एम. एल. एज. का साथ देकर इस कानून को वहां भी लागू कराना चाहिए और इस तरीके से जो दल-बदल है, जिसने पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और हमारी सियासत में, जिसने मारल्स इखलाक को तबाहो-बरबाद कर दिया है, उससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से जम्मू-कश्मीर एक ऐसी रियासत है, जिसको दल-बदली की वजह से मुसीबत सहनी पड़ी। वहां पर 1983 में जनता की चुनी हुई सरकार थी, असेंबली में उसको अवाम ने अपनी मर्जी से चुना था, कांस्टीट्यूशन के तहत चुना था और उन लोगों ने एक गवर्नमेंट बनाई। डा. फारुख अब्दुल्ला वहां के वजीरेआला चुने गए, वहां के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उसके बाद 10 एम. एल. एज. ने उस जमात से अलहदगी अख्तियार कर के वहां पर अपनी गवर्नमेंट कायम की और गुलाम मोहम्मद शाह वहां के वजीरेआला बने जो कि अब तक भी स्टेट असेंबली के मेम्बर नहीं हैं, अब भी उनको मारल हक नहीं बनता कि वे वहां के चीफ मिनिस्टर रहें। अभी हाल ही में पार्लियामेंट के जो इन्तखाबात हुए हैं, वहां के अवाम ने गुलाम मोहम्मद शाह को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन लड़ा, जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के हल्के-इन्तखाबात से, जहाँ से मैं लड़ रहा था, वहां पर उनको शिकस्त उठानी पड़ी। वहां पर उनके लड़के थे, फरजन, गुलाम मोहम्मद शाह, उनकी जमानत जप्त हो गई और बारामूला से भी शाह लड़े, वहां भी उनको शिकस्त हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों दल उभर कर आए हैं, उसको हमने तसलीम किया है। पांच स्थानों में से नेशनल कांफ्रेंस को तीन और कांग्रेस पार्टी को दो स्थान मिले हैं, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह की पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। इस बिना पर मैं कहना चाहूंगा कि जब पूरे देश को मरकजी दल-बदली कानून का फायदा मिलने जा रहा है तो हमारे जम्मू-कश्मीर को इसका फायदा मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को, उनके जमीर को आवाज दे रहा हूँ, उनके कांशस को पुकार रहा हूँ कि जम्मू-कश्मीर में भी इस दल-बदल कानून को एक्सटेंड करना चाहिए। नेशनल कांफ्रेंस इस बड़े ऐवान में. इस बड़ी जगह पर इस बात का ऐलान करती है कि इस कानून का स्वागत करती है और कांग्रेस पार्टी से मुतालबा करती है कि वे भी आगे आयें, सामने आयें और पहले से मौजूद उस कानून में तरमीम करके वहां पर लागू करायें और वहां पर जो दल-बदल की सरकार कायम हो चुकी है, उसको तोड़ दें, कांग्रेस ने जिसको सपोर्ट दिया है, उसको वापिस लेकर और गवर्नर रूल कायम करके नया इलेक्शन कराना चाहिए। इससे वहां का अवाम अपनी मर्जी के मुताबिक उम्मीदवारों को कामयाब कर सकेगा और नई गवर्नमेंट बनेगी जो अवाम की अपनी गवर्नमेंट होगी। इस तरह से हमारी मुसीबत भी दूर हो जाएगी जो हमें पिछली जुलाई से सहनी पड़ रही है। लोगों की तरक्की रुक गई है और मुल्क का वह हिस्सा जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है, बार्डर स्टेट है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। नेशनल इन्टरेस्ट में यह बात आती है कि वहां पर फौरन इलेक्शन कराए जायें और यह जो कानून इस हाउस में आया है, इसको जम्मू-कश्मीर में एक्सटेंड करना चाहिए। इसके लिए नेशनल कांफ्रेंस इसका स्वागत करेगी। इस मामले में मैं आपका क्लेरीफिकेशन चाहूंगा।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آپ کے مادھیم سے منسٹر صاحب کو یہ
کہنا چاہونگا کہ آپ اس بل کو یونین ٹیریٹریز پر لاگو کرنا چاہتے ہیں جس کا کہ
میں سواگت کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اس بل کی پورے ملک کو لوڑ ہے
میں آپ کے مادھیم سے یہ جاننا چاہونگا کہ اس بل کو جموں کشمیر ریاست
میں کیوں نہیں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لئے ریاست میں پاس
دل بدلی قانون میں تھوڑی بہت ترمیم کرنا پڑیگی۔

جہاں تک نیشنل کانفرینس کا تعلق ہے یہ بات ہم نے اس بل پر ڈسکشن
اور بحث کے دوران بھی کہہ دی تھی کہ جموں کشمیر اسٹیٹ اسمبلی میں نیشنل
کانفرینس سنگل لارجیسٹ پارٹی ہے۔

ہم جموں وکشمیر میں بھی اس لا کو ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہیں۔ ابھی وہاں پر
کانگریس کے ۲۶ ممبران ہیں ان ۲۶ ممبران کو سامنے آجانا چاہیے اور نیشنل کانفرنس
کے ۳۲ ایم ایل ایز کا ساتھ دیکر اس قانون کو وہاں بھی لاگو کرانا چاہیئے اور اس
طریقے سے جو دل بدل ہے جس نے مارس اخلاق کو تباہ و برباد کر دیا ہے جس
سے جموں وکشمیر کے لوگوں کو بھی راحت ملنی چاہیئے۔ میں آپ کے مادھیم
سے بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جسکو
دل بدلی کی وجہ سے مصیبت سہنا پڑی۔ وہاں پر ۱۹۸۳ میں جنتا کی چنی ہوئی
سرکار تھی اسمبلی میں اسکو عوام نے اپنی مرضی سے چنا تھا کانسٹی چیوشن
کے تحت چنا تھا اور ان لوگوں نے ایک گورنمنٹ بنائی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ وہاں کے
وزیر اعلیٰ چنے گئے۔ وہاں کے چیف منسٹر بنے لیکن اس کے بعد ۱۱ ایم ایل ایز نے اس
جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے وہاں پر اپنی گورنمنٹ قایم کی اور غلام محمد شاہ
وہاں کے وزیر اعلیٰ بنے جو کہ اب تک بھی اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اب
بھی ان کو مارل حق نہیں بنتا کہ وہ وہاں کے چیف منسٹر رہیں۔ ابھی حال ہی میں پارلیمینٹ
کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہاں کے عوام نے غلام محمد شاہ کو رجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں
نے پارلیمینٹ کے لیے جو الیکشن لڑا جموں کشمیر میں سری نگر کے حلقہ انتخابات
سے جہاں سے میں لڑ رہا تھا وہاں پر ان کو شکست اٹھانی پڑی۔ وہاں سے پرلن
کے لڑکے تھے فرزند غلام محمد شاہ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی اور یارامولا سے بھی
شاہ بڑے وہاں بھی ان کی شکست ہوئی۔ اس میں کوئی شک

نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی
یہ دونوں دل ابھر کر آئے ہیں اس کو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ پانچ
استھانوں میں سے نیشنل کانفرنس کو تین اور کانگریس پارٹی
کو دو استھان ملے ہیں لیکن غلام محمد شاہ کی پارٹی کا کوئی امیدوار کامیاب
نہیں ہوا۔ اس بنا پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پورے دیش کو مرکزی
دل بدلی کا قانون سے فائدہ ملنے جا رہا ہے تو ہمارے جموں وکشمیر کو اس کا
فائدہ ملنا چاہیئے۔ میں آپ کے مادھیم سے سرکار کو ان کے ضمیر کو آواز
دے رہا ہوں۔ ان کے کانشنس کو پکار رہا ہوں کہ جموں وکشمیر میں بھی
اس دل بدل قانون کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیئے۔ نیشنل کانفرنس اس بڑے
ایوان میں اس بڑی جگہ پر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ اس قانون
کا سواگت کرتی ہے اور کانگریس پارٹی سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بھی آگے آئیں۔
سامنے آئیں اور پہلے سے موجود اس قانون میں ترمیم کر کے وہاں پر لاگو
کروائیں اور وہاں پر جو دل بدل کی سرکار قائم ہو چکی ہے اسکو توڑ دیں
کانگریس نے جسکو سپورٹ دیا ہے اسکو واپس لے اور گورنر رول قائم کر کے
نیا الیکشن کرانا چاہیئے۔ اس سے وہاں کا عوام اپنی مرضی کے مطابق
امیدواروں کو کامیاب کر سکے گا اور نئی گورنمنٹ بنے گی جو عوام کی اپنی گورنمنٹ
ہو گی۔ اس طرح سے ہماری مصیبت بھی دور ہو جائیگی جو ہمیں
پچھلی جولائی سے سہنی پڑ رہی ہے۔ لوگوں کی ترقی رک گئی ہے اور ملک
کا وہ حصہ جو کہ بڑا ہی سنسیٹو ہے بارڈر اسٹیٹ ہے اسکی اور دھیان
دینا چاہیئے۔ نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات جاتی ہے کہ وہاں پر فوراً الیکشن
کرائے جائیں اور یہ جو قانون اس ہاؤس میں آیا ہے اس کو
جموں وکشمیر میں ایکسٹینڈ کرنا چاہیئے۔ اس کے لیے نیشنل کانفرنس
اس کا سواگت کریگی۔ اس معاملے میں میں آپ کا کلیریفکیشن چاہونگا۔

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन में इस बिल पर डिसकशन की आवश्यकता नहीं है और सभी लोगों की इसमें राय है, मैं भी उससे

सहमत हूँ, लेकिन एक दो क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कि अभी एक उधर के विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि अच्छा होता कि जिस समय यह बिल स्टेट्स असेंबली में डिफेक्शन के सिलसिले में यहां पर डिसकशन के लिए आया था, उसी समय यूनियन टेरीटरीज के लिए भी आ जाता। लेकिन मान्यवर आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डीसेंट्रलाइजेशन को बहुत महत्व दिया गया है, इसके लिए कई स्तरों पर चुनाव होते हैं, जिला परिषद, नगर पालिकायें, महा-पालिकायें, म्युनिसपल बोर्ड टाउन एरियाज में, ग्राम पंचायत में, इन सब जगहों पर चुनाव होते हैं। बुनियादी तौर पर दल-बदल का विष वहां पर अधिक है। कई जगह म्युनिसपल बोर्डों में दल बदल पर रोक न होने के कारण हमने देखा है कि सशक्त लोग दो-चार लोगों को ले गए, छिपा दिया, उठाकर ले गए और चुनाव के बाद उनको छोड़ा। माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि यह राज्यों का विषय है, लेकिन मैं आश्वासन चाहता हूं केन्द्रीय मंत्री जी से कि क्या वे राज्यों को और यूनियन टेरीटरीज को यह सलाह देंगे कि जिस तरह से यहां पर और असेंबलीज में तथा यूनियन टेरीटरीज में एन्टी डिफेक्शन बिल आया है, क्या उसी तरह से लोकल बाडीज में भी वे लायेंगे। और अगर न भी बनाएं तो केन्द्रीय सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो पंचायती राज है, उसी तरीके से करें। संवैधानिक तरीके से भी वहां डायरेक्टिव भेज सकते हैं। मैं आशा रखता हूं मुझे आश्वस्त करेंगे कि उस लेवी पर जो चुनाव होने वाले हैं, उनको डायरेक्टिव भेजे जायेंगे कि वे शीघ्र ही अपने अपने राज्यों में इस प्रकार के कानून बनायें।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (उधमपुर) : जनाबेआली, यहां पर कुछ बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो यह कहा गया कि उसी वक्त क्यों नहीं बनाया जिस वक्त यहां पर एन्टी डिफेक्शन बिल पास हुआ था। वह कांस्टीच्युशन में प्रोवाइडेड है, असेम्बली और पार्लियामेंट का वजूद है। उसके साथ भी लाया जा सकता था। यह भी फरमाया कि कास्टीच्युशन में मेंशन किया हुआ है, इसको कांस्टीच्युशन में नहीं लाया गया। यह भी कहा कि इसमें कोई कमजोरी तो नहीं रह जायेगी। कमजोरी इस वजह से नहीं है कि जिस एक्ट के तहत बिल लाए हैं, असेम्बली और यूनियन टेरीटरीं का, उसमें आ रहा है। काबुली साहब ने अपनी सियासत का रोना शुरू कर दिया, इसी बिल की हिमायत लेकर। यूनियन टेरीटरी का सहारा लेकर जम्मू काश्मीर में खींचकर ले गए। वहां जो बिल पास हुआ है, वह अलैदा है। उसको अमेंड करना है तो वह वहां की असेम्बली करेगी। यह तो पार्लियामेंट नहीं कर सकेगी।... (व्यवधान) आप यह फरमाते हैं कि ज्यादती हुई। उस बिल को हाई कोर्ट में ले गए। वहां भी पेटीशन खारिज हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आई है। वहां जो होगा, वह देखा जायेगा। आप कहते हैं कि दोबारा वहां पर गवर्नमेंट स्पलीट हुई। कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनी। हाऊस में वोट लेकर, पूरे वोटों के सहारे से और जम्हूरी तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वहां तो उनकी जमानतें भी जब्त हो गई।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : चूंकि आप वहां नहीं हैं इसलिए कहते हैं कि तोड़ दिया। इसमें कसूर न तो आपका है और न मेरा है। यह तो फारूक साहब से पूछिये।...(व्यवधान)

जब तक यह बात रहेगी तब तक दिल्ली में एक बात कहेंगे, जम्मू में दूसरी और श्रीनगर में तीसरी कहेंगे। यह तो ऐसे ही चलेगा। ...(**व्यवधान**) हमारी जो.एम. शाह के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। फारूक साहब के साथ सियासी रिश्तेदारी यह थी कि वह शेख साहब के फरजंद हैं। फारूक साहब को भी कोई तरीका सिखाइए वे ...(**व्यवधान**) यह सही है कि जमानतों का मामला होता है। एक क्रेडीबिलिटी होती है जिसमें सियासी तौर पर मुल्क की सिक्योरिटी का तकाजा हो। (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप एक भी बात साबित करके दिखा दीजिए कि फारूक साहब देश भक्त नहीं हैं। वे तो हमसे और आपसे भी ज्यादा देश भक्त हैं।...(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब की अगर फारूक साहब यकीन दिला दें तो हम कहेंगे कि हमें यकीन हो गया है। हम एतबार करते हैं और क्रेडीबिलिटी से सन्तुष्ट नहीं हैं। (**व्यवधान**) मैं यह कह रहा हूं कि हमारा कोई झगड़ा आपसे नहीं है। एक तरफ साला और दूसरी तरफ बहनोई हुकूमत करता है। हम लोग तो हाथ ही उठाते रहे। हमने तो कुछ नहीं किया बल्कि किसी वक्त आपको गलत काम करने से रोका जब कि उस वक्त लोगों को लाठियाँ खानी पड़ीं और बड़ी भारी एजीटेशन भी हुई। सब कुछ हुआ लेकिन मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप फारूख साहब से कहिए कि वे ठीक बात करें, क्रैडिबिलिटी के साथ बात करें, अपनी कुछ क्रैडिबिलिटी शो करें (**व्यवधान**)...

श्री वी. तुलसीराम (नगरकुरनूल) : एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इस बिल को बिना डिस्कशन किए हुए ही मंत्री जी के द्वारा रिप्लाई करवाना चाहिये, दूसरी ओर आपने इस पर डिस्कशन शुरू कर दी... (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इसमें आपको क्या तकलीफ हो गई... (**व्यवधान**)...

श्री वी. तुलसीराम : जब आप कोई बात करेंगे तो इधर से भी कुछ न कुछ तो निकलेगा (**व्यवधान**)...

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ क्रैडिबिलिटि का प्रश्न है, आप तो ख्वामख्वाह घबरा गए, आप फारूख साहब को इतना कहें कि वे अपनी कारगर्दगी को साबित करें, अपनी बात पर फर्मली अमल करें। फिर कुछ नहीं है... (**व्यवधान**)... फिर हमें कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने तीन या चार मुद्दे उठाये हैं। पहला मुद्दा यह है कि मूल दल-बदल विधेयक इस सभा में पुरः स्थापित करते समय सरकार को इस संशोधन की आवश्यकता के बारे में ध्यान क्यों नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा विचार था कि विधेयक के पारित होते ही, यह विधेयक संघ राज्य क्षेत्र

विधान सभाओं पर भी लागू हो जायगा किन्तु बाद में हमें यह बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में संशोधन किये बिना, यह विधेयक स्वतः उन पर लागू नहीं हो जायगा और इसीलिये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने दूसरा मुद्दा यह उठाया है कि क्या इसके लिये भी उसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जैसा कि अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 239 में खण्ड (2) की ओर दिलाऊंगा, जिसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि :—

"कोई भी ऐसी विधि, जैसी खण्ड (1) में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझी जायेगी कि उसमें कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है जो इस संविधान को संशोधित करता है या संशोधित करने का प्रभाव रखता है।"

इस अनुच्छेद में यह बहुत ही स्पष्ट है। मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि वही प्रक्रिया, जो सामान्यतः अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत अपेक्षित होती है, इस मामले में भी अपेक्षित होगी।

तीसरी बात दल-बदल विरोधी विधेयक के प्रावधानों को जम्मू-काश्मीर राज्य पर लागू करने के बारे में कही गई है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने यह बात यहाँ उठायी है ! अनुच्छेद 370 में जम्मू-काश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया हैं। यह सहूलियत के लिए नहीं है; इस खास विषय पर, आप इस विषय को जम्मू-काश्मीर पर लागू करना चाहते हैं, जबकि दूसरे कानूनों के सम्बन्ध में आप अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में इस विषय पर सदन द्वारा पारित सारे उपबन्ध जम्मू व काश्मीर राज्य पर भी लागू कराना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का विधेयक ला सकते हैं और हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपको अच्छा लगे वह जम्मू व काश्मीर पर लागू करा दें अन्यथा नहीं। मेरे माननीय मित्र ने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है और मैं उसमें और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं !

अन्तिम बात जो माननीय सदस्य ने उठायी है, वह सही है, लेकिन सम्बद्ध राज्य सरकारों को इसके लिए कानून बनाना होगा। मैं यह ठीक नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दे। अनौपचारिक रूप से हम उनके साथ विचार-विमर्श कर सकते है, यह अलग बात है, लेकिन स्थानीय निकायों को अनुदेश देना ठीक प्रस्ताव नहीं है और मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, आप बिना उनकी मदद के भी निकाल सकते हैं, आपको निकालने में क्या हर्ज है।

श्री एस. बी चह्वाण : बिना उनकी मदद के नहीं निकाल सकते, यही हमारी मजबूरी है··· (व्यवधान)···हमारे संविधान का आर्टिकल 370 स्पष्ट कहता है। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा।

6.00 म.प.

श्री सी. जंगा रेड्डी : आर्टिकल 370 को हटाने के लिये क्या उनकी मदद चाहिए ? इसे उनकी मदद के बगैर भी निकाल सकते हैं।

श्री एस. बी. चह्वाण : उनकी मदद के बगैर नहीं निकाल सकते हैं।

श्री सी. जंगा रेड्डी : उसमें क्या बात है ?

श्री एस. बी. चह्वाण : 370 उनका आर्टिकल है, आप उसको पढ़ लीजिये, आपकी समझ में आ जायेगा। स्पेशल स्टेट की बात है।

[अनुवाद]

श्री एस. एम. महटम : कब और कैसे मंत्री महोदय को पता लगा कि पहले पारित हुआ विधेयक संघ (राज्य क्षेत्र) पर लागू नहीं होता है ? यह उन्हें कब पता चला ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस. बी. चह्वाण मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म.पू. पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 27 मार्च, 1985/6 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स साईकिल मार्किट दिल्ली-6